सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

विषय-सूची

अध्याय - 1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-5
अध्याय - 2 आंतरिक सुरक्षा	6-33
अध्याय - 3 सीमा प्रबंधन	34-50
अध्याय - 4 केन्द्र-राज्य संबंध	51-55
अध्याय - 5 देश में अपराध का परिदृश्य	56-63
अध्याय - 6 मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता	64-69
अध्याय - 7 संघ राज्य क्षेत्र	70-109
अध्याय - 8 पुलिस बल	110-147
अध्याय - 9 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं	148-169
अध्याय - 10 आपदा प्रबंधन	170-199
अध्याय - 11 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	200-211
अध्याय - 12 प्रमुख पहलें तथा स्कीमें	212-231
अध्याय - 13 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	232-249
अध्याय - 14 महिला सुरक्षा	250-261
अध्याय - 15 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एवं सीसीआई)	262-274
अध्याय - 16 विविध विषय	275-287
अनुलग्नक (I से XXIII)	288-337

अध्याय - 1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II-"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना अनुलग्नक-I में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी अनुलग्नक-II में दिया गया है।

1.3 गृह मंत्रालय के विद्यमान प्रभागों की सूची और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.4 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक मामलों को देखना तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करना है। प्रशासन प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह प्रभाग सचिवालय सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन-I (बीएम-I) प्रभाग

1.5 बीएम-I प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं के सुदृढ़ीकरण, वहां पर पुलिस व्यवस्था और चौकसी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें सीमा पर बाड़, सीमा सड़कों का निर्माण, सीमाओं पर फ्लड लाइटों की व्यवस्था तथा भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार की सीमाओं पर सीमा चौकसी बलों की सीमा चौकियों इत्यादि से जुड़े अवसंरचनागत कार्यों के सृजन और सुधार के द्वारा भू-सीमाओं का प्रबंधन करना सम्मिलित है। बीएम-I प्रभाग सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई) से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन-II (बीएम-II) प्रभाग

1.6 बीएम-II प्रभाग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों को देखता है। बीएडीपी केंद्रीय

प्रायोजित एक मुख्य स्कीम है जिसका क्रियान्वयन सीमा प्रबंधन के एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम का क्रियान्वयन विविध चरणों में किया जाता है। बीएम-II प्रभाग एलपीएआई के स्थापना मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसे देश की भूमि सीमाओं में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) का निर्माण, विकास और अनुरक्षण करने तथा साथ ही आईसीपी के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीआईसी) प्रभाग

1.7 सीआईसी प्रभाग (समन्वय विंग) मंत्रालय के अंतर्गत समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों (पीजी), अदालती मामलों की निगरानी, राजभाषा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, वेबसाइट प्रबंधन, रिकार्ड प्रतिधारण समय-सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर- वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, ई-समीक्षा के मामले, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार एवं मंत्रालय की उपलब्धियों संबंधी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत/प्रकाशित करने इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखता है।

1.8 इस प्रभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग सुरक्षा सहयोग से संबंधित करारों/संधियों को अंतिम रूप प्रदान करने/उन पर वार्ता करने, स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और द्विपक्षीय पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। यह सार्क, बिम्सटेक, आसियान, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि से जुड़े कार्यों को देखने के लिए केंद्र बिंदु है। यह प्रभाग दूसरे देशों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू/करारों तथा गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर पर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं/ बैठकों के संबंध में सुरक्षा स्वीकृतियों का समन्वय भी करता है।

केंद्र-राज्य (सीएस) प्रभाग

1.9 सीएस प्रभाग केन्द्र-राज्य संबंधों का कार्य देखता है जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों के सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

1.10 सीएस प्रभाग का न्यायिक विंग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के तत्कालीन शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिकाओं इत्यादि से संबंधित मामलों को भी देखता है।

1.11 सीएस प्रभाग में पब्लिक सेक्शन भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पूर्वता अधिपत्र, शौर्य पुरस्कारों की अशोक चक्र श्रृंखला, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक इत्यादि से जुड़े कार्यों को देखता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग

1.12 सीआईएस प्रभाग की स्थापना देश में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के संबंध में बढ़ती चिंताओं का समाधान करने के लिए अक्तूबर, 2017 में की गई थी। सीआईएस प्रभाग सभी सरकारी मंत्रालयों

और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एनआईएसपीजी) का क्रियान्वयन करने, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की आईटी अवसंरचना का जोखिम मूल्यांकन और साइबर सुरक्षा, देश में साइबर अपराधों से निपटने हेतु समन्वय स्थापित करने, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने से संबंधित स्कीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(आई4सी) स्कीम, साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिसम्मत इंटरसेप्शन और एनएटीजीआरआईडी इत्यादि से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग

1.13 आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग आतंकवाद, कट्टरवाद को रोकने/कट्टरवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने से संबंधित नीतिगत एवं परिचालनात्मक मुद्दों तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग

1.14 डीएम प्रभाग का दायित्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए विधायन, नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत तथा तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.15 वित्त प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण एवं निगरानी और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों को देखना है।

विदेशी विषयक प्रभाग

1.16 विदेशी विषयक प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास (एफएफआर) प्रभाग

1.17 एफएफआर प्रभाग स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम और पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

आंतरिक सुरक्षा-I (आईएस-I) प्रभाग

1.18 आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, पंजाब से जुड़े मामलों; मानव अधिकारों की सुरक्षा; राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अयोध्या, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना; हथियार और विस्फोटक पदार्थ; व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा; परियोजनाओं एवं प्रस्तावों की सुरक्षा की दृष्टि से जांच तथा बीपीआरएंडडी और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा-II (आईएस-II) प्रभाग

1.19 आंतरिक सुरक्षा-II प्रभाग प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, इंटरपोल, ड्रग लॉ इन्फोर्समेन्ट, स्वापक एवं स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आतंकवाद/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा पार गोलीबारी एवं भारतीय क्षेत्र में माइन/आईईडी विस्फोट के पीड़ित नागरिक/उनके परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम इत्यादि से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) प्रभाग

1.20 जेएंडके प्रभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित संवैधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभाग

1.21 एलडब्ल्यूई प्रभाग वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान-विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्रवाई करना है। यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर (एनई) प्रभाग

1.22 एनई प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस-। (पी-।) प्रभाग

1.23 पुलिस-I प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुकरणीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

पुलिस-II (पी-II) प्रभाग

1.24 पुलिस-II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण (पीएम) प्रभाग

1.25 पीएम प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन आदि से संबंधित कार्य करता है।

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रभाग

1.26 यूटी प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है।यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग तथा साथ ही दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

महिला सुरक्षा (डब्ल्यूएस) प्रभाग

1.27 सरकार देश में महिला सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। इस प्रयोजन के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए

कि कानून में संशोधन प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो और देश में महिला सुरक्षा बढ़े, सरकार ने दिनांक 28 मई, 2018 को गृह मंत्रालय में एक महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की है, ताकि देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ बनाया जा सके तथा समग्र रूप से न्याय के त्वरित एवं प्रभावी प्रशासन के माध्यम से और साथ ही महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। यह नया प्रभाग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता हेतु नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने, परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने एवं उनका क्रियान्वयन करने तथा साथ ही, जेल सुधार और संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना तथा फोरेंसिक विज्ञान और अपराध एवं आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में एक सहायक इको-सिस्टम तैयार करना शामिल है।

*****

अध्याय - 2

आंतरिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

2.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का वर्गीकरण मौटे तौर से निम्नानुसार किया जा सकता है:

(i) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद।

(ii) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद।

(iii) जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति।

(iv) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद।

2.2 वर्ष 2018 के दौरान, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। इस अवधि के दौरान, भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को बढाने के कार्य को यथोचित प्राथमिकता प्रदान की और तथा इस संबंध में निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई:

I. आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को रोकने, पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति बेहतर करने, वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने एवं देश के भीतरी भाग में शांति बनाए रखने पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

II. भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने, आर्थिक गतिविधि को संवर्धित करने, पीड़ितों को राहत प्रदान करने एवं राज्य सरकार के सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया।

III. सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही एवं उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई। इस दृष्टिकोण में सुरक्षा उपाय, विकासात्मक कार्य, हिंसा छोड़ने की शर्त पर गुटों के साथ बातचीत करना और राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में आने के लिए भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर उनकी मांगों का निराकरण करना शामिल है। केंद्र सरकार राज्य प्राधिकारियों को विद्रोह-रोधी अभियानों में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करके और खतरे के मूल्यांकन के आधार पर संवेदनशील संस्थानों एवं संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने जैसे विभिन्न उपायों को अपनाकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता भी प्रदान कर रही है।

IV. यह ध्यान में रखते हुए कि किसी आतंकवादी घटना की स्थिति में राज्य सुरक्षा बल सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले संगठन होते हैं, सरकार ने आसूचना संग्रहण, आतंकवादी घटनाओं पर कारवाई करने एवं आतंकवादी मामलों के अन्वेषण इत्यादि में राज्य बलों की क्षमता संवर्धन के लिए कार्यक्रम तैयार किये हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित 74 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2556 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

V. भारत सरकार ने (i) भारतीय उप महाद्वीप में अलकायदा (एक्यूआईएस) तथा इसके सभी संगठनों; (ii) खुरासन प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आईएसकेपी)/आईएसआईएस विलायत खुरासन/ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और शाम-खुरासन (आईएसआईएस-के) और इसके सभी संगठनों; (iii) खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएलएफ) और इसके सभी संगठनों; और (iv) तहरीक-उल-मुजाहिदीन (टीयूएम) तथा इसके सभी संगठनों के नामों को वर्ष 2018-19 के दौरान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किया है।

VI. गृह मंत्रालय ने फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, उज्बेकिस्तान जैसे विदेशी

राष्ट्रों के साथ आतंकवाद का सामना करने के बारे में संयुक्त कार्य समूह की 18 बैठकों तथा ब्रिक्स और बिम्सटेक आदि में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

VII. सरकार आतंकवाद एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रही।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

2.3 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण आतंकवाद वित्तपोषण के मामलों सहित आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रमुख जांच एजेंसी है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके शाखा कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, मुम्बई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में स्थित हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनआईए की कुल 45 विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं। एनआईए ने अपने गठन से लेकर दिनांक 31.03.2019 तक, 258 (वर्ष 2018-19 में 60 मामले) मामले दर्ज किए हैं जिनमें से 194 मामलों (2018-19 में 43 मामलों) में आरोप पत्र सौंपे गए हैं। 48 मामलों में विचारण पूरा हो गया है जिनमें से 43 मामलों में दोषसिद्धि की गई है।

2.4 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित अपराधों में हो रही वृद्धि का सामना करने के लिए एनआईए में एक नए वर्टिकल अर्थात् वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) सैल को अनुमोदन प्रदान किया है।

बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी)

2.5 बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) ने अपनी स्थापना से दिनांक 31.03.2019 तक, 3,16,385 इनपुट एमएसी मंच के माध्यम से साझा किये हैं।

2.6 वर्ष 2018-19 में एमएसी, नई दिल्ली में इसके अधिदेश के अनुसरण में 367 दैनिक नोडल अधिकारी बैठकें, फोकस समूह बैठकें, सीमापार आतंकवादी और पूर्वोत्तर में उग्रवादी से संबंधित मुद्दों पर बैठकें आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए सबसिडेयरी बहु एजेंसी केंद्र (एसएमएसी) में 316 बैठकें आयोजित की गई।

2.7 एमएसी ने जून 2012 में एमएसी-एसएमएसी- राज्य एसबी नेटवर्क पर खतरा प्रबंधन तंत्र (टीएमएस) के साथ समेकित करके राष्ट्रीय मेमोरी बैंक (एनएमबी) भी शुरू किया था। एनएमबी को सीटी सूचनाओं पर एक वर्गीकृत इलेक्ट्रोनिक लाइब्रेरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे सीटी मामलों से संबंधित आंकड़ों के एक संग्रह केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जो राष्ट्र स्तर पर सभी हितधारकों के लिए पहुंच योग्य है। अब तक आतंकवाद-रोधी से संबंधित मामलों पर हितधारकों द्वारा विश्लेषण की सुविधा के लिए आईआर, पत्र-पत्रिकाओं, डोज़ियर्स, घटना की रिपोर्ट्स आदि के रूप में एनएमबी में 16170 आंकड़े अपलोड किये गए हैं।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.8 नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है, जो देश की आतंकवाद-रोधी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से नामोद्दिष्ट डाटा प्रदाताओं के साथ अनुमोदित प्रयोक्ता एजेंसियों (सुरक्षा/विधि प्रवर्तन) को जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करेगा। परियोजना को 2012 में अनुमोदित किया गया था और नेटग्रिड परियोजना के मुख्य घटकों के कार्यान्वयन हेतु कुल 1,002.97 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी। डाटा सेंटर (डीसी) और बिजनेस कंटीन्यूटी प्लानिंग (बीसीपी) सहित नेटग्रिड की सुविधाओं का निर्माण पूरा होने के अग्रिम चरण पर है।

आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी सेल (सीएफटी सेल)

2.9 गृह मंत्रालय में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी सेल (सीएफटी सेल) आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.10 देश के भीतर जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र/राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना के आदान-प्रदान के लिए गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्वय केंद्र (एफसीओआरडी) कार्य कर रहा है। दिनांक 31.03.2019 तक एफसीओआरडी की कुल 34 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें एफआईसीएन के खतरे से निपटने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों एवं अन्य एजेंसियों ने हिस्सा लिया।

2.11 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधीन आतंकी वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी) कार्य कर रहा है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, एनआईए ने वर्ष 2009 से आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित कुल 31 मामले एवं एफआईसीएन से संबंधित 40 मामले दर्ज किये हैं। एनआईए द्वारा जांचे गये एफआईसीएन मामलों में से एक मामले में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक पड़ोसी संप्रभु देश एफआईसीएन के परिचालन में शामिल है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा एवं संप्रभुता को नुकसान एवं खतरा पहुचाना है तथा लोगों में आतंक के प्रति भय पैदा करना है।

2.12 भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान, भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 06.06.2015 को जाली करेंसी नोटों की तस्करी तथा परिचालन को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन के अधिदेश के तहत, इस संबंध में प्रगति की समीक्षा के लिए भारत और बांग्लादेश में बारी-बारी से संयुक्त कार्य बल की 4 बैठकें आयोजित की गई हैं। एमओयू के अंतर्गत फ़रवरी, 2016 में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें सूचना के आदान-प्रदान, आसूचना इनपुट एवं जांच सूत्र को साझा करने, एफआईसीएन व्यापार के सभी पहलुओं पर डाटाबेस रखने, विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, दोनों देश के केन्द्रीय बैंकों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने और दोनों देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने इत्यादि के लिए नोडल संपर्क स्थान बनाना शामिल है।

2.13 भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर-सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण, धनशोधन का सामना करने आदि के संबंध में सिफारिशें करता है। गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबला करने की नीति और इस संबंध में कानूनी तंत्र प्रभावकारिता की स्थिति के बारे में देश में हुई प्रगति को प्रस्तुत करने के लिए एफएटीएफ की प्लेनरी एवं कार्यकारी समूह की बैठकों में भाग लेता है। भारत यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग मनी लांड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (ईएजी) तथा एशिया पेशेफिक ग्रुप ऑन मनी लांड्रिंग (एपीजी), जो एफएटीएफ प्रकार के क्षेत्रीय निकाय हैं, का भी सदस्य है तथा गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने से संबंधित मुद्दों के बारे में भारत की स्थिति को रेखांकित करने के लिए उनके विचार-विमर्श में भाग लेता है। भारत एंटी-मनी लांड्रिंग एंड कम्बेटिंग दि फाइनेसिंग ऑफ टेररिज्म (एसजीएएमएल-सीएफटी) से संबंधित बिम्स्टेक उप समूह की बैठक में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.14 आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से खतरे के कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील स्थिति है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता

का मूल्यांकन किया जाता है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के बुरे मंसूबों को प्रभावी रूप से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि देश में सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शान्ति सुनिश्चित की जा सके।

2.15 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके आवागमन के बारे में भी लगातार सचेत किया जाता है। इस संबंध में, आवश्यकतानुसार उन्हें नियमित रूप से परामर्शी-पत्र भेजे जाते हैं। ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सुसज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.16 माननीय गृह मंत्री द्वारा येल्लो बुक (निजी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश) का संशोधित एवं अद्यतन संस्करण फरवरी 2019 में जारी किया गया।

विमानपत्तन सुरक्षा/दिल्ली मेट्रो सुरक्षा

2.17 विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्राप्ति, हवाई अड्डों पर बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती पर ध्यान दिया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, आईबी, सीआईएसएफ एवं अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। विमान पत्तनों के लिए आतंकवाद-रोधी आकस्मिक योजना (सीटीसीपी) तैयार की गई है तथा लागू करने के लिए इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

2.18 दिल्ली मेट्रो के लिए एक ठोस (रोबस्ट) सुरक्षा फ्रेमवर्क के अंतर्गत सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उसको अपडेट किया जाता है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण एवं कार्य योजना

2.19 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के नाते कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इसलिए, भारत सरकार की नीति के तहत सुरक्षा और विकास दोनों के संबंध मे मुख्य रूप से राज्य सरकारों की क्षमता का निर्माण करके एलडब्ल्यूई उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जाता है।

भारत सरकार ने सुरक्षा और विकास के क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करके तथा साथ ही सुशासन को बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास और साथ ही स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने के क्षेत्रों में बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई है।

2.20 सुरक्षा संबंधी उपायों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रदान करना, भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' (एमपीएफ योजना) की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्यों के विशेष खुफिया शाखाओं/विशेष बलों को मजबूत बनाना और पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाना, एलडब्ल्यूई-रोधी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, अंतर-राज्य समन्वय, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और नागरिक कार्रवाई आदि शामिल हैं। इसके साथ ही, विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत सरकार ने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और कौशल उन्नयन आदि जैसे

बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विशेष रूप से व्यक्तियों और समुदायों को स्वामित्व विलेख आबंटित करने से संबंधित प्रावधान का कार्यान्वयन एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। आगे और अधिक ज़ोर प्रदान करने हेतु उन सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है जो कि सर्वाधिक प्रभावित एलडब्ल्यूई जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत तत्काल प्रकृति के होते हैं। बुनियादी रूप में एलडब्ल्यूई खतरे से कारगर तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता मे वृद्धि की जानी है।

2.21 सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना के ठोस कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश भर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। गत पांच वर्षों के दौरान वामपंथी हिंसा के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक विस्तार में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। एलडब्ल्यूई हिंसा में गिरावट का सिलसिला 2018 में भी जारी रहा। वर्ष 2013 के अंत से हिंसक घटनाओं में कुल 26.7% की कमी (1136 से 833) हुई है और एलडब्ल्यूई से संबंधित मौतों में 39.5% की कमी (397 से 240) हुई है। वर्ष 2017 की तुलना में, वर्ष 2018 में हिंसा की घटनाओं में 8.3% (908 से घटकर 833) की कमी हुई एवं मौतों में 8.7% (263 से घटकर 240) की कमी आई। सुरक्षा बलों की मौत में 10.7% (75 से घटकर 67) कमी आई है और मारे गए वामपंथी उग्रवादियों की संख्या 65.4% (136 से बढ़कर 225) बढ़ी है। साथ ही, भारत सरकार की विकासोन्मुखी पहलों के कारण वामपंथी उग्रवादियों ने बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुख्य धारा में लौटे हैं।

2.22 छत्तीसगढ़ (392 घटनाओं और 153 मौतों के साथ) सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा, इसके बाद झारखंड (205 घटनाएं और 43 मौतें), बिहार (59 घटनाएं और 15 मौतें), ओडिशा (75 घटनाएं और 12 मौतें) और महाराष्ट्र (75 घटनाएं और 12 मौतें) का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हिंसक घटनाओं का प्रतिशत 71.7% रहा और इनमें 81.7% लोगों की मौत हुई। ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार में वर्ष 2018 में क्रमशः 9%, 9% और 7.1% घटनाएं हुई है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने मिलकर 4% से भी कम घटनाओं की सूचना दी।

2.23 वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में सुधार का श्रेय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और उनकी क्षमता में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अभियान की रणनीति तथा विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी को दिया जा सकता है। एलडब्ल्यूई हिंसा की स्थिति का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया हैः–

वर्ष 2010 से 2018 के दौरान एलडब्ल्यूई हिंसा की राज्य-वार मात्रा

राज्य	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019 (31.03.2019 तक)	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आंध्र प्रदेश	100	24	54	9	67	13	28	7	18	4	35	8	17	6	26	7	12	3	4 (0)	0 (0)
बिहार	307	97	316	63	166	44	177	69	163	32	110	17	129	28	99	22	59	15	22 (14)	4 (5)
छत्तीसगढ़	625	343	465	204	370	109	355	111	328	112	466	101	395	107	373	130	392	153	68 (113)	11 (49)
झारखंड	501	157	517	182	480	163	387	152	384	103	310	56	323	85	251	56	205	43	42 (47)	5 (7)
मध्य प्रदेश	7	1	8	0	11	0	1	0	3	0	0	0	12	2	3	1	4	0	0 (3)	0 (0)
महाराष्ट्र	94	45	109	54	134	41	71	19	70	28	55	18	73	23	69	16	75	12	21 (25)	9 (4)
ओडिशा	218	79	192	53	171	45	101	35	103	26	92	28	86	27	81	29	75	12	15 (22)	4 (2)
तेलंगाना	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	8	4	14	5	11	2	7	0	5	2	11	2	2 (6)	0 (1)

उत्तर प्रदेश	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	0 (0)
पश्चिम बंगाल	350	258	92	45	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	0 (0)
अन्य	5	0	6	1	8	0	7	0	8	0	10	0	6	0	1	0	0	0	1 (0)	0 (0)
कुल	2213	1005	1760	611	1415	415	1136	397	1091	310	1089	230	1048	278	908	263	833	240	175 (230)	33 (68)

2.24 वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा का भौगोलिक प्रसार भी काफी कम हो रहा है। वर्ष 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 330 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद के संबंध में हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2018 में 8 राज्यों के 60 जिलों के 251 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हिंसा के पदचिन्ह को मात्र 30 जिलों तक उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया गया है जो 89% वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। देश में विभिन्न वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठनों में सीपीआई (माओवादी) सर्वाधिक प्रभावी बना हुआ है और कुल वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा की घटनाओं तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों में इसका योगदान 88% से अधिक है। सीपीआई (माओवादी) अपने नुकसान में वृद्धि के बीच अंतर-राज्यीय सीमाओं के साथ-साथ नए क्षेत्र में बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

2.25 अधिकांश राज्यों में माओवादियों को बैकफुट पर आने के लिए बाध्य किए जाने के कारण, वर्तमान समय इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने का अवसर है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय

2.26 **सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध:** सीपीआई (माओवादी), जो हिंसा/हत्याओं की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विद्यमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

2.27 **आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना:** वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए, केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 24x7 आधार पर केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करना शामिल है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में जगदलपुर एवं गया में संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करना, तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों, जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, वास्तविक समय पर आसूचना के सृजन पर बल देना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन/सुदृढ़ीकरण करना इत्यादि शामिल है, जिसके लिए विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.28 **बेहतर अंतर-राज्य समन्वय:** सीपीआई (माओवादी) काडरों की कार्रवाई का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अनेक पहलुओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बेहतर अंतर-राज्य समन्वय अनिवार्य है। इसके लिए भारत सरकार ने आवधिक अंतर-राज्यीय बैठकों के माध्यम से और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच पारस्परिक बातचीत करके स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.29 **तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) की समस्या का सामना करना:** वामपंथी उग्रवाद से निपटने के कार्य में सुरक्षा बलों के अधिकांश संख्या में हताहत होने का कारण आईईडी है। गृह मंत्रालय सीएपीएफ एवं राज्य

पुलिस बलों को उनके आईईडी-रोधी क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। आईईडी के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारूदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों" पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और इसे सभी स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया है।

2.30 **इंडिया रिजर्व (आईआर)/विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी):** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए भी इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। एलडब्ल्यूई प्रभावित 10 राज्यों को 56 इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर की गई हैं, जिनमें से 44 स्थापित हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों, बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (02), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) में 10 नई एसआईआरबी के गठन की मंजूरी दी है, जिनमें से 8 एसआईआर बटालियनें स्थापित हो गई हैं।

2.31 **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की स्कीमें** : वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजनाः** भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य सरकारों को वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह-भुगतान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, पुलिस कार्मिकों का बीमा, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों तथा प्रचार सामग्री इत्यादि पर होने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। भारत सरकार ने वार्षिक परिव्यय में 445 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ स्कीम को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। परिव्यय में वृद्धि के साथ स्कीम को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा बलों की अशक्तता तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा जैसी नई मदों को पहली बार स्कीम में शामिल किया गया है। सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से निपटने में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों की क्षमता में वृद्धि होगी।

(ii) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)** : राज्यों के स्टेट इंटेलीजेंस ब्रांचों (एसआईबी) और विशेष बलों के सशक्तीकरण के लिए तथा प्रति पुलिस स्टेशन 2.5 करोड़ रुपये की दर से 250 पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाने के कार्य के लिए इस स्कीम को अब वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के लिए 604 करोड़ रुपये (60%) के केंद्रीय अंश और 402 करोड़ रुपये के राज्य अंश के साथ कुल 1006.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। यह एक प्रतिपूर्ति योजना है।

(iii) **सुरक्षित पुलिस स्टेशन स्कीमः** गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 (केन्द्र अंशदानः राज्य अंशदान) के आधार पर 2.00 करोड़ रुपए प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 397 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है।

(iv) **नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी):** इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच दूरी को पाटना है। वर्ष 2018-19 में सीएपीएफ के लिए 20.00 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

(v) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए):** भारत सरकार द्वारा यह योजना 3000 करोड़ रुपये (1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) के परिव्यय के साथ दिनांक 27.09.2017 को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 03 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित की गई है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिले मूलभूत अवसंरचना एवं सुविधाओं से अत्याधिक वंचित हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं में उन महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना है, जो आकस्मिक प्रवृत्ति की हैं और जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अब तक 1175 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

(vi) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रबंधन स्कीम के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस):** यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 150 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 03 वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए अनुमोदित की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी अभियानों के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान की गई एयर लिफ्ट सेवा से संबंधित बिलों के भुगतान एवं सीएपीएफ को अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सीएपीएफ/केंद्रीय एजेंसियों को इस स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं।

2.32 **निगरानी तंत्र:** गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव एवं विशेष सचिव/अपर सचिव के स्तर पर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समूह भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और वीडियो सम्मेलन के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति और वहां चल रही विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

2.33 **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू की जा रही स्कीमें/पहलें:**

(i) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्कूल, डिस्पेंसरी/ अस्पताल, विद्युत और दूरसंचार लाइनों, पेय जल परियोजनाओं, जल/वर्षा के जल संचयन के ढांचों, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर-पंरपरागत स्रोतों, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और ग्रामीण सड़कों इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए 14 श्रेणियों की अवसंरचना के सृजन हेतु अधिकतम 40 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन की समय सीमा बढ़ायी है। सामान्य अनुमोदन की वैधता को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) भारत सरकार 8 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश/तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में सड़क सम्पर्क में सुधार करने के लिए दिनांक 26.02.2009 से सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I) को कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में 8593 करोड़ रुपये की लागत से 5,422 किमी. सड़क और 08 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। दिनांक 31.03.2019 तक 4792 किमी. सड़कों और 04 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(iii) सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से बुरी तरह प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए दिनांक 28.12.2016 को 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अनुमोदित की है। इस परियोजना को प्रायोजित/ कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस परियोजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 44 जिलों में 11725 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से

5412 किमी. सड़कों तथा 126 पुलों/क्रॉस ड्रेनेज के निर्माण/उन्नयन की परिकल्पना की गई है। 4574 किमी. के लिए स्वीकृति पहले ही संसूचित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श करके 6043 किमी. अतिरिक्त सड़कों की पहचान कर ली है और इन्हें स्वीकृत बजट के तहत शामिल किये जाने हेतु सिफारिश की है।

(iv) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में संपर्कता के मुद्दों के निराकरण के लिए, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, चरण-। में 2335 टावर चालू कर दिए गए हैं और परियोजना के चरण-।। में 4072 मोबाइल टावरों की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई है।

(v) 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधान के तहत 10 एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों अर्थात्: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों और समुदाय को 15,43,656 स्वामित्व विलेख वितरित किए गए हैं ताकि वे अपनी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और वन भूमि पर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

(vi) भारत सरकार 02 स्कीमों नामतः "47 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में कौशल विकास" और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)" को कार्यान्वित कर रहा है। कौशल विकास स्कीम में 47 जिलों में एक-एक आईटीआई तथा 34 जिलों में दो-दो कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के निर्माण/स्थापना की परिकल्पना की गई है।

(vii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित उन जिलों में 7 नए केंद्रीय विद्यालय और 6 नए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोले हैं, जहां केवीएस/जेएनवी नहीं थे। गढ़चिरौली और कोंडागांव में 02 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोले जाने हैं।

2.34 भारत सरकार बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समग्र रूप से खतरों का समाधान करती रहती है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में एलडब्ल्यूई वाले क्षेत्रों में हिंसा में लगातार गिरावट आई है और भौगोलिक फैलाव में काफी कमी देखी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्लूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। सभ्य समाज और मीडिया द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि माओवादियों पर हिंसा का रास्ता छोड़ने और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का दबाव बनाया जाए तथा साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक विचारधारा और आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक विजन के माध्यम से एलडब्लूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

2.35 जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) राज्य ढाई दशक से अधिक समय से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में

आतंकवाद शुरु होने (वर्ष 1990 में) से लेकर (दिनांक 31.03.2019 तक) 14,024 आम नागरिकों और 5,273 सुरक्षा बल कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। गत कुछ वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है:–

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	मारे गए आतंकवादी
2014	222	47	28	110
2015	208	39	17	108
2016	322	82	15	150
2017	342	80	40	213
2018	614	91	39	257
2019 (31.03.2019 तक)	116	59	9	62

2.36 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जारी आतंकवाद जम्मू एवं कश्मीर में 'अंतर्राष्ट्रीय सीमा' के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा है। वर्ष 2014 से जम्मू एवं कश्मीर में सूचित किए गए घुसपैठ के प्रयास और सफल प्रयास नीचे सारणी में दिए गए हैं:

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (30.03.2019 तक)
घुसपैठ के प्रयास	222	121	371	419	328	23
घुसपैठ के अनुमानित सफल प्रयास	65	33	119	136	143	07

2.37 जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल/मुख्य मंत्री द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार, सीएपीएफ और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की गहन और लगातार निगरानी करता है।

2.38 भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट बहु-स्तरीय तथा बहु-रूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीय निगरानी, सुरक्षा बलों के लिए हथियार और उपकरणों का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय, आसूचना का सुचारू प्रवाह और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है। राज्य की शांति भंग करने के आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने विभिन्न आतंकवाद रोधी रणनीतियां अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने और उन्हें आतंकवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है।

2.39 सरकार का निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास रहा है:–

(i) सीमा-पार के आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा एहतियाति और समन्वित उपाय करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में लम्बे समय से जारी उग्रवाद के प्रभाव के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए; और

(iii) एक स्थाई शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले सभी वर्गों के लोगों को अपने विचार प्रभावी रूप से रखने तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निदान करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

2.40 सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुलिस के लिए निम्नलिखित बटालियन गठित करने की मंजूरी प्रदान की :

(i) 5 आईआर बटालियन

(ii) 2 सीमा बटालियन

(iii) 2 महिला बटालियन

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसपीओ का मानदेय निम्नलिखित रूप से बढ़ा कर 12000/- रुपये प्रति माह तक किया गया हैः—

(i) 5 वर्ष से कम अनुभव वाले एसपीओ- 6000/- रुपये प्रति माह

(ii) 5 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम अनुभव वाले एसपीओ - 9000/- रुपये प्रति माह

(iii) 15 वर्षों से अधिक अनुभव वाले एसपीओ - 12000/- रुपये प्रति माह

2.41 राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए, केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता प्रदान कर रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें सिपाहियों को लाने-ले-जाने में, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम, एअर-लिफ्ट प्रभार, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान-पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि पर हो रहे व्यय शामिल हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) के तहत वर्ष 1989 से दिनांक 31.03.2019 तक कुल 7402.72 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार को कुल 500.53 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

विशेष उद्योग की पहल (एसआईआई जेएंडके) 'उड़ान'

2.42 डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने भारत के विभिन्न कॉरपोरेटों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल योजना 'उड़ान' आरंभ की है।

2.43 इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तरीके से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के उन बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है जो स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा तीन वर्ष के इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थितिनुसार 48,584 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है, 44,369 उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं, जिनमें से 38,798 ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 21,088 उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश की गई है। यह योजना 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज- 2015 (पीएमडीपी 2015)

2.44 माननीय प्रधानमंत्री ने अवसंरचना के विकास के लिए जम्मू एवं कश्मीर को विशेष सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 07.11.2015 को 80,068 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। इस योजना में भारत सरकार के 15 मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न सेक्टरों जैसे सड़क, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, जल संसाधन, खेल-कूद, शहरी विकास, रक्षा, वस्त्र आदि से संबंधित 63 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं।

2.45 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, पैकेज के तहत 65461.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और 30049.05 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा, 63 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूर्ण/अधिकांशतः पूर्ण हो गई हैं और अन्य परियोजनाएं जारी/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और उनका पुनर्वास

2.46 1990 के दशक के आरंभ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवाद आरंभ होने के कारण, कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों के साथ अधिकांश कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रवास कर गए। वर्तमान में लगभग 41,248 पंजीकृत कश्मीर प्रवासी परिवार जम्मू में, लगभग 19,338 परिवार दिल्ली/एनसीआर में और लगभग 1995 परिवार देश के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय (भारत सरकार) कश्मीरी प्रवासियों के राहत एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न स्कीमें चला रहा है। स्कीमों का क्रियान्वयन जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेके) द्वारा किया जा रहा है और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत एवं पुनर्वास) – एसआरई (आरएंडआर) के अंतर्गत की जा रही है।

जम्मू में रह रहे कश्मीरी एवं जम्मू प्रवासियों को राहत

2.47 जम्मू एवं कश्मीर सरकार जम्मू में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को नकद राहत एवं सूखा राशन प्रदान कर रही है।

2.48 वर्तमान में, जम्मू एवं कश्मीर सरकार जम्मू में रह रहे कश्मीरी एवं जम्मू प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 3250 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई दर से अधिकतम प्रति परिवार 13,000/- प्रति माह (13.06.2018 को यथा संशोधित) की नकद राहत प्रदान कर रही है। प्रारंभ से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक इस सन्दर्भ में 1834.05 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। लगभग 21,000 प्रवासियों को प्रति माह नकद राहत का भुगतान किया जा रहा है।

2.49 इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर सरकार जरुरतमंद परिवारों को प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल और 2 किलो आटा प्रति माह तथा प्रति परिवार 1 किलो चीनी प्रति माह की दर से सूखा बेसिक राशन प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रारंभ से दिनांक 31.03.2019 तक 205.28 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। लगभग 21,000 प्रवासियों को प्रति माह सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

2.50 इसके अतिरिक्त, प्रवासी अपनी संपत्ति की हुई हानि के लिए, अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा तक अचल संपत्ति की हानि के 50% मूल्य के बराबर का अनुग्रह राहत प्राप्त करने के हकदार हैं।

दिल्ली/एनसीआर में रह रहे कश्मीरी एवं जम्मू प्रवासियों को राहत

2.51 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी दिल्ली/एनसीआर में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को नकद राहत प्रदान करती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2018 के आदेश के जरिये ऐसे प्रवासियों को भुगतान की जाने वाली नकद राहत को बढ़ा कर प्रति व्यक्ति 3250/- रुपये प्रति माह कर दिया है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 13,000/- रुपये प्रति माह होगी। 3250/- रुपये प्रति माह की राशि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का अंश प्रति व्यक्ति 1000/- रुपये प्रति माह होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह से अधिक किये गये व्यय की एसआरई (आरएंडआर) के तहत प्रतिपूर्ति करता है।

कश्मीरी प्रवासियों को रोजगार

2.52 भारत सरकार ने प्रधान मंत्री राहत पैकेज-2008 के तहत राज्य सरकार की 3000 नौकरियों को अनुमोदित किया, जिसमें से 2910 पद भरे जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकार की 3,000 अतिरिक्त नौकरियां देने के लिए दिनांक 04.12.2015 को एक अन्य पैकेज अनुमोदित किया गया था। सभी पद भर्ती एजेंसियों को अधिसूचित किए जा चुके हैं। जेकेएसएसबी द्वारा 1910 पदों के लिए परीक्षाएं भी पूरी कर ली गई हैं और गृह विभाग के तहत 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। जेकेएसएसबी ने मार्च, 2019 माह में लगभग 700 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है।

कश्मीरी प्रवासियों के लिए अस्थायी आवास

2.53 भारत सरकार ने पीएमडीपी-2015 के तहत 920 करोड़ रुपये की कुल लागत से कश्मीर घाटी में 6000 अस्थायी आवास के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया था, जो राज्य सरकार की नौकरी पा चुके/पाने वाले कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित किये जायेंगे।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (1947) और छम्ब नियाबत (1965 तथा 1971) से विस्थापित परिवारों को राहत सहायता

2.54 भारत सरकार ने प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015 (पीएमडीपी) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर–(पीओजेके) एवं जेएंडके में निवास कर रहे छम्ब डीपी से विस्थापित हुये 36,384 परिवारों के संबंध में 2000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज अनुमोदित किया है। इस स्कीम के तहत उन परिवारों को 5.5 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से वित्तीय सहायता उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा किये जाते हैं। स्कीम की स्थापना से दिनांक 31.03.2019 तक 24539 लाभार्थियों को 1079.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) को राहत सहायता

2.55 5764 परिवार, जिन्होंने वर्ष 1947 के विभाजन की त्रासदी के बाद पश्चिम पाकिस्तान के कई इलाकों से पलायन किया और जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बस गए, को जून 2018 में प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और दिनांक 13.06.2018 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार को अनुमोदन से अवगत करा दिया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर में तैनात जेकेपी/एसपीओ/सीएपीएफ/सेना के जवानों जिनकी हिंसा से मौत हो जाती है, के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना

2.56 एसआरई (आरएंडआर) से वित्त पोषित किए जाने वाले अनुग्रह राशि की दर को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके आरंभ होने के बाद से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक इस संबंध में 487.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सीमा पार से गोलीबारी/युद्धविराम उल्लंघन से प्रभावित सीमावर्ती आबादी के लिए राहत सहायता/मुआवजा

2.57 सीमा पार से गोलीबारी/युद्धविराम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने राहत/मुआवजा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i) पांच सीमावर्ती जिलों में 14,460 बंकरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 415.73 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ii) भारत सरकार ने घरों, कृषि आदि के नुकसान के लिए मुआवजा देने हेतु दिसम्बर, 2017 से राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एनडीआरएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित दरों पर करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

iii) नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए 3 दुधारू पशुओं की सीमा को हटा दिया गया और दिनांक 01.06.2018 से मुआवजे की राशि बढ़ाकर 50,000/- रुपये प्रति पशु हानि कर दी गई।

iv) मौत के मामले में या 50% से अधिक विकलांगता से पीड़ित होने पर पीड़ितों के परिजनों (एनओके) को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की राहत।

नियंत्रण रेखा के पार यात्रा

2.58 दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर एक पाक्षिक बस सेवा शुरू की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ-रावलकोट मार्ग पर ऐसी सेवा शुरू की गई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से विश्वास निर्माण के इन उपायों पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों मार्गों की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 08.09.2008 और 11.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था।

	दिनांक 31.03.2019 तक यात्रा पर आए यात्रियों की संख्या	दिनांक 31.03.2019 तक वापस गए यात्रियों की संख्या
भारतीय	11028	11011
पीओके	25725	25679

जम्मू एवं कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार

2.59 63वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा के सत्र के समय दिनांक 23.09.2008 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरू किया जाए। इसी के परिणामस्वरूप, दिनांक 20.10.2008 से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर शून्य शुल्क के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच 21 सम्मत मदों का नियंत्रण रेखा पार व्यापार शुरू हुआ। व्यापार की मात्रा बढ़ने के परिणामस्वरूप, व्यापार के दिनों को प्रति सप्ताह 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन (दिनांक 15.11.2011 से) कर दिया गया। दिनांक 31.03.2019 तक, इन दोनों मार्गों से 72,511 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर गए और 43,582 ट्रक सीमा पार कर भारत आए।

2.60 नियंत्रण रेखा के पार से सुरक्षित एवं सुगम व्यापार के लिए, सलामाबाद, उरी और चकन-दा-बाग, पुंछ में दो चेक प्वाइंटों पर 02 व्यापार सुविधा केन्द्रों (टीएफसी) की स्थापना की गयी है। प्रति टीएफसी 10 करोड़ रुपये की लागत से चरण-I के उन्नयन के लिए वर्ष 2009 में मंजूरी दी गई। टीएफसी सलामाबाद और टीएफसी चकन-दा-बाग के द्वितीय चरण के उन्नयन के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को वर्ष 2016 में क्रमशः 12.60 करोड़ रुपये और 10.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

2.61 भारत और पीओके के बीच एलओसी पार व्यापार को दिनांक 19.04.2019 से निलंबित कर दिया गया है जब तक कि एक ऐसा मजबूत तंत्र स्थापित नहीं होता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके, कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए केवल वास्तविक व्यापार हो रहा है।

भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम

2.62 भारत सरकार सीएपीएफ, जेकेपी और राज्य सरकार के सहयोग से जम्मू और कश्मीर के बच्चों/युवाओं के लिए भारत दर्शन यात्रा/वतन को जानो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन मुहैया करा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है ताकि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से देश के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विकास दिखाया जा सके। वर्ष 2018-19 में लगभग 5000 बच्चों/युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है।

महिला सशक्तिकरण

2.63 भारत सरकार ने कुपवाड़ा में संसाधन केंद्र (शहजर) की स्थापना के लिए स्व-रोजगार महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) को 5.09 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस केंद्र में एसईडब्ल्यूए के तहत अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न शिल्पों में 3000 प्रशिक्षुओं और 500 मास्टर ट्रेनरों (एमटी) को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में 883 मास्टर ट्रेनर्स सहित 4780 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। शिल्प में कटाई, सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं।

2.64 उपर्युक्त केंद्र की सफलता को ध्यान में रखते हुए, एसईडब्ल्यूए को दो और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें 1.11 करोड़ रुपये की लागत से 2500 महिलाओं (500 एमटी सहित) के प्रशिक्षण के लिए गांदरबल में और 1.94 करोड़ की लागत से 90 मास्टर ट्रेनर सहित 2000 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए लेह में, जिसका उपकेन्द्र कारगिल में होगा, स्थापित किया जाना है।

जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी प्राप्त हेलीकॉप्टर सेवाएं

2.65 सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में, जो सड़क संपर्क से वंचित हैं अथवा सड़क से जुड़ने के बावजूद भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सर्दी के मौसम के दौरान बंद हो जाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से इन प्रत्येक राज्य में 10-10 सेक्टरों में प्रायोगिक आधार पर सब्सिडी प्राप्त हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में दिनांक 06.09.2016 को आदेश जारी किए गए हैं। स्कीम को मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार सब्सिडी का 75% हिस्सा वहन करेगी और सब्सिडी के शेष 25% हिस्से को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

कश्मीर घाटी में तैनात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रियायत/प्रोत्साहन का विस्तारीकरण

2.66 दिनांक 02.03.2016 को, सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रियायत/प्रोत्साहन को दिनांक 01.01.2016 से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रोत्साहनों में अतिरिक्त मकान किराया भत्ता, मेस की सुविधाएं, कश्मीर घाटी के पेंशनधारकों को मासिक पेंशन का भुगतान आदि शामिल हैं। कश्मीर घाटी में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रियायत/प्रोत्साहन पैकेज को दिनांक 01.01.2018 से दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

अमरनाथ यात्रा

2.67 श्री अमरनाथजी यात्रा, 2018 की शुरूआत दिनांक 28.06.2018 को हुई, जो दिनांक 26.08.2018 तक जारी रही। पवित्र गुफा में पहुंचने के दो मार्ग हैं, अर्थात् (1) जम्मू-पहलगाम-चंदनवारी-पिस्सू टॉप-शेषनाग-पंचतरणी-पवित्र गुफा और (2) जम्मू-बालटाल-दोमेल-बरारी-पवित्र गुफा। दोनों मार्गों के लिए श्री अमरनाथजी यात्रा के तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की शुरूआत दिनांक 01.03.2018 को हुई। यात्रियों की यात्रा हेतु पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रक्रिया की जानकारी श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) की वेबसाइट पर उपलब्ध थी। चोपर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के जरिये हवाई सर्वेक्षण, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी निगरानी प्रणाली एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (आरएफआईडी) की स्थापना करके अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

2.68 वर्ष 2017 में 2.60 लाख यात्रियों की तुलना में वर्ष 2018 के दौरान कुल 2.85 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया।

जम्मू एवं कश्मीर में राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन

2.69 जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति की सहमति से एक घोषणा दिनांक 20.06.2018 को अन्य बातों के साथ-साथ स्वयं जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के सभी कार्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जारी की। दिनांक 19.12.2018 को राज्यपाल शासन की समाप्ति के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत दिनांक 19.12.2018 को एक घोषणा जारी कर जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के सभी कार्यों तथा उस राज्य के राज्यपाल की सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में लिया है।

संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2019

2.70 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2019 दिनांक 01.03.2019 को जारी किया गया था, जिसके तहत भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों, जो कि संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (एक सौ तीन वां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा यथा संशोधित है, को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विस्तारित किया गया है। यह राज्य सरकार

को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए तथा साथ ही मौजूदा आरक्षणों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए 10% तक आरक्षण की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019

2.71 जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 01.03.2019 को जारी किया गया था, जिससे जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन किये गये और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलओसी) से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए लागू आरक्षण के दायरे में लाया गया।

पूर्वोत्तर

2.72 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें पृथक भाषा, बोली और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। यह क्षेत्र देश के 8% भू-भाग में फैला है और इसमें राष्ट्रीय आबादी का लगभग 4% हिस्सा निवास करता है। लगभग 5,484 किमी. की इसकी संपूर्ण सीमा बांग्लादेश (1,880 किमी.), म्यांमार (1,643 किमी.), चीन (1,346 किमी.), भूटान (516 किमी.) और नेपाल (99 किमी.) के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।

2.73 पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में वर्ष 2013 से उल्लेखनीय सुधार हुआ। वर्ष 1997 के बाद इस वर्ष 2018 में विद्रोह एवं नागरिकों की मौत संबंधी घटनाओं की संख्या सबसे कम रही हैं। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में विद्रोह संबंधी घटनाओं में 18% की कमी (2017-308, 2018-252) दर्ज की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2018 में आम नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हताहत होने की संख्या में 25% की कमी (2017-49, 2018-37) आई है। इस क्षेत्र में वर्ष 2018 में विद्रोह-रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप 34 उग्रवादियों को ढ़ेर किया गया, 804 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 478 हथियार बरामद किए गए। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2018 में विद्रोह की घटनाओं में 66%, आम नागरिकों के हताहत होने में 79%, सुरक्षा बलों के हताहत होने में 23% और अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं में 62% की कमी आई। वर्ष 2019 के पहले तीन महीनों में (31.03.2019 तक), उग्रवाद की घटनाओं में गिरावट के साथ इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में और सुधार हुआ है। विगत सात वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति नीचे दी गई हैः–

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	बरामद किए गए/ समर्पण किए गए हथियार	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	अपहृत व्यक्ति
2012	1025	2145	222	1856	14	97	1195	329
2013	732	1712	138	1596	18	107	640	307
2014	824	1934	181	1255	20	212	965	369
2015	574	1900	149	897	46	46	143	267
2016	484	1202	87	698	17	48	267	168
2017	308	995	57	432	12	37	130	102
2018	252	804	34	478	14	23	161	117
2019	61	188	2	71	.	4	11	32

2.74 जबकि त्रिपुरा और मिजोरम में लगभग कोई उग्रवाद नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2018 में उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं की संख्या वर्ष 2017 की तुलना में मेघालय में 48%, अरुणाचल प्रदेश में 40%, असम में 16% और मणिपुर में 24% कम हो गई। वर्ष 2018 में नागालैंड में विद्रोह संबंधी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले सात वर्षों और चालू वर्ष (31.03.2019 तक) के दौरान हिंसा का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-।।। में दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश

2.75 अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई सक्रिय स्वदेशी विद्रोही समूह नहीं है। यह राज्य तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में नेशलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) (एनएससीएन/ईसाक-मूइवा,एनएससीएन/खापलांग, एनएससीएन/रिफॉर्मेशन और एनएससीएन/नियोपाव कोन्यान्क-किटोवी) के नागालैंड आधारित यूजी दलों के नागा विद्रोहियों की छिट-पुट आतंकवादी गतिविधियों के अलावा असम आधारित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-(स्वतंत्र) और एनडीएफबी/सोरायगवारा की गतिविधियां से भी प्रभावित है। राज्य के असम एवं म्यांमार की सीमा वाले क्षेत्रों में शरण एवं अस्थायी आवास के लिए एनडीएफबी (एस) एवं यूएलएफए (आई) के कैडर आते जाते रहते हैं।

2.76 वर्ष 2018 में विद्रोह संबंधी घटनाओं की संख्या में 40% की कमी (2017-61, 2018-37) के साथ अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 2018 में हताहत हुए नागरिकों की संख्या और घट गई (2017-3, 2018-1) और सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह-रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप 12 काडर/विद्रोही मारे गए, 69 विद्रोही गिरफ्तार हुए और 60 हथियार बरामद किये गए।

असम

2.77 वर्तमान में, असम राज्य में सक्रिय मुख्य उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम-(स्वतंत्र), (उल्फा-।), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड-(सोरायगावारा), एनडीएफबी-(एस) हैं। उल्फा एवं एनडीएफबी को विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी) भी असम के करबी ऑंगलोंग जिले में सक्रिय है। उल्फा (वार्ता समर्थक), एनडीएफबी (रंजन डायमारी), एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव) और करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) भारत सरकार और/अथवा असम सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते के अधीन हैं।

2.78 असम में विद्रोह संबंधी घटनाएं वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 16% कम हुई (2017-33, 2018-28)। वर्ष 2018 में राज्य में 5 उग्रवादियों को मारने, 133 काडरों की गिरफ्तारी एवं 92 हथियारों की बरामदगी के फलस्वरूप सुरक्षा बल बहुत हद तक उग्रवादी समूहों की हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सक्षम हुए हैं। वर्ष 2018 में 7 आम नागरिकों और 1 सुरक्षा बल कार्मिक की हत्या करके उल्फा-। राज्य में लगभग 57% विद्रोह संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

2.79 दिसम्बर, 2014 में असम के सोनितपुर, कोकराझार और चिरांग जिलों में आदिवासियों की बर्बर हत्या के बाद, एनडीएफबी (सोरायगवरा) समूह के विरुद्ध विद्रोह-रोधी अभियान जारी हैं। दिनांक 23.12.2014 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, एनडीएफबी/एस के 1146 काडरों/सम्पर्क व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया तथा 63 काडर विद्रोह-रोधी अभियानों में मारे गए।

मणिपुर

2.80 मणिपुर राज्य मेइतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार और मुस्लिम यूजी समूहों की गतिविधियों के कारण विद्रोह से प्रभावित है। वर्ष 2018 में, इस क्षेत्र में हुई हिंसा की कुल घटनाओं (समग्र पूर्वोत्तर : 252, मणिपुर : 127) में लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ मणिपुर सबसे हिंसक राज्य रहा। तथापि, वर्ष 2018 के दौरान राज्य में विद्रोह संबंधी घटनाओं में 24% की कमी (2017-167, 2018-127) हुई और हताहत हुए आम नागरिकों की संख्या वर्ष 2017 में 23 से घटकर

वर्ष 2018 में 8 हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह-रोधी अभियानों में चालू वर्ष 2018 में 10 विद्रोही मारे गए, 404 विद्रोही गिरफ्तार किए गए तथा 99 हथियार बरामद किए गए। वर्ष 2018 में राज्य में कुल विद्रोही घटनाओं में मेईतेई विद्रोह की हिस्सेदारी लगभग 57% रही, जिसमें 6 सुरक्षा बल कार्मिक एवं 5 आम नागरिक मारे गए।

मेघालय

2.81 मेघालय राज्य वर्ष 2010-11 से गारो उग्रवाद का सामना कर रहा है। वर्तमान में राज्य में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए), एक गारो उग्रवादी समूह और हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी), एक खासी उग्रवादी समूह हैं। वर्ष 2018 में राज्य में सुरक्षा स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्य में वर्ष 2018 में हिंसक घटनाओं की संख्या में वर्ष 2017 की तुलना में 48% की कमी देखी गई (2017-28, 2018-15) और राज्य में 3 उग्रवादियों के मारे जाने और 17 काडरों की गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा बल काफी हद तक उग्रवादी समूह की हिंसक गतिविधियों पर काबू पाने में सक्षम रहे। अपहरण और व्यपहरण के मामलों की संख्या 18 (2017) से काफी घटकर 01 (2018) हो गई है।

नागालैंड

2.82 नागालैंड राज्य में सक्रिय मुख्य विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के घटक हैं, जो वर्ष 1975 के शिलांग समझौते के असफल होने के बाद वर्ष 1980 में अस्तित्व में आए। इन विद्रोही समूहों में टीएच. मुइवाह के नेतृत्व वाला एनएससीएन (आईएम), नेओपाओ कोन्याक-किटोवी के नेतृत्व में एनएससीएन/एनके जो जून, 2011 में एक नया गुट बना था और वर्ष 2015 में वाई. वांगटिन कोन्याक के नेतृत्व में बना एनएससीएन/आर शामिल हैं। खांगो के नेतृत्व में एनएससीएन/के (अर्थात एनएससीएन/के-खांगो गुट) का विभाजित गुट फरवरी, 2019 में सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ। यद्यपि, विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाए गए हैं, तथापि, एनएससीएन के समूहों का दल-संबंधी हिंसा और अन्य हिंसक/गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होना जारी है, जिससे राज्य में सामान्य जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।

2.83 वर्ष 2018 में राज्य में हिंसक घटनाओं एवं अपहरण/व्यपहरण मामलों में वृद्धि हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाये गए उग्रवाद-रोधी अभियानों के फलस्वरूप राज्य में 4 काडर/उग्रवादी मारे गए, 181 काडरों की गिरफ्तारी हुई और 64 हथियार बरामद किये गए।

त्रिपुरा

2.84 वर्ष 2013 के बाद हिंसक घटनाओं में सतत गिरावट के साथ हाल के वर्षों में त्रिपुरा में सुरक्षा के परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। वर्ष 2016 से हिंसा की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। प्रमुख यूजी संगठनों, जैसे कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है।

सिक्किम और मिजोरम

2.85 सिक्किम राज्य उग्रवाद संबंधी घटनाओं से मुक्त है और मिजोरम में वर्ष 2018 में कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़कर अधिकांशतः शांति का माहौल रहा है। मिजोरम राज्य में अप्रैल. 2018 में 44 हथियारों के साथ हमर पीपुल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेसी) के 114 काडरों ने आत्मसमर्पण किया।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.86 अलग-अलग जातीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता/बातचीत करने के लिए एक नीति का अनुसरण कर रही है, जो हिंसा छोड़ने, तथा हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने

के लिए सामने आए हैं और उन्होंने कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते किए हैं और उनमें से कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वयं का विघटन कर लिया है। जिन संगठनों ने वार्ता नहीं की है, उन पर विद्रोह-रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सैन्य बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.87 क़ानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही/उग्रवादी समूहों की अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, एसआरई स्कीम के तहत राज्य सरकारों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, भारतीय आरक्षित बटालियनों का गठन, यूएपीए के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित हो रहे गैर-कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध, एएफएसपीए के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना और एकीकृत कमांड संरचना के लिए अधिसूचना जारी करना आदि शामिल हैं।

2.88 भारत सरकार, राज्य सरकारों, सुरक्षा बलों और संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों वाले संयुक्त निगरानी समूहों द्वारा इन व्रिदोही दलों से संबंधित सम्मत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

2.89 पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही समूहों द्वारा अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या, सशस्त्र काडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं पर विस्फोट और हमलों जैसी अवैध और गैर-कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 17 विद्रोही संगठनों को "विधि-विरुद्ध संगठन" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। वर्ष 2018 के दौरान एनएलएफटी, एटीटीएफ एवं मेईतेई उग्रवादी समूहों पर प्रतिबन्ध 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के गैर कानूनी संगठनों/आतंकवादी संगठनों की सूची अनुलग्नक-IV में दी गई है।

2.90 पूर्वोत्तर में सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए, सम्पूर्ण मणिपुर राज्य (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र के अलावा), नागालैंड और असम सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के अधीन हैं। सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के कारण दिनांक 31.03.2018 से सम्पूर्ण मेघालय राज्य से एएफएसपीए हटा लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में एएफएसपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों की संख्या कम हो गई है जो कि असम की सीमा में लगे 16 पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट्स से घट कर 04 पुलिस स्टेशनों और तिरप, चांगलांग तथा लोंगडिंग के तीन जिलों में रह गए। मणिपुर एवं असम को 'अशांत क्षेत्र" घोषित करने के लिए अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई।

2.91 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं तथा संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा रक्षा के कर्तव्य के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 404 कंपनियां (1.4.2019 को) तैनात की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह-रोधी अभियानों के लिए सीएपीएफ की 844 कंपनियों (1.4.2019 के अनुसार) और 18 कोबरा दलों को तैनात किया गया है।

2.92 भारत सरकार विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 61 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की निम्नानुसार मंजूरी प्रदान की गई है :-

राज्य	गठित आई आर बटालियनों की संख्या	2018 में मंजूर नई आई आर बटालियनें	कुल
असम	09	02	11
अरुणाचल प्रदेश	05	02	07
मिजोरम	05	.	05
मणिपुर	09	02	11
मेघालय	04	02	06
नागालैंड	07	.	07
त्रिपुरा	09	02	11
त्रिपुरा	03	.	03
योग	**51**	**10**	**61**

पूर्वोत्तर राज्यों में शांति प्रक्रिया की स्थिति

2.93 सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता कर रही है। भारत सरकार के प्रतिनिधि/वार्ताकार श्री आर.एन. रवि नागा विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य विद्रोही समूहों (नागालैंड को छोड़कर) के साथ शांति वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि/वार्ताकार के रूप में श्री ए.बी. माथुर को नियुक्त किया गया है।

(I) असम

- उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के साथ वार्ता जारी है। संगठन के साथ अभियान स्थगन (एसओओ) दिनांक 03.09.2011 से वैध है और अनिश्चित काल तक जारी है।

- एनडीएफबी(पी) (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (प्रगतिशील) ने दिनांक 24.05.2005 को अभियान स्थगन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए और वर्तमान में 31.12.2019 तक वैध है।

- एनडीएफबी से अलग हुए समूह एनडीएफबी(आरडी) (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (रंजन डाइमेरी)) ने दिनांक 29.11.2013 को एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किया। एसओओ दिनांक 31.12.2019 तक वैध है।

(II) मणिपुर

- दो महासंघों (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट (यूपीएफ) -8 और कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) -15) के नेतृत्व में कुल 23 यूजी संगठन वर्तमान में अगस्त, 2008 से सरकार के साथ कारवाई स्थगन (एसओओ) के अधीन हैं। केएनओ और यूपीएफ के बीच एसओओ समझौता दिनांक 31.08.2019 तक वैध है। इन समूहों के साथ राजनीतिक वार्ता जून, 2016 में शुरू हुई।

(III) नागालैंड

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (नियोपाओ कोनयाक-किटोवी) (एनएससीएन/एनके) और एनएससीएन (रिफोर्मेशन) के साथ किए गए युद्धविराम समझौते को दिनांक 27.04.2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। एनएससीएन (इसाक-मुइवा) ने अनिश्चित काल के लिए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एनएससीएन (आई/एम) के साथ दिनांक 03.08.2015 को एक फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गये थे। एनएससीएन/के-खांगो के नये सृजित समूह के साथ युद्ध विराम समझौते पर दिनांक 15.04.2019 को हस्ताक्षर किये गये, जो दिनांक 14.04.2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास संबंधी योजना

2.94 गृह मंत्रालय भ्रमित युवाओं और उन खूंखार उग्रवादियों को, जो उग्रवाद में भटक गए हैं और बाद में उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास संबंधी एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सरेंडर करने वाले उग्रवादी दोबारा उग्रवाद में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया

गया है। संशोधित नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पणकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगेः–

(i) प्रत्येक सरेंडर करने वाले को 4 लाख रूपए का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में सरेंडर करने वालों के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग सरेंडर करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय सम्पार्श्विक प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ii) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक सरेंडर करने वालों को प्रतिमाह 6,000 रुपये वजीफे का भुगतान;

(iii) उग्रवादियों द्वारा सरेंडर किए गए हथियारों/ गोलाबारूद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन;

(iv) सरेंडर करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(v) पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां;

(vi) पूर्वोत्तर राज्यों को सरेंडर करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई स्कीम के तहत की जाएगी;

2.95 सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई काडर सरेंडर करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष (31.03.2019 तक) के दौरान पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में किये गए सरेंडर संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

राज्य	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (31.03.2019 तक)
अरुणाचल प्रदेश	7	3	4	3	2	0
असम	102	30	15	13	13	7
मणिपुर	80	4	0	74	0	0
मेघालय	733	78	205	37	19	1
मिजोरम	3	0	0	0	114	0
नागालैंड	0	13	16	2	0	3
त्रिपुरा	40	15	27	1	13	0
योग	965	143	267	130	161	11

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति

2.96 केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से आतंकवाद/विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत निधि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होगी। इसके अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा संबंधी मदों पर पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है जिसमें इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सीएपीएफ/ सेना को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75%, पुलिस कार्मिकों के निकट के परिजनों को 100% अनुग्रह राशि, सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय और ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर किया गया व्यय तथा आत्मसमर्पण करने वाले आंतकवादियों एवं उनके पुनर्वास पर किया गया व्यय शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एसआरई

स्कीम की व्यापक समीक्षा दिनांक 01.04.2018 को की गई और इसमें निम्नलिखित संशोधन किये गएः–

- ☞ होमगार्ड के लिए मजदूरी रुपये 150 प्रति दिन से बढ़ा कर रुपये 200 कर दी गई।
- ☞ ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) के लिए मानदेय प्रति माह 1,500 रुपये से दोगुना करके 3,000 रुपये कर दिया गया।
- ☞ प्रत्येक एसओओ काडर के लिए निर्धारित शिविर के अनुरक्षण का खर्च प्रति माह 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया।
- ☞ उग्रवादी हिंसा में मारे गए/घायल व्यक्ति के लिए बढ़ाई गई अनुग्रह राशिः
  - नागरिक की मौत होने पर- 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये
  - पुलिस कर्मियों की मौत होने पर- 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये
  - पुलिस कर्मी को स्थायी विकलांगता होने पर- 75,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये
- ☞ एसओओ कॉडरों के रोज़गारपरक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान।

गत सात वर्षों के दौरान एसआरई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति का ब्योरा अनुलग्नक-V में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.97 चूंकि, कुछ पूर्वोत्तर राज्य विद्रोह और आतंकवाद से प्रभावित हैं, इसलिए विद्रोह का सामना करने के लिए क्षेत्र में सेना और अन्य केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की निरंतर आवश्यकता है। स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल सिविक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी-मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाती हैं। विगत सात वर्षों के दौरान सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधियों का ब्योरा अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

विज्ञापन एवं प्रचार

2.98 पूर्वोत्तर की विशिष्ट समस्याओं अर्थात आंतकवाद, घुसपैठ और परायेपन की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय क्षेत्र में शांति के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों को उजागर करने और यह बताने के उद्देश्य से कि "शांति से लाभ होता है" पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञापन और प्रचार की एक स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इस स्कीम के तहत, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के तत्वावधान में, पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के शेष भारत के दौरे और शेष भारत से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, दूरदर्शन और रेडियो पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण, पूर्वोत्तर से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता आदि सहित विभिन्न पहलें की जाती हैं। विगत सात वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय किया गया हैः–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	2012-13	6.00
2.	2013-14	2.00
3.	2014-15	3.00
4.	2015-16	2.96
5.	2016-17	2.00
6.	2017-18	2.90
7.	2018-19	2.76

अन्य मुद्दे :

ब्रू प्रवासियों की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी

2.99 मिजोरम के पश्चिमी हिस्से में अक्टूबर 1997 में जातीय हिंसा के कारण वर्ष 1997-1998 में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार उत्तरी त्रिपुरा को प्रवासित हुए। लगभग 30,000 ब्रू प्रवासियों

(लगभग 5000 परिवार) को उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छः राहत शिविरों में शरण दी गई थी।

2.100 ब्रू परिवारों के पुनर्वास/प्रत्यावर्तन के लिए दिनांक 31.03.2019 तक त्रिपुरा सरकार को लगभग 368.94 करोड़ रुपये और मिजोरम सरकार को 118.90 करोड़ रुपये जारी किये गए। ब्रू लोगों का प्रत्यावर्तन 2010 में शुरू हुआ और वर्ष 2014 तक लगभग 1662 ब्रू परिवारों (8574 लोगों) को छः बैचों में प्रत्यावर्तित किया गया तथा मिजोरम में बसाया गया।

2.101 व्यवहार्य समाधान के लिए, भारत सरकार, मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार तथा मिजोरम ब्रू डिस्प्लेसड पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) ने दिनांक 03.07.2018 को 5,407 ब्रू परिवारों, जिसमें त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रहने वाले 32,876 व्यक्ति शामिल हैं, के प्रत्यावर्तन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे। इस समझौते के अनुसार, भारत सरकार मिजोरम में ब्रू के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उनकी सुरक्षा, शिक्षा आदि के मुद्दों का निपटान करेगी।

प्रत्येक प्रत्यावर्तित परिवार को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता:

(i) प्रत्येक ब्रू परिवार को सावधि जमा के रूप में 4 लाख रुपये नकद प्रोत्साहन।

(ii) प्रत्येक परिवार को दो वर्षों के लिए 5,000/- रुपये प्रति माह की नकद सहायता।

(iii) प्रत्येक परिवार को 1.50 लाख रुपये की आवास सहायता।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति को दो साल तक मुफ्त राशन।

(v) प्रत्येक परिवार को बर्तन और कम्बल।

(vi) ब्रू परिवार के लिए परिवहन, प्रशासनिक और सुरक्षा लागत की प्रतिपूर्ति।

2.102 दिनांक 03.07.2018 को हस्ताक्षरित समझौते की शर्त के अनुसार इस समझौते के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय के अधीन एक निगरानी समिति गठित की गई है। समझौते के बाद दिनांक 31.05.2019 तक 35 परिवार त्रिपुरा से मिजोरम को प्रत्यावर्तित हुए हैं। हालांकि, नवंबर, 2018 के विधानसभा चुनावों और संसदीय चुनावों के कारण प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मई में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ, वर्ष 2019 में प्रत्यावर्तन को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रत्यावर्तन की तिथि दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ा दी गई है।

2.103 विगत सात वर्षों के दौरान ब्रू प्रवासियों के लिए मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार की पुनर्वास योजनाओं (अनुदान सहायता) पर हुये व्यय/इनके लिए जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	त्रिपुरा राज्य के लिए	मिजोरम राज्य के लिए
2012-13	18.15	7.87
2013-14	10.46	----
2014-15	35.00	4.70
2015-16	30.00	5.00
2016-17	22.26	7.50
2017-18	25.14	16.50
2018-19	45.17	50.00

पूर्वोत्तर में हेलीकॉप्टर सेवा

2.104 दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों को हवाई सेवा मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी से योजनेतर स्कीम के तहत छः पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में हेलीकॉप्टर सेवायें संचालित की जा रही हैं। सब्सिडी का भाग यात्रियों से प्राप्त की गई राशि का समायोजन करने के बाद परिचालन लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है।

2.105 वर्ष 2018 में, मणिपुर राज्य में हेलीकाप्टर के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं। उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2018 में नागालैंड और मिजोरम प्रत्येक राज्य के लिए डबल इंजन वाले एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ-साथ दोनों राज्यों हेतु दो हेलीकॉप्टरों के लिए प्रत्येक के संबंध में प्रतिवर्ष 1200 फ्लाइंग घंटों की अधिकतम सीमा के साथ मंजूरी दी गई।

2.106 विगत सात वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुये व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय/जारी की गई निधि
2012-13	25.00
2013-14	38.08
2014-15	53.41
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00

महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा

2.107 देश में महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा के आधार पर उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा मानकों और आवश्यकता के बारे में आवधिक रूप से परामर्श प्रदान करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा किया जाता है। संबंधित संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कतिपय महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए भी सीएपीएफ को तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण स्थापनाओं के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा की गई और उनके खतरे की संभावना को देखते हुए तथा व्यापक सीमा में महत्वपूर्ण स्थापनाओं को शामिल करने के लिए उन्हें क, ख, ग की बजाय क, ख, ग, घ एवं ड. में पुनर्वर्गीकृत किया गया। अब महत्वपूर्ण स्थापनाओं की संख्या 494 से बढ़कर 676 हो गई है।

धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा

2.108 देश में धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने या सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक एडवाइजरी और चेतावनियां जारी की जाती हैं।

हथियारों और गोला-बारूद का विनियमन

2.109 छोटे हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात और आयात की प्रक्रिया और पद्धति को सरल बनाने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा एसओ 5607 (ई) दिनांक 01.11.2018 अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें हथियारों और गोला-बारूद के आयात के लिए सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को शक्तियां और कार्य प्रत्यायोजित किये गए हैं जबकि हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात के लिए शक्तियां और कार्य रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव को प्रत्यायोजित किये गए हैं। निर्यातकों को प्रोत्साहित करने तथा उन की सुविधा के लिए, उनके आवेदन प्रपत्र और निर्यात हेतु लाइसेंस प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसके अलावा, निर्यात लाइसेंस को अब प्रेषण के बजाय क्रय आदेश आधारित बनाया गया है।

2.110 इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियमावली, 2016 के तहत हथियारों और गोला-बारूद के विनिर्माण लाइसेंस की जीवनपर्यंत वैधता के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया था। अब तक छोटे हथियारों और गोला-बारूद के लिए 28 विनिर्माण लाइसेंस जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा स्वीकृति

2.111 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों/बोलीदाताओं और व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना तथा प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम का मूल्यांकन प्रदान करना है। इसका उद्देश्य एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने और दूसरी ओर देश में व्यापार को सुगम बनाने एवं निवेश को बढ़ावा देने के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और दिनांक 01.07.2015 के दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 25.06.2018 को सुरक्षा मंजूरी प्रक्रिया पर संशोधित दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया। सुरक्षा मंजूरी प्रस्तावों पर समयबद्ध निर्णय के लिए गृह मंत्रालय में अधिकारियों की समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह में होती है। मई, 2014 से मार्च, 2019 के दौरान सुरक्षा मंजूरी से संबंधित 5490 प्रस्तावों का निपटान किया गया।

2.112 आगे और दक्षता और पारदर्शिता लाने तथा कार्य करने में आसानी को बढ़ावा देने के क्रम में दिनांक 18.09.2018 को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल "ई-सहज" शुरू किया गया। ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत होने से प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई तथा निगरानी आसान हो गई है। विभिन्न कार्य-अधिकारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों को देख सकते हैं, समयबद्ध निर्णय ले सकते हैं और विलम्ब से बच सकते है। पोर्टल, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ-साथ समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति देखने की भी सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

2.113 कर्तव्य के पथ पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि स्वरुप नई दिल्ली के चाणाक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (एनपीएम) की स्थापना की गई है। पुलिस शहादत को समर्पित देश का एकमात्र राष्ट्रीय स्मारक होने के नाते, यह केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों को उनके सर्वोच्च बलिदान के बल पर राष्ट्र की रक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान, गौरव, उद्देश्य की एकता, सामान्य इतिहास एवं भाग्य की एकात्मकता की भावना से भर देता है। माननीय प्रधान मंत्री ने 21 अक्टूबर, 2018 को पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया।

माननीय प्रधान मंत्री ने 21 अक्टूबर, 2018 को पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया

श्री गुरु नानक देवजी की 550 वीं जयंती का प्रकाश उत्सव

22.114 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 22.11.2018 को आयोजित अपनी बैठक में श्री गुरु नानक देवजी की 550वें प्रकाश पर्व को वर्ष 2019 में पूरे देश और विश्व में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। इस समारोह से भारत और विदेश में मानवता, शांति और भ्रातृत्व संबंधी उनके संदेश का प्रसार करने में सहायता मिलेगी।

2.115 एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब कोरिडोर बनाए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। तीर्थ यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह परियोजना केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण से कार्यान्वित की जा रही है। इससे पूरे वर्ष गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, पाकिस्तान का दर्शन करने में तीर्थ यात्रियों को सुचारू और आसान मार्ग मिलेगा। पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने भू-भाग में समुचित सुविधाओं के साथ कोरिडोर बनाए।

2.116 एक अन्य प्रमुख निर्णय में मंत्रिमंडल ने तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बड़े आकर्षण केन्द्र के रूप में सुल्तानपुर को ऐतिहासिक शहर और एक धरोहर परिसर बनाने का निर्णय लिया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में विभिन्न मतों के अध्ययन का एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में एक-एक विश्वविद्यालय में श्री गुरु नानक देव जी का सिंहासन स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर भारत सरकार स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी करेगी।

वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन

2.117 53वीं वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन का आयोजन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया, गुजरात में 20 से 22 दिसंबर 2018 को किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 20 दिसम्बर, 2018 को किया गया। माननीय प्रधान मंत्री ने 21 और 22 दिसंबर, 2018 को सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, साइबर सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मेलन के दौरान भारतीय पुलिस जर्नल के विशेष अंक का विमोचन

स्रोतः गृह मंत्रालय

मानवीय आधार पर निधियां जारी करना

2.118 गृह मंत्रालय आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा/सीमापार से गोलीबारी और सुरंग/आईडीडी के धमाकों के पीड़ित आम नागरिक के परिवारों के भरण-पोषण और जीविका के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीमा पार से गोलीबारी तथा भारतीय भू-भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ित के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता योजना'' नामक एक केंद्रीय योजना का संचालन कर रहा है। आतंकवादी तथा सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में उक्त योजना दिनांक 01.04.2008 से तथा वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के संबंध में दिनांक 22.06.2009 से प्रभावी है। सीमा पार से गोलीबारी तथा भारतीय भू-भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी धमाकों के पीड़ित आम नागरिकों के लिए यह योजना दिनांक 24.08.2016 से लागू की गई। दिनांक 24.08.2016 से वित्तीय सहायता को भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। उक्त स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता के रूप में निःशुल्क सहायता प्रदान करना है। विदेशी नागरिक और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी दिनांक 01.04.2008 से उक्त स्कीम के अंतर्गत पात्र/शामिल हैं। उक्त योजना के तहत, प्रभावित परिवार को प्रत्येक मृत्यु और/अथवा स्थायी निःशक्तता (50% अथवा अधिक विकलांगता) के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते कि पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो। यह राशि तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के मियादी जमा खाते में रखी जाती है। तत्पश्चात, कुल राशि पर अर्जित ब्याज बैंक द्वारा तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाता है। लॉक-इन अवधि के समाप्त होने के बाद मूलधन की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में अंतरित कर दी जाती है। पीड़ितों/पीड़ितों के नजदीकी संबंधी को सहायता का भुगतान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। केंद्र

सरकार 70% राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल और शेष 30% राशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान गृह मंत्रालय की आंतरिक लेखा-परीक्षा शाखा द्वारा लेखा-परीक्षा सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान (दिनांक 31.03.2019 तक) 4.495 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)

2.119 गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने के लिए दिनांक 18.07.2011 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए है। यह निकाय इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य देखेगा, ताकि सामाजिक-आर्थिक, अवसंरचनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास को गति मिल सके, जिससे क्षेत्र की जनता का चौतरफा विकास होगा। दिनांक 03.08.2012 को जीटीए का गठन किए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डीजीएचसी) अधिनियम, 1988 निरस्त कर दिया गया है।

2.120 करार के खंड 14 के अनुसार, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जीटीए को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य को सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त जीटीए में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का विकास करने वाली परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के माध्यम से जीटीए को 600 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण राशि जारी कर दी है।

*****

अध्याय - 3

सीमा प्रबंधन

अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू-सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू-सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है :–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	15,106.7

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसी अवसंरचना के सृजन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

सीमा प्रबंधन का उद्देश्य

3.3 देश-विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें सीमाओं की सुरक्षा करने और इसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा कई पहलें की गई हैं। इनमें भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन और भारत-नेपाल सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरु किए गए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती 'एक सीमा, एक सीमा-रक्षक बल' (बीजीएफ) के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल को सौंपी गई है :-

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं
  » सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)
- चीन सीमा
  » भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
- नेपाल तथा भूटान सीमाएं
  » सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)
- म्यांमार सीमा
  » असम राइफल्स
- इसके अतिरिक्तः

➢ भारतीय सेना बीएसएफ के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आईटीबीपी के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू-सीमाओं की रक्षा करती है।

➢ भारतीय नौ सेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

3.6 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण तथा पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग-अलग हैं, जो सुरक्षा के प्रत्यक्ष ज्ञान तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी)

3.7 भारत की तरफ से भारत-बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है और सीमा तक खेती की जाती है।

सीमा चौकियां

3.8 सीमा चौकियां (बीओपी) सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व क्षेत्र वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू-सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इन सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा-पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी मुहैया कराना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए

आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पास 1011 सीमा चौकियां हैं।

3.9 सरकार द्वारा 2584.86 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 422 कम्पोजिट बीओपी (भारत-पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) तथा भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर कुल बीओपी) के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। 422 कम्पोजिट बीओपी में से, 326 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भारत-बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है। इस परियोजना को मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा चौकी

(स्रोतः बीएसएफ)

बाड़ लगाना

3.10 भारत-बांग्लादेश सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया है।

3.11 भारत-बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमापार से अवैध आप्रवासन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने सहित बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किमी. है, जिसमें से 3052.014 किमी. (लगभग) सीमा भौतिक अवरोधकों से कवर की गई है और शेष लगभग 1044.686 किमी. सीमा भौतिक और गैर-भौतिक अवरोधों से कवर की जाएगी। सभी चालू कार्य मार्च, 2020 तक पूरे किए जाएंगे। जिन हिस्सों पर भौतिक बाड़ संभव नहीं है, उन हिस्सों को प्रौद्योगिकीय समाधान द्वारा कवर किया जाएगा। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि-अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध इत्यादि के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ और सड़क

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)

3.12 भारत सरकार ने उस क्षेत्र को कवर करने के लिए एक पहल की है जहां व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के रूप में गैर भौतिक बाधाओं के साथ भौतिक बाड़ संभव नहीं है। सीआईबीएमएस के अंतर्गत जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया और कमान एवं नियंत्रण के समाधान का एकीकरण किया जाना शामिल है, ताकि पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच स्थितिजन्य जानकारी प्रदान करने मे सुधार हो सके, तत्काल निर्णय लिए जा सके और सम्मुख आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई की जा सके। चरण-। के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ धुबरी, असम में 61 किमी. लंबी नदी सीमा के साथ एक पायलट परियोजना लागू की गई है। परियोजना के चरण-। के मूल्यांकन के पश्चात सीआईबीएमएस के चरण-।। और चरण-।।। को त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा।

धुबरी (असम) में सीआईबीएमएस परियोजना

(स्रोत: बीएसएफ)

सड़कें

3.13 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के बेहतर संचार और परिचालनात्मक आवाजाही के लिए सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक 4223.04 किमी. की स्वीकृत लंबाई में से कुल 3660.70 किमी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। सभी चालू कार्य मार्च, 2020 तक पूरे किए जाएंगे

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.14 दिसम्बर, 2003 से जून, 2006 तक की अवधि के दौरान, प्रायोगिक परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में 277 किमी. बाड़ पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा किया गया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीमा पर कुल 2698.6 किमी. की लंबाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से लगभग 2357.29 किमी. में यह कार्य पूरा हो गया है। चालू कार्य मार्च, 2020 तक पूरा हो जाएगा।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत-पाकिस्तान सीमा (आईपीबी)

3.15 भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 किमी. भू-सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.16 वर्तमान समय में, भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की 656 बीओपी मौजूद हैं। भारत-पाकिस्तान

सीमा पर 93 कम्पोजिट बीओपी के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कम्पोजिट बीओपी का निर्माण किए जाने से भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के आवास, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होगी। यह परियोजना जुलाई, 2020 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। 87 बीओपी में निर्माण से संबंधित गतिविधियां पूरी हो गई हैं और शेष 6 बीओपी में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 18 तटीय सीमा चौकियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा चौकी

(स्रोतः बीएसएफ)

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.17 भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ तथा सीमा-पार अपराधों के प्रयास को रोकने के लिए, सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2043.76 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2043.76 किमी. क्षेत्र की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 1983.76 किमी. क्षेत्र में कार्य पूरा हो गया है और शेष क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है।

बाड़ लगाना

3.18 भारत-पाकिस्तान सीमा के पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, सरकार ने 2063.066 किमी. बाड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 2004.66 किमी. बाड़ संबंधी कार्य पूरा हो गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ और तेज रोशनी

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)

3.19 भौतिक या गैर-भौतिक बाधाओं के माध्यम से भारत-पाकिस्तान सीमा को कवर करने के लिए भारत सरकार की पहल के भाग के रूप में, जिस क्षेत्र में भौतिक बाड़ संभव नहीं है, उसे व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के रूप में गैर-भौतिक बाधाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। चरण-I में, भारत-पाकिस्तान सीमा पर जम्मू में पांच किमी. के दो हिस्सों पर एक पायलट परियोजना लागू की गई है। चरण-I और चरण-III में, सीबाईबीएमएस गुजरात और पंजाब में लागू किया जाएगा।

जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में सीआईबीएमएस परियोजना

(स्रोत: बीएसएफ)

भारत म्यांमार सीमा (आईएमबी)

3.20 भारत की म्यांमार के साथ 1643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैण्ड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। 1643 किमी. में से, 1472 किमी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है। भारत-म्यांमार सीमा पर दो असीमांकित भाग हैं:

(i) अरुणाचल प्रदेश का लोहित उप-क्षेत्र- 136 किमी.
(ii) मणिपुर में कबाऊ घाटी- 35 किमी

3.21 भारत और म्यांमार के बीच सीमा संबंधी सभी मुद्दों की विस्तृत ढंग से जांच करके उन पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त सीमा कार्य दल (जेबीडब्ल्यूजी) मौजूद है। जेबीडब्ल्यूजी के अधिदेश में मणिपुर सेक्टर में 09 अनिर्धारित सीमा पिलरों (बीपी) के निर्धारण के बारे में विचार-विमर्श, 10 मीटर 'निर्माण रहित क्षेत्र' के भीतर निर्माण, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में सीमा पिलर 186 से आगे सीमा के सीमांकन और दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक तौर पर सहमत अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

3.22 भारत-म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) विद्यमान है। एफएमआर के अंतर्गत, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो भारत का नागरिक है अथवा म्यांमार का नागरिक है और जो भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) के किसी

भी ओर 16 किमी. के भीतर किसी क्षेत्र का सामान्य निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वर्ष की वैधता का बॉर्डर पास प्रस्तुत करने पर आईएमबी पार कर सकता है। म्यांमार का नागरिक भारत में ऐसे क्षेत्र, जो भारत-म्यांमार सीमा से 16 किमी. के भीतर है, में आवाजाही कर सकता है और प्रत्येक यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक रह सकता है।

भारत-चीन सीमा

3.23 भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने तथा इस सीमा के सीमा रक्षक बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) के प्रभावी आवागमन के लिए, गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। भारत-चीन सीमा पर सीमा रक्षक बल (बॉर्डर गॉर्डिंग फोर्स) के रूप में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 32 बटालियनों को तैनात किया गया है।

भारत-नेपाल सीमा

3.24 भारत और नेपाल की 1,751 किमी. खुली सीमा है। अवैध एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना और इस सीमा की सुरक्षा में सुधार करना मुख्य चुनौतियां हैं। इस सीमा पर सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 34 बटालियनें तैनात की गई हैं।

3.25 सीमा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सुकर बनाने के लिए, भारत और नेपाल की सरकारों ने गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के स्तर पर सीमा जिला समन्वय समितियों का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराधों, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने आदि जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.26 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 किमी.), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार (564 किमी.) राज्यों में 1,377 किमी. सामरिक सड़क के निर्माण एवं अपग्रेडेशन का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत-नेपाल सीमा पर 232.36 किमी. सड़क का कार्य पूरा हो गया है।

भारत-भूटान सीमा

3.27 699 किमी. लम्बी भारत-भूटान सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को तैनात किया गया है।

3.28 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में सचिव स्तरीय भारत-भूटान ग्रुप के रूप में एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले तत्वों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.29 भारत सरकार ने 313 किमी. लम्बी सीमा सड़क के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

3.30 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप स्थित दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों

की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें खुशहाल बनाना तथा सहभागिता के दृष्टिकोण से केन्द्रीय/राज्य/बीएडीपी/ स्थानीय स्कीमों के संयोजन के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिलों के 396 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। बीएडीपी मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। बीएडीपी की वित्तपोषण पद्धति (अन्य कोर सीएसएस की भांति) 8 पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) तथा 3 हिमालय क्षेत्र के राज्यों (अर्थात् हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड) के लिए 90:10 (केंद्र का हिस्साः राज्य का हिस्सा) के अनुपात में है और अन्य 6 राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लिए 60:40 के अनुपात में है। राज्यों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

गांवः कुंगरी, ब्लॉकः काजा (स्पीती), जिलाः लाहौल स्पीती में छोमो छात्रावास का निर्माण, पूरा होने का वर्षः 2018-19

(स्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार)

बीएडीपी के दिशानिर्देश

3.31 अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी. की दूरी के भीतर स्थित सभी गांव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बीएडीपी के अंतर्गत किए जा रहे कार्य/परियोजनाएं, सड़क, पुल के निर्माण, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों जैसेकि सामाजिक अवसंरचना के निर्माण, क्षमता संवर्धन और कौशल विकास, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालय के निर्माण, शिक्षा, खेल गतिविधियां, ग्रामीण पर्यटन/सीमा पर्यटन आदि से संबंधित हैं।

बीएडीपी के अंतर्गत गांवः शक्तिनगर, ब्लॉकः जैसलमेर, जिलाः जैसलमेर (राजस्थान) में 24 आरडी एनयूडी से शक्तिनगर तक 3.00 किमी. बिटूमिनस सड़क का निर्माण, पूरा होने की तिथि 09.10.2018

(स्रोतः राजस्थान राज्य सरकार)

बीएडीपी के तहत वित्तपोषण प्रणाली

3.32 बीएडीपी के दिशानिर्देशों (जून, 2015) के अनुसार, वार्षिक बजटीय आबंटनों को दो घटकों में बांटा जाता है अर्थात् (i) आठ पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए कुल आबंटन का 40% है और (ii) कुल आवंटन का शेष 60% अंतरर्राष्ट्रीय भू-सीमा वाले 9 राज्यों में वितरित किया जाता है। राज्यों को (i) अन्तरराष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, (ii) सीमावर्ती ब्लॉकों की जनसंख्या (iii) सीमावर्ती ब्लाकों के क्षेत्रफल के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं तथा पहाड़ी, रेगिस्तानी और कच्छ का रण क्षेत्रों को 15% वेटेज दिया जाता है।

गांवः कुमारसरली, ब्लॉकः बोरोबाजार, जिलाः चिरांग (असम) में बीएडीपी के अंतर्गत बाटाबाड़ी बाजार से कुमारसरली एसएसबी कैंप तक सड़क की मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग, पूरा होने की तिथिः 23.07.2018

(स्रोतः असम राज्य सरकार)

बीएडीपी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.33 वर्ष 2018-19 में, बीएडीपी का बजटीय आबंटन 770.62 करोड़ रु. था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान बीएडीपी के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (2014-15 से 2018-19) के दौरान बीएडीपी के तहत जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

₹करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17 (केंद्रीय अंश)	2017-18 (केंद्रीय अंश)	2018-19 (केंद्रीय अंश)
1	अरुणाचल प्रदेश प्रदेश	92.49	89.96	108.97	154.14	80.87
2	असम	21.05	30.66	34.05	56.00	49.50
3	बिहार	31.30	60.65	46.00	46.00	32.20
4	गुजरात	45.05	33.08	38.00	31.72	56.23
5	हिमाचल प्रदेश	21.00	23.10	31.00	35.00	25.95
6	जम्मू एवं कश्मीर	115.20	130.11	190.39	198.89	84.00
7	मणिपुर	22.00	22.00	30.76	27.56	20.34
8	मेघालय	21.00	27.31	36.67	36.56	22.69
9	मिजोरम	35.34	38.62	46.00	46.00	32.20
10	नागालैंड	20.00	29.10	32.15	40.04	33.96
11	पंजाब	37.16	38.12	27.98	28.00	33.08
12	राजस्थान	101.40	158.39	123.72	116.00	81.20
13	सिक्किम	20.00	20.00	25.00	28.01	27.50
14	त्रिपुरा	37.98	50.57	70.89	65.07	49.70
15	उत्तर प्रदेश	49.82	48.59	38.00	38.00	26.60
16	उत्तराखंड	31.82	27.95	27.08	31.00	29.20
17	पश्चिम बंगाल	97.39	161.79	108.32	122.00	85.40
	कुल योग	800.00	990.00	1015.00	1100.00	770.62

गांवः मोल्लाडांगा, ब्लॉकः रानीनगर-I, जिलाः मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में बीएडीपी के अंतर्गत फ्लड शेल्टर का निर्माण, पूरा होने की तिथिः 19.07.2018

(स्रोतः पश्चिम बंगाल राज्य सरकार)

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.34 भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। इस तटरेखा पर नौ राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अवस्थित हैं।

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	208.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र प्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.70
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमन और दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुदुचेरी	47.60
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1962.00
	कुल	7516.60

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.35 भारतीय नौ सेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौ सेना की सहायता भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस और अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। आईसीजी को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है। आईसीजी के महानिदेशक को कमांडर तटीय कमांड के रूप में पद नामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

3.36 सीमा प्रबंधन विभाग, तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चरणों में तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।

3.37 तटीय सुरक्षा योजना (चरण- I) 6 वर्षों की अवधि में 646 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

3.38 तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए संवेदनशीलता/कमी विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। 1579.91 करोड़ रुपए के परिव्यय से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) (चरण-II) अनुमोदित की गई और दिनांक 31.03.2020 तक कार्यान्वित की जाएगी। चरण-II के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 सीपीएस, 60 जेट्टीज, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र, 150 नौकाएं (12 टन), 75 विशेष श्रेणी की नौकाएं/आरआईबी, 131 चौपहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	नौकाएं/जलयान		जेटी की संख्या	चौपहिया वाहन	मोटर साइकिलें
			12 टन	अन्य			
1	गुजरात	12	21	10(5 टन)	5	12	24
2	महाराष्ट	7	14		3	7	14
3	गोवा	4	4		2	4	8
4	कर्नाटक	4	12		2	4	8
5	केरल	10	20		4	10	20
6	तमिलनाडु	30	0	20 (19 मी.)	12	30	60
7	आंध्र प्रदेश	15	30		7	15	30
8	ओडिशा	13	26		5	13	26
9	पश्चिम बंगाल	8	7		4	8	16
10	दमन और दीव	2	4		2	2	4
11	लक्षद्वीप	3	6	12 आर आई बी	2	3	6
12	पुदुचेरी	3	6		2	3	6
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20# 10 एमओसी		10 एलवी 23 आरआईबी	10	20	20
	कुल	131	150	75	60	131	242

एमओसी- समुद्री परिचालन केन्द्र, एलवी-बड़े जलयान, आरआईबी- रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट,
 # - विद्यमान तटीय पुलिस स्टेशनों का स्तरोन्नयन किया जाएगा

3.39 तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) के तहत, 127 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस) परिचालित कर दिए गए हैं, 30 जेटी का निर्माण/अपग्रेडेशन किया गया है, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, 131 चौपहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)				जेटी		चौपहिया वाहन		द्विपहिया वाहन		समुद्री परिचालन केंद्र		
		स्वीकृत	परिचालित	निर्मित	निर्माण जारी	स्वीकृत	निर्मित/उन्नत की गई	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	परिचालित	निर्मित
1	गुजरात	12	12	11	1	5	0	12	12	24	24	0	0	0
2	महाराष्ट्र	7	7	4	0	3	14*	7	7	14	14	0	0	0
3	गोवा	4	4	1	1	2	2	4	4	8	8	0	0	0
4	कर्नाटक	4	4	4	0	2	0	4	4	8	8	0	0	0
5	केरल	10	10	10	0	4	1	10	10	20	20	0	0	0
6	तमिलनाडु	30	27	29	1	12	0	30	30	60	60	0	0	0
7	आंध्र प्रदेश	15	15	15	0	7	0	15	15	30	30	0	0	0
8	ओडिशा	13	13	11	1	5	0	13	13	26	26	0	0	0
9	पश्चिम बंगाल	8	8	6	2	4	0	8	8	16	16	0	0	0
10	दमन और दीव	2	1	2	0	2	2	2	2	4	4	0	0	0

11	लक्षद्वीप	3	3	1	1	2	2	3	3	6	6	0	0	0
12	पुदुचेरी	3	3	1	2	2	1	3	3	6	6	0	0	0
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20	20	20	0	10	8	20	20	20	20	10	10	1
	कुल	**131**	**127**	**115**	**9**	**60**	**30**	**131**	**131**	**242**	**242**	**10**	**10**	**1**

(*) महाराष्ट्र राज्य सरकार स्वीकृत 3 जेटी के निर्माण की तुलना में इंजन कक्षों, नौकाओं के कार्मिकों के लिए परिचालन कक्षों का निर्माण आदि करके महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेटी का उन्नयन कर रही है।

तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहलें

सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी)

3.40 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने के लिए मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित कर रहा है। सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने और आसूचना के संग्रहण के लिए उन्हें "आंख और कान" के रूप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र

3.41 पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यकी विभाग (डीएएचडीएंडएफ) द्वारा मछुआरों को मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। डीएएचडीएंडएफ ने सूचित किया है कि तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने के लिए पहचान किए गए 19,90,521 मछुआरों में से 19,74,098 (99%) मछुआरों का बायोमीट्रिक नामांकन पूरा कर लिया गया है। मछुआरों को वितरित करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18,68,905 बायोमीट्रिक पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

जलयानों/नौकाओं का पता लगाना

3.42 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी जलयानों पर अनिवार्य रूप से ऑटोमेटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (एआईएस) उपकरण लगा होना अपेक्षित है। राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस) के निर्देशों के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से संवेदनशील तटीय राज्यों गुजरात और तमिलनाडु को 500-500 ट्रांसपोंडर्स मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। एनसीएसएमसीएस ने दिनांक 29.06.2018 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में इस मुद्दे की समीक्षा की, जिसमें समिति ने यह सिफारिश की कि गुजरात और तमिलनाडु में उप-20 मीटर की फिशिंग नौकाओं में सैटेलाइट आधारित ट्रांसपोंडर लगाने के पायलट प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर, गृह मंत्रालय प्रोजेक्ट का विस्तृत मूल्यांकन करे और तत्पश्चात इसे शेष तटीय राज्यों में कार्यान्वित करने पर विचार करे।

3.43 एनसीएसएमसीएस के निर्णय के अनुसार, इसरो तमिलनाडु और गुजरात के लिए 500-500 ट्रांसपोंडर्स की सुपुर्दगी और एकीकरण का कार्य कर रहा है।

छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा

3.44 तटीय राज्यों में 227 छोटे बंदरगाह हैं। सभी स्टेकहोल्डरों को दिनांक 11 मार्च, 2016 को छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में 'दिशानिर्देशों का सार संग्रह' जारी किया गया था। इसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए छोटे बंदरगाहों पर आवश्यक समझी गई आधारभूत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा

3.45 सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तट से दूर स्थित एक लोडिंग स्थान है, जो गैस अथवा तरल उत्पादों को चढ़ाने और उतारने वाले टैंकरों के लिए मूरिंग प्वाइंट और अन्तर-संपर्क के रूप में कार्य करता है। तट से विभिन्न दूरियों पर 26 एसपीएम परिचालन

में हैं। एसपीएम की सुरक्षा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है, जिसे सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

तटीय मानचित्रण

3.46 तटीय मानचित्रण तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तटीय मानचित्रण सूचना को मानचित्र में रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें तटीय पुलिस स्टेशनों, स्थानीय पुलिस स्टेशनों, आसूचना ढांचे, मछली उतारने के स्थानों, मछली पकड़ने वाले गांवों, बंदरगाहों, सीमा-शुल्क जांच चौकियों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बम निष्क्रियकरण सुविधाओं आदि का महत्वपूर्ण ब्यौरा और स्थान शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमन एवं दीव, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह इत्यादि तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लक्षद्वीप इस कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किए गए सभी अपराधों से निपटने के लिए तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

3.47 गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2016 की अधिसूचना के तहत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10 तटीय पुलिस स्टेशनों नामत: नवीबन्दर तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पोरबन्दर (गुजरात), येलो गेट पुलिस स्टेशन, मुम्बई (महाराष्ट्र और दमन एवं दीव), हार्बर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, हार्बर, मोरमुगाव, जिला दक्षिण गोवा (गोवा), मंगलौर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), फोर्ट कोच्चि तटीय पुलिस स्टेशन, कोच्चि (केरल और लक्षद्वीप), बी-5 हार्बर पुलिस स्टेशन, चेन्नई (तमिलनाडु और पुडुचेरी), गिलाकलाडिन्डी, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश), पारादीप समुद्री पुलिस स्टेशन, जिला जगतसिंहपुर (ओडिशा), नयाचार तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) और केन्द्रीय अपराध स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबर द्वीपसमूह) को अधिसूचित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों अर्थात सीमान्तर्गत जलक्षेत्र से आगे और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तक किए गए अपराधों से निपटा जा सके।

नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

3.48 भारत सरकार ने गुजरात राज्य में मोजप गाँव, जिला-देवभूमि, द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा 100 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। एनएसीपी का अस्थायी परिसर अक्टूबर, 2018 से कार्यशील हो गया है।

एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.49 भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 01.03.2012 को की गई थी। यह सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक साविधिक निकाय के रुप में कार्य करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। एलपीएआई अपने कार्य में संबंधित राज्य सरकारों और भारत की संबंधित सीमा पर तैनात बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे संबंधित सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) को भी शामिल करता है।

3.50 एलपीएआई बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय भू-सीमाओं के नामित स्थानों पर यात्रियों और वस्तुओं की सीमा पार आवाजाही के लिए वेयरहाउस, जांच शेड, पार्किंग स्थल, धर्म-कांटा आदि जैसी "सिंगल विंडो" अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता है। एलपीएआई यह कार्य विद्यमान भू-सीमा शुल्क केन्द्रों पर एकीकृत चौकियां (आईसीपी) स्थापित करके करता है। आईसीपी के अंतर्गत एक एकीकृत परिसर के तहत व्यक्तियों, वाहनों और सामानों के सुचारू सीमा पार आवागमन के लिए संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं

प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ये आप्रवासन, सीमा शुल्क, शुद्धता, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएंगे। इसके लिए आईसीपी द्वारा प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं: (i) यात्रा टर्मिनल भवन (ii) 24 घंटे बिजली आपूर्ति-विद्युत सबस्टेशन-डीजी सेट-पावर बैक-अप (iii) कार्गो निरीक्षण शेड (iv) संगरोध ब्लॉक (v) बैंक (vi) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर/हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (vii) आइसोलेसन बे (viii) कैफेटेरिया (ix) मुद्रा विनियमन (x) कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग (xi) वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज (xii) खुले हुये माल के लिए स्थान (xiii) धर्म कांटा (xiv) सुरक्षित रोशनीदार परिसर/सीसीटीवी/पीए सिस्टम/फायर अलार्म सिस्टम (xv) यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए पार्किंग स्थान (xvi) अन्य सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि।

आईसीपी, यद्यपि एक एकल दीवार वाला कॉम्प्लेक्स है, फिर भी आयात और निर्यात संबंधी कार्य करने के लिए इसे यात्री सुविधा क्षेत्र और कार्गो क्षेत्र में बांट दिया गया है।

3.51 चरण-। के तहत आईसीपी की स्थिति

क्र.सं.	स्थान	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	प्रचालन की तिथि
1	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	13.04.2012
2	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	17.11.2013
3	पेट्रापोल (कार्गो टर्मिनल)	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	12.02.2016 प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 21.07.2016 को उद्घाटन किया गया।
4	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	03.06.2016
5	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	15.11.2016
6	मोरेह (यात्री टर्मिनल)	मणिपुर	भारत-म्यांमार	15.03.2018 प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 04.01.2019 को उद्घाटन किया गया।
7	दवकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	निर्माणाधीन

अतिरिक्त आईसीपी का विकास

3.52 सीमा पर सुरक्षा में और अधिक सुधार करने तथा पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं संबंध में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित 13 स्थानों की पहचान एकीकृत जांच चौकियों के विकास के लिए की गई है:-

सं.	स्थान	राज्य	सीमा
1.	सुतारकंडी	असम	बांग्लादेश
2.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	नेपाल
3.	रुपैडिहा	उत्तर प्रदेश	नेपाल
4.	भीटामोड़	बिहार	नेपाल
5.	कवरपुइचुहा	मिजोरम	बांग्लादेश
6.	बनबासा	उत्तराखंड	नेपाल
7.	जयगांव	पश्चिम बंगाल	भूटान
8.	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	नेपाल
9.	हिली	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
10.	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
11.	महदीपुर	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
12.	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
13.	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश

3.53 सरकार ने दिनांक 17.12.2018 को भारत-नेपाल सीमा के साथ सनौली, रूपैडीहा (दोनो उत्तर प्रदेश में) में और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ सुतारकंडी (असम) में कुल मिलाकर तीन आईसीपी स्थापित किए जाने का अनुमोदन दिया है। इसके अतिरिक्त हिलि, चंग्रबांधा, कव्रपुइछुआ, जयगांव, पानीटंकी, घोजाडंगा, बनबसा, महादिपुर, फुलबाड़ी और भिटामोर मे 10 आईसीपी विकसित करने के लिए सैद्धांतिक 'अनुमोदन' भी दे दिया गया है।

3.54 जारी परियोजनाएं

(i) केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 22.01.2019 को भारत पाकिस्तान सीमा पर आईसीपी अटारी (पंजाब) में बीजीएफ आवास के निर्माण की आधारशिला रखी गई।

(ii) केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 14.01.2019 को भारत-नेपाल सीमा के साथ उत्तर प्रदेश के आईसीपी रूपैडिहा के लिए आधारशिला रखी गई।

3.55 भारत सरकार ने श्री गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकार ने गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है ताकि गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, पाकिस्तान, जहाँ श्री गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए, तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत सभी आधुनिक सुख-सुविधाओं के साथ भारत की ओर एक नवीनतम बिकसित पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग (पीटीबी) भी शामिल है।

एकीकृत जांच चौकी, मोरेह

(स्रोतः भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण)

आईसीपी रक्सौल

(स्रोतः भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण)

*****

अध्याय - 4

केन्द्र-राज्य संबंध

अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी)

4.1 संविधान के अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के बीच और साथ ही, विभिन्न राज्यों में नीतियों और उनके कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी) का गठन वर्ष 1990 में दिनांक 28.05.1990 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से की गई थी।

4.2 आईएससी को ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार विमर्श करने, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा केंद्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल हैं और उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लाये जाने वाले राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार-विमर्श करता है।

4.3 प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के छः मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। संघ सरकार के अन्य मंत्रियों को कार्यसूची के आधार पर अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। आईएससी का पिछला पुनर्गठन दिनांक 27.10.2017 को किया गया था।

4.4 परिषद सचिवालय आईएससी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आईएससी की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अन्तर-राज्य परिषद की बैठकें

4.5 अब तक आईएससी की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अन्तर-राज्य परिषद की 11 वीं बैठक 10 वर्षों के अंतराल के बाद दिनांक 16 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी।

केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में आयोग

4.6 भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2010 को सरकार को प्रस्तुत की थी।

4.7 दिनांक 16.07.2016 को आयोजित अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी) की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्थायी समिति द्वारा दिनांक 09.04.2017, 25.11.2017 और 25.05.2018 को आयोजित अपनी बैठकों में पंछी आयोग की रिपोर्ट के सभी खंडों में दी गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है।

अन्तर-राज्य परिषद की स्थायी समिति

4.8 परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर सतत परामर्श और कार्रवाई के लिए वर्ष 1996 में अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति का गठन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें चार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सात मुख्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति के गठन के समय से लेकर अब तक इसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं।

4.9 अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 25 मई, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में, पंछी आयोग की रिपोर्ट के शेष दो खंडों अर्थात् खंड-VI और VII में दी गई सिफारिशों की जांच की गई। रिपोर्ट के खंड-VI में दी गई सिफारिशें पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और अवसंरचना से संबंधित हैं और इनमें (क) पर्यावरण, (ख) जल, (ग) वन, (घ) खनिज और (ङ) अवसंरचना के विषय शामिल हैं। रिपोर्ट के खंड – VII में दी गई सिफारिशें सामाजिक-आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीति और सुशासन से संबंधित हैं और इनमें (क) नीति निर्माण, संवैधानिक शासन और लोक प्रशासन, (ख) सामाजिक-राजनीतिक विकास और शासन पर इसका प्रभाव, (ग) जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, नीति-निर्देशक सिद्धांत और राज्य का उत्तरदायित्व, (घ) केंद्र - प्रायोजित विकास योजनाएँ और संघीय संबंध, (ङ) प्रवासन, मानव विकास एवं संवैधानिक शासन के लिए चुनौतियां, और (च) सुशासन और लोक सेवा प्रदायगी जैसे विषय शामिल हैं। अधिकांश सिफारिशों पर सदस्यों के बीच आम-सहमति थी और अन्तर-राज्य परिषद (आईएससी) में आगे के विचार के लिए स्थायी समिति के दृष्टिकोण को अंतिम रूप प्रदान किया गया।

अन्तर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक

(स्रोत आईएससीएस)

क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

4.10 पांच क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर-राज्य तथा क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने, संतुलित सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र-राज्य संबंध बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साझा बैठक का आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री और दो मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, इसमें प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से दो सदस्य होते हैं।

4.11 प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। इन स्थायी समितियों की बैठकें मुद्दों को निपटाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरंभिक कार्य करने के लिए समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

4.12 नीति आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर इन बैठकों में शामिल किए जाते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें

4.13 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर अब तक 123 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 61 बैठकें हो चुकी हैं।

क्षेत्रीय परिषद की बैठकें

4.14 पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं, की 23 वीं बैठक दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गांधीनगर में आयोजित की गई। इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- 'सबके लिए आवास- 2022' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों/एजेंसियों की अधिशेष भूमि उपलब्ध कराना, आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से संबंधित मुद्दे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) में भीड़-भाड़ और नवीकरणीय ऊर्जा ऑपरेटरों के साथ महाराष्ट्र राज्य द्वारा विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर न करना, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) के प्रावधानों का कार्यान्वयन, प्राकृतिक गैस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और गुजरात में पाइपलाइन बिछाने में कठिनाइयां आदि।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक

(स्रोतः राज्य सरकार)

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक

(स्रोतः राज्य सरकार)

4.15 दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य सदस्य है तथा पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं, की 28 वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बेंगलुरु में आयोजित की गई। इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- मछुआरों की सुरक्षा, दक्षिणी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पर्यटन ट्रेनों की शुरूआत, सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में निधियों के आवंटन में एकरूपता, ग्रिड सुरक्षा को खतरे में डाले बिना दक्षिणी राज्यों में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा का इष्टतम उपयोग, पुदुचेरी हवाई अड्डे का विकास, आंध्र प्रदेश (एपी) के विभाजन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, चेन्नई शहर के लिए पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कृष्णा के पानी की आपूर्ति, पुदुचेरी और चेन्नई के बीच शताब्दी/जन शताब्दी ट्रेनों की शुरूआत और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना आदि।

4.16 मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं, की 21वीं बैठक भी दिनांक 24 सितंबर, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- सड़कों के घनत्व को बढ़ाने और मौजूदा सड़कों का उन्नयन वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए अपेक्षित सहायता, बस्तर में सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए महात्मा गांधी-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) का लाभ उठाना, राज्यों में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में सुधार, खाद्यान के भण्डारण से संबंधित मुद्दे, भागीरथी इको संबंधित सेंसिटिव जोन संबंधी अधिसूचना में विसंगतियां, केंद्रीय पूल में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदे गए मोटे अनाज की बिना शर्त स्वीकृति, छत्तीसगढ़ में एयर टैक्सी सेवा की शुरूआत, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के लिए विशेष पैकेज, राज्य विशिष्ट आवश्यकता पर आधारित पहल शुरू करने के लिए लचीलापन बरतने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन, वन क्षेत्रों में बिजली की लाइनों का इंस्युलेशन, बुंदेलखंड पैकेज-प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रति राज्यों को भारत सरकार द्वारा निधियों का निर्गम लंबित रहने तक केंद्र की योजनागत स्कीम से विशेष सहायता, आदि।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक

(स्रोतः राज्य सरकार)

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक

(स्रोतः राज्य सरकार)

4.17 पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य शामिल हैं, की 23वीं बैठक दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- ऊपरी महानंदा जल योजना पर बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए 1978 के समझौते के तहत फुलबाड़ी बांध की लागत साझा करना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत केन्द्र के हिस्से को जारी करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना, कोलकाता और हाजीपुर में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) के लिए भूमि का आवंटन, राज्यों में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के उपाय, बिहार के विभाजन से उत्पन्न मुद्दे, रेलवे के विद्युतीकरण से संबंधित समस्याएं, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का निर्माण, गृह मंत्रालय द्वारा सीएपीएफ की तैनाती के लिए अग्रिम भुगतान की शर्त से छूट, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) की विशेष योजना के तहत बिहार को निधियां जारी करना, राज्यों में आवंटित कोयला खानों का विकास, स्पेक्ट्रम रक्षा परियोजना के नेटवर्क (एनएफएस) के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की शीघ्र मंजूरी से संबंधित मुद्दे इत्यादि।

*****

अध्याय - 5

देश में अपराध का परिदृश्य**

5.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में अपराध की रोकथाम करने, पंजीकरण करने, पता लगाने और जांच करने के साथ-साथ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत हथियार, संचार, उपकरण, गतिशीलता, प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे के संदर्भ में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है।

क. अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014–2015	2015 –2016
आईपीसी	28,51,563	29,49,400	29,75,711	229.2	234.2	233.6	3.4%	0.9%
एसएलएल	17,20,100	17,61,276	18,55,804	138.3	139.9	145.7	2.4%	5.4%
कुल	45,71,663	47,10,676	48,31,515	367.5	374.1	379.3	3.0%	2.6%

5.2 वर्ष 2016 में कुल 48,31,515 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत 29,75,711 अपराध तथा विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) के अंतर्गत 18,55,804 अपराध शामिल हैं, जो वर्ष 2015 के मुकाबले 2.6% की वृद्धि (47,10,676 मामले) को दर्शाता है। वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2016 के दौरान, आईपीसी के अंतर्गत अपराधों में 0.9% और एसएलएल के अंतर्गत अपराधों में 5.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी का प्रतिशत हिस्सा 61.6% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 38.4% था।

ख) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

5.3 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 8,97,171 मामलें दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2016 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों का 30.1% है। इन अपराधों में अधिकतर मामलों में खराब ड्राइविंग (3,48,914 मामलों) के कारण साधारण और गंभीर चोटें आईं, जोकि 38.9% है, इसके बाद लापरवाही से मौत के मामलों (1,40,215 मामले) और गंभीर चोट के मामलों का प्रतिशत (89,039 मामले) क्रमशः 15.6% और 9.9% रहा।

ग) सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध

5.4 वर्ष 2016 के दौरान सार्वजनिक शांति के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के कुल 72,829 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से दंगों के मामलें कुल ऐसे मामलों का 85.1% है।

** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वर्ष 2017 के लिए सूचित किये गए आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सत्यापन के अधीन है

घ) हिंसक अपराध

अपराध के शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर*			प्रतिशत भिन्नता	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014-2015	2015-2016
हत्या	33,981	32,127	30,450	2.7	2.6	2.4	-5.5%	-5.2%
अपहरण और व्यपहरण	77,237	82,999	88,008	6.2	6.6	6.9	7.5%	6.0%
कुल हिंसक अपराध	4,33,349	4,25,922	4,29,299	34.8	33.8	33.7	-1.7%	0.8%

* अपराध दर: अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।

ड.) हिंसक अपराध- हत्या

5.5 वर्ष 2016 के दौरान हत्या के कुल 30,450 मामले दर्ज किये गए थे, जिसमें वर्ष 2015 (32,127 मामले) की तुलना में 5.2% की गिरावट देखी गई। हत्याओं के इन मामलों के मकसद सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रतिशोध या शत्रुता (5,179 मामले) और तत्पश्चात संपत्ति विवाद (3424 मामले) और लाभ अर्जन (2,270 मामले) रहे।

च) हिंसक अपराध – अपहरण और व्यपहरण

5.6 वर्ष 2016 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 88,008 मामले दर्ज किए गए। कुल 89,875 व्यक्तियों (23,350 पुरुष और 66,525 महिलाएं) का अपहरण अथवा व्यपहरण किया गया, जिसमें से वर्ष 2016 के दौरान अधिकतम संख्या में व्यक्तियों का अपहरण और व्यपहरण विवाह के उद्देश्य (33,855) से किया गया। वर्ष 2016 के दौरान, 69,599 अपहरित अथवा व्यपहरित लोगों (18,974 पुरुष और 50,625 महिलाएं) में से 69,274 व्यक्तियों को जिंदा बरामद किया गया और 325 व्यक्ति मारे गए।

छ) पुलिस और न्यायालय द्वारा आईपीसी मामलों का निपटान

क्रम संख्या	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल कुल मामले	चार्ज-शीटिंग की दर	विचारण हेतु संपूर्ण मामले	दोष सिद्ध हुये कुल मामलों की	दोष सिद्धि की दर
1	हत्या	55,026	85.2	2,13,264	6,884	38.5
2	बलात्कार	55,071	87.6	1,52,165	4,739	25.5
3	अपहरण और व्यपहरण	1,41,561	43.4	1,85,363	3,306	20.8
4	दंगे	97,931	87.4	4,86,349	4,619	16.1
5	गंभीर चोट (एसिड अटैक समेत)	1,24,599	87.0	7,25,027	13,804	26.7
6.	डकैती	8,326	78.5	34,375	408	19.7
7.	कुल आईपीसी अपराध	41,16,498	72.9	1,11,07,472	5,96,078	46.8

5.7 देश में कुल 41,16,498 मामले (11,40,787 पुराने + 2975711 नए) जांच के लिए दर्ज हुए हैं। वर्ष 2016 के दौरान, 72.9% की चार्ज-शीटिंग दर के साथ 20,94,996 मामलों में आरोप-पत्र सौंपे गए थे। पुलिस द्वारा 28,74,811 मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत तक 12,41,443 मामले जांच के लिए लंबित थे। वर्ष के दौरान देश में कुल 1,11,07,472 मामले (90,12,476 पुराने + 20,94,996 नए) विचारण (ट्रायल) हेतु दर्ज किये गए। वर्ष 2016 के दौरान, 12,74,348 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया है और 46.8% दोष सिद्धि दर के साथ 5,96,078 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है तथा शेष दोषमुक्त हो गए।

ज) पुलिस और न्यायालय द्वारा एसएलएल मामलों का निपटान

क्रम संख्या	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल कुल मामले	चार्ज-शीटिंग की दर	विचारण (ट्रायल) हेतु संपूर्ण मामले	दोष सिद्ध हुये कुल मामलों की	दोष सिद्धि की दर
1.	नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट	73,561	97.9	1,99,412	25,782	72.4
2.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	16,783	39.0	6,919	159	28.8
3.	एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	11,060	77.0	50,357	701	15.4
4.	कुल एसएलएल अपराध	21,56,376	94.5	72,51,442	10,60,724	82.4

5.8 जांच के लिए कुल मामले 21,56,376 (3,00,572 पुराने + 18,55,804 नए) दर्ज हुए। वर्ष 2016 के दौरान, 94.5% चार्ज-शीटिंग दर के साथ 17,04,057 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए। पुलिस द्वारा 18,02,484 मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत में 3,53,878 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान विचारण (ट्रायल) हेतु कुल 72,51,442 (55,47,385 पुराने + 17,04,057 नए) मामले दर्ज हुए। वर्ष 2016 के दौरान, 12,87,270 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया है और 82.4% दोष सिद्धि दर के साथ 10,60,724 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है तथा शेष दोषमुक्त हो गए।

झ) गिरफ्तारी, दोष सिद्धि और दोषमुक्ति

5.9 आईपीसी के तहत 29,75,711 अपराधों में कुल 37,37,870 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 32,71,262 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिया गया। 7,94,616 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 11,79,191 व्यक्तियों को बरी किया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया। एसएलएल के तहत 18,55,804 अपराधों में कुल 23,92,637 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 22,64,834 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिया गया, 12,66,206 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 3,03,202 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया।

ख. समाज के कमजोर वर्ग

क) महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
3,39,457	3,29,243	3,38,954	56.6	54.2	55.2	-3.0%	2.9%

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपराध की अधिकतर घटनायें दर्ज की गई थी:

अपराध का शीर्ष	कुल दर्ज मामलें
पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	1,10,378
महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	84,746
अपहरण और व्यपहरण	64,519
बलात्कार	38,947

5.10 महिलाएँ भी कई सामान्य अपराधों जैसे कि हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार होती हैं। विशेष रूप से केवल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' के रूप में जाना जाता है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में वर्ष 2015 के तुलना में 2.9% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किये जाने, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी परामर्शों के माध्यम से पुलिस को संवेदनशील बनाए जाने और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाये जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप हुई है। वर्ष 2016 के दौरान महिलाओं के प्रति आईपीसी अपराधों का अनुपात कुल रिपोर्ट किए गए आईपीसी अपराधों का 10.9% है। वर्ष 2016 में महिलाओं के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर 55.2 थी।

5.11 महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे अधिक मामलें 'पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (32.6%) के तहत दर्ज किये, इसके बाद 'महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने' (25.0%), 'महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण' (19.0%) और 'बलात्कार' (11.5%) के तहत दर्ज किये गए।

ख) बच्चों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
89,423	94,172	1,06,958	20.1	21.1	24.0	5.3%	13.6%

निम्नलिखित शीर्षों में अपराध की अधिक घटनायें होने की सूचना मिली:

अपराध का शीर्ष	कुल मामलों की रिपोर्ट
अपहरण और व्यपहरण	54,723
पोस्को अधिनियम, 2012	36,022

5.12 यह तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2016 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,06,958 मामले दर्ज किए गए थे। प्रतिशत के संदर्भ में, वर्ष 2016 के दौरान 'बच्चों के विरुद्ध अपराध' के संबंध में प्रमुखता वाले शीर्षों में 'अपहरण और व्यपहरण' (52.3%) तथा 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामलें' (34.4%), जिसमे बाल बलात्कार के मामले भी निहित हैं, शामिल हैं। वर्ष 2016 के दौरान बच्चों की प्रत्येक एक लाख की आबादी पर बच्चों के प्रति अपराध की दर 24.0 देखी गई।

ग) कानून के विरुद्ध चलने वाले किशोर

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
38,455	33,433	35,849	-13.1%	7.2%

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपराध की अधिकतर घटनायें सूचित की गई :

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामलें
चोरी	7,717
बलात्कार	1,903
शस्त्र अधिनियम, 1959	228
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000	224

5.13 वर्ष 2016 के दौरान 35,849 मामलों में कुल 44,171 किशोर पकड़े गए थे, जिनमें से 41,826 किशोरों को आईपीसी के मामलों के तहत और 2,345 किशोरों को एसएलएल के मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2016 के दौरान कानून के विरुद्ध चलने वाले अधिकांश किशोर, जिन्हें आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया है, 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु सीमा के बीच (73.8%) (44,171 में से 32,577) थे।

घ) अनुसूचित जाति (एससी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
40,401	38,670	40,801	20.1	19.2	20.3	-4.3%	5.5%

5.14 अनुसूचित जाति के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख एससी आबादी पर 20.3 देखी गई।

ड.) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
6,827	6,276	6,568	6.5	6.0	6.3	-8.1%	4.7%

5.15 उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2016 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध/अत्याचार के कुल 6,568 मामले/अत्याचार दर्ज हुए थे। अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख एसटी जनसंख्या पर 6.3 देखी गई थी।

च) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
18,714	20,532	21,410	18.3	20.0	20.6	9.7%	4.3%

अपराध की अधिकतर घटनायें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दर्ज की गई:

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामलें
धोखाधड़ी	1,941
हत्या	1,055
लूट	1,024

5.16 वर्ष 2016 के दौरान देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के कुल 21,410 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2016 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ धोखाधड़ी, हत्या और लूट प्रमुख अपराध थे।

ग. आर्थिक अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
1,42,560	1,50,170	1,43,524	5.3%	-4.4%

5.17 वर्ष 2016 के दौरान आर्थिक अपराधों की चार निर्दिष्ट श्रेणी यथा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, जालसाजी और छल कपट में से अधिकतम 1,09,611 मामले धोखाधड़ी से संबधित है, जिसके बाद विश्वास का आपराधिक उल्लंघन (18,708 मामले) और जालसाजी (13,729 मामले) के मामलें हुए हैं।

घ. साइबर अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 - 2016
9,622	11,592	12,317	20.5%	6.3%

5.18 वर्ष 2016 के दौरान, साइबर अपराध के 48.6% मामलों में सबसे अधिक मामलें गैरकानूनी लाभ (12,317 मामलों में से 5,987) के संबंध में दर्ज किए गए, उसके बाद 8.6% (1,056 मामलें) मामले राजस्व प्राप्ति और 5.6% (686 मामलें) मामलें महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने से संबंधित थे।

ड. संपत्ति के लिए अपराध

5.19 वर्ष 2016 के दौरान, संपत्ति के लिए किये गए अपराधों के तहत कुल 7,96,032 मामले (कुल आईपीसी अपराधों का 26.8%) दर्ज हुए, जिसमें सबसे अधिक सम्पत्ति चोरी (4,94,404 मामले) के मामलें तथा उसके बाद आपराधिक रूप से बल पूर्वक सम्पत्ति लेने/सेंध लगाने (1,11,746 मामले) के मामलें हुए हैं, जो कि क्रमशः 62.1% और 14.3% रहें।

वर्ष	2014	2015	2016
चोरी की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	7,515	8,210	9,733
बरामद की गई संपत्ति का मूल्य (करोड रु. में)	1,576	1,350	1,459
चोरी की गई संपत्ति की प्रतिशत वसूली	21.0%	16.4%	15.0%

5.20 वर्ष 2016 के दौरान, 9,733 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई और 1,459 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्तियां वसूली गई, जो कि चोरी की गई संपत्तियों की 15.0% रिकवरी है। वर्ष 2016 के दौरान, कुल चोरी (4,94,404 मामले) में से, 2,13,765 मामले (43.2%) वाहन चोरी के मामलों से संबंधित थे। वर्ष 2016 के दौरान, आवासीय परिसरों में संपत्ति अपराधों के 2,20,854 मामले हुए। यद्यपि, 17,599 मामलों के साथ अधिकतर लूटपाट के मामलें राजमार्गों/सड़कों पर हुये।

च. लापता हुए व्यक्ति

5.21 वर्ष 2016 में कुल 5,49,008 व्यक्ति (2,34,334 पुरुष और 3,14,674 महिलाएँ) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2016 के दौरान, कुल 5,49,008 लापता व्यक्तियों में से वर्ष के अंत तक कुल 2,29,381 व्यक्तियों (1,39,858 पुरुष और 89,523 महिलाएं) का पता लगा लिया गया था।

5.22 वर्ष 2016 में कुल 1,11,569 बच्चे (41,175 बालक और 70,394 बालिका) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2016 के दौरान लापता 1,11,569 बच्चों में से इस वर्ष के अंत तक कुल 55,944 बच्चों (20,364 बालक और 35,580 बालिका) का पता लगाया गया था।

छः आयुध अधिनियम के तहत जब्ती

5.23 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत कुल 53,929 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 56,516 आग्नेयास्त्रों को जब्त किया गया। इसमें से 36,064 हथियार बिना लाइसेंस वाले/परिष्कृत/अर्ध निर्मित/देश में निर्मित थे और 1,052 हथियार लाइसेंस युक्त थे अथवा फैक्ट्री निर्मित गए थे। वर्ष 2016 के दौरान कुल 1,06,900 गोलाबारूद जब्त किए गए थे।

ज. मादक पदार्थों की जब्ती

5.24 वर्ष 2016 के दौरान कुल 3,50,862 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया गया था, जिसमें से गांजा (2,94,347 किलोग्राम), मेथक्वालोन (24,107 किलोग्राम), एफेड्रिन/स्यूडो इफेड्रिन (21,273 किलोग्राम), हैशिश (2,805 किलोग्राम) और हेरोइन (1,675 किलोग्राम) इत्यादि मादक पदार्थों की जब्ती अधिकतम मात्रा में की गई थी।

5.25 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2016 के दौरान देश में मादक पदार्थों की जब्ती के कारण कुल 25,147 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,683 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

5.26 वर्ष 2016 के दौरान कुल 3,50,862 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों में से सबसे अधिक राज्य पुलिस द्वारा कुल 3,00,206 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किये गये, जिसके बाद राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा 37,370 किलोग्राम, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 9,965 किलोग्राम, राज्य आबकारी विभाग द्वारा 3,065 किलोग्राम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) द्वारा 165 किलोग्राम तथा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सीसीई) विभाग द्वारा 91 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किये गये ।

मानव तस्करी की रोकथाम

5.27 गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना की है। चूँकि, 'पुलिस' राज्य का विषय है और इसलिए मानव तस्करी के अपराध के पंजीकरण, जांच और इसे रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित सरकारी सरकारों की है। हालाँकि, गृह मंत्रालय मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रहा है।

तस्करी के प्रति कानून प्रवर्तन की कार्रवाई को सशक्त बनाना

5.28 मानव तस्करी के प्रति कानून प्रवर्तन की कार्रवाई को सशक्त बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों के विभिन्न जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटें (एएचटीयू) स्थापित करने के लिए निधियां जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों में 332 एएचटीयू स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न राज्यों में 26 इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता जारी की गई थीं। उन एएचटीयू की कुल संख्या 296 हो गई है, जिनके लिए राज्यों को अब तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राज्यों में मानव तस्करी की स्थिति का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय एएचटीयू के नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक रूप से बैठकें करता है तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

राज्य स्तरीय सम्मेलन और न्यायिक वार्ताएं

5.29 मानव तस्करी पर न्यायिक वार्ता रखने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य तस्करी के मामलों के त्वरित निपटान और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में न्यायाधीशों और कानून अधिकारियों को सुविज्ञ बनाना है।

5.30 तस्करी के मामले में राज्यों में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता लाने हेतु राज्यों को मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श जारी करना

5.31 गृह मंत्रालय समय-समय पर जारी अपने विभिन्न परामर्शों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है ताकि महिलाओं, एससी/एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम के साथ-साथ मानव तस्करी के मुद्दों से निपटने के उपायों को अपनाया जा सके। ये परामर्श गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों और यूटी प्रशासनों के साथ मानव तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए तथा उन फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियों एवं एजेंटों आदि पर नजर रखने के लिए भी कार्य कर रहा है, जो देश और विदेशों में रोजगार प्रदान करने की आड़ में भ्रमित पीड़ितों को ठगते हैं। गृह मंत्रालय रेलवे, बसों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों आदि के माध्यम से तस्करी पीड़ितों की आवाजाही किये जाने पर निगरानी रखने के लिए रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के साथ समन्वय कर रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और चौकियों आदि पर निरंतर नजर रखने की सलाह दी गई है तथा उन्हें अपने अधिकारियों को तस्करी के मुद्दों का समग्र तरीके से समाधान करने के प्रति सतर्क रखने और जागरूक बनाने की भी सलाह दी गई ।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

5.32 भारत ने मानव तस्करी पर बांग्लादेश, यूएई और कंबोडिया की सरकारों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मानव तस्करी पर भारत और बांग्लादेश की संयुक्त कार्यबल की बैठक 11-12 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

5.33 भारत वेश्यावृत्ति हेतु महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और इससे निपटने के लिए सार्क कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन (यूएनसीटीओसी) और उसके प्रोटोकॉल नामश: (i) मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, दमन एवं दंड हेतु प्रोटोकॉल, और (ii) सड़क, वायु और समुद्री मार्ग के जरिये प्रवासियों की तस्करी के प्रति यूएनसीटीओसी के अनुरूप प्रोटोकॉल की भी पुष्टि की है।

*****

अध्याय - 6

मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

6.1 संविधान में सिविल और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों से यह भी अपेक्षित है कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करें ताकि समाज के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। देश के सिविल और आपराधिक कानूनों में भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के तंत्र मौजूद हैं और वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है।

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर/भूल-चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच-पड़ताल शुरू करना है, ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोका जा सके।

6.4 वर्ष 2018-19 के लिए एनएचआरसी का बजटीय आवंटन 48.72 करोड़ रु. है। दिनांक 31.03.2019 तक, 48.72 करोड़ रु. की राशि की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, जिसमें से 2.80 करोड़ रु. को वर्ष 2017-18 के अव्ययित शेष के रूप में समायोजित करने के पश्चात 45.92 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

शिकायतों का निपटान

6.5 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, 1,07,664 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि एनएचआरसी ने 1,14,848 मामलों का निपटान किया क्योंकि इसमें पूर्व वर्ष से अग्रेषित किये गये मामले भी सम्मिलित थे। एनएचआरसी ने 23,573 मामले निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) को भी अंतरित किए। उक्त अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 851 मामलों में 30,88,79,999/- रु. की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की।

मामलों की जांच-पड़ताल

6.6 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने न्यायिक हिरासत में मौतों के 2497 मामलों, पुलिस हिरासत में मौतों के 178 मामलों और तथ्य का पता लगाने वाले 1933 मामलों सहित कुल 4608 मामलों का निपटान किया। एनएचआरसी ने पुलिस मुठभेड़ में मौतों के 386 मामलों का भी निपटान किया तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 108 मामलों की मौके पर जांच की गई।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.7 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) का सदस्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है।

एनएचआरसी ने काठमांडू, लंदन, बैंकॉक, न्यूयार्क, कोलम्बो, मॉरिशस, जिनेवा और मर्राकेश (मोरक्को) में आयोजित 10 बैठकों कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लिया। एनएचआरसी ने अफगानिस्तान, जर्मनी, मानव अधिकार संस्थानों के एशियन एनजीओ नेटवर्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूके, नेपाल और जापान के शिष्टमंडलों के साथ वार्ता की।

मुख्य समूह

6.8 एनएचआरसी में विभिन्न मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर कार्य करने वाले ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा निकायों के प्रतिनिधियों वाले प्रमुख समूहों और विशेषज्ञ समूह हैं जो इन समूहों के सदस्यों के रूप में अवैतनिक क्षमता में सेवा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से तैयार होते हैं। ये समूह एनएचआरसी को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करते हैं। इसमें निशक्तता, वृद्ध व्यक्ति, बंधुआ मजदूर, समलैंगिक, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और मध्यलिंगी (एलजीबीटीआई) व्यक्तियों आदि से संबंधित प्रमुख समूह कार्य कर रहे है, जिन्होंने एनएचआरसी के सदस्यों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की हैं और विचार-विमर्श किया है।

एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदकों के दौरे

6.9 एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदकों ने झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चंडीगढ़ और गोवा का दौरा किया।

अनुसंधान परियोजनाएं

6.10 कार्यस्थल पर कम पारिश्रमिक पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों सहित उनके यौन उत्पीड़न, ट्रॉन्सजेंडर की समावेशिता, ट्रॉन्सजेंडर के सामाजिक मुद्दे और विधिक चुनौतियां, प्रवासन का प्रतिच्छेदन, बंधुआ मजदूरी और दुर्व्यापार, रिहा किए गए कैदियों का पुनर्मिलन आदि जैसे विस्तृत क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

जेलों में स्थितियां

6.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) के प्रावधान के तहत एनएचआरसी कैदियों के जीने के हालातों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण वाली ऐसी किसी भी जेल अथवा अन्य संस्थान का दौरा कर सकता है जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से निरुद्ध अथवा बंद किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त विशेष संपर्क अधिकारियों द्वारा 45 जेलों के दौरे किए गए। एनएचआरसी के समक्ष रिपोर्टें प्रस्तुत की गई तथा इसकी सिफारिशें अनुपालन हेतु संबंधित राज्य सरकारों के पास भेजी गई। ये रिपोर्टें एनएचआरसी की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध हैं।

कैदियों के कल्याण और कारागार सुधार के संबंध में ओपन हाउस परिचर्चा, 29 जून, 2018

6.12 एनएचआरसी ने दिनांक 29 जून, 2018 को न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, अध्यक्ष, एनएचआरसी की अध्यक्षता में कैदियों के कल्याण और कारागार सुधार के संबंध में ओपन हाउस परिचर्चा आयोजित की। इसमें की गई सिफारिशों को सभी राज्यों को भेज दिया गया। ये सिफारिशें एनएचआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.13 एनएचआरसी मानव अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, एनजीओ और सिविल सोसायटी के अतिरिक्त सरकार के अधिकारियों, विशेषकर पुलिस में मानव अधिकार संबंधी जागरूकता का प्रचार-प्रसार करता रहता है। 162 संस्थानों द्वारा मानव अधिकारों और संबद्ध मुद्दों पर एनएचआरसी द्वारा प्रायोजित 174 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

6.14 एनएचआरसी महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता के कारण उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए सभी विषयक क्षेत्रों से संबंधित अपने कार्यों में इसे महत्व प्रदान करता है। महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता "महिलाओं के

प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के निरसन संबंधी 1979 समझौता (सीईडीएडब्ल्यू)" है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 185 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। इसी प्रकार, बच्चों के मानव अधिकारों के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता बाल अधिकार संबंधी 1989 समझौता (सीआरसी) है। सीईडीएडब्ल्यू को वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित किया गया, जबकि सीआरसी को वर्ष 1992 में अनुसमर्थित किया गया था। सीआरसी और सीईडीएडब्ल्यू अनुसमर्थित होने के पश्चात, इसके प्रावधान भारत सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए कार्यान्वित होने वाली अनेक नीतियों, कानूनों, स्कीमों और कार्यक्रमों में दर्शाए जाते हैं।

6.15 महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संबंध में एनएचआरसी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार है:-

बाल विवाह समाप्त करने के संबंध में सम्मेलन

6.16 एनएचआरसी ने बाल विवाह के संबंध में दिनांक 4-5 जनवरी, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया और दिनांक 29-30 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में "बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने के संबंध में दक्षिण एशिया पहल" (एसएआईईवीएसी) के सहयोग में एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इन सम्मेलनों का उद्देश्य बाल विवाह, जो अवैध है और बच्चों के मानव अधिकारों के उल्लंघन इत्यादि के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाना था।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में एकदिवसीय कार्यशाला

6.17 एनएचआरसी ने "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के संबंध में दिनांक 28 मार्च, 2018 को एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

'बच्चों के प्रति यौन हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं' के संबंध में ओपन हाउस परिचर्चा

6.18 'बच्चों के प्रति यौन हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं' के संबंध में दिनांक 15.05.2018 को ओपन हाउस परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, अध्यक्ष एनएचआरसी द्वारा की गई और इसमें एनएचआरसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्य अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

रजत जयंती

6.19 **रजत जयंती फाउंडेशन दिवस कार्यक्रम:** एनएचआरसी ने दिनांक 12.10.2018 को मुख्य सभागार, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अपना रजत जयंती फाउंडेशन दिवस कार्यक्रम मनाया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एनएचआरसी के संबंध में डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा बनाई गई रजत जयंती स्मरणीय डाक टिकट और विशेष कवर जारी किया और आयोग की नई वेबसाइट (nhrc.nic.in) शुरू की जोकि जीआईजीडब्ल्यू के अनुरूप, उपयोग के अधिक अनुकूल, दिव्यांगजनों के लिए सुगम, मोबाइल डिवाइस के अनुकूल और प्रयोग करने में सरल है। पूर्व में, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को एनएचआरसी ने तीन मूर्ति सभागार, नई दिल्ली में अपना 'रजत जयंती व्याख्यान' आयोजित किया। नोबल शांति पुरस्कार विजेता, श्री कैलाश सत्यार्थी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

6.20 **अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन:** एनएचआरसी ने दिनांक 01.10.2018 को अशोक होटल, नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन' आयोजित किया, जिसका उद्‌घाटन भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का लक्ष्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई), एनएचआरआई के क्षेत्रीय नेटवर्कों, एनएचआरआई के वैश्विक सहयोगी (जीएएनएचआरआई), सरकार, एसएचआरसी, एनजीओ और अन्य स्टेक होल्डरों को तीन महत्वपूर्ण विषयात्मक मानव अधिकार मुद्दों- (क) दुर्व्यापार, प्रवासी और बंधुआ मजदूर तथा समाज के

पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर बल प्रदान करते हुये मानव अधिकारों के उभरते हुए आयाम, (ख) व्यवसाय और मानव अधिकार और (ग) महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण एवं सुरक्षा इत्यादि के संबंध में अपने विचार, अनुभव, चुनौतियां और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

साम्प्रदायिक सदभाव

6.21 केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई साम्प्रदायिक सदभाव संबंधी दिशानिर्देशों में अन्य के साथ-साथ साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न होने वाले हालातों से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों का लक्ष्य संभाव्य साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम और पूर्व कार्रवाई करने के संबंध में पूर्ण सर्तकता बनाए रखना, सावधानीपूर्ण योजना बनाना और पूर्वोपाय करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाए रखने के लिए इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर पुर्नावृत्ति की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर साम्प्रदायिक हिंसा को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में आसूचना साझा करने, चेतावनी संदेश, परामर्शी-पत्र भेजने जैसे विभिन्न उपाय करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर, केंद्र सरकार विशेष तौर पर ऐसे हालातों से निपटने के लिए गठित कंपोजिट रेपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करती है।

कट्टरवादी धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप

6.22 देश की सुरक्षा, शांति और लोक शांति को प्रभावित करने वाले सभी कट्टरवादी संगठनों अथवा समूहों के क्रियाकलापों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सतत निगाह रहती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, कानून के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

6.23 स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जेईआई) और जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मो. यासीन मलिक गुट) (जेकेएलएफ-वाई) को क्रमशः दिनांक 31.01.2019, 28.02.2019 और 22.03.2019 की सरकारी अधिसूचनाओं के द्वारा विधिविरुध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत विधिविरुध संगठन घोषित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, ऐसी हर अधिसूचना की इसके जारी होने की तारीख से छः माह के भीतर विधिविरुध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण द्वारा पुष्टि की जानी होती है। उपर्युक्त संगठनों को विधिविरुध संगठन के रूप में घोषित करने के मामले में विधिविरुध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का विधिवत गठन किया गया है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान

6.24 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच) गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, सांप्रदायिक, जातीय, नृजातीय या आतंकवादी हिंसा में अनाथ/निराश्रित हुए बच्चों/युवाओं को सहायता मुहैया कराना है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

(i) परियोजना 'सहायता': यह साम्प्रदायिक, जातीय, नृजातीय अथवा आतंकवादी हिंसा से पीड़ित हुये बच्चों और युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनएफसीएच की मुख्य स्कीम है। 470 नए लाभार्थियों सहित 3337 लाभार्थियों के लिए 560 लाख रु. की राशि जारी की गई थी।

(ii) सांप्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह तथा झंडा दिवस: एनएफसीएच ने दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक प्रतिष्ठान का सांप्रदायिक सौहार्द अभियान और निधि संग्रहण सप्ताह मनाया, जो झंडा दिवस को समाप्त हुआ है। छः बच्चों अर्थात् जम्मू और कश्मीर से दो बच्चों तथा गुजरात, मणिपुर, बिहार और छत्तीसगढ़ से एक-एक बच्चे ने सांप्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह और झंडा दिवस में भाग लिया।

(iii) शासी परिषद: एनएफसीएच की शासी परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 12.04.2018 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

(iv) विस्तार संबंधी गतिविधियां: उक्त अवधि के दौरान विस्तार संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिष्ठान की कुछ गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

क. अंतर-आस्था संवाद कार्यक्रम

(i) प्रतिष्ठान ने मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के साथ सहयोग से दिनांक 9 एवं 10 मार्च, 2018 को साम्प्रदायिक सदभावना और राष्ट्रीय एकता संबंधी अंतर-आस्था संवाद पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

(ii) एनएफसीएच ने एमिटी स्कूल ऑफ नैचुरल रिर्सोसेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नोएडा के साथ सहयोग से दिनांक 13.03.2018 को "भारतीय समाज के सतत विकास के लिए अंतर-आस्था संवाद की भूमिका" के संबंध में एक दिवसीय निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिता सह-राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।

(iii) प्रतिष्ठान ने साम्प्रदायिक सदभावना के संदेश का प्रचार-प्रसार करने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए दिनांक 29.08.2018 को "देश में समृद्धि हेतु अंतर-आस्था संवाद" के संबंध में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया।

(iv) प्रतिष्ठान ने दिनांक 21.09.2018 को सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में 'रीच' परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 'वैश्विक शांति के लिए पद यात्रा और सामाजिक सदभावना के लिए अंतर-आस्था संवाद' आयोजित करने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक का सहयोग किया।

(v) प्रतिष्ठान ने दिनांक 24-25 सितम्बर, 2018 को बेंगलुरु में 'पार्टनरशिप' परियोजना के अंतर्गत 'संघर्ष समाधान और शांति की स्थापना में अंतर-आस्था संवाद का मॉडल' के संबंध में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए क्राइस्ट विश्वविद्यालय, बेंगलुरु का सहयोग किया।

ख. अन्य प्रचारात्मक गतिविधियां

(i) साम्प्रदायिक सदभावना अभियान सप्ताह और झंडा दिवस, 2018 मनाने के लिए एएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मयूर विहार-I, दिल्ली ने दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को एनएफसीएच की सहायता प्राप्त बच्चों की सुविधा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 500 स्कूली बच्चों ने इसमें भाग लिया।

(ii) एनएफसीएच ने दिनांक 09.12.2018 को कोलकाता में तथा दिनांक 16.12.2018 को वड़ोदरा में 'कन्सर्ट फॉर हार्मोनी' नामक अनेक संगीत उत्सवों का आयोजन करने के लिए एनएडीडी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली को सहायता प्रदान की।

राष्ट्रीय एकता दिवस और कौमी एकता सप्ताह

6.25 दिनांक 31.10.2018 को सरदार पटेल का जन्मोत्सव मनाने के लिए सम्पूर्ण देश में पूरे जोश और उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और सुदृढ़ करने हेतु नागरिकों के संकल्प को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किये गये समारोह कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करना, शपथ ग्रहण करना और रन फोर यूनिटी शामिल है। लगभग 15,000 लोगों ने दिल्ली में रन फोर यूनिटी में भाग लिया। सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस ने शाम को मार्च पास्ट का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्रालयों ने पूरे देश में स्थित अपने प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी शपथ ग्रहण समारोह; रन फोर यूनिटी; तथा पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा मार्च पास्ट आयोजित करके बेहतर ढंग से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया।

केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह दिनांक 31.10.2018 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस पर 'रन फोर यूनिटी' के लिए झंडा दिखाते हुए

केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह दिनांक 31.10.2018 को नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार पटेल को उनके जन्म दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए

(स्रोत: पीआईबी)

6.26 दिनांक 19.11.2018 से 25.11.2018 के दौरान 'कौमी एकता सप्ताह' मनाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामला

6.27 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ की विशेष पूर्ण खंडपीठ ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के हक संबंधी वादों पर दिनांक 30.09.2010 को अपना निर्णय सुनाया। जमीअत उलेमा-ए-हिंद के श्री एम. सिद्दीक और कुछ अन्य पार्टियों ने अयोध्या में सामान्यत: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से ज्ञात विवादित सम्पत्ति/परिसर के स्वामित्व संबंधी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 30.09.2010 के प्रतिवादित निर्णय, आदेश और व्यवस्था के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त अपीलों को दिनांक 09.05.2011 को सुना था और निदेश दिया था कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ की विशेष पूर्ण खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के कार्यान्वयन पर रोक रहेगी और पार्टियाँ वाद भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगी जैसा कि वर्ष 1993 के अंतरित मामला (सी) संख्या 41, 43 और 45: डॉ. एम. इस्माइल फारूकी आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के पूर्व आदेश में निर्देश दिया गया था।

6.28 माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच करने के लिए दिनांक 08.03.2019 के अपने आदेश के माध्यम से मध्यस्थों का निम्नलिखित पैनल बनाया है जिसमें यदि आवश्यक हो तो, पैनल के अन्य सदस्य चुनने की स्वतंत्रता है:

1. न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, पूर्व न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय- अध्यक्ष
2. श्री श्री रवि शंकर- सदस्य
3. श्री श्रीराम पंचू, वरिष्ठ अधिवक्ता- सदस्य

मध्यस्थता की प्रगति रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को भेजने के लिए पैनल से अनुरोध किया गया है।

*****

अध्याय - 7

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1 संघ राज्य क्षेत्र सात हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। सात संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधायिका, मंत्रिपरिषद और अपनी स्वयं की समेकित निधियां हैं। शेष संघ राज्य क्षेत्र बिना विधानमंडल वाले हैं।

7.2 सात संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग किमी. और वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,83,714 है। संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या और क्षेत्रफल अनुलग्नक-VII में दिया गया है। बजट विवरण अनुलग्नक-VIII में दिया गया है।

संवैधानिक स्थिति

7.3 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय, विधायन, वित्त और बजट, उप-राज्यपालों और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में, प्रशासकों को उप-राज्यपालों के रूप में पदनामित किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर-संपर्क (इंटरफेस)

7.4 विधान सभा रहित सभी पांचों संघ राज्य क्षेत्रों- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एचएमएसी)/प्रशासक की सलाहकार समिति (एएसी) एक मंच के रूप में है। एचएमएसी की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री करते हैं तथा एएसी के अध्यक्ष संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं। अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ संसद सदस्य और संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों की जिला पंचायतों और नगर पालिका परिषद जैसे स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

प्रस्तावना

7.5 अनुच्छेद 239कक को शामिल करते हुए 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 को पारित करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अस्तित्व में आयी। इसकी एक विधान सभा है जिसके 70 सदस्य हैं।

7.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किमी. है। 33 सब डिवीजनों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 11 राजस्व जिले हैं।

अर्थव्यवस्था

7.7 दिल्ली ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति हासिल की है। दिल्ली में मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में, 3,28,985 रुपये की तुलना में वर्ष

2018-19 में 3,65,529 रुपये अनुमानित है, जो कि 11.11% की वृद्धि को दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 में, मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 7,79,652 करोड़ रुपये था जो कि 12.98% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 4.14% था।

7.8 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ऑउटकम बजट तैयार किया है, जिसमें विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के ऑउटकम की मॉनीटरिंग करने के लिए विशिष्ट संकेतकों को आउटपुट और बजटीय आबंटनों के साथ जोड़ा गया है। वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश करते हुए, सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहलों का अध्ययन करने के बाद पहली बार ग्रीन बजट पेश किया।

कल्याण

7.9 नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क पर 50% की छूट जारी रखी है। इसी प्रकार, पानी के चालू मीटर वाले घरेलू परिवारों को प्रतिमाह 20 किलो लीटर तक पानी की निःशुल्क आपूर्ति होती है। इस सुविधा, को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भी शुरू किया गया है।

7.10 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, सरकार ने दिनांक 05.12.2018 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू की है, यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू है, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

7.11 श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों के आम कल्याण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 12.06.2018 को जारी अधिसूचना के माध्यम से बॉम्बे श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1953 और दिल्ली श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत दिल्ली श्रमिक बोर्ड का गठन किया है।

7.12 सरकार ने झुग्गी निवासियों के स्व-स्थाने पुनर्वास पर अधिकतम जोर दिया है ताकि झुग्गीवासी बिना किसी परेशानी के अपनी आजीविका गतिविधियों को जारी रख सकें। दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2017 को दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास तथा स्थान परिवर्तन नीति अधिसूचित की गई है जिसमें पात्रता की तिथि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2015 कर दिया गया है। इससे झुग्गी झोपड़ी के 90% निवासी फ्लैट आबंटन के लिए पात्र हो जाएंगे। अगले दो वर्षों में भलस्वा, देवनगर, करोल बाग, संगम पार्क और लाजपत नगर में स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास के लिए लगभग 5000 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।

7.13 सरकार ने समाज के हाशिये पर और कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। सरकार दिल्ली पेंशन स्कीम के माध्यम से विपत्ति में पड़ी महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार, गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए तथा अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए भी 30,000 रुपये के एक बारगी अनुदान का भुगतान किया जाता है। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिनके पास जीवनयापन का कोई जरिया नहीं है। 60-69 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है तथा अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। 70 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन स्कीम के माध्यम से, दिव्यांग व्यक्तियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थी को 20,000 रुपये की एक बारगी सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षा

7.14 शिक्षा क्षेत्र को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। 149 और सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू करके पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं को बड़ा बढ़ावा दिया गया है जिससे नर्सरी कक्षाओं में और अधिक संख्या में छात्रों को दाखिल करने तथा समेकित शिक्षा को बढ़ावा देने का रास्ता साफ हुआ है। अकादमिक सत्र 2018-19 से एक नया राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी) खोला गया था और

09 मौजूदा विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से उत्कृष्टता वाले 05 स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

7.15 नए कार्यक्रम ''मिशन बुनियाद'' के माध्यम से पढ़ने की क्षमता तथा गणित के कौशलों में सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार तथा नगर निगम के स्कूलों की कक्षा-I से IX के छात्रों के लिए अप्रैल, 2018 से जून, 2018 के दौरान विशेष अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें 3,30,460 छात्रों ने कक्षाओं में भाग लिया।

7.16 छात्रों के संचार कौशलों में सुधार करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम 'खुशी पाठ्यक्रम' शुरू किया गया है। अंग्रेजी बोलने की योग्यता तथा अभिव्यक्ति की योग्यता के विकास के लिए 24,000 छात्रों को कवर करने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गई हैं।

7.17 जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा लाभवंचित वर्ग को समान स्तर का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए, वर्ष 2018-19 के दौरान शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा लाभवंचित समूह कोटा के तहत विभिन्न गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश स्तर कक्षाओं में दाखिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 32,455 छात्रों को नामित किया गया था।

7.18 स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 31 नए स्कूल भवनों का निर्माण शुरू किया गया है। शिक्षा की सुलभता को बढ़ाने के लिए मौजूदा स्कूलों में लगभग 12,748 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा 155 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी क्लास रूम का स्तरोन्नयन तथा 400 स्कूलों में मिडिल स्कूल पुस्तकालयों का स्तरोन्नयन शुरू किया गया है।

7.19 पैनलीकृत प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध कराके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की मदद करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की परिकल्पना की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे छात्र जिनके परिवार की कुल आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, इस स्कीम के तहत पात्र हैं। कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए 2,500 रुपये प्रति छात्र के मासिक वजीफे का भुगतान किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, लगभग 5,000 अनुसूचित जाति के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्कीम के तहत 24 करोड़ रुपये की निधियां आबंटित की गई हैं।

7.20 उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योग्यता-सह-साधन से जुड़ी वित्तीय सहायता स्कीम तथा दिल्ली उच्चतर शिक्षा और कौशल विकास गारंटी स्कीम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की है।

7.21 उत्कृष्टता की मान्यता के रूप में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्य ढांचे 2018 की विधि स्कूल श्रेणी में दूसरी रैंक प्राप्त की है।

7.22 दिनांक 26.09.2018 से नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया गया था। इसे अब नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है।

स्वास्थ्य

7.23 स्वास्थ्य देखभाल सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में 6 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों सहित 36 मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल हैं। इसके अलावा, 182 एलौपैथिक डिस्पेंसरियां, 189 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक तथा 24 पॉलीक्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को निवारक और उपचारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे कई और मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार के जन स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों को सभी जरूरी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा भेजे जाने वाले मरीजों के लिए पैनलीकृत रेडियोलॉजिकल केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क लैब परीक्षण तथा निःशुल्क रेडियोलॉजिक सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों द्वारा भेजे जाने वाले मरीजों को 48 पैनलीकृत अस्पतालों द्वारा 52 प्रकार की निःशुल्क सर्जरी प्रदान की जा रही है। आम जनता के लिए निःशुल्क उपचार/सर्जरी/निदान की स्कीम में ऐसी सेवाएं, जो कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं, उन्हें निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली आरोग्य कोष से भुगतान जारी किया जाता है।

इसके अलावा, सड़क दुर्घटना, एसिड हमले तथा जलने की चोट के मेडिको-लीगल पीड़ितों को निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों में निःशुल्क उपचार के लिए दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, 10,000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए बुराड़ी, अंबेडकर नगर तथा द्वारका में अस्पताल के निर्माण से बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।

7.24 भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों तथा झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में कार्रवाई समय को कम करने के लिए सीएटीएस ने पूर्वी दिल्ली (पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा शाहदरा जिला) में 16 एफआरवी (मोटर साइकिल) की फ्लीट के साथ फर्स्ट रिस्पांडर वाहन (एफआरवी) को शामिल करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।

स्वच्छता एवं जल आपूर्ति

7.25 1337 अनधिकृत कॉलोनियों में पाइप से जलापूर्ति शुरू की गई है। पानी को दूषित होने से रोकने के लिए इस वर्ष में लगभग 108 कि.मी. पुरानी पानी की लाइन को बदला गया है।

7.26 वर्षा जल संचयन 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के भूखंडों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा, 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के भूखंडों के आकार पर उन उपभोक्ताओं को पानी के बिल में 10% की छूट दी जाती है जो समुचित और कार्यात्मक वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करते हैं।

7.27 नालों से लगभग 110 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) अपशिष्ट जल प्रवाह को नियंत्रित किया गया है और इसके यमुना नदी में बहने से पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका शोधन किया जा रहा है।

ऊर्जा

7.28 सरकार ने दिनांक 24.07.2018 को "मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना" को मंजूरी दी है तथा दिनांक 25.09.2018 को दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए "मुख्यमंत्री सोलर पॉवर योजना" को मंजूरी दी है। ध्यान केंद्रित करने के कारण, जुलाई, 2018 में 7016 मेगावाट बिजली की व्यस्ततमकालीन अधिक मांग सफलतापूर्वक पूरी हुई।

अवसंरचना

7.29 शहर की अवसंरचना को और अधिक स्तरोन्नत किया गया है; सिग्नेचर ब्रिज को जनता के लिए खोला गया। सिग्नेचर ब्रिज भारत का पहला एसीमैट्रिकल केबल-स्टेड ब्रिज है। इसके अलावा, आईटीओ पर स्काईवॉक और फुट ओवर ब्रिज को जनता के उपयोग के लिए खोला गया। शहर में अवसंरचना में सुधार के लिए बारापुला नाला (चरण- II) पर एलिवेटेड रोड को खोला गया।

7.30 सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) निधि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में और अधिक विकास संबंधी कार्य कर सकें।

7.31 दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, क्लस्टर स्कीम के तहत 1000 स्टैंडर्ड हाइट फ्लोर बसों को शामिल करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने क्लस्टर योजना के तहत 1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ, दिल्ली इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा, 1000 लो फ्लोर सीएनजी संचालित बसों को क्लस्टर स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में, सरकार ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो के चरण- IV को मंजूरी दे दी है जिससे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 103.937 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे।

पर्यावरण

7.32 शहर के पर्यावरण को सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें वायु प्रदूषण की निरंतर निगरानी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन

प्लान (जीआरएपी) का कार्यान्वयन, वृक्षारोपण अभियान, उद्योगों को पीएनजी का उपयोग करने के लिए सब्सिडी देने, भोजनालयों को कोयला आधारित तंदूरों को गैस आधारित तंदूरों में बदलने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, होटलों आदि में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन के लिए, 13 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) स्थापित किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस

7.33 दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत नफरी 91,964 कार्मिकों की है और इसके प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता 12 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 20 अपर पुलिस आयुक्त और 108 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस को 6 रेंजों, 15 जिलों और 209 पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन, आसूचना जुटाने और आतंकवाद से निपटने, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विशेष इकाइयां भी मौजूद हैं।

7.34 दिल्ली पुलिस शहर की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ अति संवेदनशील समूहों जैसे- महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा तथा स्मार्ट पुलिस व्यवस्था जैसे- प्रौद्योगिकी का प्रयोग, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, जन हितैषी, जवाबदेह और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था, आतंकवाद-रोधी उपाय, यातायात विनियमन और सड़क सुरक्षा शामिल हैं।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

अपराध के लिए जिम्मेदार कारक

7.35 दिल्ली में अपराध पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ, इसकी जनसंख्या का आकार और विषम प्रकृति, आय में असमानता/बेरोजगारी/कम रोजगार, उपभोक्तावाद/भौतिकवाद और सामाजिक-आर्थिक असंतुलन, अनियोजित शहरीकरण, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, शहरी गुमनामी और सुस्त परिवार नियंत्रण, सीमा पार से तथा विस्तारित एनसीआर क्षेत्र के भीतरी इलाकों से आपराधिक तत्वों की असानी से पहुंच/भागने के साधन शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2,70,513 आईपीसी मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्ष 2017-18 की इसी अवधि में यह संख्या 2,29,050 थी।

अपराध नियंत्रित करने की रणनीति

7.36 अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, घटना की अधिक संभावना वाले स्थानों का अपराध मानचित्रण और चिन्हित किया जाना, चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डायनेमिक तैनाती, सक्रिय अपराधियों को चिन्हित किया जाना, कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करना, सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी में वृद्धि, जिला पुलिस उपायुक्तों/अपर पुलिस उपायुक्तों द्वारा सामूहिक गश्त, स्थानीय पुलिस, पीसीआर स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एकीकृत गश्त, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ कार्रवाई, दिल्ली में आग्नेय अस्त्रों के आपूर्ति मार्गों को खत्म करना तथा जन संपर्क और अन्य समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक-केंद्रित पुलिस व्यवस्था शामिल है। कुल दर्ज आईपीसी अपराधों में से दर्ज जघन्य अपराधों का प्रतिशत घटा है तथा यह 2015 में 5.85%, 2016 में 3.93%, 2017 में 2.79% और 2018 में 2.27% रहा। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल जघन्य अपराधों में 14.45%, हत्या की कोशिश में 21.07%, लूटपाट में 24.13%, बलात्कार में 2.35%, फिरौती के लिए अपहरण में 11.76% और दंगे में 62.50% की कमी आई। झपटमारी और चोरी की घटनाओं में भी कमी आई है।

महिलाएं

7.37 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े दर्शाते हैं कि बलात्कार से संबंधित मामलों में 2.48%, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में 2.77% तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामलों में 16.30% की कमी आई है। बलात्कार के 97.52% मामलों में, अभियुक्त पीड़ित के जानकार

(परिचित, रिश्तेदार आदि) थे। शहर में अंधेरे हिस्सों के बारे में सिविक एजेंसियो को सूचित करने और बीपीओ को महिला कर्मचारियों को उनके घर वापस छोड़ते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निदेश देने से भी महिलाओं के प्रति अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के मामलों में 95.57%, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में 85.54% तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामलों में 85.02% की उच्च निराकरण दर हासिल की है। वर्ष 2018 में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के विरूद्ध की गई सख्त कार्रवाई के दौरान, 35,938 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

7.38 महिलाओं की सलामती तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा पहलों को जारी रखते हुए नई पहलें की गई हैं, जिनमें, महिलाओं के लिए एंटी-स्टॉकिंग सेवाएं, हिम्मत प्लस ऐप, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त/महिला सुरक्षा, 15 स्थानों पर पूर्णतः महिला पुलिस नियंत्रण कक्ष वैन तथा महिलाओं के लिए विशिष्ट हेल्प डेस्क शामिल हैं।

बच्चे

7.39 अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों के लापता होने के पीछे के कारणों का विश्लेषण कराए जाने से यह पता चला कि अधिकतर मामलों में घर में माता-पिता द्वारा डांटे जाने के बाद, शैक्षणिक दबाव के कारण, अपना रास्ता भटक जाने, किसी के साथ भाग जाने, आदि के कारण बच्चे लापता हो जाते हैं। शहर में बच्चों के अपहरण अथवा बच्चों द्वारा भीख मांगने के पीछे कोई संगठित गिरोह लिप्त नहीं पाए गए। दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल-।। तथा ऑपरेशन मुस्कान-।। स्कीम के तहत किए गए प्रयासों के भी परिणामस्वरूप वर्ष 2017 के दौरान 4933 बच्चों तथा वर्ष 2018 के दौरान 4534 बच्चों और वर्ष 2019 (31 मार्च तक) में 271 बच्चों को ढूंढ़ा गया तथा उनके परिवारों से मिलाया गया। पिछले वर्ष में 6443 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 6482 बच्चों के लापता होने की जानकारी मिली। ''पहचान'' स्कीम को वर्ष 2018 में भी जारी रखा गया तथा डाटा बैंक रखने के लिए इस स्कीम के तहत अभी तक 1,92,332 बच्चों का फोटो खींचा गया जिनका उपयोग बच्चों को उनके लापता हो जाने की दशा में ढूंढ़ने के लिए किया जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिक

7.40 वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली पुलिस बीट अधिकारियों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों से नियमित रूप से संपर्क करती है/उनसे जाकर मिलती है तथा वरिष्ठ नागरिकों के घरों की सुरक्षा जांच की जाती है। अभी तक 34,874 सुरक्षा जांच की गई है तथा 5,46,550 वरिष्ठ नागरिकों के घरों के दौरे किए गए और 3,94,088 वरिष्ठ नागरिकों से दूरभाष द्वारा संपर्क किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 3892 वरिष्ठ नागरिकों का नया नामांकन किया गया। अभी तक 15,680 वरिष्ठ नागरिकों ने सीनियर सिटीजन मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है जो कि पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों से जोड़ती है तथा इसमें आपातकालीन कॉलों के लिए एसओएस बटन भी है।

पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा

7.41 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सलामती तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ नामोदिष्ट अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त/महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) की नियमित बैठकें तथा हेल्पलाइन सं.1093 पर प्राप्त कॉलों की मॉनीटरिंग शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त/महिलाओं तथा बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) द्वारा "दिल्ली पुलिस फॉर नार्थ ईस्ट फॉल्क" नामक फेसबुक पेज का रख-रखाव किया जाता है जिसे अभी तक 1.78 करोड़ से अधिक बार विजिट किया गया है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलें

7.42 दिल्ली पुलिस द्वारा की गई सामुदायिक पुलिस

व्यवस्था संबंधी पहलों में पास-पड़ोस में निगरानी स्कीम, व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों तथा अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को शामिल करते हुए आंख और कान स्कीम, अपराध की रोकथाम के लिए गार्डों और चौकीदारों को शामिल करते हुए प्रहरी स्कीम, अपराध की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल सोसाइटी को शामिल करते हुए पुलिस मित्र, जन भागीदारी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करते हुए निगेहबान, लड़कियों/महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु सशक्ति, स्कूल/कॉलेज जाने वाले आयु वर्ग में पीड़ितों द्वारा अपराधों को रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्भीक, शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए व्यस्त क्षेत्रों में सादे पोशाक में महिला अधिकारियों की तैनाती हेतु शिष्टाचार, असुरक्षित क्षेत्रों में बच्चों के फोटोग्राफों के डाटाबेस के रख-रखाव के लिए पहचान, कतिपय निर्धारित यातायात उल्लंघनों की सूचना देने के लिए नागरिकों को अधिकार प्रदान करने हेतु ट्रैफिक सेंटिनल स्कीम और युवाओं तथा लाभवंचित बच्चों की ऊर्जा को दिशा प्रदान करने के लिए खेलकूद गतिविधियां, पेंटिग कार्यशालाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि आयोजित करने के लिए युवा स्कीम शामिल है। दिल्ली पुलिस ने अब कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निधियन से प्रधानमंत्री की "कौशल विकास योजना" के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से कार्य करना शुरू किया है।

आतंकवाद-रोधी उपाय

7.43 दिल्ली पुलिस ने विगत वर्षों में कई आतंकवाद-रोधी उपाय किए हैं जिनमें, किराएदारों का गहन सत्यापन, पुरानी कार के डीलरों तथा साइबर कैफे की जांच, अतिथि गृहों की जांच, तेज गति से अपराधियों के भाग जाने को रोकने के लिए आवधिक औचक जांच तथा ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, में निरोधक उपाय के रूप में पुलिस की अधिक तैनाती शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का विशेष सेल आतंकवाद-रोधी अभियानों को शुरू करने के अलावा आतंकवाद-रोधी आसूचना एकत्र करने, उसका मिलान करने और उसका प्रसार करने में निरंतर अलर्ट पर रहता है। एक संपूर्ण महिला एसडब्ल्यूएटी टीम का गठन किया गया था तथा महिला कमांडोज ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। टीम घोर अपराधियों से निपटने तथा आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रति समर्पित है। शहर में आतंकवाद-रोधी बैकअप में वृद्धि करने के लिए 30 'पराक्रम' कमांडो वाहन तैनात किए गए थे। ये सभी 'पराक्रम' वैनें जीपीआरएस युक्त हैं तथा पूरी-दिल्ली में वायरलेस संचार से लैस हैं।

अधिकारी-उन्मुख पुलिस व्यवस्था मॉडल

7.44 दिल्ली पुलिस ने अपने दो पुलिस थानों- पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने तथा मॉरिस नगर पुलिस थाने में अधिकारी-उन्मुख पुलिस व्यवस्था मॉडल का विशिष्ट प्रयोग शुरू किया है। इस मॉडल में प्रदर्शनकारियों के सामने अधिकारी और महिला पुलिस आगे रहते हैं तथा दंगा-रोधी प्लाटून, फॉल बैक कंटिजेंसी विकल्प होते हैं। इस कदम से इस वर्ष टकराव की स्थितियों को अधिकतर शुरूआत में ही समाप्त कर दिया गया।

अवधारणा प्रबंधन

7.45 पुलिस के प्रति लोक अवधारणा में सुधार करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने इस वर्ष पुलिस थानों में जन सुविधा अधिकारी (पीएफओ) की स्कीम शुरू की है। इस अभिनव प्रयास में, सुप्रशिक्षित तथा सुविज्ञ पुलिस अधिकारी (पुरूष तथा महिला) पुलिस थाने के प्रारंभिक संपर्क केन्द्र पर तैनात होते हैं और इन्हें जन सुविधा अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। ये जन सुविधा अधिकारी विशेष रूप से डिजाइन सिविलियन पोशाक में होते हैं ताकि सुचारू इंटरफेस और सुविधा में वर्दी का खौफ अवरोध न बने। पार्कों, तंग गलियों तथा सहायक-गलियों, को-ऑपरेटिव सोसाइटियों आदि की गश्त के लिए 'ग्रीन' पहल के रूप में दिल्ली पुलिस ने अपनी मौजूदा मोटर साइकिल तथा पीसीआर गश्तों की कमी को पूरा करने के लिए साइकिल गश्तों को शुरू किया है। दिल्ली पुलिस तथा एनडीएमसी के संयुक्त प्रयास से दो "फेसिलिटेशन कियॉस्क (सुविधा सेवा)"

ने कार्य करना शुरू किया है जिसमें से एक एम्स में तथा दूसरा खान मार्किट नई दिल्ली में है। यात्रियों तथा मुसाफिरों को सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंटरऐक्टिव पांडाज के साथ ऐसा ही एक अन्य जन सुविधा कियॉस्क लगाया गया है। ये कियॉस्क कई अन्य सेवा प्रदान करने के प्रोफार्मा अर्थात किराएदार तथा नौकर के सत्यापन फार्म आदि के साथ-साथ चोरी, वाहन चोरी, मोबाइल/सामान खोने आदि के संबंध में एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा मॉलखाना को आधुनिकीकृत तथा डिजिटलीकृत करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जिसमें दक्षिण-पूर्वी जिले ने सभी पुलिस थानों के मामलों के डिजिटलीकरण को पूरा कर लिया है तथा "देश का पहला डिजिटल मॉलखाना जिला" बन गया है। इस परियोजना को अन्य जिलों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई

7.46 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के विरुद्ध की गई ठोस कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में स्वापक पदार्थ बरामद किए गए। मादक पदार्थों का दुर्व्यापार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा नागरिकों के लिए मादक पदार्थ दुष्प्रयोग जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए सभी जिलों में मादक पदार्थ रोधी दस्ते गठित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 571 मामले दर्ज किए गए तथा 761 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 30.808 कि.ग्रा. चरस, 53.700 कि.ग्रा. अफीम, 3348.937 कि.ग्रा. गांजा, 328.694 कि.ग्रा. स्मैक/हेरोइन, 1891.040 कि.ग्रा. पोस्ते के डोडे तथा 1.030 कि.ग्रा. कोकीन बरामद की गई।

अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई

7.47 वर्ष 2018 के दौरान सभी बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज को जोड़ने तथा अवैध हथियारों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृखंला, ट्रांजिट मार्ग, दुर्व्यापार के तरीके, वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा विनिर्माण के स्रोत को उजागर करने के प्रयास किए गए। दिल्ली पुलिस द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2,182 अवैध आग्नेयास्त्र तथा 8,830 गोला-बारूद बरामद किए गए तथा आयुध अधिनियम के तहत 2,193 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति को रोकने के लिए लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र डीलरों के रिकार्डों की भी जांच की जा रही है।

जाली करेंसी

7.48 दिल्ली पुलिस ने जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया है तथा इस अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक, सीमा शुल्क विभाग और आसूचना ब्यूरो जैसी एजेंसियों को साथ में जोड़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, एफआईसीएन के 50 मामले दर्ज किए गए तथा 4.00 करोड़ रुपये (लगभग) बरामद किए गए।

डिजिटल पहलें

7.49 अभी तक शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों में, ई-मोटर व्हीकल थेफ्ट ऐप, प्रॉपर्टी थेफ्ट ऐप, गुमशुदा रिपोर्ट ऐप, विपत्ति में पड़ी महिलाओं के लिए हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ऐप, सीनियर सिटीजन ऐप, जनता से यातायात संबंधी सूचना साझा करने तथा बेहतर यातायात प्रबंधन में जन भागीदारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मोबाइल ऐप, ऑनलाइन चरित्र सत्यापन रिपोर्ट और ऑनलाइन साइबर सुरक्षा मुद्दों के बारे में नागरिकों के साथ एहतियाती सम्प्रेषण करने तथा पीड़ितों के लिए जवाबदेह साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र की व्यवस्था करना शामिल है।

पुलिस प्रशिक्षण

7.50 दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण विंग में एक प्रशिक्षण कॉलेज, 3 प्रशिक्षण स्कूल, एक विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था हेतु एक अकादमी (एएसपी) शामिल हैं। अभनपुरा, अलवर (राजस्थान) में एक लांग रेंज वेपन फायरिंग रेंज विकसित की गई है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पीटीएस) द्वारका में केवल महिला प्रशिक्षुओं हेतु 250 की क्षमता को शामिल करते हुए इसके सभी छः केंद्रों की मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता लगभग 6000 है। इस अवधि के दौरान, 387 सेवाकालीन/विशेषीकृत पाठ्यक्रम आयोजित किए गए

जिसमें 11,474 पुलिस कार्मिकों ने भाग लिया। उपर्युक्त के अलावा, 6,985 प्रशिक्षुओं के लिए बेसिक/इंडक्शन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 875 पुलिस कार्मिकों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। पीटीएस-द्वारका में साइबर प्रशिक्षण प्रभाग ने साइबर फॉरेंसिक तथा अन्वेषण पर 12 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 254 अधिकारियों ने भाग लिया तथा बैंक धोखाधड़ी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण और अन्वेषण पर 09 पाठ्यक्रमों में 237 अधिकारियों ने भाग लिया। स्मार्ट पुलिस व्यवस्था हेतु अकादमी चाणक्यपुरी में स्थित है, जो दिल्ली पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा इसने 31 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 594 अधिकारियों ने भाग लिया।

7.51 एसटीसी में थाना प्रभारियों तथा निरीक्षकों के लिए एक विशेष सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम आयोजित किया गया। 24 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें दिल्ली पुलिस के 488 निरीक्षकों ने भाग लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर एसपीयूडब्ल्यूएसी के अन्वेषण अधिकारियों (आईओ) के लिए 05 विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 126 महिला आईओ ने भाग लिया। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के स्टाफ के लिए जन सुविधा डेस्क अधिकारियों, जेंडर सेंसिटाइजेशन हेतु विशेषज्ञता पाठ्यक्रम, पूर्वोत्तर राज्यों के व्यक्तियों, समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा बच्चों संबंधी मुद्दों पर सक्रिय पुलिस व्यवस्था तथा सुग्राहीकरण (सेंसिटाइजेशन) पर कार्यशाला का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। पुलिस कार्मिकों को दिव्यांगजनों/दृष्टिहीन व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए दो अर्ध दिवसीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। पीटीएस-द्वारका द्वारा सहयोगात्मक अध्ययन तथा भागीदारी (सीएलएपी) कार्यक्रम के अंतर्गत एक नई पहल की गई है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को शामिल किया गया। यह दिल्ली पुलिस वेब एप्लीकेशनों के बारे में जानकारी, सुरक्षा तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साइबर अपराध जागरूकता जैसे विभिन्न विषयों पर छात्रों तथा पुलिस कार्मिकों के लाभ हेतु इंटरऐक्टिव अध्ययन है। योग को सभी बेसिक तथा पदोन्नति पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं के लिए आउटडोर प्रशिक्षण का एक अनिवार्य भाग बनाया गया है।

कल्याण

7.52 दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी द्वारा दिल्ली पुलिस कार्मिकों तथा उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं। दिल्ली पुलिस की अन्य कल्याण स्कीमों में "दिल्ली पुलिस सुविधा कोष", विपत्ति सहायता कोष शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस कल्याण स्कीम तथा दिल्ली पुलिस शहीद निधि में मिला दिया गया है।

भूमि तथा भवन

7.53 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 07 भवन परियोजनाओं को पूरा किया गया, 03 पुलिस स्टेशनों सहित 09 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा पांडव नगर पुलिस थाने तथा सेक्टर 05, रोहिणी में डीसीपी/आउटर ऑफिस तथा स्टॉफ क्वार्टरों की 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 15 नई परियोजनाओं सहित 20 परियोजनाएं [05 पुलिस स्टेशन, 12 पुलिस चौकियां, 02 आवासीय क्वार्टर परियोजनाएं तथा झड़ौदा कला में 01 पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (क्लास रूम/बैरक)] आयोजना चरण में हैं।

बजट

7.54 पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय आबंटन तथा व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

लेखा-शीर्ष	अंतिम आबंटन 2018-19	वास्तविक व्यय 2018-19
निदेशन तथा प्रशासन	7287.39	7277.89
स्कीमें	566.01	566.00
महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्कीमें (निर्भया निधि से वित्तपोषित)	6.41	6.27

दिल्ली यातायात पुलिस

7.55 सड़क पर यातायात के सुचारू प्रवाह तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ गैंट्री/केंटीलीवर माउंटेड ऑटोमैटिक ओवर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरों, रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) जांच कैमरों, पोर्टेबल ट्राईपोड माउंटेड स्पीड रडार गनों, नई ई-चालान प्रणाली का कार्यान्वयन तथा नए सिग्नलों एवं ब्लिंकरों की संस्थापना शामिल है।

7.56 **वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां**

1. नई एपीसीओ प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 72.27 करोड़ रू की अनुमानित लागत की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. दिल्ली पुलिस की फ्लैगशिप स्कीमों/परियोजनाओं को स्वीकृतिः

- पीपीपी मोड के तहत पुलिस मुख्यालय के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
- दिल्ली पुलिस बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत 194.81 करोड़ रु. की लागत से 15 नई परियोजनाओं (4 पुलिस स्टेशन और 11 पुलिस पोस्ट) को शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
- एसएफसी ने कुल 136.91 करोड़ रु. की लागत से डीडीए से एमआईजी फ्लैटों की खरीद संबंधी प्रस्ताव का आकलन किया।
- कुल 88.0 करोड़ रु. की लागत से डीडीए से 582 एलआईजी फ्लैटों (विलय के बाद) की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
- 147.07 करोड़ रू की अनुमानित लागत से 06 स्थानों पर चरण 2(ख) सीसीटीवी प्रणाली (2727 कैमरे) को कार्यान्वित करने के लिए संशोधित प्रस्ताव हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

दमन और दीव

क्षेत्रफल, जनसंख्या और स्थान

7.57 दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के दो जिले हैं, अर्थात् दमन और दीव। इसका कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है (दमन 72 वर्ग किलोमीटर और दीव 40 वर्ग किलोमीटर)। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या 243247 थी (दमन-191173 और दीव - 52074)। दोनों जिले भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय दमन में है।

7.58 दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से 100% अनुदान प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र को 1585.06 करोड़ रू की निधि आबंटित की गई थी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निधि आबंटन में से 1579.34 करोड़ रू (99.64%) खर्च किए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए निधि आबंटन 1675.49 करोड़ रू है। राजस्व के मामले में, वर्ष 2017-18 के दौरान, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का कर संग्रहण लगभग 939.39 करोड़ रु था।

प्रमुख विकास परियोजनाएँ

7.59 भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 24.02.2018 को दमन और दीव का दौरा किया, जिसके दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अलग-अलग सेक्टरों में की गई निम्नलिखित प्रमुख विकासात्मक अवसंरचना पहलों का उद्घाटन किया गया/उन्हें चालू किया गया/हरी झंडी दिखाई गई/शिलान्यास किया गयाः

- दमन में ओल्ड दमनगंगा पुल के पास दमनगंगा नदी पर नानी दमन और मोती दमन को जोड़ने वाला पैदल यात्री पुल तथा दीव में ताड पुल जनता को समर्पित किया गया।
- डुनेथा, नानी दमन, में 17 एमएलडी जल शोधन संयत्र, दमन के डाभेल, डुनेथा तथा मगरवाड़ा स्थित जल शोधन संयत्रों को गुजरात के मधुबन

बांध से पानी की सीधी आपूर्ति के लिए पाइपलाइल, केवड़ी, दीव में 8 एमएलडी जल शोधन संयत्र का उद्‌घाटन किया गया।

- दमन और दीव के बीच हेलीकाप्टर सेवा और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत अहमदाबाद को दीव से जोड़ने के लिए एयर ओडिशा फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई।
- दीव में 6 मेगावॉट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट तथा रिंगनवाड़ा, दमन में 220/66 केवी ट्रांसफॉर्मर बेज और इससे संबद्ध 220 केवी और 66 केवी लाइन बेज को चालू किया गया।
- गवर्नमेंट कॉलेज, दमन में बालिका छात्रावास, दमन में पुनर्विकसित सरकारी स्कूल, दमन में पुनर्विकसित नंदघर (आंगनवाड़ियों) और प्लास्टिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का उद्‌घाटन किया गया।
- माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने, दिनांक 24.02.2018 को 47.00 करोड़ रू की लागत से वारकुंड, नानी दमन में इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के निर्माण तथा ''अक्षय पात्र'' के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों तथा स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए 14.53 करोड़ रु. की लागत से एक केन्द्रीकृत रसोईघर का शिलान्यास किया।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का दमन दौरा

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- पद्‌मभूषण कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए निर्माण कार्य का उद्‌घाटन किया गया, जिसमें सुविधा खंडों, स्विमिंग पूल, भीतरी चाहरदीवारी और बाड़ का निर्माण शामिल है।
- 18.00 करोड़ रु. की लागत से बानडोडकर स्टेडियम, नानी दमन में खेल परिसर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया।
- हियर्स वैन, 108 एम्बुलेंस सेवा, जो सभी बेसिक लाइफ सपोर्ट दवाओं, उपकरणों, प्रशिक्षित ईएमटी और ड्राइवर के रूप में पायलट से सुसज्जित है तथा पहली सवारी - जो कि गर्भवती माताओं, प्रसव के बाद छुट्टी दी गई माताओं और बीमार शिशुओं को परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, को हरी झंडी दिखाई गई।
- दमन में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया।

- पर्यटन संबंधी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास- 71.13 करोड रु. की लागत से दमन में जंपोर बीच पर विभिन्न समुद्रफ्रंट विकास कार्यों का सुधार तथा सौंदर्यीकरण, 32.97 करोड़ रु. की लागत से दमन में छापली शेरी बीच और मोती दमन फोर्ट फ्रंट का विकास, 20.68 करोड़ रु. की लागत से घोगला बीच का सौंदर्यीकरण, 13.78 करोड़ रु. की लागत से दमन नगर पालिका में मल्टी-लेवल पार्किंग, 12.30 करोड़ रु. की लागत से नागोआ बीच का सौंदर्यीकरण, 10.36 करोड़ रु. की लागत से दीव में जालंधर सर्किट हाउस के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया।

- क्रमशः 7.20 करोड़ रु. और 18.35 करोड़ रु. की लागत से मोती दमन क्षेत्र में 4.5 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र और दीव नगर पालिका क्षेत्र हेतु सीवेज लाइन नेटवर्क का शिलान्यास किया गया।

7.60 भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 19.01.2019 को दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन/शुभारंभ किया:

- 47.80 करोड़ रुपये की लागत से दमनगंगा नदी पर काचीगाम तथा जारी को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन।

- 21.18 करोड़ रुपये की लागत से मोती दमन में बादलपुर से लाइटहाउस तक समुद्री कटाव-रोधी सुरक्षा दीवार का उद्घाटन। इस दीवार से समुद्र के किनारे पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

- 21.26 करोड़ रुपये की लागत से मोती दमन हेतु 4.21 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज शोधन संयंत्र सहित दमन सीवरेज लाइन नेटवर्क का उद्घाटन।

- 11.43 करोड़ रुपये की लागत से मोती दमन में बहु कार्यालय परिसर का उद्घाटन।

- 4.73 करोड़ रुपये की लागत से मोती दमन में जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन।

- चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की एम-आरोग्य ऐप तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी नीति का शुभारंभ।

7.61 प्रमुख विकासात्मक अवसंरचना पहलें

- पुलः मोती दमन को नानी दमन से जोड़ने के लिए दमनगंगा पर मगरवाड़ा से काचीगाम तक पुल का निर्माण प्रगति पर है।

- जल आपूर्ति और स्वच्छताः क्रमशः 31.21 करोड़ रु. तथा 22.23 करोड़ रु. की लागत से मधुबन बांध की भामती नहर पर नानी दमन जलापूर्ति योजना और मोती दमन जल आपूर्ति योजना का विस्तार।

- सड़कें: 71.13 करोड़ रु. की लागत से दमन जिले की विभिन्न प्रमुख जिला सड़कों और अन्य जिला सड़कों का सुधार और सौंदर्यीकरण प्रगति पर है।

- **भवनों का निर्माणः**

(i) क्रमशः 48.59 करोड़ रु. और 40.27 करोड़ रु. की लागत से शिक्षा हब, दीव में डिग्री कॉलेज के लिए भवन और दीव में सरकारी पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ii) 20.59 करोड़ रु. की लागत से मौजूदा एनेक्सर सर्किट हाउस में नए सरकारी अतिथि गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(iii) 70 करोड़ रु. की लागत से दमन जिले के काचीगाम, अंबावाड़ी, दमनवाड़ा और रिंगनवाड़ा में सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(iv) 34.92 करोड़ रु. की लागत से केवदी, दीव में शिक्षा हब के लिए छात्रावास भवन, संकाय आवास, अतिथि गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **पर्यटन अवसंरचना:** 92.14 करोड़ रु. की लागत से सी फ्रंट रोड और नानी दमन में किमी. 0/0 से 6/380 तक देवका बीच का सौंदर्यीकरण कार्य प्रगति पर है।

- **मत्स्य पालन:** 13.58 करोड़ रु. की लागत से घोघला, दीव में काजीमाम में मत्स्य पालन प्लेटफार्म पूरा हो चुका है। 4.26 करोड़ रु. की लागत से वनकबारा, दीव में 50.00 मीटर पाइल जेट्टी का निर्माण और 1.18 करोड़ रु. की लागत से 85 मीटर लंबे ड्राई डॉक प्लेटफार्म का निर्माण प्रगति पर है।

7.62 स्वास्थ्य

- दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में "आयुष्मान भारत योजना" दिनांक 30.04.2018 अर्थात "आयुष्मान भारत दिवस" पर ग्राम स्वराज अभियान के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना 5.00 लाख रु. प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा प्रदान करके गरीब लोगों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने में मदद करेगी।

7.63 स्वच्छ भारत मिशन

- संघ राज्य क्षेत्र के दोनों जिलों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

- सभी 15 ग्राम पंचायतों में घर-घर से सॉलिड वेस्ट कलेक्शन हो रहा है।

- दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने एक पाक्षिक पहल "स्वच्छता ही सेवा" का आयोजन किया, जो दिनांक 16.10.2018 से शुरू हुआ और 02.11.2018 को संपन्न हुआ।

7.64 पुरस्कार

- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दमन जिले को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में समग्र प्रदर्शन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समूह-। (पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र) के तहत दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को राष्ट्रीय पुरस्कार (तीसरी रैंक) से सम्मानित किया गया है।

- दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान (पीएमएसएमए) के कार्यान्वयन के लिए 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

- दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को "राष्ट्रीय पोषण अभियान" के तहत प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए।

7.65 पहलें

- स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन में 50% की वृद्धि: स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में 50% की वृद्धि की गई है।

- श्रम योगी प्रसाद कार्यक्रम को मजदूर दिवस (01.05.2018) के दिन शुरू किया गया था, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों को 10/- रु. की कीमत में तथा भवन और निर्माण श्रमिकों और अन्य कामगारों के लिए 5/- रु. की कीमत में पौष्टिक और पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

- औद्योगिक कामगारों, निर्माण कामगारों, घरेलू कामगारों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कामगारों के लिए कम किराये के स्मार्ट आवास तथा सस्ते निवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल रेंटल स्मार्ट हाउसिंग (स्पर्श) शुरू की गई है।

अन्य वीवीआईपी दौरे

7.66 माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने 20-21 अप्रैल, 2018 को दीव का दौरा किया और विकास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन और शिलान्यास किया।

माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह का दीव का दौरा

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.67 माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री राम कृपाल यादव ने दिनांक 4.06.2018 को दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की।

माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री राम कृपाल यादव का दमन और दीव का दौरा

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

दादरा और नगर हवेली

7.68 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र में 65 गाँव, 05 जनगणना नगर, 01 नगर परिषद, 01 जिला पंचायत और 20 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और इसकी आबादी 3,43,709 (1,93,760 पुरुष और 1,49,949 महिलाएँ) है। दादरा

और नगर हवेली 491 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है और इसमें दो एन्क्लेव शामिल हैं यथा (1) दादरा, और (2) नगर हवेली। यह संघ राज्य क्षेत्र गुजरात के वलसाड जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले से घिरा हुआ है।

प्रशासन

7.69 दादरा और नगर हवेली में एकल जिला और तालुक है। तथापि, राजस्व प्रशासन के प्रयोजन के लिए सभी गांवों/शहरों को 20 पटेलाद में विभाजित किया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र का कोई विधानमंडल नहीं है। प्रशासक, प्रशासन के प्रमुख होते हैं और उनकी सहायता के लिए प्रशासक के सलाहकार, वित्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर होते हैं। पंचायती राज प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए, निर्वाचित सदस्यों को शामिल करके 20 ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं। इसके अलावा, सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक जिला पंचायत तथा 15 वार्डों को मिलाकर एक नगरपालिका परिषद गठित की गई है। इस संघ राज्य क्षेत्र को लोक सभा की एक सीट आबंटित की गई है, जो अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है।

अर्थव्यवस्था

7.70 राजस्वः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 950.36 करोड़ रु. की राजस्व प्राप्तियां संग्रह कीं।

7.71 आबंटन और व्ययः वर्ष 2018-19 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र को 1084.29 करोड़ रु. की निधि आबंटित की गई, जिसमें से 1084.20 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

वित्तीय योजनाएं

7.72 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिनांक 31.03.2019 तक क्रमशः कुल 113063 और 2887 खाते खोले गए हैं।

सेक्टोरल विकास

7.73 पुलः 4.72 करोड़ रु. की लागत से पिपरिया नदी पर रिंग रोड भाग एफ से जी के लिए पिपरिया पर हाई लेवल पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, गुनसा बिलधारी तथा कौंछा में 88.26 करोड़ रु. की लागत से हाई लेवल पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा 4.46 करोड़ रु. की लागत से चिखाली सुरांगी रोड (सीएच 0/0 से 08/2 किमी.) के साथ हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7.74 कनेक्टिविटीः 135.16 करोड़ रु. की लागत से सिलवासा नरोली रोड पर शाहिद चौक से अथल नरोली एंट्रेंस गेट (जांच चौकी) के बीच तथा पिपरिया से शाहिद चौक और फिर आगे समरवानी तक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनों के उन्नयन, सुविधाओं के प्रबंधन और लैंडस्केपिंग कार्य सहित सड़कों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण शुरू किया गया है। 65.80 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा नगर के लिए रिंग रोड का निर्माण तथा 28.38 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड हेतु आरसीसी ड्रेनेज, रोड डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7.75 **भवन**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया गया है।

(i) 73.59 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल का मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में उन्नयन और विस्तार, (ii) 48.24 करोड़ रूपये की लागत से मोरखाल, फलांडी, मासट, सुरांगी, खेरड़ी तथा सिंधोनी में हाई स्कूल भवन का निर्माण, (iii) 165.75 करोड़ रुपये की लागत से दादरा और नगर हवेली में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध भवनों का निर्माण, (iv) 65 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा में शैक्षिक संस्थान का निर्माण।

स्वास्थ्य

7.76 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित नेटवर्क के माध्यम से जन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:

- दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में माननीय प्रशासक द्वारा दिनांक 23.09.2018 को मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, सैली में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा योजना "आयुष्मान भारत" का शुभारंभ किया गया।

- दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने कुष्ठ रोग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को लागू करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। संघ राज्य क्षेत्र ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के कार्यान्वयन में सराहनीय प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार प्राप्त किया।

- श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल और उप जिला अस्पताल, खानवेल के लेबर रूम को लक्ष्य प्रमाणन मिला है। केन्द्र सरकार द्वारा विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा को राष्ट्रीय प्रमाणन गुणवत्ता मानक (एनएक्यूएस) प्रमाणन प्रदान किया गया। दादरा और नगर हवेली के स्वास्थ्य विभाग के गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी ने उप जिला अस्पताल, खानवेल के लिए "काया कल्प" पुरस्कार प्राप्त किया।

- पोषण माह के तहत दिनांक 18.09.2018 को अन्नप्राशन का शुभारंभ किया गया जिसमें प्रसव उपरांत देखभाल (पीएनसी) वाली महिलाओं और 6 महीने के शिशुओं को अन्नप्राशन किट उपलब्ध कराई गई।

ग्रामीण विकास

7.77 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2018 में प्रथम पुरस्कार और निर्धारित समय में खुले में शौच मुक्त संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

शिक्षा

7.78 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने संपूर्ण दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कवर करते हुए 93 केंद्रों पर प्रवेशोत्सव (शाला प्रवेश) का आयोजन किया। प्रवेशोत्सव में 3600 बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

शाला प्रवेशोत्सव, 2018

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.79 कक्षा III, V तथा VIII के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)-2017 दिनांक 13.11.2017 को आयोजित कराया गया। कक्षा III, V तथा VIII के कुल 10303 छात्रों ने एनएएस-2017 में भाग लिया। सभी तीनों कक्षाओं में संबंधित विषयों में संघ राज्य क्षेत्र के छात्रों का अध्ययन परिणाम स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। संघ राज्य

क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत एनएएस में दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का दूसरा स्थान है।

जल आपूर्ति

7.80 58.75 करोड़ रुपये की लागत से नरोली, समरवरनी, मासट हेतु जोन-I में दादरा और नगर हवेली जलापूर्ति व्यवस्था हेतु एकीकृत जल प्रबंधन योजना की परियोजनाएं, 10.00 करोड़ रुपये की लागत से कौंछा और जमलपदा तथा गुंसा और बिलधारी हेतु जलापूर्ति स्कीम और 24.93 करोड़ रुपये की लागत से समरवरनी पटेलाद, नरोली पटेलाद हेतु कनेक्शन को पूरा कर लिया गया है।

एकीकृत जल प्रबंधन प्लांट परियोजना

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

नई पहलें

7.81 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 20.04.2018 को दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया:

- "स्वाभिमान स्कीम", जिसका लक्ष्य उन गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है जिन्हें पूरक पोषण प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने में कठिनाई होती है। स्कीम के तहत, लाभार्थियों को मासिक किटों (जिसमें 7.5 कि.ग्रा. अन्न/फोर्टीफाइड तेल शामिल है) में टेक होम राशन (टीएचआर) उपलब्ध कराया जाएगा।

- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सिलवासा खेल परिसर का उद्घाटन। खेल परिसर में इंडोर खेलों, व्यायामशाला, तैराकी, टेबल टेनिस, बिलियडर्स, स्क्वैश कोर्ट, स्नूकर आदि सहित सभी मूलभूत खेल सुविधाएं मौजूद हैं। खेलों तथा स्वस्थ जीवन को अपनाने के लिए बच्चों तथा वयस्कों के बीच उत्साह पैदा करने के लिए परिसर का निर्माण शहर के मध्य में किया गया है।

- 15.59 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा-अमली एरिया टाउन हेतु सीवरेज सिस्टम स्कीम चरण-II का उद्घाटन। 37.61 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा नगर पालिका क्षेत्र के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र हेतु सिलवासा-अमली जलापूर्ति स्कीम का विस्तार।

- 54.73 करोड़ रुपये की लागत से कौंछा में दमनगंगा नदी पर हाई लेवल पुल का शिलान्यास।

मानानीय गृह मंत्री द्वारा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का दौरा

(स्रोत: यूटी प्रशासन)

7.82 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 19.01.2019 को दादरा और नगर हवेली का दौरा किया। दौरे के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने लगभग 865 करोड़ रुपये की लागत से दादरा और नगर हवेली में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अवसंरचना के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।

- "आरोग्यम सर्वदा" के अंतर्गत :-

  संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 150 मेडिकल सीटों की दाखिला क्षमता के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सायली क्षेत्र में 15 एकड़ भूमि आबंटित की है। यह कॉलेज दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और साथ ही साथ सटे हुए क्षेत्रों में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार करेगा। निर्माण हेतु कुल कवर क्षेत्रफल 85,793 वर्ग मी. है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेज, सिलवासा का शिलान्यास

(स्रोत: यूटी प्रशासन)

- उन नागरिकों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए जिन्होंने "आयुष्मान भारत स्कीम" के तहत लाभ उठाया।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्डों का वितरण

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- 79.00 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सस्ते आवासीय परिसर का शुभारंभ किया गया जिसमें 477 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

- 40.58 करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में स्तरोन्नत किए गए वासोना, पाटी, चिखाली, सिली, रंधा, वेलूगाम, सायली, अथल तथा धापसा स्थित 9 उप-केंद्रों और स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में स्तरोन्नत किए गए किलवानी, मासत तथा दापदा स्थित 3 पीएचसी का उद्‌घाटन।

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत मध्याह्न भोजन हेतु 18.60 करोड़ रुपये की लागत से अथालिन में 12,955 वर्ग मी. बिल्ट अप क्षेत्रफल वाले केंद्रीकृत रसोईघर की परियोजना शुरू की गई, जो 280 स्कूलों के 35,000 छात्रों की जरूरत को पूरा करेगी।

- 270 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में 'गुणोत्सव' कार्यक्रम आयोजित किया गया। 417 मूल्यांकनकर्ताओं, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, द्वारा कुल 30,000 छात्रों का मूल्यांकन किया गया।

- श्रीमती मागी चानूबेन को स्वच्छग्राही के रूप में उनके योगदान तथा उनके गांव अंबोली को खुले में शौच से मुक्त बनाने में मदद के लिए दिनांक 12.02.2019 को कुरुक्षेत्र, हरियाणा में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए "स्वच्छ शक्ति पुरस्कार" प्रदान किया गया।

"स्वच्छ शक्ति पुरस्कार" की झलक

(स्रोत: यूटी प्रशासन)

अंडमान और निकोबार द्वीपसूह

7.83 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी द्वीपसमूह-मंडल प्रणाली है जिसमें लगभग 836 द्वीप, पहाड़ियां तथा टापू हैं और उनमें से केवल 31 द्वीप बसावट वाले हैं। द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. तथा चेन्नई से 1190 किमी. दूर स्थित है। उक्त द्वीप "ब्लैक वॉटर प्रिजन" अथवा "काला पानी" के नाम से कुख्यात थे। मूल रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आदिम जनजातियों का निवास स्थान रहे हैं। आदिम जनजातियों के हितों का संरक्षण करने तथा भौगोलक क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से तथा विशेष रूप से केवल यही जनजातियां निवास करती हैं, को आरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 प्रख्यापित किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छः अनुसूचित जनजातियां हैं यथा ग्रेट अंडमानीज, ओंगस, जार्वास, सेंटीनेलीज, शोम्पेंस तथा निकोबारीज। निकोबारीज को छोड़कर अन्य जनजातियों को विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में वर्गीकृत किया गया है।

पोत परिवहन

7.84 पोत परिवहन, द्वीपवासियों की जीवन-रेखा है। नौवहन बेड़े में सुधार करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 25 जहाजों के अधिग्रहण की योजना बनाई है। जनवरी तथा मई, 2018 के दौरान 27.64 करोड़ रुपये की लागत से चार 150 यात्री वाले हार्बर क्राफ्ट पहले ही सेवा में शामिल कर लिए गए हैं। चार प्रमुख जलयान अर्थात इंटर-आइलैंड हेतु दो 500 यात्री वाले जलयान तथा मेनलैंड-आइलैंड हेतु दो 1200 यात्री वाले जलयान मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन हैं। 1200 यात्री वाले जलयानों की क्रमशः सितम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में आपूर्ति होने तथा 500 यात्री वाले जलयानों की क्रमशः जुलाई और दिसम्बर, 2019 में आपूर्ति होने की संभावना है। समुद्री डाक यार्ड के विस्तार/आधुनिकीकरण, मानवशक्ति के कौशल विकास तथा प्रमुख जलयानों (3 मेनलैंड तथा 6 इंटर-आइलैंड) की मरम्मत हेतु कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 96.24 करोड़ रुपये की लागत से पोर्ट ब्लेयर में मौजूदा ड्राई डॉक का 90 मीटर विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है।

7.85 बंदरगाह अवसंरचना में, 17.21 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में अफरा खाड़ी में व्हीकल फैरी रैंप सहित एक आरसीसी जेट्टी का निर्माण किया गया है। दक्षिणी अंडमान के होपटाउन व्हार्फ का 60 मीटर विस्तार तथा शहीद द्वीप में अतिरिक्त एप्रोच जेट्टी, बर्थिंग जेट्टी और जेट्टी की ड्रेजिंग का कार्य प्रगति पर है।

अफरा खाड़ी जेट्टी

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

परिवहन

7.86 राज्य परिवहन सेवा (एसटीएस) 154 मार्गों पर 284 बसों के बेड़े का संचालन करती है। दिन के कार्य के लिए उत्तरी तथा मिडिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर जाने तथा उसी दिन वापस लौटने वाले द्वीपवासियों की सुविधा के लिए पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर, मायाबंदर तथा निंबुताला (एटीआर) को जोड़ने वाली रात्रि बस सेवा दिनांक 29.10.2018 से शुरू की गई है।

बिजली

7.87 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 124.47 मेगावाट की संस्थापित क्षमता तथा 60 मेगावाट की व्यस्ततम कालीन अधिक मांग को पूरा करने के लिए 334.57 मेगा यूनिट (एमयू) वार्षिक उत्पादन के साथ सभी प्रमुख द्वीपों के लगभग 1,34,791 उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है। संस्थापित क्षमता का मात्र 13.92% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों से है, जिसमें 5.25 मेगावाट क्षमता के छोटे हाइड्रो संयंत्र तथा 12.077 एमडब्ल्यूपी क्षमता के सौर पीवी संयंत्र शामिल हैं तथा नवीकरणीय ऊर्जा का यूनिट हिस्सा 7.38% है। न्येवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसी) 8 एमडब्लयूएच की बैटरी स्टोरेज के साथ 20 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है, जिसे अक्तूबर-नवम्बर, 2019 तक चालू किया जाना है, जिसमें से 2.5 एमडब्ल्यूपी को पहले ही दिनांक 30.12.2018 को चालू कर दिया गया है तथा सरकारी भवनों में 4 एमडब्ल्यूपी क्षमता का रूफटॉप सोलर संस्थापित किया गया है तथा इसे दिनांक 30.12.2018 को चालू कर दिया गया है। मेघाच्छादित/बरसाती मौसम के दौरान बैकअप के रूप में ग्रिड की स्टेबिलिटी को संतुलित करने के लिए दक्षिण अंडमान में 50 मेगावाट एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र तथा फ्लोटिंग स्टोरेज री-गैसीफिकेशन यूनिट की संस्थापना के लिए दिनांक 26.10.2018 को एनटीपीसी के साथ विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

स्वास्थ्य

7.88 सु-विकसित सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से सभी द्वीपों में निःशुल्क उपचारात्मक, निरोधात्मक, पुनर्वास तथा सहायक स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध करायी जाती है। दो शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र में परिवर्तित किया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र में "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" को दिनांक 23.09.2018 को शुरू किया गया था। 21000 लाभार्थियों को संघ राज्य क्षेत्र की अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अलावा द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल भर्ती के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक कैशलेस कवरेज मिलेगा।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ

(स्रोत: यूटी प्रशासन)

7.89 दिनांक 10.10.2018 को जी.बी. पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर के परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू किया गया जिसका उद्देश्य इस केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ते दाम पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है।

शिक्षा

7.90 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 462 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 45 पूर्व-प्राथमिक स्कूलों सहित 121 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू तथा बंगाली है। द्वीपसमूह में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विधि कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज तथा 4 डिग्री कॉलेज और 2 डिप्लोमा पॉलीटेक्निक हैं। 7 स्कूलों ने कक्षा 12 में तथा 16 स्कूलों ने कक्षा 10 में 100% परिणाम हासिल किया है 16 स्मार्ट क्लास रूम तैयार किए गए हैं तथा चरण-2 में 125 की योजना बनाई गई है। शैक्षिक सत्र 2018-19 में दक्षिणी अंडमान में एक नवोदय विद्यालय तथा डिगलीपुर में 1 डिप्लोमा पॉलीटेक्निक शुरू किया गया है।

कृषि

7.91 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 47000 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कृषि के लिए हो रहा है जिसमें से 70% प्लांटेशन, मसालों, बागवानी फसलों के अंतर्गत तथा शेष खेत की फसल के अंतर्गत है। द्वीपसमूह में फसल वर्षा पर निर्भर करती है। चूंकि क्षेत्र का और विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हाई वैल्यू और लो वाल्यूम कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। किसानों को छूट पर कृषि इनपुट उपलब्ध कराए जाते हैं। 5902 के लक्ष्य की तुलना में 6400 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। 68 आर्गेनिक कृषि क्लस्टर बनाए गए हैं। दिसम्बर से अप्रैल के दौरान पानी की कमी होती है तथा इसका समाधान करने के लिए लघु सिंचाई स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत जल संचयन ढांचे का निर्माण करने के लिए 67 किसानों को चुना गया है।

पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं

7.92 01 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, 09 पशु चिकित्सा अस्पतालों, 12 पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों, 49 पशु चिकित्सा उप डिस्पेंसरियों तथा 15 मोबाइल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों के नेटवर्क के माध्यम से पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। डिगलीपुर में पशु चिकित्सा अस्पताल का आधुनिकीकरण किया गया है। सीतानगर में 100 चूजा क्षमता ब्रूडर शेड तथा कटचल में पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया है।

पर्यटन

7.93 पिछले तीन वर्षों के दौरान द्वीपसमूह में पर्यटकों के आगमन में 61% की वृद्धि हुई है। तथापि, विदेशी पर्यटकों का आगमन स्थिर था। विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट में छूट दी गई है। नीति आयोग द्वारा लांग द्वीप, स्मिथ द्वीप, एवस द्वीप तथा शहीद द्वीप में चार पीपीपी परियोजनाओं की पहचान शुरू करने के लिए तैयार परियोजनाओं के रूप में की गई है।

तटीय सुरक्षा तथा पुलिस

7.94 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों की कुल तटवर्ती सीमा 1962 किमी. है, जो कि भारत की कुल तटवर्ती सीमा की लगभग एक चौथाई है। अंडमान और निकोबार द्वीप-मंडल बंगाल की खाड़ी में भारत की मुख्यभूमि के पूर्व में 1200 किमी. की दूरी पर अवस्थित है और स्थानिक रूप से बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया के नजदीक है। उत्तर में लैंडफाल आईलैंड, म्यांमार के कोको आईलैंड से केवल 40 किमी. की दूरी पर है तथा दक्षिण में ग्रेट निकोबार आईलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से 150 किमी. की दूरी पर है। इन द्वीपसमूहों में पूर्वी किनारे पर झब्बेदार मूंगा जल-शैल तथा पश्चिमी किनारे पर बैरियर जल-शैल हैं, जो समृद्ध समुद्री दौलत से भरपूर हैं और यह पड़ोसी दक्षिण-पूर्व एशियाई

देशों से आने वाले विदेशी मत्स्यन जलयानों और शिकारियों के लिए एक बड़े आकर्षण का स्रोत हैं।

7.95 भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक समुद्री फ्रंटियरों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तथापि, संकरी खाड़ियों, बैकवाटर्स तथा बेसलाइन तक के कोस्टल वाटर्स की पुलिस व्यवस्था का दायित्व पुलिस के पास होता है क्योंकि, तटरक्षक तथा नौसेना के बड़े आकार वाले जलयान उथले सागरों और संकरी खाड़ियों में गश्त नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की तटीय सुरक्षा योजना चरण-।। के अंतर्गत 20 चार पहिया वाले तथा 20 दो पहिया वाले वाहन खरीदे गए हैं और गश्त के लिए विभिन्न तटीय पुलिस स्टेशनों में तैनात किए गए हैं। कदमतला में सामुद्रिक पुलिस संचालन केंद्र (एमपीओसी) को क्रियाशील बनाया गया है तथा शेष 9 एमपीओसी स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

पुलिस

7.96 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 24 पुलिस थाने, 22 सीमा चौकियां, 12 जारवा संरक्षण चौकियां, 07 लुक आउट चौकियां, 24 अग्निशमन स्टेशन, 27 पुलिस रेडियो स्टेशन हैं।

7.97 कक्षा VIII से XI के छात्रों में कानून के प्रति आदर, अनुशासन, सिविक समझ, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति तथा सामाजिक बुराइयों/असामाजिक तत्वों के प्रतिरोध की भावना पैदा करके उन्हें हमारे लोकतांत्रिक समाज में भविष्य के नेताओं के रूप में तैयार करने के लिए एक स्कूल आधारित प्रशिक्षण पहल "छात्र पुलिस कैडेट परियोजना" शुरू की गई।

वन

7.98 इस संघ राज्य क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी. है जिसमें से 86.93% वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है। उष्णकटिबंधीय वन के पुनरूद्धार के तहत उद्धार अभियान के प्रथम वर्ष हेतु 2418 हेक्टेयर तथा उद्धार अभियान के दूसरे से चौथे वर्ष के लिए 3041 हेक्टेयर के लक्ष्य को हासिल किया गया।

मत्स्यन

7.99 लगभग 1,962 किमी. की तटीय लम्बाई और लगभग 35,000 वर्ग किमी. के महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्यन की अपार संभावनाएं हैं। 6,00,000 वर्ग किमी. के एक्सक्लूसिव इकॉनमिक जोन (ईईजेड) में लगभग 1.48 लाख मीट्रिक टन दोहन योग्य मत्स्य संसाधन उपलब्ध हैं।

7.100 वर्ष 2018-19 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल मत्स्य उत्पादन 41185 मीट्रिक टन है, जिसमें समुद्री क्षेत्र का योगदान 40945 मीट्रिक टन तथा अंतर्देशीय क्षेत्र का योगदान 240 मीट्रिक टन है। आजीविका के लिए एक विकल्प के रूप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मेजर कार्प्स (आईएमसी) तथा सिल्वर कार्प्स के 17.07 लाख सीड तैयार किए गए तथा मुख्य भूमि से 4.69 लाख आईएमसी सीड प्राप्त किए गए और 2614 मत्स्य पालकों में वितरित किए गए।

7.101 मछली उत्पादन को बढ़ाने तथा साफ-सुथरी दशा में संगठित मछली पकड़ने/फिश लैंडिंग की सुविधा के लिए प्रमुख फोकस सामुद्रिक मत्स्यन अवसंरचना के विकास यथा, फिश लैंडिंग केंद्रों पर है। टी टॉप, कार निकोबार में 19 फिश लैंडिंग केंद्र शुरू करने के लक्ष्य की तुलना में कुल 8 फिश लैंडिंग केंद्र क्रियाशील हैं। शेष 11 पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। जुंगलीघाट में एक आधुनिक मछली बाजार को भी क्रियाशील बनाया गया है।

उद्योग

7.102 मुख्य भूमि से दूरी तथा नाजुक पारिस्थितिकी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छूट तथा कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। उद्योग विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों में पूरे द्वीपसमूह से 170 व्यक्तियों को व्यवसायों यथा बेंत तथा बांस, बढ़ईगिरी, सामान्य इंजीनियरिंग, सिलाई तथा पोशाक निर्माण और कॉयर उत्पाद में एक वर्ष का प्रशिक्षण

प्रदान किया गया तथा 79 व्यक्तियों को वेस्ट पेट बॉटल आर्ट और डिजाइनिंग तथा खाद्य प्रसंस्करण में अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 6 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में 123 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

7.103 "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" के तहत 64.36 लाख रुपये की मार्जिन मनी/छूट के साथ 2.14 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 113 रोजगार अवसर सृजित करने वाली 102 इकाइयों को अनुशंसित किया गया है।

7.104 ग्रामीण विकास

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने दिनांक 31.01.2018 को खुले में शौच से मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। अब सॉलिड तथा लिक्विड अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ+ तथा ओडीएफ++ पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, संस्वीकृत किए गए 62 सामुदायिक सैनीटरी परिसरों में से 51 को पूरा कर लिया गया है। इस पर 15.20 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए): वर्ष 2018-19 (दिनांक 31.03.2019 तक) के दौरान परिवारों को 310 जॉब कार्ड जारी किए गए। 215754 व्यक्ति-दिवस सृजित किए गए, जिसमें से 144333 महिलाओं द्वारा और 16768 अ.ज.जा. द्वारा थे।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई- एनआरएलएम): वर्ष 2018-19 (दिनांक 31.03.2019 तक) के दौरान, 335 स्वयं सहायता समूह तथा 25 ग्रामीण संगठन बनाए गए। कुल 1.53 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

सामाजिक कल्याण

7.105 पूरे द्वीपसमूह में 5 आईसीडीएस परियोजनाओं, 689 आंगनवाड़ी केंद्रों और 31 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) के 13,530 लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की गईं। आईसीडीएस परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम (पीएमएमवीवाइ) के अंतर्गत 3158 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। 19 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाली गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, पहले जीवित जन्म के लिए तीन किस्तों में 5000 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 2957 लाभार्थियों को प्रोत्साहन की पहली किस्त, 2756 लाभार्थियों को दूसरी किस्त तथा 1883 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई है। सात आंगनवाड़ियां बनाई गई हैं तथा 36 का कार्य प्रगति पर है।

7.106 निकोबार जिले में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 25.00 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई है। जिले में स्कूली छात्रों के लिए कैरियर परामर्श तथा शिक्षा के महत्व पर संक्षिप्त बातचीत का आयोजन किया जाता है।

7.107 संघ राज्य क्षेत्र सेक्टर के तहत, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को 2500 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान 7584 विधवाएं तथा बेसहारा महिलाएं, 3719 दिव्यांग और 14433 वरिष्ठ नागरिक इन स्कीमों से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 1273 अनुसूचित जनजाति के हैं।

7.108 तनाव तथा परेशानी में पड़ी महिलाओं के राहत तथा पुनर्वास के लिए वेलनेस कम वन स्टॉप केंद्र की स्थापना की गई है। उत्तरी तथा मध्य जिले हेतु मायाबंदर में तथा निकोबार जिले हेतु कार निकोबार में नए वन स्टाफ केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोबाइल फोन से कॉल सुविधा के साथ महिला हेल्पलाइन 181 को सर्वसुलभ बनाया गया।

जनजातीय कल्याण

7.109 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छः आदिम जनजातियां निवास करती हैं जिनकी जनसंख्या 28530 (जनगणना 2011) है, जिसमें से 988 "विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह" से हैं। निकोबारी जनजातियों को छोड़कर बाकी जनजातियां शिकारी तथा संग्रहकर्ता हैं। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जनजातीय उप-योजना तैयार और कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2018-19 में जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए 449.37 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं के संरक्षण में अनुसंधान किया जा रहा है। ग्रेट अंडमानीज, ओंगीज तथा शोंपेंस को निःशुल्क राशन तथा कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। अंडमानी महिलाओं के सात समूहों (प्रत्येक समूह में तीन महिलाएं) को जीविका के लिए 07 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई थीं। जारवाज, अंडमानीज तथा ओंग्स के निवास स्थानों में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में जनजाति की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उच्चतर अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के 301 छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पुदुचेरी

7.110 पुदुचेरी विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं जो भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से पृथक हैं।

अर्थव्यवस्था

7.111 नए आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2017-18 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का त्वरित अनुमान वर्तमान कीमतों पर 32,215.20 करोड़ रुपये है। यह विगत वर्ष (2016-17) के 29,239.89 करोड़ रुपये (अनंतिम) के जीएसडीपी से तुलना करने पर जीएसडीपी में 10.18% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

7.112 वर्ष 2017-18 के लिए पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय का त्वरित अनुमान वर्तमान कीमतों पर 1,97,999 रुपये अनुमानित है। यह विगत वर्ष (2016-17) के 1,84,869 रुपये के अनंतिम आंकड़े से तुलना करने पर 7.10% की वृद्धि दर को दर्शाता है। नए आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2018-19 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान वर्तमान कीमतों पर 35,859.41 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें विगत वर्ष (2017-18) के 32,215.20 करोड़ रुपये के जीएसडीपी त्वरित अनुमानों की तुलना में 11.31% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 के लिए पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान वर्तमान कीमतों पर 2,12,922 रुपये अनुमानित है। यह विगत वर्ष (2017-18) के 1,97,999 रुपये के अनुमान की तुलना में 7.54% की वृद्धि को दर्शाता है।

पुदुचेरी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनओं की स्थिति निम्नानुसार है:

कृषि

7.113 सरकार कृषि संबंधी मशीनरी तथा औजारों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। पॉवर टिलर खरीदने के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली 50% सब्सिडी को बढ़ाकर अधिकतम 75,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 1,00,000 रुपये कर दिया गया है।

7.114 छत पर बागवानी तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा शहरी क्षेत्रों में आम जनता को 75% सब्सिडी की दर से 3000 रुपये प्रति किट मूल्य की एक कल्टीवेशन किट वितरित की गई। खेती करने वाली महिलाओं, आम जनता तथा स्वयं-सहायता समूहों को लगभग 1000 सब्जी बीज किटें वितरित की गईं। सब्जी की फसलों हेतु 336 किसानों को 11.04 लाख रुपये की बैक एंडेड सब्सिडी शुरू की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) परियोजना के तहत, करायमपुथुर में कमोडिटी इंट्रेस्ट ग्रुप (सीआईजी) के बीस सदस्यों को 50% की सब्सिडी के साथ 17.61 लाख रुपये की लागत पर कंबाइंड हार्वेस्टर वितरित किए

गए। इसी प्रकार, कोर्काडू तथा एम्बलम में सीआईजी के बीस सदस्यों को 50% सब्सिडी की दर से 23.90 लाख रुपये प्रत्येक के मूल्य वाले दो कंबाइंड हार्वेस्टर वितरित किए गए।

7.115 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने पुदुचेरी, कराईकल और यानम क्षेत्रों में रिटेल उर्वरक इकाइयों में 97 ई-प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) डिवाइस लगाकर 100% उपलब्धि हासिल की है।

विद्युत

7.116 केंद्रीय स्कीम यथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत 100% उपलब्धि हासिल की गई, जिसमें 597 घरों को 5.97 लाख रुपये की बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई गई। "उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लो एमिशन डायोड फॉर ऑल"(उजाला) स्कीम के तहत 15.25 लाख रुपये मूल्य के 30,500 एलईडी बल्ब वितरित किए गए।

7.117 1.2 करोड़ रुपये की लागत से 220 वी 315 केवीए के 15 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, 19.55 लाख रुपये की लागत से 11 केवी 630 केवीए के 2 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तथा 0.84 लाख रुपये की लागत से एक पिलर बॉक्स संस्थापित किया गया है। इसके अलावा, "रीस्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पॉवर डेवलपमेंट रिफार्म्स प्रोग्राम(आर-एपीडीआरपी)" स्कीम के तहत 25.25 लाख रुपये की लागत से 10,000 एलटी वैज कनेक्टर तथा 2.86 लाख रुपये की लागत से 200 एचटी वैज कनेक्टर उपलब्ध कराए गए हैं।

7.118 7000 घरेलू सेवाओं, 684 वाणिज्यिक सेवाओं, 26 कृषि सेवाओं, 5 नई एचटी औद्योगिक सेवाओं, 17 एलटी औद्योगिक सेवाओं तथा 291 स्ट्रीट लाइटों को बिजली प्रदान की गई। 11.65 करोड़ रुपये की लागत से निष्पादन एजेंसी मैसर्स पॉवरग्रिड कॉरपोरेशन के माध्यम से थोंडामानाथम, पुदुचेरी में दो 110/22 केवी, 25 एमवीए पॉवर ट्रांसफार्मरों तथा एसोसिएटेड बेज तथा उपस्करों सहित आठ आउटगोइंग फीडरों के साथ 110/22 केवी उप-स्टेशन की संस्थापना को पूरा किया गया तथा दिनांक 06.03.2019 को तकनीकी रूप से चालू किया गया।

मत्स्य-पालन

7.119 61 दिन की बैन अवधि के दौरान पुदुचेरी, कराईकल तथा यानम क्षेत्र में 20810 परिवारों को 11.44 करोड़ रुपये की बैन राहत सहायता उपलब्ध कराई गई तथा 52 दिन बैन की अवधि के दौरान माहे क्षेत्र में 640 परिवारों को 30.02 लाख रुपये वितरित किए गए। 6894 मछुआरों को 710.86 लाख रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई।

7.120 वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान पंजीकृत यांत्रिक बोट ऑपरेटरों द्वारा उनकी बोटों का बीमा कराने के लिए चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के लिए 10.42 लाख रुपये की 75% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई। "सेविंग-कम-रिलीफ फंड" स्कीम के तहत यानम क्षेत्र के 3358 सक्रिय मछुआरा लाभार्थियों को 1800 रुपये प्रत्येक की दर से 60.44 लाख रुपये की निधियां प्रदान की गईं।

7.121 भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए 15067 लाभार्थियों को शामिल करते हुए अगस्त, 2018 माह के दौरान "मछुआरों हेतु सेविंग-कम-रिलीफ" स्कीम के तहत 4.52 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की है। इसके अलावा, भारत सरकार ने "मोटराइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड सेफ्टी ऑफ फिशरमेन एट सी" स्कीम के तहत वर्ष 2018-19 के लिए सितम्बर, 2018 माह के दौरान 59.33 लाख रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी जारी की है।

स्वास्थ्य

7.122 पुदुचेरी कैंसर ट्रस्ट अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। कैंसर के 31 मरीजों ने हाई एंड रेडियोथेरैपी तथा कीमोथेरैपी मेडिकल ट्रीटमेंट का सुविधा ली। अगस्त, 2018 के दौरान मनाए गए राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह के दौरान ब्रेस्ट मिल्क दान करने पर बल दिया गया। आवधिक स्टिल बर्थ ऑडिट तथा सिजेरियन ऑडिट शुरू किया गया है तथा ये मासिक आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। इन उपायों ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने में मदद की है।

पत्तन

7.123 कंटेनर हैंडलिंग ऑपरेशन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सागरमाला स्कीम के तहत कैपिटल ड्रेजिंग कार्य के पूरा होने के पश्चात, नियमित पत्तन संचालन शुरू हो जाएगा। पांडिचेरी पत्तन ने राष्ट्रीय सामुद्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) द्वारा क्रियान्वित पांडिचेरी बीच रेस्टोरेशन परियोजना को ड्रेज की गई रेत की आपूर्ति की। कराईकल पत्तन पर, पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार कनवेयर सिस्टम द्वारा कोयला ले जाने का यांत्रिकीकरण पूरा किया गया।

लोक निर्माण कार्य

7.124 22.00 करोड़ रुपये की लागत से पेरूनथलाईवर कामराजर मणिमंडप्पम कॉम्प्लेक्स, कारूवादिकुप्पम, पुदुचेरी का निर्माण प्रगति पर है।

7.125 हुडको ऋण सहायता प्राप्त करके 49.46 करोड़ रुपये की लागत से कराईकल जिले के मुख्य शहरी क्षेत्र (केंद्रीय जोन) हेतु व्यापक जलापूर्ति स्कीम प्रगति पर है।

7.126 10.58 करोड़ रुपये की लागत से थिरूनल्लार कम्यून में नल्लमबल से वालथामंगलम ग्राम को जाने वाली सड़क का सुधार कार्य दिनांक 17.04.2018 को पूरा किया गया। साथ ही 10.58 करोड़ रुपये की लागत से कराईकल क्षेत्र में मौजूदा कैरीज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण सहित पेव्ड शोलडर्स का निर्माण दिनांक 30.06.2018 को पूरा किया गया।

7.127 6.86 करोड़ रुपये की लागत से कराईकल में निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र सहित संयुक्त न्यायालय परिसर का निर्माण प्रगति पर है।

7.128 नाबार्ड से ऋण लेकर 5.40 करोड़ रुपये की लागत से कराईकल जलापूर्ति स्कीम के विस्तार के अंतर्गत अरासालर नदी में पांच मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की जल शोधन क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का निर्माण प्रगति पर है।

7.129 ग्रामीण विकास

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 11.07 करोड़ रुपये के खर्च पर 8,927 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। स्कीम की शुरूआत से अब तक 21,007 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए):** वर्ष 2018-19 के दौरान, घरों को 68,000 जॉब कार्ड जारी किए गए। 6,64,000 व्यक्ति-दिवस का कार्य सृजित किया गया, जिसमें से 5,81,996 (87.65%) व्यक्ति-दिवस महिलाओं द्वारा थे।

स्कूल शिक्षा

7.130 1,04,055 छात्रों को पाठ्यपुस्तकों, नोटबुकों तथा वर्दियों का निःशुल्क वितरण किया गया। सभी स्कूली छात्रों को 1 रुपये की रियायती दर पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

7.131 सूचना संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करने, ऑनलाइन ई-सामग्री सुलभ कराने तथा ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से डाटा उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षण को इंटरऐक्टिव तथा खुशनुमा बनाने के लिए, छियानवे स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए गए हैं तथा शिक्षकों हेतु सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

7.132 स्कूलों में साफ-सुथरे वातावरण के लिए स्वच्छ विद्यालय पर विशेष बल दिया जाता है। पुदुचेरी सरकार को सर्वाधिक संख्या में राष्ट्र-स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए देश के राज्यों में पहली रैंक मिली है तथा कराईकल जिले को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर जिलों में तीसरी रैंक मिली है।

पर्यटन

7.133 थिरूनालर मंदिर टाउन विकास परियोजना के तहत, 5.93 करोड़ रुपये की लागत से पचास कमरों के साथ आवासीय सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7.134 स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, 7.77 करोड़ रुपये की लागत से आध्यात्मिक पार्क का विकास, 2.31 करोड़

रुपये की लागत से थिरूनालर में पवित्र तालाब का विकास, 2.89 करोड़ रुपये की लागत से श्री बद्रा कलिअम्मन मंदिर, अंबागराथुर का विकास तथा 2.78 करोड़ रुपये की लागत से श्री जादेयुपरीश्वरर, टी.आर. पट्टिनम का विकास शुरू किया गया है। इसके अलावा, यानम क्षेत्र में द्वीप संख्या 3 में 4.87 करोड़ रुपये की लागत से तथा द्वीप संख्या 5 में 4.01 करोड़ रुपये की लागत से लकड़ी के वॉकवे और पर्यटक सुविधाओं (चरण-3) का विकास कार्य शुरू किया गया है। पुदुचेरी में विरासत संरचना के जीर्णोद्धार, संरक्षण और रोशनी सहित विरासत क्षेत्र का विकास कार्य भी शुरू किया गया है।

नगर एवं ग्राम योजना

7.135 गंदी बस्ती उत्थान कार्यक्रम के तहत, चिन्नयापुरम (वाजिकुलम) पुदुचेरी में बहु-मंजिला छोटे घरों के छह ब्लॉकों में 96 छोटे घरों का निर्माण किया गया है।

चिन्नयापुरम, पुदुचेरी में 6 ब्लॉकों में 96 आवासीय इकाइयों का निर्माण

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.136 प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम (लाभार्थी आधारित निर्माण घटक) के तहत 1404 लाभार्थियों को 70,000 रुपये प्रति लाभार्थी की वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी की गई।

महिला तथा बाल विकास

7.137 6000 रुपये प्रत्येक की दर से 1663 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 99.78 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, इस बात के शर्ताधीन कि माता-पिता परिवार नियोजन को अपनाएंगे, "एक अथवा दो बालिका वाले परिवार के लिए प्रोत्साहन" की स्कीम के तहत 10,000 रुपये प्रत्येक की दर से पांच सौ बालिकाओं के नाम पर 50 लाख रुपये की राशि जमा की गई।

7.138 पूरक पोषण प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम से 28,574 बच्चे और 9,320 माताएं लाभान्वित हुई तथा इस स्कीम हेतु 26.87 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

7.139 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से आईसीडीएस परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम (पीएमएमवीवाई) स्कीम कार्यान्वित की जाती है। 3884 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किस्तों में 5000 रू. का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

7.140 प्रत्येक लाभार्थी को बारह महीने के लिए 1,500 रुपये वजीफे के साथ अनुसूचित जाति की 46 महिला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलाई कक्षाएं प्रदान की गईं।

7.141 अनुसूचित जाति के ऐसे सत्रह छात्रों को 76.06 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई, जिनका एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए चयन हुआ था।

लक्षद्वीप

7.142 लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीपसमूह और चट्टानों से युक्त एक द्वीप पुंज है, जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। कुल 32 वर्ग कि.मी. के भू-क्षेत्रफल वाले ये खूबसूरत और अप्रदूषित द्वीपसमूह लगभग 4,200 वर्ग कि.मी. प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं। कुल 36 द्वीप (3 चट्टानें और 6 जलमग्न रेतीले तट) हैं, जिनमें से 10 बसावट वाले हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार 64,429 की कुल जनसंख्या के साथ ये केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 कि.मी. की दूरी तक अरब सागर में फैले हुए हैं। समस्त देशी आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कॉयर की रस्सियां बनाना है। इन द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और द्वीपों में भ्रमण करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुमति अपेक्षित होती है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती है। वर्ष 2018-2019 के दौरान प्रशासन की उपलब्धियों, गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

परिवहन/सेवा क्षेत्र

बंदरगाह

7.143 जहाजरानी मंत्रालय ने प्रत्येक जलयान में 2000 सिलेंडरों की क्षमता वाले 3 एलपीजी सिलेंडर कैरियर जलयानों के लिए मंजूरी दी है। तीन (3) एलपीजी सिलेंडर कैरियर जहाजों की प्राप्ति के लिए तकनीकी निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात, वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित की गईं तथा दिनांक 28.03.2019 को खोली गईं। सचिव (जहाजरानी), जहाजरानी मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) ने दिनांक 23.10.2018 को वैश्विक निविदा के माध्यम से क्रमशः 304.50 करोड़ रुपये और 123.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक 500 पैसेंजर वाले ऑल वेदर जहाज तथा 600 मीट्रिक टन क्षमता के तीन (3) बहुउद्देशीय कार्गो जलयान प्राप्त करने की मंजूरी प्रदान की है।

सेवा क्षेत्र

बिजली

7.144 भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से लक्षद्वीप में स्मार्ट मीटर परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

आयोजना, सांख्यिकी और कराधान

7.145 पांच द्वीपों यथा कलपेनी, कदमत, अंद्रोथ, अगाती और किल्तन में पांच ग्रामीण मूल्य संग्रह केंद्रों की शुरुआत के लिए स्वीकृति दी गई है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

कृषि

7.146 प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए 13331 लाभार्थी किसानों को 1.33 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। चक्रवात ओखी के कारण क्षतिग्रस्त पेड़ों को काटने और हटाने के लिए 2034 लाभार्थियों को नारियल के बगीचों में दोबारा से पौधे लगाने और उनका कायाकल्प करने के कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

पशुपालन

7.147 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मुर्गी पालन, बकरी तथा मवेशी विकास कार्यक्रम के तहत मुर्गी पालन/बकरी/मवेशी शेड की स्थापना, बड़ी डेयरी इकाइयां स्थापित करने, दूध देने वाली गायों/बकरियों की खरीद, मुर्गी पालन फार्म के लिए चारा, उपकरणों आदि के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासन सरकारी हैचरियों के लिए हैचिंग अंडे खरीदता है तथा किसानों को चूजे (चूजे, बत्तख, बटेर आदि) वितरित करता है, किसानों को रियायती दर पर मुर्गियों/मवेशियों के चारे की आपूर्ति करता है तथा उपचार और टीकाकरण भी उपलब्ध कराता है। अतिरिक्त चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कावारत्ती में चारा मिक्सिंग यूनिट कार्य कर रही है। दुधारू पशुओं और किसानों को बीमा कवरेज के लिए प्रावधान, स्कूली छात्रों के लिए पढ़ते हुए कमाएँ कार्यक्रम, बेरोजगार युवाओं/महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम और पशु चिकित्सकों/परा पशु चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

मत्स्य-पालन

7.148 प्रशासन ताजी मछलियों को मुख्य भूमि पर ले जाने के लिए बड़े प्रकार के संग्रहण जहाजों की सुविधा देकर और द्वीपों में हाइजेनिक मछली बाजार की स्थापना करके ताजी मछली के विपणन को बढ़ावा दे रहा है। मत्स्य पालन विभाग ने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद के साथ मिलकर "ओशन स्टेट फोरकास्ट (आएसएफ) और मरीन फिशरी एडवाइजरी सर्विसेज (एमएफएएस)" नामक परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव किया है। इससे अधिक मछली पकड़ना संभव करने के लिए संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र को पहचानने में मदद मिलेगी। कलपेनी द्वीप में एक भव्य संघ राज्य स्तरीय मत्स्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया।

7.149 प्रशासन अब बड़े पैमाने पर "सी वीड" की खेती की संभावनाओं का पता लगाने, जिसकी लक्षद्वीप के जलक्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और द्वीपों में एक प्रदर्शन इकाई स्थापित करने की दिशा में है। इसके अलावा, द्वीपों के समग्र विकास के भाग के रूप में, अगाती में एक इको फ्रेंडली आइस प्लांट तथा कदमत, कलपेनी और मिनिकॉय में एक-एक मॉडर्न मरीन एक्वेरियम और म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव है।

उद्योग

7.150 प्रशासन ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहायता-अनुदान के रूप में 76.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। इसी तरह, उद्यमी विकास कार्यक्रम के तहत द्वीपों में छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और मानव संसाधन विकास योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों में कौशल विकास के लिए जिला पंचायत, कावारत्ती को 8.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

7.151 प्रशासन ने कावारत्ती में 28 बेरोजगार युवकों को हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रदान किया है तथा कावारत्ती और कलपेनी में 47 बेरोजगार युवकों को कॉयर ज्वैलरी प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रशासन ने कॉयर बोर्ड के सहयोग से "वैल्यू एडेड प्रोडक्ट"(वीएपी) के तहत अंद्रोथ, अमीनी और कलपेनी में 40 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया और महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) के तहत अगाती और कलपेनी में 30 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया।

पर्यावरण और वन

7.152 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक साथ मिलकर वर्ष 2015 से 2025 के लिए दीर्घ-कालिक कोरल रीफ मॉनीटरिंग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रशासन ने अक्टूबर 2018 माह के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तकनीकी समर्थन से बंगाराम द्वीप में स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स (एसटीएपीसीओआर-2018) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस आयोजन के परिणामस्वरूप, प्रशासन ने भारतीय और साथ ही वैश्विक परिदृश्य में लक्षद्वीप एटोल्स के महत्व के अनुरूप, लक्षद्वीप द्वीपसमूह में अंतरराष्ट्रीय मानकों के एक एटोल रिसर्च सेंटर को विकसित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष रूप से एटॉल कोरल रीफ्स के विषय के लिए लक्षद्वीप में 'पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)' केंद्र को मंजूरी दी है।

7.153 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना नियमों में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार, प्रशासन ने सामाजिक प्रभाव का आकलन सुनिश्चित करने के लिए "सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति सोसायटी (एसआईएसीएस)" की स्थापना की थी, जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को संक्षिप्त कर देगी।

स्वास्थ्य तथा स्वच्छता

7.154 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ने प्लास्टिक के उपयोग को बदलने के लिए लक्षद्वीप द्वीपसमूह के सभी घरों में 45,000 कपड़े के थैले वितरित किए। प्रशासन ने लक्षद्वीप के सभी 11,847 घरों को शौचालयों की सुलभता सुनिश्चित की है। सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे मस्जिद, मदरसे और मंदिरों को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई और कोचीन शिपयार्ड, कोच्चि की सीएसआर निधि के तहत शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशासन ने रीसाइक्लिंग के लिए 550 मीट्रिक टन गैर-बायोडिग्रेडेबल संसाधन सामग्री को स्वच्छ रिकवरी सेंटर कोच्चि में पहुंचाया।

7.155 एसएसजी-2018 पर राज्य स्तरीय समिति ने दिनांक 15.09.2018 से 02.10.2018 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र स्तर का वृहत स्वच्छता अभियान "स्वछता ही सेवा-2018" (एसएचएस-2018) और लक्षद्वीप स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण -2018 (एलएसएसजी-2018) का आयोजन किया। स्वछता ही सेवा का एक मुख्य घटक सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम था, जिसमें दिनांक 30.09.2018 को समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए समस्त संघ राज्य क्षेत्र को साफ किया गया।

संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय स्वच्छता ही सेवा अभियान-2018 का शुभारंभ समारोह

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

7.156 मलेशिया यंग साइंटिस्ट ऑर्गनाइजेशन (एमवाईएसओ) द्वारा आयोजित इंटरनेशनल यंग साइंटिस्ट इनोवेशन एग्जीबिशन (आईवाईएसआईई) 2018 के लिए चुनी गई तीन टीमों में से डॉ. के.के. मोहम्मद कोया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (डॉ केकेएमकेजीएसएसएस), कलपेनी की 5 छात्रों वाली टीम ने प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता।

7.157 खेल और क्रीड़ाओं में दक्षता की भावना विकसित करने के लिए, प्रशासन ने अमीनी और अंद्रोथ द्वीप में 400

मीटर के सिंथेटिक ट्रैक की क्षमता वाले पूर्ण विकसित स्टेडियम के लिए और कदमत में खेल के मैदान के साथ इनडोर खेल हॉल के लिए पर्याप्त भूमि अधिग्रहित कर ली है। दिनांक 16.07.2018 को अंद्रोथ में सरदार वल्लभाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम का शिलान्यास किया गया।

7.158 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए), लक्षद्वीप के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने, एसएसए की विभिन्न पहलों के तहत स्कूल शिक्षा अर्थात पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक तक को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 हेतु 6.34 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य सेवाएं

7.159 प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन के भाग के रूप में आयुष्मान भारत- (स्वास्थ्य बीमा योजना) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 1400 लाभार्थियों [सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों के अनुसार] को कवर किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजना को दूसरे चरण के रूप में विस्तारित करने और योजना के तहत अतिरिक्त 4000 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)/ प्राथमिकता वाले घरों (पीएचएच) लाभार्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

7.160 राजधानी द्वीप कावारत्ती में दीन दयाल उपाध्याय आयुष अस्पताल (20 बिस्तर वाला) का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार, प्रशासन ने अंद्रोथ में 50 बिस्तर वाले उप-जिला अस्पताल के निर्माण के लिए दिनांक 16. 7.2018 को शिलान्यास किया। इंदिरा गांधी अस्पताल, कावारत्ती में पहले से मौजूद डायलिसिस यूनिट के अलावा राजीव गांधी स्पेशिएलिटी अस्पताल, अगाती में नई डायलिसिस यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी अस्पताल, सरकारी अस्पताल मिनिकॉय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमीनी और अंद्रोथ में विशेषज्ञता सेवाओं की आउटसोर्सिंग प्रगति पर है।

7.161 प्रशासन ने पहले से मौजूद विशेषज्ञता, जिसमें सर्जन, एनेस्थेसिया, प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं, के अलावा मनोचिकित्सा, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी शाखाओं में अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त किया है।

7.162 प्रशासन ने "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" के तहत बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को असिस्टेड लिविंग डिवाइसों के वितरण के लिए शिविर का आयोजन किया और बीपीएल श्रेणी के तहत 30.66 लाख रुपये मूल्य के एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइस देने के लिए 525 वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की है।

समाज कल्याण और जनजातीय मामले

पेंशन

7.163 जिला पंचायत और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की केंद्रीय पेंशन योजना की सहायता से प्रशासन द्वारा वृद्धावस्था, निराश्रित, विधवा और दिव्यांग हेतु यूटीएल पेंशन स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान यूटीएल पेंशन के संवितरण के लिए 3.00 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। इसके 2588 लाभार्थी हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, इंदिरा गांधी अस्पताल, कावारत्ती के अंतर्गत जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। डीडीआरसी को संचालित करने तथा उसके रख-रखाव, डे केयर केंद्र, कृत्रिम अंगों/व्हील चेयरों/ट्राइसाइकिल, कियॉस्क तथा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट(दिव्यांग) के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्वास्थ्य विभाग को 67.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। इसके अलावा, विभाग ने अमिनी, अगाती और मिनिकॉय द्वीपों में नए डे केयर सेंटर खोलने का प्रस्ताव किया है।

- दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को विशेष नौकरी के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 के दौरान जिला पंचायत को 12.35 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह सहायता के रूप में तथा दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष नौकरी की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए 2.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है तथा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2 लाभार्थियों को 60.00 हजार रुपये जारी किए गए हैं।

सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था क्षेत्र

पुलिस

7.164 प्रशासन ने लक्षद्वीप पुलिस विभाग की निगरानी से लक्षद्वीप तथा इसके भू-भाग के सभी बिना आबादी वाले द्वीपों हेतु संयुक्त जांच कार्यक्रम (पुलिस, नौसेना तथा तट रक्षक) शुरू किया है।

मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर

श्रम तथा रोजगार

7.165 कौशल विकास पहलों के लिए लक्षद्वीप कौशल विकास सोसाइटी का गठन किया गया है। दिनांक 10.12.2018 तथा 11.12.2018 को लक्षद्वीप मेगा जॉब फेयर 2018 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

पर्यटन

7.166 गृह मंत्रालय ने लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा दिनांक 11.10.2018 को लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम को शुरू किया गया। प्रशासन ने पर्यावरण के अनुकूल रिसोर्ट विकसित करने और पर्यटक गृहों के विकास हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने फिल्म बाजार 2017 में हिस्सा लिया तथा लक्षद्वीप को युनीक फिल्म शूटिंग डेस्टीनेशन के रूप में विकसित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। नीति आयोग ने शुरू करने के लिए तैयार पर्यटन परियोजनाओं हेतु कदमत, सुहेली तथा मिनीकॉय की पहचान की है।

चंडीगढ़

7.167 चंडीगढ़ को देश के सबसे अधिक स्वच्छ, हरे-भरे, सुरक्षित तथा सर्वोत्तम योजनाबद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अनेक गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू की हैं :-

सूचना प्रौद्योगिकी

7.168 भारत सरकार द्वारा "कैशलेस सोसाइटी" के आह्वान के अनुरूप, ई-संपर्क केंद्रों ने उच्च मात्रा वाली प्रमुख नागरिक सेवाओं को कैशलेस बनाया है। पहली बार ऑनलाइन पोर्टल में भीम-यूपीआई मोड आधारित भुगतानों को भी जोड़ा गया है। बिजली, पानी के बिल के भुगतान, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) बस पास, युटिलिटी टेलीफोन बिल, स्थान बुकिंग, ई-फाइल सेवा, ट्रैफिक चालान भुगतान, चंडीगढ़ आवास बोर्ड (सीएचबी) भुगतान, सूचना का अधिकार आवेदन जैसी तथा कई और सेवाओं को संपूर्ण चंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में सभी ई-संपर्क केंद्रों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से क्रेडिट तथा डेबिट कार्डों द्वारा भुगतान योग्य बनाया गया है।

7.169 चंडीगढ़ भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है। प्रशासन में पहली बार वार्षिक संपत्ति रिटर्न को ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विभिन्न ग्रामों तथा चंडीगढ़ के बाहरी परिधि के क्षेत्रों, जैसा कि परिधि अधिनियम के तहत यथानिर्धारित है, में अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए ''नियोजन'' नामक एक अनूठी मोबाइल ऐप विकसित की गई तथा दिनांक 24.01.2018 को शुरू की गई।

7.170 सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार करने तथा डिजिटिल अंतर को पाटने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में फरवरी, 2018 में एनआईआई परियोजना को क्रियाशील बनाया गया था। 12 जीपी में सभी 36 स्थानों पर

फाइबर लेयिंग का कार्य पूरा किया गया। ग्रामीण चंडीगढ़ में सभी डिस्पेंसरियों, स्कूलों तथा संपर्क केंद्रों को अब उच्च स्पीड वाला सरकारी नेटवर्क सुलभ है। चंडीगढ़ से पहली चार नागरिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के डिजी लॉकर के साथ समेकित किया गया। सेवाओं में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, आय प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं। चंडीगढ़ ने अपनी छः सेवाओं को उमंग ऐप के साथ जोड़ा है, जो एक साझा प्लेटफार्म के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की अपनी तरह की पहली मोबाइल ऐप है। उमंग ऐप के माध्यम से अपनी सेवायें प्रदान करने वाला चंडीगढ़ पहला संघ शासित राज्य है।

हरित पहलें: वन तथा वन्यजीव

7.171 अपने नागरिकों को एक स्वच्छ तथा हरा-भरा शहर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए :

- **चंडीगढ़ को हरा-भरा बनाने की कार्य योजना:** प्रत्येक वर्ष, चंडीगढ़ को हरा-भरा बनाने संबंधी कार्य दल, चंडीगढ़ प्रशासन "चंडीगढ़ को हरा-भरा बनाने की कार्य योजना" तैयार करता है। वर्ष 2017-18 में 2,35,000 पौधों के लक्ष्य की तुलना में कुल 2,39,126 पौधे लगाए गए। इसके अलावा, चंडीगढ़ के नागरिकों को 55,000 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। वर्ष 2018-19 की चंडीगढ़ को हरा-भरा बनाने की कार्य योजना में 2,43,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग को 63,000 पौधों का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.03.2019 तक 68,300 पौधे लगाए गए हैं तथा 55,000 औषधीय पौधों/जड़ी बूटियों के निःशुल्क वितरण के लक्ष्य की तुलना में वन विभाग ने आम जनता को 59,602 पौधे निःशुल्क वितरित किए। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा जारी की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2017 (आईएसएफआर) के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान वन कवर 40.73% से बढ़कर 41.11% हो गया है।

- **नगर वन (सिटी फॉरेस्ट) के उद्घाटन का उत्सव:** नगर वन (सिटी फॉरेस्ट) का उद्घाटन पंजाब के माननीय राज्यपाल तथा प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ श्री वी.पी. सिंह बदनौर द्वारा किया गया।

पंजाब के माननीय राज्यपाल तथा प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा नगर वन (सिटी फॉरेस्ट) का उद्घाटन

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- **पर्यावरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा:**

चंडीगढ़ को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने पर बल दिया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत 'वायु गुणवत्ता कार्रवाई योजना' तैयार की गई है तथा इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को और कम करने तथा पर्यावरण पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी तथा साथ ही साथ प्राइवेट भवनों में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पॉवर प्लांट संस्थापित किए गए हैं। दिनांक 31.03.2019 तक, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पॉवर प्लांट के साथ कुल 28.373 मेगावाट की क्षमता संस्थापित की गई है।

कानून और व्यवस्था

7.172 चंडीगढ़ पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा संस्थानों में लड़कियों/महिलाओं को किसी असंभावित घटना से बचाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक आत्मरक्षा टीम 'स्वयं' का गठन किया है। वित्त वर्ष 2018-19 वर्ष के दौरान कुल 165 शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 23947 बालिकाओं/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

7.173 महिलाओं द्वारा पुलिस से मदद मांगे जाने की स्थिति में, चंडीगढ़ प्रशासन ने रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के दौरान महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी शुरू की है। यह सुविधा महिला पुलिस अधिकारी के साथ चंडीगढ़ पुलिस पीसीआर/वाहन द्वारा मुहैया कराई जाती है। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क संचालित हैं। विपत्ति में पड़ी महिलाओं तथा बच्चों की सहायता के लिए महिला तथा बाल हेल्पलाइन सं. 1091 (टोल फ्री) चौबीस घंटे कार्य करती है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने तथा लड़कियों को सहायता मुहैया कराने के लिए महिला पुलिस कांस्टेबलों सहित महिला पीसीआर वाहन लड़कियों के कॉलेज/स्कूलों के पास मौजूद रहते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 52 बालिकाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया।

7.174 बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न की पीड़िता को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता आदि हेतु परामर्श देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पुलिस की महिला एवं बाल सहायता यूनिट में रेप क्राइसिस इंटरवेंशन केंद्र स्थापित किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों और अन्य प्राइवेट/सरकारी संस्थानों में समय-समय पर लड़कियों/महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 37 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें कुल 10,483 व्यक्तियों ने इन शिविरों में भाग लिया।

कारागार

7.175 चंडीगढ़ प्रशासन ने महिलाओं की उन्नति तथा सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, महिला कैदियों को रखने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक पृथक महिला वार्ड का निर्माण किया गया है। महिला वार्ड में एक बच्चों के कमरे का भी निर्माण किया गया है।

7.176 महिला कैदियों के पुनर्वास हेतु उनके लिए नियमित कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं की तंदरूस्ती के लिए तथा उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए महिला वार्ड में एक व्यायामशाला स्थापित की गई है। कैदियों के लाभ के लिए योग गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। दिन के समय महिला कैदियों के बच्चों को रखने के लिए जेल के बाहर एक क्रेच का भी निर्माण किया गया है। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है तथा जब बच्चे स्कूल जाने की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें जेल के बाहर स्कूलों में भर्ती किया जाता है। जेल प्राधिकारियों

द्वारा महिला कैदियों को जेल में खाना पकाने, लिफाफे बनाने, पोशाक बनाने, सॉफ्ट खिलौने बनाने, ब्यूटी कल्चर आदि रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं तथा कार्य के बदले उन्हें मजदूरी दी जाती है।

7.177 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा जेलों में स्थापित विधिक सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से विधिक न्यायालय में जरूरतमंद महिलाओं को उनके मामलों में बचाव के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दिनांक 25.05.2018 को जेल में एक विधिक सहायता कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, जिसमें जीएमसीएच-32, चंडीगढ़ से मनोचिकित्सक तथा विभिन्न संकायों के डॉक्टरों यथा त्वचा, मेडिसिन, डेंटल, ईएनटी ने महिला कैदियों की जांच की। विधिक सहायता वकीलों, सामाजिक कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग से परामर्शदाताओं ने भी कार्यशाला में भाग लिया तथा उन्होंने महिला कैदियों के कल्याण के लिए सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी दी।

शिक्षा

7.178 चंडीगढ़ न केवल इस क्षेत्र के छात्रों के लिए अपितु पड़ोसी राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बन गया है। चंडीगढ़ प्रशासन, वर्तमान में, लगभग 1.53 लाख के नामांकन के साथ 114 स्कूलों का संचालन कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए हैं :-

- आसपास के स्कूलों में छात्र-क्लास रूम अनुपात में सुधार करने के लिए माखनमाजरा तथा रायपुर कलां में 20.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की दर से दो नए सरकारी उच्च विद्यालयों का निर्माण।
- स्कूलों में पुस्तक बैंक बनाने के लिए चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों के साथ ट्विनिंग भी की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 17 प्राइवेट स्कूलों ने आसपास के 17 सरकारी स्कूलों को लगभग 9,049 पुस्तकें दान की हैं।
- खेल-कूद गतिविधियों के प्रोन्नयन के लिए राजकीय मॉडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-43 तथा राजकीय मॉडल उच्च विद्यालय, सेक्टर 34 में दो अत्याधुनिक खेल परिसरों को शुरू किया गया है। 03 और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट खेल परिसरों (जीएचएस-50, जीएमएसएसएस-56 तथा जीएमएचएस-38 पशचिम) का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा, इंडोर स्विमिंग पूल तथा बैडमिंटन कोर्ट के लिए मई, 2018 में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-27 में एक मिनी खेल परिसर का निर्माण शुरू किया गया है।
- डीबीटी स्कीम के माध्यम से कक्षा I से VII तक के 81588 छात्रों को स्कूली वर्दी का भुगतान।

परिवहन

7.179 चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने बस डिपो को आधुनिकीकृत करने के अपने प्रयास में ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनें, नाइट्रोजन जनरेटिंग मशीन, एयर कंप्रेशर, डीजल जनरेटिंग सेट, लेथ मशीन, फ्यूल इंजेक्शन टेस्ट बेंच, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रापण किया है।

7.180 यात्रियों की सुविधा के लिए लंबी दूरी की बसों में ऑटोमैटिक वेहीकल लोकेटिंग सिस्टम मुहैया कराया गया है। रियल टाइम सूचना के आधार पर बसों के आगमन तथा प्रस्थान के अनुमानित समय के लिए "सीटीयू बस ट्रैकर" नामक सीटीयू मोबाइल ऐप विकसित की गई है। बसों के प्रस्थान तथा आगमन के संबंध में रियल टाइम सूचना के प्रसार के लिए सेक्टर 17 तथा 43 के आईएसबीटी में यात्री सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। प्रेषण तारीख से एक दिन पहले ड्यूटी चार्ट को अपडेट करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एसएमएस आधारित ड्यूटी रोस्टर प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा, आम जनता के लिए ऐप गाइडेड मैप/पैम्फलेट शुरू किए गए हैं जिसमें स्थानीय रूटों, मैपों, इन रूटों पर बसों की आवृत्ति की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए 21 स्थानों

पर टाइम टेबल बोर्ड लगाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए यात्रियों को प्रसाधन कक्षों के निःशुल्क इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

कल्याण संबंधी पहलें

7.181 समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति समुदाय की उन विधवा/निराश्रित महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष तक है। मोटर वाहनों के स्वामी दिव्यांगों को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जा रही है तथा वे पेट्रोल/डीजल खरीदने पर 30 लीटर प्रति माह तक वास्तविक खर्च पर 50% सब्सिडी के पात्र हैं।

7.182 साधनों/उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता स्कीम के तहत, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उनकी गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए साधनों/उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए 35 शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 10.00 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

7.183 अपनी बेटी अपना धन स्कीम का लक्ष्य चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विषम महिला-पुरुष अनुपात में सुधार करना है। इस स्कीम में उन माता-पिताओं के लिए "बाल कैरियर योजना" में बालिका संतान के नाम 5000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 400 बालिकाओं के मध्य 20.00 लाख रुपये की राशि वितरित/निवेश की गई है।

7.184 वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 10526 लाभार्थियों को 13.41 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन स्कीम के तहत, 7413 लाभार्थियों को विधवा पेंशन मिल रही है तथा 10.12 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु पेंशन स्कीम के तहत, 3234 लाभार्थी दिव्यांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 6.86 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। ऐसे व्यक्ति, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है, इस स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र हैं।

7.185 समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत, 450 आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं तथा दिनांक 31.03.2019 तक 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के 48,547 बच्चों, 7388 गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पंजीकृत किया गया है।

श्रमिक कल्याण

- **मोबाइल क्रेच वैन**: क्रेच ऑन व्हील्स चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की एक परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य निर्माण श्रमिकों के उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। इस क्रेच वैन में, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विभिन्न स्थलों पर 1-8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई है। मोबाइल क्रेच वैन ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान चंडीगढ़ में विभिन्न निर्माण स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के 4247 बच्चों को शिक्षा प्रदान की है।

- **मोबाइल एम्बुलेंस वैन**: चंडीगढ़ के निर्माण स्थलों पर कार्य में लगे श्रमिकों को उनके द्वार पर मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से लाभार्थी श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को निर्माण स्थलों पर मेडिकल देखभाल उपलब्ध कराने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़ प्रशासन मोबाइल डिस्पेंसरी चला रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, चंडीगढ़ में विभिन्न निर्माण स्थलों पर लगभग 6070 श्रमिकों की जांच की गई तथा वहां श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क मेडिकल सलाह तथा दवाइयां प्रदान की गईं। दवाइयों की खरीद पर 1,17,559 रुपये की राशि खर्च हुई है।

चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्तीय तथा विकास निगम

7.186 चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्तीय तथा विकास निगम का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही गरीब अनुसूचित जातियों का आर्थिक उत्थान करना है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 400 लाभार्थियों के लक्ष्य की तुलना में निगम ने 222 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण संस्वीकृत किया तथा 204 लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया गया। वर्ष के दौरान, 1500 लाभार्थियों के लक्ष्य की तुलना में प्रशिक्षणाधीन सहित विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 1638 अभ्यर्थियों को कवर किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

7.187 कुल 85 स्कीमों (48 सीएसएस + 37 संघ राज्य क्षेत्र की) को मासिक आधार पर अपडेट किया जा रहा है। हाल ही में 28 कल्याण स्कीमों को डीबीटी तथा पीएफएमएस प्लेटफार्म के अंतर्गत लाया गया है। दिनांक 31.03.2019 तक कुल 2,31,000 लाभार्थियों को 120.54 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। पीएफएमएस प्लेटफार्म के अंतर्गत सभी डीबीटी स्कीमों को शामिल करते हुए 100% आधार आधारित डीबीटी हासिल किया गया है। पहल (एलपीजी सब्सिडी) के अंतर्गत कवर किए गए 2,49,231 लाभार्थियों, जो 100% आधार से जुड़े हैं, को 3.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में जीईएम का कार्यान्वयन

7.188 चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभाग वे वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो जीईएम के माध्यम से उपलब्ध हैं।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में आधार नामांकन

7.189 दिनांक 31.03.2019 के अनुसार, आधार नामांकन 100.2% था। समग्र नामांकन के अलावा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 00-05 वर्ष तक की आयु वर्ग में भी आधार नामांकन पर नजर रखता है तथा सभी अस्पतालों को आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण (एएलबीआर) के तहत नवजात शिशुओं का नामांकन करने के लिए प्रेरित करता है।

शहरी/ग्रामीण विकास

7.190 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के तहत 13 गांव हैं जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 93,863 है। ये गांव चंडीगढ़ शहर के 8 किमी. के दायरे के भीतर स्थित हैं तथा पक्की सड़कों से जुड़े हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ शहर के समान मूलभूत सुविधाएं अर्थात पक्की सड़क, पाइप द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति के प्रावधान, बिजली, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज प्रणाली आदि उपलब्ध कराके इन्हें मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 6.50 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 09.01.2019 तक विभिन्न शीर्षों के तहत 4.60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

7.191 महिलाओं का सशक्तिकरण स्कीम के तहत ग्रामीण महिलाओं/बालिकाओं को गृह विज्ञान कॉलेज, चंडीगढ़ में परिवार स्वास्थ्य, बाल देखभाल, पोषण, घरेलू तथा पर्यावरणीय स्वच्छता, लघु बचत आदि जैसे मामलों में 5 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को वजीफा तथा भोजन शुल्क प्रदान किया जाता है।

7.192 महिला मंडलों को प्रोत्साहन स्कीम का लक्ष्य महिलाओं के बीच जागरूकता तथा जागृति लाना है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सभी गांवों में महिला मंडल गठित किए गए हैं तथा वे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

7.193 विकास प्रक्रिया में पीआरआई प्रतिनिधि की संबद्धता और भागीदारी स्कीम के तहत, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों तथा विकास प्रक्रिया और ग्राम निवासियों के आर्थिक स्तर को उठाने में उनकी भूमिका पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

7.194 ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के एक उपाय के रूप में सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइटिंग की संस्थापना, गलियों को कंक्रीटयुक्त करने तथा वैकल्पिक चिकित्सा इकाइयों को खोलने इत्यादि का भी कार्य किया गया है।

7.195 अंत्योदय मिशन के तहत बेसलाइन आंकड़े एकत्रित करने के लिए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के जीपीडीपी तथा पंचायतों के अंतर्गत फेसिलिटेटर्स हेतु 12 फेसिलिटेटर्स का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

इंजीनियरिंग

7.196 चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में कई निर्माण कार्य शुरू किए हैं:

- 32.00 करोड़ रुपये की लागत से चार खेल परिसरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया जिसमें मनीमाजरा, सेक्टर 38 (डब्ल्यू), सेक्टर 50 तथा सेक्टर 56, चंडीगढ़ में एक-एक परिसर है।
- 4.80 करोड़ रुपये की लागत से चंडीगढ़ इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कॉलेज, सेक्टर 26 (डिप्लोमा विंग) में बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा किया गया तथा दिनांक 11.09.2018 को इसका उद्‌घाटन किया गया।
- 4.46 करोड़ रुपये की लागत से पटियाला की राव, दादूमाजरा पर तीन लेन के हाई लेवल पुल का निर्माण किया गया।
- 5.70 करोड़ रुपये की लागत से रोज गार्डन तथा सेक्टर 17, चंडीगढ़ को जोड़ते हुए भूमिगत पैदल पार पथ का निर्माण किया गया।
- 6.50 करोड़ रुपये की लागत से कैपिटल कॉम्पेक्स, सेक्टर 1 में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, ओपन हैंड तथा शहीद स्मारक, पंजाब तथा हरियाणा विधान सभा, ज्योमीट्रिक हिल, टॉवर ऑफ शैडो एंड रिटेनिंग वॉल (ग्रेड-I धरोहर) का संरक्षण तथा उद्धार।
- 23.50 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 48, चंडीगढ़ में 80 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण।
- 32.00 करोड़ रुपये की लागत से मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेक्टर 32, चंडीगढ़ का निर्माण।

नव निर्मित खेल परिसर, मनीमाजरा चंडीगढ़

(स्रोत: यूटी प्रशासन)

स्वास्थ्य तथा सफाई

7.197 चंडीगढ़ में स्वास्थ्य अवसंरचना तीन स्तरीय प्रणाली का पालन करती है जिसमें 16 उप केंद्रों, 39 सिविल डिस्पेंसरियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाती है, द्वितीय देखभाल एसडीएस मनीमाजरा तथा सीएच सेक्टर 22, चंडीगढ़ (जिनकी संख्या 02 है) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा तृतीयक देखभाल एक जिला अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज तथा स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

7.198 चंडीगढ़ को निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए हैं :

- कायाकल्प के माड्यूल को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कायाकल्प पुरस्कार।
- वर्ष 2018 में रात के दौरान सतर्कता, मोबाइल भोजन, परीक्षण लैब, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) आदि में नवाचार तथा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए एसकेओसीएच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार (भारत में शीर्ष 50 स्वस्थ भारत परियोजनाएं)।

7.199 **उपलब्धियां/परियोजना कार्यान्वयन**

- चंडीगढ़ की परिधि में 7 वैकल्पिक चिकित्सा इकाइयों की स्थापना, जिसके द्वारा एक डॉक्टर, फार्मेसिस्ट तथा एक हेल्पर की सेवाएं उपलब्ध कराके उप-केंद्रों का सुदृढ़ीकरण हुआ है।
- पॉलीक्लिनिक का 50 बिस्तर वाले शहरी सीएचसी में स्तरोन्नयन।
- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल को संचालित करने के लिए चंडीगढ़ का चयन किया गया है।
- चार शहरी अस्पतालों के एनएचएम में ई-गवर्नेंस पहल के तहत ई-अस्पताल माड्यूल का कार्यान्वयन, जिसके लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने 68.93 लाख रुपये (कुल बजट का 50%) स्वीकृत किए हैं।
- टीकाकरण में सुधार के लिए कार्यान्वित की गई नई पहल 'तारे जमीन पर'-ए नाइट विजिल: देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें पल्स पोलियो के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) के दौरान यह कल्पना की गई है कि टीमों को बेघरों/खानाबदोशों/कूड़ा बीनने वालों/भिखारियों आदि के बच्चों के टीकाकरण हेतु क्षेत्रों में भेजा जाएगा।

*****

अध्याय - 8

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

8.1 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केंद्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।

8.2 यह सेवा 26 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की गई है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। सामान्यत: प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों की संख्या की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 31.03.2019 तक 22 संवर्गों के संवर्ग अधिकारियों की संख्या की समीक्षा की है। आईपीएस के शेष 04 संवर्गों की संवर्ग समीक्षा का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8.3 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं	राज्य/संवर्ग	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	144
2.	एजीएमयू	309
3.	असम-मेघालय	195
4.	बिहार	242
5.	छत्तीसगढ	142
6.	गुजरात	208
7.	हरियाणा	144
8.	हिमाचल प्रदेश	94
9.	जम्मू एवं कश्मीर	147
10.	झारखंड	149
11.	कर्नाटक	215
12.	केरल	172
13.	मध्य प्रदेश	305
14.	महाराष्ट्र	317
15.	मणिपुर	89
16.	नागालैंड	75
17.	ओडिशा	195
18.	पंजाब	172
19.	राजस्थान	215
20.	सिक्किम	32
21.	तमिलनाडु	276
22.	तेलंगाना	139
23.	त्रिपुरा	69
24.	उत्तर प्रदेश	517
25.	उत्तराखंड	73
26.	पश्चिम बंगाल	347
	कुल	**4982**

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद

8.4 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्व स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको (i) भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर

भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और (ii) पुलिस व्यवस्था संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

8.5 71 नियमित भर्ती (आरआर) के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी (2018 बैच) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी/डॉ. मारी चन्ना रेड्डी एचआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद/आरसीवीपी नोरोनहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल में 15 सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 17.12.2018 से 05.10.2019 तक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में बेसिक ट्रेनिंग में नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार चरण-। (42 सप्ताह), दिल्ली में अटैचमेंट (संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), आसूचना ब्यूरो (आईबी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (आरएंडएडब्ल्यू), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) (02 सप्ताह), सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अटैंचमेंट (02 सप्ताह), जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण (28 सप्ताह) और चरण-।। प्रशिक्षण (12 सप्ताह)(विदेश का दौरा सहित) शामिल हैं :-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि		
		सप्ताह	से	तक
(1)	चरण – । अकादमी में प्रशिक्षण	42 सप्ताह	17.12.2018	05.10.2019
(2)	दिल्ली में अटैचमेंट (भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री एवं केन्द्रीय गृह सचिव से बुलाने पर)	02 सप्ताह	07.10.2019	12.10.2019
			28.10.2019	02.11.2019
(3)	सेना के साथ अटैचमेंट	1 सप्ताह	14.10.2019	19.10.2019
(4)	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ अटैचमेंट	1 सप्ताह	21.10.2019	26.10.2019
(5)	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज/राज्यों में व्यावहारिक प्रशिक्षण/संबंधित काडरों में जिला स्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण	28 सप्ताह	11.11.2019	25.05.2020
(6)	अकादमी में चरण-।। प्रशिक्षण (02 सप्ताह तक विदेशी घटक संबंधी प्रशिक्षण सहित)	12 सप्ताह	25.05.2020	21.08.2020

आंतरिक प्रशिक्षण

8.6 आंतरिक प्रशिक्षण में दंड विधि, जांच, मानवाधिकार और अपराध की जांच, लोक व्यवस्था प्रबंधन एवं विधि-विज्ञान जैसे सिमुलेशन अभ्यास शामिल थे। लिंग, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के बारे में प्रशिक्षुओं को संवेदनशील बनाने के लिए मॉड्यूल्स संचालित किए गए। उन्हें आदर्श पुलिस स्टेशन में जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिदृश्य-आधारित एकीकृत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उसका मूल्यांकन भी किया गया।

70 नियमित भर्ती (आरआर) के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के लिए बेसिक कोर्स ट्रेनिंग परिसर, एसपीवी एनपीए में दिनांक 03.09.2018 से 08.09.2018 तक मूट कोर्ट मॉड्यूल का आयोजन

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

फील्ड प्रशिक्षण

8.7 कार्यक्षेत्र एवं युक्ति, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से निपटने, चट्टान पर चढ़ने (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, मसूरी के साथ अटैचमेंट के दौरान), बीएसएफ के साथ इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स (सीएसडब्ल्यूटी), ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट (जीएच) हैदराबाद तथा सेना एवं सीआरपीएफ अटैचमेंट, निःशस्त्र मुठभेड़ (यूएसी) इक्विटेशन, स्कूबा डाइविंग, रीवर राफ्टिंग (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, ऋषिकेश के साथ अटैचमेंट के दौरान) का फील्ड प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के तरीके भी सिखाए गए।

70 नियमित भर्ती (आरआर) के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के लिए मसूरी में दिनांक 02.04.2018 से 07.04.2018 तक रॉक क्लाइम्बिंग मॉड्यूल का समूह-वार आयोजन

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

70 नियमित भर्ती (आरआर) के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के लिए मसूरी में दिनांक 02.04.2018 से 07.04.2018 तक समूह-वार रीवर राफ्टिंग मॉड्यूल का आयोजन

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

चरण-।। प्रशिक्षण

8.8 68 और 69 आरआर (2015 और 2016 बैच) के कुल 107 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने दिनांक 02.07.2018 से 24.08.2018 तक अकादमी में संचालित आठ सप्ताह की अवधि वाले चरण-।। के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था संबंधी व्यवहारों के प्रति एक्सपोजर के रूप में चरण-।। के प्रशिक्षण के दौरान 01 सप्ताह की अवधि (यात्रा के समय को छोड़कर) के विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण संचालित किया गया। चरण-।। के प्रशिक्षु अधिकारियों ने क्रमशः दिनांक 29.07.2018 से 04.08.2018 तक और दिनांक 05.08.2018 से 11.08.2018 तक 02 समूहों में इजरायल में विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

वरिष्ठ पाठ्यक्रम

8.9 1759 प्रतिभागियों ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल होने वाले राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों के लिए 03 समावेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (06 सप्ताह) सहित विस्तृत श्रेणी के 52 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

8.10 हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की इन अकादमियों में चुनिंदा राज्य पुलिस अकादमियों के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी विभिन्न विषयों अर्थात मानवाधिकार, लिंग संवेदीकरण, वार्ता कौशल, गुमशुदा बच्चे और बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। स्कीम के अनुसार, इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रशिक्षक तैयार करना है। अब तक 05 राज्य पुलिस अकादमियों में प्रशिक्षण के 03 चक्र सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। चौथे चक्र के भाग के रूप में "गुमशुदा बच्चों" एवं "मानवाधिकार" पर पाठ्यक्रम भी क्रमशः महाराष्ट्र राज्य पुलिस अकादमी एवं हरियाणा राज्य पुलिस अकादमी में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब तक कुल 475 पुलिस अधिकारियों ने उपर्युक्त विषयों पर पाठ्यक्रमों को पूरा किया है। राज्य पुलिस अकादमी में प्रत्येक चक्र पूरा होने के पश्चात एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा प्रत्येक राज्य के शीर्ष दस प्रदर्शनकर्ताओं को चुनकर तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण पद्धति एवं सुविधा कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तद्नुसार, अब तक इस तरह के 03 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं तथा कुल 124 पुलिस अधिकारियों को "प्रमाणित प्रशिक्षक" के रूप में प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए हैं।

8.11 फील्ड के विशेषज्ञों के साथ बेहतर सेवाकालीन कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने "विजिटिंग फैकल्टी प्रोग्राम" शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, पुलिस के सेवारत अधिकारियों और पुलिस के बाहर के विशेषज्ञों की पहचान विजिटिंग फैकल्टी के रूप में की जा रही है। इन अधिकारियों की पहचान राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में विजिटिंग फैकल्टी बनने के लिए की जाएगी। इस पहल के हिस्से के रूप में अकादमी ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं :- (i) एथिकल लीडरशिप पाठ्यक्रम दिनांक 29.01.2018 से 31.01.2018 तक (25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया) और (ii) साइबर अपराध एवं कानूनी पहलुओं का विनियमन दिनांक 06.02.2019 से 08.02.2019 तक (18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया) और (iii) सोशल मीडिया विश्लेषण एवं सोशल मीडिया लैब्स की स्थापना दिनांक 11.03.2019 से 13.03.2019 तक (35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया)।

सूचना प्रौद्योगिकी

8.12 अकादमी का कम्प्यूटर अनुभाग अपनी परियोजना राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एनडीसीआरटीसी) के माध्यम से डिजिटल विधि विज्ञान और साइबर अपराधों की जांच, मोबाइल विधि-विज्ञान और सोशल मीडिया के विश्लेषण में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। अकादमी ने साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित सभी विचार-विमर्श/सम्मेलनों में भाग लिया है और देश भर में सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और न्यायपालिका और अभियोजन पक्ष के लिए साइबर अपराध जांच में क्षमता निर्माण के लिए रोड मैप तैयार करने में योगदान दिया है।

विशेष युक्ति पाठ्यक्रम

8.13 राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 571 पुलिस अधिकारियों को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 'विशेष युक्ति' में प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:- पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर, केरल पुलिस अकादमी, त्रिशूर और शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर (जम्मू और कश्मीर) में युक्ति, शहरी अभियान, विस्फोटक, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) एवं पोस्ट ब्लास्ट प्रोसिजर (पीबीपी) और आउटस्टेशन पाठ्यक्रम।

आईपीएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.14 भारतीय पुलिस (वेतन), नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण-III की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण-IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम वेतनमान (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा और उसके पश्चात अगली वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण-V को पूरा करना अनिवार्य है।

8.15 अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम डा. त्रिनाथ मिश्र, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित किया जा रहा है। मध्य सेवाकलीन प्रशिक्षण कार्यक्रम(एमसीटीपी) के विभिन्न चरणों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	चरण	अवधि	प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण	सेवा के वर्ष
(1)	चरण-III	किसी विदेश घटक के बिना भारत में 04 सप्ताह का प्रशिक्षण	पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	7 से 9 वर्ष की सेवा, वर्ष 2000 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य
(2)	चरण-IV	04 सप्ताह (03 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	उप पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक	14 से 16 वर्ष की सेवा, वर्ष 1991 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य
(3)	चरण-V	किसी विदेश घटक के बिना भारत में 02 सप्ताह का प्रशिक्षण	28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने के लिए	24 से 26 वर्ष की सेवा, वर्ष 1981 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य

8.16 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अनिवार्य एमसीटीपी में भाग लेने वाले सहभागियों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं	चरण	आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	अवधि/बैच	सहभागियों की संख्या
(1)	चरण-IV	एससवीपी एनपीए एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टेक्निकल सर्विसेस, यू के	कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 14.05.2018 से 08.06.2018 तक किया गया (1992 - 2003)	93
(2)	चरण-III	एसवीपी एनपीए एवं चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी आस्ट्रेलिया	कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 04.06.2018 से 29.06.2018 तक किया गया (2004-2011)	74
(3)	चरण– IV	एसवीपी एनपीए एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टेक्निकल सर्विसेस, यूके	कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 01.10.2018 से 26.10.2018 तक किया गया (1996-2004)	88

8.17 इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 2018 से मार्च, 2019 तक संचालित/आयोजित किए गए एमसीटीपी कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं	चरण	कार्यक्रम आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	अवधि	भाग लेने वाले सहभागियों की संख्या
(1)	चरण-III	एसवीपी एनपीए एवं चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया किया गया	दिनांक 12.11.2018 से 07.12.2018 तक 04 सप्ताह (2000-2011)	73
(2)	चरण-V	एसवीपी एनपीए द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम तैयार और आयोजित किया गया	दिनांक 28.01.2019 से 08.02.2019 तक 02 सप्ताह (1989-1995)	51

आईपीएस अधिकारियों ने एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में दिनांक 14.05.2018 से 08.06.2018 तक एमसीटीपी चरण-IV कार्यक्रम में भाग लिया

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

अकादमी में महत्वपूर्ण कार्यक्रम

8.18 अकादमी ने संकाय सदस्यों, आईपीएस प्रशिक्षुओं और स्टाफ के सदस्यों को शामिल करके दिनांक 21.06.2018 को चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया। "स्वच्छता ही सेवा 2018" सप्ताह भी उत्साहपूर्वक मनाया गया। जागरूकता अभियान के माध्यम से सड़क की नालियों आदि की सफाई की गई।

चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन दिनांक 21.06.2018 को सामुदायिक हाल गार्डन एवं स्टेडियम, एसपीवी एनपीए में किया गया

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

एसपीवी एनपीए में स्थल- बी के आवासीय क्वार्टरों में दिनांक 29.09.2018 को
जागरूकता अभियान के माध्यम से गलियों, नालियों और पिछली गलियों की सफाई का कार्य किया गया

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग, मेघालय

8.19 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) की स्थापना डॉ. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण समिति की सिफारिशों पर पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1978 में मेघालय के री-भोई जिले के उमसाव गांव में की गई थी। इसने शुरू में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के तहत क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में कार्य करना शुरू किया, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के बनाए जाने के पश्चात, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के अंदर लाया गया। मई 1980 में संस्थान का नाम बदलकर "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी कर दिया गया। वर्ष 2007 में, अकादमी को पेशेवर सूचनाओं की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। नीतिगत निर्णय लेने के लिए अकादमी का एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष सचिव (सीमा प्रबंधन) हैं।

नेपा का प्रशासनिक भवन

(स्रोतः नेपा, शिलांग)

प्रशिक्षण

नेपा का प्रशिक्षण भवन

(स्रोतः नेपा, शिलांग)

8.20 नेपा का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों और उप-पुलिस निरीक्षकों के लिए बेसिक इंडक्शन कोर्स का संचालन करना और देश भर के सेवारत पुलिस कार्मिकों के लिए अल्पावधिक विशेष पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं तैयार और संचालित करना है।

बेसिक कोर्स

8.21 वर्ष 2018 में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड के उप पुलिस अधीक्षक (16) एवं उप-निरीक्षक (3) रैंक के 19 अधिकारियों ने 44वें बेसिक कोर्स को पूरा किया, जबकि 45वें बेसिक कोर्स में मेघालय से 34 सशस्त्र शाखा के उप-निरीक्षकों (एबीएसआई) ने प्रवेश किया जो जून, 2019 में समाप्त होगा। इन एबीएसआई में से 11 लोगों की भर्ती निःशस्त्र शाखा उप निरीक्षक के रूप में हुई और वे जनवरी, 2019 में 46वें बेसिक कोर्स में शामिल हुए।

46वां बेसिक कोर्स जनवरी, 2019 में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा के 201 प्रशिक्षुओं (उप-पुलिस अधीक्षक-15, उप-निरीक्षक-173 और सहायक उप-निरीक्षक-13) के साथ शुरू हुआ।

8.22 44वें बेसिक कोर्स के प्रशिक्षुओं को भारत दर्शन-सह-अध्ययन यात्रा के लिए दिनांक 08.07.2018 से 14.07.2018 तक बेंगलुरु और मैसूर भेजा गया। विद्रोह-रोधी प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षुओं को ग्रेहाउंड्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के साथ दिनांक 15.07.2018 से 18.07.2018 तक अटैच किया गया। इसके अलावा, उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु अधिकारियों को विदेशी अटैचमेंट के लिए सिंगापुर भेजा गया, जहां उन्हें पुलिस लीडरशिप एवं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में प्रशिक्षित किया गया। उप-निरीक्षक/निरीक्षक कैडेटों को बीएसएफ और सीपीआरएफ के साथ बांग्लादेश सीमा पर सीमा अटैचमेंट के तौर पर भेजा गया।

सशस्त्र शाखा को शामिल करते हुए 45वें बेसिक कोर्स में उप निरीक्षकों को दिनांक 25.02.2019 से 02.03.2019 तक 06 दिनों के लिए लोक व्यवस्था त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) अकादमी (आरएपीओ/सीआरपीएफ), मेरठ में दंगा नियंत्रण एवं लोक व्यवस्था प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अधिकारियों को दिनांक 03.03.2019 से 10.03.2019 तक भारत दर्शन सह-अध्ययन यात्रा के लिए भी भेजा गया।

8.23 सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षुओं को विभिन्न सोसाइटियों अर्थात

सामाजिक सेवा सोसाइटी, प्रश्नोत्तरी सोसाइटी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साहित्य सोसाइटी, सांस्कृतिक सोसाइटी, खेल सोसाइटी और फोटोग्राफी सोसाइटी में विभाजित किया जाता है, जिसमें वे अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नेपा हॉस्पिटल के चिकित्सा दल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को पर्याप्त चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है।

सेवाकालीन कोर्स

8.24 नेपा बड़ी संख्या में सेवाकालीन कोर्स संचालित करता है। वर्ष 2018 के दौरान, 56 सेवाकालीन कोर्स आयोजित किए गए थे, जिनमें देश भर के 1578 पुलिस/न्यायिक/अभियोजन/वन सेवा/मिलिट्री/सिविल अधिकारियों के साथ-साथ बांग्लादेश और म्यांमार से 87 पुलिस अधिकारियों ने भागीदारी की थी। वर्ष 2019 में, 45 कोर्स निर्धारित किए गए, जिनमें से 06 पूरे हो चुके हैं और 02 पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनमें देश भर के 229 पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। एनईपीए द्वारा आयोजित किए जा रहे कुछ सेवाकालीन कोर्स इस प्रकार हैं- विस्फोटक और बम निष्क्रियकरण पर कार्यशाला/मॉड्यूल, विद्रोही रोधी एवं जंगल युद्ध, आपराधिक मामलों का वैज्ञानिक अन्वेषण, स्वापक विधि प्रवर्तन, मोबाइल विधि विज्ञान एवं सीडीआर विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों की खोज एवं जब्तीकरण, साइबर अपराध अन्वेषण, सीसीटीएनएस, सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत अपराध विज्ञान पाठ्यक्रम, आर्थिक अपराध एवं वित्तीय धोखाधड़ी, आसूचना संग्रहण एवं पूछताछ तकनीक, बुनियादी हथियार पाठ्यक्रम, किशोर न्याय, महिलाओं के प्रति अपराध एवं यौन उत्पीड़न, यातायात प्रबंधन, वन्य जीव के प्रति अपराध, आपदा प्रबंधन, तनाव प्रबंधन तथा सॉफ्ट स्किल एवं व्यक्तित्व विकास।

नेपा में दिनांक 07.01.2018 से 14.12.2018 तक बेसिक कोर्स संबंधी आउटडोर प्रशिक्षण का आयोजन

नेपा में दिनांक 07.01.2018 से 14.12.2018 तक बेसिक कोर्स संबंधी इनडोर प्रशिक्षण का आयोजन

(स्रोत: नेपा शिलांग)

नेपा में दिनांक 22.01.2018 से 31.01.2018 तक सिमुलेशन अभ्यास-बेसिक कोर्स का आयोजन

नेपा में दिनांक 07.01.2018 से 14.12.2018 तक आपदा प्रबंधन मॉड्यूल

(स्रोत: नेपा शिलांग)

अवसंरचना

8.25 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित 9 निर्माण परियोजनाओं के लिए 86.57 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी:-

i. प्रशिक्षु अधिकारियों के 60 बिस्तरों वाले मेस का निर्माण

ii. वरिष्ठ अधिकारियों के 20 बिस्तरों वाले मेस का निर्माण

iii. अधीनस्थ अधिकारियों के 30 बिस्तरों वाले मेस का निर्माण

iv. महिला कैडेट्स के लिए 120 बिस्तरों वाले बैरक का निर्माण

v. सीआईएसएफ कर्मियों के लिए 100 पुरुषों के बैरक का निर्माण

vi. 120 बिस्तर वाले प्रशिक्षु मेस का निर्माण

vii. ड्रिल शेड का निर्माण

viii. 20 घोड़ों के लिए अस्तबल का निर्माण

ix. आवासीय ब्लॉक का निर्माण

8.26 दिनांक 31.10.2018 तक, 86.57 करोड़ रुपये की कुल राशि में से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 46.22 करोड़ रुपये की राशि और वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेस (वैपकोस) द्वारा 30.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष अर्थात 2018-19 के दौरान, सीपीडब्ल्यूडी को 11.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सीआईएसएफ कर्मियों के लिए 30 बिस्तरों वाले एसओ मेस, 60 बिस्तरों वाला प्रशिक्षु अधिकारी मेस और 100 पुरुषों के बैरक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वैपकोस ने अपनी सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जिसे नेपा द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।

120 बिस्तर वाला प्रशिक्षु मेस

ड्रिल शेड

(स्रोतः नेपा, शिलांग)

विविध

8.27 नेपा परिसर के भीतर और आस-पास नियमित आधार पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाता है। नेपा के कर्मचारी, बेसिक के साथ-साथ सेवाकालीन कोर्स के प्रशिक्षु और उनके परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करके राष्ट्रीय त्यौहार अर्थात् गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दिनांक 21.07.2018 को नेपा का स्थापना दिवस मनाया गया और बच्चों एवं कर्मचारियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अकादमी में सतर्कता सप्ताह, स्मृति दिवस परेड, सद्भावना दिवस, राजभाषा पखवाड़ा, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

नेपा में दिनांक 01.10.2018 को स्वच्छता अभियान

केवी नेपा के बच्चों द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2018 (15.08.2018) के अवसर पर प्रभात फेरी

(स्रोतः नेपा, शिलांग)

नेपा में दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 के दौरान मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ ग्रहण

नेपा में दिनांक 21.03.2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

नेपा में दिनांक 31.10.2018 को मनाये गए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ

दिनांक 26.01.2019 को गणतंत्र दिवस परेड

(स्रोत : नेपा, शिलांग)

पुलिस पदक

8.28 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किये गए:-

1) "वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)" संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को समुचित रूप से ध्यान में रखकर जोखिमों का आंकलन करते हुए जान और संपत्ति की रक्षा या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस-2018 में, 02 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों (मरणोपरांत) को सम्मानित किया गया और गणतंत्र दिवस-2019 में, 03 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों (मरणोपरांत) को सम्मानित किया गया।

2) "वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)" अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को गणतंत्र दिवस-2018 पर कुल 107, स्वतंत्रता दिवस-2018 पर कुल 177 और गणतंत्र दिवस-2019 पर कुल 146 पदक प्रदान किये गए।

3) "विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)" कठिन चुनौतीपूर्ण स्थिति में पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय पुलिस की यूनिटों/ सुरक्षा संगठन को संगठित करने अथवा संगठनों के अनुरक्षण में सफलता के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ/केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के कार्मिकों को गणतंत्र दिवस-2018 के अवसर पर 75, स्वतंत्रता दिवस-2018 के अवसर पर 88 और गणतंत्र दिवस-2019 के अवसर पर 74 पदक प्रदान किये गए।

4) "उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)" लम्बी सेवा अथवा सक्षमता एवं मेरिट सहित कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पण भावना से प्रमाणित बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ/केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के कार्मिकों को गणतंत्र दिवस-2018 के अवसर पर 613, स्वतंत्रता दिवस-2018 के अवसर पर 675 और गणतंत्र दिवस-2019 के अवसर पर 635 पदक प्रदान किये गए।

5) "अन्वेषण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक" अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 के लिए राज्य/केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के कुल 101 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

6) "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" सर्वश्रेष्ठ आसूचना सेवा के लिए दिया जाता है। वर्ष 2018 के लिए राज्य/केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के कुल 59 अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

8.29 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) नामत: असम राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल "सीमा चौकसी बल" हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह-रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमश: दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों सहित राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण-रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट

व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (एआर)

8.30 "पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में लोकप्रिय, असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में "काचर लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को विद्रोह-रोधी भूमिका तथा 1,643 किमी. लंबी भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा करने के लिए पूर्णरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इस बल में एक महानिदेशालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, एक प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशासनिक घटक शामिल हैं और इसके कार्मिकों की कुल स्वीकृत संख्या 65,143 है।

8.31 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक पूर्वोत्तर में उग्रवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, असम राइफल्स की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कारवाई	संख्या	राशि (जहाँ लागू हो)
	विद्रोही		
(क)	मारे गए	13	-
(ख)	गिरफ्तार किए गए	647	-
	अन्य गिरफ्तारियां		
(ग)	शस्त्र विक्रेता एवं मादक पदार्थ विक्रेता	212	-
(घ)	म्यांमार के नागरिक	14	-
	युद्ध जैसे भंडारों की बरामदगी		
(ङ)	मिश्रित हथियार	379	-
(च)	मिश्रित गोलाबारूद	13,639	-
	निषिद्ध मदों की बरामदगी		
(छ)	गांजा (किग्रा.)	1564.360	31.28 लाख
(ज)	अफीम (किग्रा.)	62.110	6.21 लाख
(झ)	हेरोइन (किग्रा.)	178.182	7.12 करोड़
(ञ)	ब्राउन सुगर (किग्रा.)	18.047	17.95 करोड़
(ट)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (गोलियां)	62,94,759	88.12 करोड़
(ठ)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (किग्रा.)	371.674	1.50 करोड़
(ड)	अवैध शराब (बोतल)	1,13,073	3.39 करोड़
(ढ)	जिनसेंग (किग्रा.)	1594.00	1.33 करोड़
(ण)	मेरिजुआना (किग्रा.)	968.500	51.91 करोड़
(त)	पैंगोलिन शेल्स (किग्रा.)	34.600	28.86 लाख
(थ)	टोके गेकोस (किग्रा.)	02	24 लाख
(द)	सोना (किग्रा.)	93.494	28.04 करोड़
(ध)	जाली करेंसी (रूपए)	-	55.55 लाख
(न)	म्यांमार की नकली करेंसी	-	9.54 लाख
(प)	नगद (रूपए) (भारतीय)	-	46.08 लाख

असम राइफल्स की टुकड़ियों द्वारा फेक, नागालैंड से 02 एनएससीएन (के) एवं 04 एनएससीएन (केजी) काडरों को गिरफ्तार किया गया

(स्रोतः असम राइफल्स)

असम राइफल्स की टुकड़ियों द्वारा मोकोकचुंग, नागालैंड से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया

(स्रोतः असम राइफल्स)

8.32 अवधि के दौरान, कर्तव्य का पालन करते हुए असम राइफल्स के पांच कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 15 घायल हुए ।

बाढ़ राहत अभियान

8.33 जून 2018 में भारी बारिश के कारण, मणिपुर के इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर और चूड़ाचंदपुर जिलों और उत्तरी एवं पश्चिमी त्रिपुरा में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। असम राइफल्स के 15 कॉलमों को तलाशी और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया, जिसके दौरान 588 स्थानीय व्यक्तियों को बचाया गया, 455 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, 15 अस्थायी आश्रय स्थापित किये गए और 985 किलोग्राम राशन वितरित किया गया। टुकड़ियों ने नदी के टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत भी की।

नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी)

8.34 अभियानों में श्रेष्ठता साबित करने के अलावा, असम राइफल्स नागरिक कार्य संबंधी अनेक कार्यक्रमों (सीएपी) के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लिए सुनियोजित एवं संकेन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकार के लक्ष्यों के अनुसरण में "एक्टिंग ईस्ट" के रूप में भी कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं को शीघ्रता से निष्पादित किया जाता है ताकि स्थानीय जनता, विशेष रूप से दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा इसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/गतिविधियों में ये शामिल हैं: सामुदायिक हॉलों का निर्माण, जलापूर्ति योजनाओं का प्रावधान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण स्कूलों के स्तर में सुधार, छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण टूर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं के लिए खेल संबंधी गतिविधियां आदि। असम राइफल्स द्वारा नौ राष्ट्रीय एकीकरण टूर आयोजित किये गए। भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने चार टूरों, जिनमें लगभग 100 छात्र शामिल थे, के साथ संवाद किया।

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के साथ फेक जिला (नागालैंड) से असम राइफल्स राष्ट्रीय एकीकरण टूर

(स्रोतः असम राइफल्स)

असम राइफल्स द्वारा काकचिंग (मणिपुर) में दिनांक 09.09.2018 को "काकचिंग विश्व युद्ध-II स्मृति दौड़" का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 900 व्यक्तियों ने भाग लिया

(स्रोतः असम राइफल्स)

8.35 विजयनगर, अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे अधिक पूर्वी क्षेत्र होने के कारण सामरिक महत्व का है, और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना अपेक्षित है। स्थानीय लोगों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर आय अर्जित करने के अवसर प्रदान करने के लिए, असम राइफल्स द्वारा एक हस्तशिल्प केंद्र खोला गया है। इसके अतिरिक्त, विजयनगर सर्किल के तहत ग्रामीणों को बेहतर आमदनी कमाने के लिए 12 हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर प्रदान किए गए हैं।

खेल-कूद संबंधी उपलब्धियां

8.36 असम राइफल्स के खेल दलों ने विभिन्न खेलों में निम्नानुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन कियेः-

(क) **तीरंदाजी**

सातवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैम्पियनशिप- 2018, रांची में 22 दलों में सातवां

स्थान (स्वर्ण - 08, रजत – 04 और कांस्य- 03) प्राप्त किया।

(ख) **कराटे**

14 वें कोटकास कप अखिल भारतीय कराटे चैम्पियनशिप-2018, नई दिल्ली में 22 टीमों में प्रथम स्थान (स्वर्ण - 08, रजत - 06 और कांस्य - 03) हासिल किया।

(ग) **तायक्वांडो**

सेकंड ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2018, पुणे में 56 टीमों में पहला स्थान (स्वर्ण - 07 और रजत - 05) प्राप्त किया। ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल 2018, पणजी, गोवा में 21 टीमों में प्रथम स्थान (स्वर्ण-17) हासिल किया।

(घ) **बॉक्सिंग**

18वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप-2018, हरिद्वार में 27 टीमों में प्रथम स्थान (स्वर्ण - 04 और रजत - 01) हासिल किया।

(ड.) **कमांडो** — 9वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैम्पियनशिप प्रतियोगिता-2018, दीफू में 22 टीमों में प्रथम स्थान हासिल किया।

पणजी, गोवा में ग्रीष्म कालीन राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल में असम राइफल्स की विजेता खेल टीम

(स्रोतः असम राइफल्स)

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान (यूएनपीकेओ)

8.37 असम राइफल्स, फार्म्ड पुलिस यूनिट-2 (2010 से) के भाग के रूप में हैती में यूएनपीकेओ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव में योगदान दे रहा है और वर्तमान में 10 अधिकारियों, 15 जूनियर कमीशंड अधिकारियों और 115 अन्य रैंक के अधिकारियों वाली नौवीं टुकड़ी दिनांक 03.08.2018 से तैनात है। असम राइफल्स ने सभी आपात स्थितियों में अपनी समुचित और त्वरित कार्रवाई करके संयुक्त राष्ट्र के सभी कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस/सरकारी कर्मचारियों के साथ उत्कृष्ट कार्य संबंध स्थापित करके तथा स्थानीय जनता के साथ सम्मानजनक और सौम्य व्यवहार करके देश के लिए एक उत्कृष्ट नाम कमाया है।

14वें कोटकास कप अखिल भारतीय कराटे चैम्पियनशिप 2018, नई दिल्ली में असम राइफल्स की विजेता खेल टीम

(स्रोतः असम राइफल्स)

फार्म्ड पुलिस यूनिट भाग के रूप में हैती में यूएनपीकेओ में ड्यूटी करती हुई असम राइफल्स की टुकड़ी

(स्रोतः असम राइफल्स)

फार्म्ड पुलिस यूनिट भाग के रूप में हैती में यूएनपीकेओ में ड्यूटी करती हुई असम राइफल्स की टुकड़ी

(स्रोतः असम राइफल्स)

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

8.38 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय 03 एनडीआरएफ बटालियनों सहित इसकी 192 बटालियनें हैं। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 02 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशक (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशक (पश्चिमी कमान) तथा 01 एडीजी {कमान मुख्यालय (विशेष ऑपरेशन) रायपुर}, 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग, एआर विंग एवं अन्य सहायक इकाइयां हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बीएसएफ की कुल संस्वीकृत पद संख्या 2,63,905 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

8.39 इसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 6,386.36 किमी. तक फैली हुई है। इसे सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भी तैनात किया जाता है।

8.40 आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध अपनी लड़ाई में, बीएसएफ ने दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान 57 आतंकवादियों/माओवादियों को गिरफ्तार किया और 63 आतंकवादियों/माओवादियों को आत्मसमर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 145 हथियारों, विविध असलों के 2332 राउण्ड, 19 ग्रेनेड, 115 आईईडी और 27.195 किग्रा. विस्फोटकों की जब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध की रोकथाम के अपने सतत प्रयासों में, बीएसएफ ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 1608.64 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियां जब्त कीं, 5059 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 24 तस्करों को मार गिराया। इस अवधि के दौरान, अभियानों में बी.एस.एफ. के 26 कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 182 कार्मिक घायल हुए।

8.41 वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गए:-

(क)	वीरता के लिए पुलिस पदक	18
(ख)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	09
(ग)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	93

विदेश में तैनाती

8.42 सीमा सुरक्षा बल की एक गठित पुलिस इकाई कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) में दिनांक 28.11.2005 से तैनात है। 07 अधिकारियों, 08 अधीनस्थ अधिकारियों एवं 125 अन्य रैंकों के कुल 140 कार्मिकों वाली 12वीं टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शांति प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अपने समस्त कर्तव्य क्षेत्र में अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

खेल-कूद संबंधी उपलब्धियां

8.43 बीएसएफ की खेल टीमों ने निम्नलिखित प्रतियोगिताओं/चैम्पियनशिप में भाग लिया और प्रत्येक के सामने उल्लिखित पदक/स्थान प्राप्त किया:-

क्रम सं.	प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप	बीएसएफ की टीमों द्वारा अर्जित स्थान/पदक
(क)	दिनांक 11.04.2018 से 15.04.2018 तक अर्जेंटीयूल, पेरिस (फ्रांस) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट "मोंटाना बेल्ट"	बीएसएफ सेंट्रल बॉक्सिंग टीम की 03 महिला/कांस्टेबल ने भाग लिया। स्वर्ण (49 किग्रा) 01
(ख)	दिनांक 20.04.2018 से 24.04.2018 तक ललितपुर, नेपाल में आयोजित 8 वीं दक्षिण एशियाई जूडो चैम्पियनशिप-2018	स्वर्ण (दल) 01 कांस्य (व्यक्तिगत) 02
(ग)	दिनांक 06.10.2018 से 13.10.2018 तक जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियन गेम्स	कांस्य 01
(घ)	दिनांक 04.04.2018 से 06.04.2018 तक 25 बटालियन बीएसएफ, छावला कैंप, नई दिल्ली में आयोजित 66 वीं अखिल भारतीय पुलिस एक्वाटिक और क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप	तैराकी प्रथम डाइविंग (एच बी) प्रथम डाइविंग (एसबी) प्रथम क्रॉस कंट्री प्रथम वाटर पोलो द्वितीय
(ङ.)	दिनांक 05.11.2018 से 11.11.2018 तक कामनवेल्थ जूडो चैम्पियनशिप-2018 का जयपुर में आयोजन	स्वर्ण (अनुभवी) 01 रजत 02 कांस्य 01
(च)	दिनांक 23.03.2019 से 25.03.2019 तक ओपन इंटरनेशनल केनोई स्प्रिंट चैम्पियनशिप का एसएआई भोपाल में आयोजन	04 महिला/कांस्टेबल बीएसएफ केंद्रीय जल स्पोर्ट्स टीम ने भाग लिया। स्वर्ण (अनुभवी) 02 रजत 01 कांस्य 02

बीएसएफ माउंट एवरेस्ट अभियान-2018

8.44 बीएसएफ माउंट एवरेस्ट अभियान दल, जिसमें 15 पर्वतारोही शामिल थे, ने दिनांक 20.05.2018 और 21.05.2018 को माउंट एवरेस्ट (29029 फुट) पर सफलता पूर्वक चढ़ाई की और दुनिया की पहली टीम बनने का दुर्लभ गौरव प्राप्त किया, जिसके सभी 15 पर्वतारोही बिना किसी नुकसान/चोट के सफलतापूर्वक शिखर पर पहुँच गए। पद्मश्री पुरस्कार विजेता लवराज सिंह धर्मशक्तु, एसी ने भी सातवीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय बनकर बल का गौरव बढ़ाया।

8.45 अभियान दल ने आकाश की देवी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा और बीएसएफ का ध्वज फहराकर मिशन एवरेस्ट का शुभारंभ किया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ एवं संरक्षित ग्लेशियर अभियान का संचालन किया। दिनांक 05.06.2018 को पर्वतारोहियों के लिए एक सत्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पर्वतारोहियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

बीएसएफ माउंट एवरेस्ट अभियान दल -2018 माउंट एवरेस्ट (29029 फुट) के शिखर पर

(स्रोतः बीएसएफ फोटो सेल)

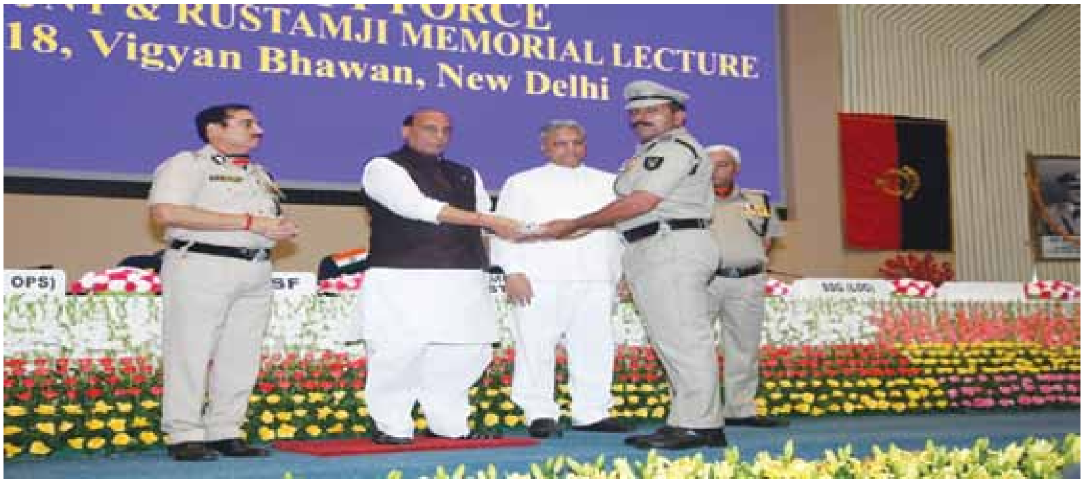

दिनांक 22.05.2018 को अधिष्ठापन समारोह और रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ महानिदेशक बीएसएफ और पुरस्कार प्राप्तकर्ता

(स्रोत: बीएसएफ फोटो सेल)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

8.46 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 345 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है जिनमें 61 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 102 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि-सुरक्षा कवर शामिल हैं। चार दशकों की अवधि में, बल की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह देश का एक प्रमुख बहु-कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्तरिक्ष संस्थापनाओं, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाहों, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्रों, उर्वरक इकाइयों, हवाई अड्डों, जल विद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्रों संवेदनशील सरकारी भवनों तथा विरासती स्मारकों (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ को समूचे देश में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अधिदेशित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिनांक 09.10.2018 को सीआईएसएफ द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सेमिनार के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

(स्रोत: सीआईएसएफ फोटो सेल)

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

8.47 सीआईएसएफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह 7716 कार्मिकों की स्वीकृत नफरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 102 उपक्रमों को अग्नि-सुरक्षा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2018 में (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019) तक आग लगने से संबंधित कुल 3,970 घटनाओं की कॉल (जिनमें आग की 12 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) पर कार्रवाई की गई और कुल 767.07 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया। सीआईएसएफ ने वर्ष 2018-19 (01.01.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान आंतरिक सुरक्षा के लिए 228 कंपनियां और चुनाव ड्यूटी पर 547 कंपनियां तैनात कीं।

8.48 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी-814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 61 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। इनमें सबसे अंत में दिनांक 17.10.2018 को कन्नूर (केरल) हवाई अड्डे को शामिल किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, सीआईएसएफ ने हवाई अड्डे पर 70.03 करोड़ रु. की खोया-पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 15.39 करोड़ रु. की संपत्ति यात्रियों को सौंप दी गई, जबकि 55.64 करोड़ रु. की संपत्ति हवाईअड्डा संचालकों को सौंप दी गई। सीआईएसएफ कार्मिकों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर हथियार और गोलाबारुद के 304 मामलों, जाली ई-टिकट पर एंट्री के 203 मामलों एवं प्रतिबंधित (मादक पदार्थों) के 35 मामलों का भी पता लगाया। सीआईएसएफ कर्मचारियों ने हवाई अड्डों पर दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के बीच 529.83 किग्रा. सोना, 107.07 किग्रा. चांदी और 31.49 करोड़ रु. नकदी का भी पता लगाया और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस सूचना को संबंधित एजेंसियों को भेज दिया।

8.49 विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) नामक सीआईएसएफ का वीआईपी सुरक्षा विंग वीवीआईपी/वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 88 वीवीआईपी/वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में एसएसजी/सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। सीआईएसएफ नई दिल्ली में 46 संवदेनशील और अति-संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा और अग्निशमन से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके। सीआईएसएफ 345 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है जिनमें से 245 इकाइयां (दिनांक 31.03.2019 तक) अपराध मुक्त हैं।

8.50 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सेवा में लगाया गया था और इसके कार्मिकों की वर्तमान संख्या 12269 है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 239 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 30-32 लाख है। वर्ष 2018 (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में 1.28 करोड़ रु. की खोया-पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 1.02 करोड़ रु. की संपत्ति वास्तविक मालिक को सौंप दी गई, जबकि 26.00 लाख रु. की संपत्ति डीएमआरसी को सौंप दी गई। इस अवधि के दौरान गुमशुदा बच्चों के 254 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 93 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से पुनः मिलवा दिया गया और शेष मामलों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (डीएमआरपी) को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ कार्मिकों ने 07 यात्रियों को आत्महत्या करने से भी बचाया।

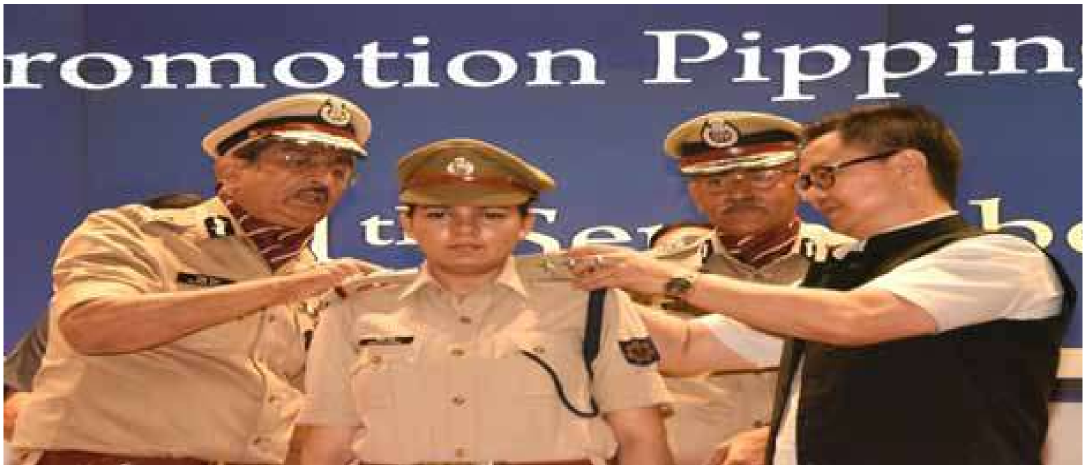

गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू और श्री राजेश रंजन, आईपीएस, महानिदेशक, सीआईएसएफ दिनांक 11.09.2018 को मेट्रो भवन, नई दिल्ली में सीआईएसएफ कार्मिकों की पदोन्नति अलंकरण समारोह के दौरान

(स्रोतः सीआईएसएफ फोटो सेल)

विदेश में तैनाती

8.51 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक टुकड़ी दिनांक 17.08.2008 से हैती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच) में तैनात है। अब, एमआईएनयूएसटीएएच को दिनांक 16.10.2017 से हैती में एक नए मिशन अर्थात् यूनाइटेड नेशंस मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट (एमआईएनयूजेयूएसटीएच) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। टुकड़ी ने दिनांक 01.12.2018 से अपना अभियान बंद कर दिया और दिनांक 31.12.2018 को अंततः भारत लौट आई। टुकड़ी को हैती राष्ट्रीय पुलिस (एचएनपी) को सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराने का प्रतिष्ठापूर्ण कार्य सौंपा गया था और इस टुकड़ी ने प्रचालन संबंधी विभिन्न कार्यों, स्थिर सुरक्षा संबंधी ड्यूटी, स्थानीय पुलिस को सहायता प्रदान करने तथा रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर आदि जैसी विभिन्न मानवीय परियोजनाओं के संचालन में काफी अच्छा कार्य प्रदर्शन किया। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मानस्वरूप, इस टुकड़ी की कई बार प्रशंसा एवं सराहना की गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

8.52 शुरु में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में इसकी स्वीकृत क्षमता 246 बटालियनों की है तथा इसके पास 43 ग्रुप सेन्टर, 20 प्रशिक्षण संस्थान, 7 शस्त्र कार्यशालाएं तथा 3 केन्द्रीय शस्त्रागार हैं। इस बल में, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय/महानिदेशालय के अलावा, 4 स्पेशल डीजी जोन, 21 आईजी सेक्टर, 02 आईजी ऑपरेशन सेक्टर, 39 रेंज, 17 ऑपरेशन रेंज और 04 सौ बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पताल तथा 17 पचास बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पताल के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संघटन भी हैं। यह बल इस समय कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह-रोधी, उग्रवाद-रोधी और नक्सल-रोधी अभियानों सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने और नक्सलियों/उग्रवादी समूहों/विद्रोहियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की 06 महिला बटालियनें और 15 आरएएफ बटालियनों में प्रत्येक में 96 महिलाओं वाली 01 महिला टुकड़ी भी है और नक्सलवाद से लड़ने के लिए गठित बस्तरिया बटालियन में विभिन्न रैंकों में 242 महिला कार्मिक भी तैनात हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

इस बल की संख्या 3,24,824 है। वर्ष 2018-19 में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर, नक्सल प्रभावित राज्यों में आतंकवाद, उग्रवाद एवं विद्रोह का सामना करने तथा शेष भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए कुल 235 बटालियनें (06 महिला, 10 कोबरा बटालियन एवं 15 आरएएफ सहित) तैनात की गई थीं।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

8.53 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक सीआरपीएफ की अभियान संबंधी प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

i.	मारे गए माओवादी/आतंकवादी	306
ii.	गिरफ्तार किए गए माओवादी/आतंकवादी	2016
iii.	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/आतंकवादी	127
iv.	बरामद किए गए हथियार	960
v.	बरामद किए गए गोला-बारुद	31724
vi.	बरामद किए गए विस्फोटक (किग्रा.)	1724.22
vii.	बरामद किए गए ग्रेनेड (सं.)	387
viii.	बरामद किए गए बम	100
ix.	बरामद की गई आईईडी	451
x.	बरामद किये गए डेटोनेटर	16795
xi.	बरामद की गई जिलेटिन स्टिक	9822
xii.	बरामद की गई नकदी (रु.)	2,45,71,988 रु.
xiii.	बरामद किए गए स्वापक पदार्थ (किग्रा. में)	20912.45

8.54 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, 74 सीआरपीएफ कार्मिकों ने कार्रवाई के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया।

8.55 सीआरपीएफ में एक एकीकृत अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) सॉफ्टवेयर सेलो कार्य कर रहा है और इसका प्रयोग यूनिट स्तर तक सीआरपीएफ के सभी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। यह काफी हद तक कार्मिक सूचना प्रणाली, पे रोल और सूची (इनवेंटरी) प्रबंधन संबंधी आवश्यकताएं पूरा करता है।

8.56 प्रावधान/खरीद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीक पर एक विशिष्ट नवीन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एनएफएमएस) विकसित की गई है। सीआरपीएफ में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इस एप्लीकेशन का आवधिक स्तरोन्नयन भी किया जा रहा है। सीआरपीएफ के सभी कार्यालयों में बजट के संवितरण और व्यय की मानीटरिंग के लिए एक विशिष्ट नवीन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एनएफएमएस) जोड़ी गई है। इस एप्लीकेशनल को भारत सरकार की परियोजना लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत कर दिया गया है ।

8.57 सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों तथा पीएओ द्वारा भविष्य का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। भविष्य के उपयोग से पेंशन लाभ के भुगतान की ट्रैकिंग बहुत कारगर हो गई है। यह एक उपयोगी तंत्र है जिसमें सभी पेंशन मामलों की स्थिति की केंद्रीय तौर पर निगरानी की जा सकती है।

सीआरपीएफ में त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ)

8.58 वर्ष 1991 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया था और इन्हें त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की 4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आरएएफ के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों और इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से 10 संवदेनशील स्थानों पर अवस्थित हैं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को स्वतंत्र पद्धति से संगठित किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

8.59 आर.ए.एफ. की कंपनियां विभिन्न उत्सवों और साम्प्रदायिक दंगों आदि के दौरान, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी का निर्वाह करने और शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्पावधिक आधार पर तैनात की जाती हैं। आर.ए.एफ. बटालियनों

की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सीआरपीएफ की 05 और कार्यकारी बटालियनों को आर.ए.एफ. बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

8.60 सीआरपीएफ की ये आरएएफ बटालियनें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:-

क्रम सं.	राज्य	स्थान	यूनिट
1.	राजस्थान	जयपुर	83 आर.ए.एफ.
2.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	91 आर.ए.एफ.
3.	कर्नाटक	मंगलौर	97 आर.ए.एफ.
4.	तेलंगाना	रंगारेड्डी	99 आर.ए.एफ.
5.	गुजरात	अहमदाबाद	100 आर.ए.एफ.
6.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101 आर.ए.एफ.
7.	महाराष्ट्र	नवी मुम्बई	102 आर.ए.एफ.
8.	दिल्ली	वजीराबाद	103 आर.ए.एफ.
9.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	104 आर.ए.एफ.
10.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	105 आर.ए.एफ.
11.	झारखंड	जमशेदपुर	106 आर.ए.एफ.
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल	107 आर.ए.एफ.
13.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	108 आर.ए.एफ.
14.	बिहार	हाजीपुर (वैशाली)	114 आर.ए.एफ.
15.	हरियाणा	नूह	194 आर.ए.एफ.

सीआरपीएफ में कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

8.61 कोबरा-दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन, एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है, जिसका गठन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए किया गया है। जंगल वैरियर्स के रूप में भी ज्ञात, कोबरा का चयन आयु एवं अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सीआरपीएफ कार्मिकों में से किया जाता है। वर्ष 2008-11 के बीच गठित 10 कोबरा बटालियनों का गठन किया गया था और उन्हें प्रशिक्षित, सुसज्जित और एलडब्ल्यू प्रभावित राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और असम तथा मेघालय में भी तैनात किया गया है। जंगलों में रहने, लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित देश की यह एक श्रेष्ठ कमांडो यूनिट है। जंगल युद्ध कौशल एवं युक्ति में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए एक कोबरा विद्यालय भी संचालन में है और बल कार्मिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.62 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान अभियान संबंधी उपलब्धियों के लिए कोबरा बल को वीरता के लिए 01 पुलिस पदक (मरणोपरांत), वीरता के लिए 33 पुलिस पदक, 02 शौर्य चक्र, 19 पराक्रम पदक एवं 321 डीजी डिस्क प्रदान किए गए हैं।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी)

8.63 आईटीबीपी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इसका गठन मूलतः आपूर्ति, संचार एवं आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत "गुरिल्ला-सह-आसूचना-सह-लड़ाकू बल" की अवधारणा के अंतर्गत किया गया था। यह बल समय के साथ परंपरागत सीमा प्रहरी बल के रूप में विकसित हो गया। आज आईटीबीपी 3,488 किमी. लम्बी भारत-चीन सीमा की रक्षा करती है और लद्दाख में कराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फुट से लेकर 18,750 फुट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 178 सीमा चौकियों (बीओपी) का संचालन कर रही है। आईटीबीपी की 08 बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। यह बल 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सर्विस बटालियनों, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनों, 02 आपदा प्रबंधन बटालियनों और 14 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 89,437 है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

8.64 पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की योजना दो मार्गों, अर्थात उत्तराखंड में लिपुलेख पास और सिक्किम में नाथुला के मार्ग से बनाई गई थी। लिपुलेख पास से 18 बैचों एवं नाथुला से 10 बैचों में 1299 तीर्थयात्रियों (945 पुरुष और 354 महिलाएं) ने सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। आईटीबीपी ने यात्रियों को चिकित्सा, संचार एवं सुरक्षा कवर प्रदान किया।

आईटीबीपी की टुकड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को चिकित्सा, संचार एवं सुरक्षा कवर प्रदान करती हुई

(स्रोत : आईटीबीपी)

आपदा प्रबंधन

8.65 भारत तिब्बत सीमा पुलिस को हिमालय क्षेत्र में प्रथम कार्रवाई बल के रूप में नामित किया गया है और यह बल हिमाचल प्रदेश में 03 (कुल्लू, सराहन, रेकांगपिओ), उत्तराखंड में 03 (मातली, गौचर, पिथौरागढ़) तथा सिक्किम (गंगटोक) में 1 अर्थात कुल मिलाकर 07 क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र(आरआरसी) स्थापित करने वाला पहला पुलिस बल था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियों ने अपने दायित्व वाले क्षेत्र में आई सभी प्रकार की आपदाओं में कई बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भानु, हरियाणा में "राष्ट्रीय तलाशी, बचाव एवं आपदा मोचन प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएसआरडीआर)" नामक एक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.66 आईटीबीपी के सैन्य दलों ने 14 बचाव अभियान (उत्तराखंड में 07, मध्य प्रदेश में 02, हिमाचल प्रदेश में 03, केरल में 01, एवं जम्मू और कश्मीर में 01) चलाए हैं, जिनमें 2254 व्यक्तियों के बहुमूल्य जीवन को बचाया गया और 28 शव निकाले गये।

खेलकूद संबंधी उपलब्धियां

8.67 आईटीबीपी ने विभिन्न खेलकूदों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आईटीबीपी के खिलाड़ियों ने दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं अखिल भारतीय पुलिस गेम्स/ड्यूटी मीट के दौरान 53 स्वर्ण, 59 रजत और 75 कांस्य (कुल- 187) पदक जीते।

विदेश में उत्तरदायित्व

8.68 आईटीबीपी काबुल में भारतीय दूतावास (ईओआई) और अफगानिस्तान के जलालाबाद, कंधार, हेरात एवं मजार-ए-शरीफ में स्थित 04 अन्य कांसुलेट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस कार्य में कुल 349 आईटीबीपी अधिकारियों एवं 03 एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव (ईडी) श्वानों का उपयोग किया जा रहा है।

8.69 वर्तमान में 140 आईटीबीपी कार्मिकों वाली 12वीं कांगो टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के किसनगनी में तैनात है।

नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम

8.70 वर्ष 2018-19 के दौरान सीमावर्ती गांवों की आबादी के दिलों और दिमाग को जीतने के लिए नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी) के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं:-

क) सीमावर्ती गाँव फुटबाल प्रतियोगिता "आईटीबीपी मैत्री कप" के दूसरे भाग का आयोजन स्वतंत्रता दिवस समारोह 2018 के हिस्से के रूप में उत्तर-पूर्व, पूर्वी और उत्तरी फ्रंटियर्स में किया गया।

इस प्रतियोगिता में कुल 66 टीमों, जिसमें 155 सीमावर्ती गांवों के 910 खिलाड़ी शामिल थे, ने भाग लिया।

ख) 237 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए जिनमें 21265 ग्रामीण लाभान्वित हुए। 74 पशु चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए थे और इनमें 16346 पशुओं का इलाज किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)

8.71 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का गठन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1984 में किया गया था। यह हमलावर बल सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा कार्मिकों का एक विशिष्ट संगठन है। दिनांक 26.11.2008 के मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात, कार्रवाई संबंधी मैट्रिक्स को कम करने और पूरे भारत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय हब (मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता) स्थापित किए गए थे। वर्ष 2016 में, गांधीनगर में पांचवा हब अस्तित्व में आया।

8.72 फेडरल कंटिजेंसी फोर्स के रूप में, एनएसजी को अपनी श्रेष्ठता की परिपाटी के साथ कई सफल आतंकवाद-रोधी अभियानों का श्रेय प्राप्त है। विगत कुछ वर्षों में, एनएसजी ने अपनी प्रशिक्षण एवं आपरेशनल कार्यक्षमता के उच्च मानदण्डों की वजह से 'सर्वोत्कृष्ट' होने की स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने समर्पण, साहस, सर्जिकल अभियान संबंधी क्षमताओं की वजह से इस विशिष्ट बल के कमांडो 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।

मुम्बई में दिनांक 22.09.2018 से 29.09.2018 तक अपहरण रोधी (सीएच) प्रशिक्षण

(स्रोतः एनएसजी आर्काइव)

ऑपरेशन

8.73 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो आतंकवाद-रोधी, अपहरण-रोधी और बम निष्क्रियकरण अभियान जैसे अत्यधिक-जोखिम वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। उनको सुरक्षा प्राप्त नामित व्यक्तियों को 'गहन सुरक्षा' प्रदान करने का कार्य भी सौंपा जाता है। अवधि के दौरान चलाए गए अभियानों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है:-

(क) **तत्काल बैक-अप सुरक्षा आपरेशन (आईबीयूएस)-** किसी भी आतंकी हमले को विफल करने के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह सहित राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में आईबीयूएस आपरेशनों के लिए एनएसजी टास्क फोर्स (टीएफ) तैनात किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, एनएसजी द्वारा 49 आयोजनों को कवर किया गया है।

(ख) **ऑपरेशन ब्लैक क्वैरी और रेंडर सेफ प्रोसीजर (आरएसपी)-** ऑपरेशन ब्लैक क्वैरी के तहत, उन महत्वपूर्ण स्थलों जहाँ वीवीआईपी जाते हैं और उन महत्वपूर्ण स्थानों, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, वहां एनएसजी बम निष्क्रियकरण दलों ने विध्वंस-रोधी जांच की। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के दौरान जिन स्थानों पर राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री सहित वीवीआईपी और विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा होता है, उन स्थानों पर भी आरएसपी का संचालन किया गया।

(ग) **मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज (होवरक्रॉफ्ट ट्रेनिंग)-** एनएसजी ने तट रक्षक के साथ होवरक्राफ्ट ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण दिनांक 20.04.2018 से 09.05.2018 तक चेन्नई और कोलकाता में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य एनएसजी कमांडो को होवरक्राफ्ट से परिचित कराना और भारतीय तटरक्षक के साथ तालमेल में सुधार करना था।

(घ) **सिंगल सिटी मल्टीपल टारगेट काउंटर टेररिस्ट (एक्स चक्रव्यूह)-** दिल्ली में दिनांक 04.07.2018 और 05.07.2018 को एक सिंगल सिटी मल्टीपल टारगेट काउंटर टेररिस्ट अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिक्रिया मैट्रिक्स का अभ्यास करना और आतंकवाद के किसी भी कृत्य का मुकाबला करने के लिए दिल्ली और एनसीआर के भीतर सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना था।

(ङ) **क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स (सीपीएफ)-** क्लोज प्रोटेक्शन ड्यूटी के लिए विशिष्ट अभिविन्यास, सामरिक कौशल और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए बल के लगभग 1122 कार्मिकों ने अब तक मास टैक्टिकल माइग्रेशन कार्यक्रमों (07 पाठ्यक्रमों में) में हिस्सा लिया है। सीपीएफ ने राज्यों के क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में प्रॉक्सिमेट सुरक्षा ड्यूटी को करने वाले राज्य पुलिस बलों के 500 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।

प्रशिक्षण

8.74 एनएसजी (विशेषज्ञ) पाठ्यक्रम- उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित संख्या में एनएसजी कार्मिकों को एनएसजी विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया:-

(क) यूएसी	–	45
(ख) बंधक वार्ता	–	10
(ग) सीबीआरएनई	–	43
कुल	–	**98**

8.75 एनएसजी (क्षमता निर्माण) पाठ्यक्रम -

(क) एनएसजी ने राज्य स्तर पर फर्स्ट रेसपोन्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रशिक्षण अधिदेश के अतिरिक्त, रीजनल हबों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी (सीटी), बम निष्क्रियण (बीडी), के 9 और स्नाइपर्स को शामिल करते हुए राज्य बलों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

(ख) प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर के तत्वावधान में एनएसजी विभिन्न क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम संचालित करता है। इस अवधि के दौरान, राज्य पुलिस/सीएपीएफ के 943 कार्मिकों को क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(i) पुलिस कमांडो कोर्स	–	240
(ii) पीएसओ कोर्स	–	214
(iii) टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स	–	107
(iv) बीडी कोर्स	–	382
कुल	–	**943**

8.76 **18वां अंतर्राष्ट्रीय एनएसजी सेमिनार (13.02.2018 और 14.02.2018) -** "आईईडी के क्षेत्र में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी रुझान" एवं "इस समस्या से निपटने में हमारी रणनीति" एवं "आतंकवाद- रुझान एवं प्रतिरोधी रणनीति" थीम पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय एनएसजी सेमिनार दिनांक 13.02.2018 और 14.02.2018 को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में आयोजित किया गया, जिसमें 171 भारतीय प्रतिनिधियों और 19 विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

19वां अंतर्राष्ट्रीय एनएसजी सेमिनार (13.02.2019 और 14.02.2019)- एनएसजी द्वारा 19वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार दिनांक 13.02.2019 और 14.02.2019 को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी एवं बीपीआरएंडडी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

प्रथम दिवस की थीम

सत्र 1 : आईईडी के उभरते खतरे : प्रतिरोधी उपाय तैयार करना

सत्र 2 : सीआईईडी रणनीति तैयार करने के लिए व्यापक एप्रोच, प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी एवं बीपीआरएंडडी, ऑडिटोरियम, नई दिल्ली।

द्वितीय दिवस की थीम

सत्र 3 : वैश्विक आतंकवाद एवं भारतीय प्रतिक्रिया

सत्र 4 : आतंकवाद का मुकाबला : बहु एजेंसी कार्रवाई

सत्र 5 : संवाद- फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में मीडिया रणनीति-प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी एवं बीपीआरएंडडी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, जिसमें 22 विदेशी प्रतिनिधियों सहित विभिन्न केंद्रीय संगठनों के 210 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

8.77 प्रशिक्षण संबंधी विदेश यात्राएं–

(क) एनएसजी के सदस्य सीटी से संबंधित संयुक्त कार्य दल का अंतर्निहित भाग बन गए हैं, जो आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण में सहायता के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ आयोजित किए जाते हैं। पिछले एक वर्ष में, 08 अधिकारी ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका, उजबेकिस्तान, चीन, फ्रांस, कनाडा एवं यूएसए के ऐसे प्रतिनिधिमंडलों का भाग रह चुके हैं।

(ख) 41 एनएसजी अधिकारियों एवं कार्मिकों को आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए समकालीन कौशल और युक्ति सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए विदेशी एक्सपोजर प्रदान किया है।

8.78 खेल-कूद संबंधी गतिविधियाँ– एआईपीएससीबी/एआईपीडीएम के तत्वावधान में निम्नलिखित खेल स्पर्धाएँ आयोजित की गईं: -

(क) एनएसजी कमांडो टीम ने एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र, मानेसर में दिनांक 15.01.2018 से 20.01.2018 तक आयोजित 8वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2018 में भाग लिया और एनएसजी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

(ख) एनएसजी लॉन टेनिस टीम ने सोलन, हिमाचल प्रदेश में 25.02.2018 से 28.02.2018 तक आयोजित 18वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता (एआईपीडीएम)-2017 में हिस्सा लिया और एनएसजी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

(ग) एनएसजी शूटिंग टीम ने दिनांक 06.12.2018 से 11.12.2018 तक एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र, मानेसर में आयोजित 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग (एआईपीडीएम) प्रतियोगिता-2018 में भाग लिया और एनएसजी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

8.79 ई-ऑफिस- एनएसजी दिनांक 18.06.2018 से कागजमुक्त कार्यालय प्रबंधन में परिवर्तित हो गया है। सभी आधिकारिक कार्य एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें ई-फाइल प्रणाली है, जो वर्क-फ्लो आधारित प्रणाली है, जिसमें मौजूदा मैनुअल फाइलों और पत्रों आदि की सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में विद्यमान हैं। वर्तमान में, सभी एनएसजी इकाइयों एवं स्थापनाओं में 1100 से अधिक उपयोगकर्ता ई-ऑफिस में कार्य कर रहे हैं।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

8.80 वर्ष1962 में भारत-चीन संघर्ष के पश्चात् विशेष सेवा ब्यूरो का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़-फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा सशस्त्र सीमा बल के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.81 एसएसबी की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत-

भूटान सीमा पर की गई है। वर्तमान में, बल के पास 73 परिचालित बटालियनों के साथ 79441 कार्मिकों की नफरी तैनात है। इस बल में 01 बल मुख्यालय, 06 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियनें, जिनमें से 02 बटालियनों को एनडीआरएफ बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया है, 03 कंपोजिट अस्पताल, 12 स्वीकृत प्रशिक्षण केंद्र, 04 आरटीसी (भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र), 02 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 01 वायरलेस और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, 01 एसएसबी अकादमी, 01 डॉग ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 01 केन्द्रीय भंडार डिपो एवं कार्यशाला (सीएसडीएंडडब्ल्यू) और 01 चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, 05 अतिरिक्त/सहयोगी प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बल न केवल भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की चौकसी में संलग्न है, बल्कि यह आतंरिक सुरक्षा एवं विद्रोह-रोधी अभियानों से संबंधित कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहा है। इसने अपने कार्मिकों की तैनाती जम्मू एवं कश्मीर के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार के एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित क्षेत्रों में की है।

राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एसएसबी का मार्चिंग दस्ता

(स्रोतः दूरदर्शन)

8.82 ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक)

क्र.सं.	मदें	मामलों की संख्या	मात्रा किग्रा. में	मूल्य रुपए में	गिरफ्तारियों की संख्या
1.	नार्कोटिक्स	380	6109.41 किग्रा.	1,42,44,02,648	312
2.	एफआईसीएन	08	-	5,43,000	08
3.	भारतीय मुद्रा	143	-	2,07,95,846	176
4.	अन्य मुद्राएं	77	-	2,57,97,997	98
5.	निषिद्ध सामग्री/वर्जित वस्तुएं	6583	-	1,17,64,04,635	6802
6.	वन उत्पाद	673	-	17,70,77,601	454
7.	वन्य जीव उत्पाद	59	-	70,43,08,250	24
8.	मवेशी	1024	9447	9,85,91,279	870

9.	सोना	09	3.7340 किग्रा.	99,96,421	09
10.	चांदी	29	89.32 किग्रा.	29,09,578	29
11.	प्राचीन मूर्तियां	05	-	5,48,35,000	06
	कुल	8990	9447 नग/6202.464 किग्रा.	3,69,56,62,255	8837

8.82.1 अवधि के दौरान, निम्नलिखित हथियार/गोला-बारूद/विस्फोटक बरामद किए गए :

क्र.सं.	हथियार	मामलों की संख्या	मात्रा संख्या/किग्रा.	गिरफ्तारियों की संख्या
01	फैक्ट्री में निर्मित हथियार	19	40	21
02	देश में निर्मित हथियार	85	129	104
03	कारतूस	67	2398	91
04	विस्फोटक (संख्या में)	12	266.25 किग्रा./173 नग	07
05	डेटोनेटर	19	6009	21
06	बम	04	21	-
07	गन पाउडर (किग्रा.)	03	0.500 किग्रा.	03
08	आईईडी	10	224 किग्रा./9 नग	-
09	कोरडेक्स	03	327	04
10	अमोनियम नाइट्रेट	01	35.00 किग्रा.	02
11	पावर जेल विस्फोटक	03	0.250 किग्रा.	02
12	नेगेल छड़ी	03	327	04
13	जिलेटिन स्टिक	01	02	-
14	हथगोला	08	68	07

8.82.2 अवधि के दौरान, एसएसबी द्वारा निम्नलिखित गिरफ्तारियां की गईं:

क्र.सं.	विवरण	संख्या
01	माओवादी/माओवादी लिंकमैन	165
02	एनडीएफबी कैडर असामाजिक तत्व	11
03	आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादी	03
04	मारे गए नक्सलवादी	02
05	नक्सलवादी /पीएलएफआईएस	57
06	संदिग्ध /संपर्क व्यक्ति	42
07	अवैध घुसपैठिये (विदेशी)	15
08	अन्य अपराधी/असामाजिक तत्व	7751
09	रोहिंग्या	06
	कुल	**8052**

8.83 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, एसएसबी ने निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित पुरस्कार/पदक प्राप्त किएः-

क्र. सं.	कार्यक्रम/प्रतियोगिता	एसएसबी की टीमों द्वारा अर्जित स्थान/पदक
i)	56 वां बेलग्रेड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट दिनांक 24.04.2018 से 29.04.2018 तक बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित किया गया।	एसएसबी बॉक्सिंग टीम की सीटी/जीडी (महिला) लालफक्मावी राल्टे ने रजत पदक जीता।
ii)	अंतर्राष्ट्रीय वुशु सांडा टूर्नामेंट दिनांक 18.05.2018 से 19.05.2018 तक चीन के चांगक्विंग में आयोजित किया गया	एसएसबी वुशू टीम की सीटी/जीडी रवि पांचाल ने रजत पदक जीता।
iii)	एशियन कप कैडेट्स और जूनियर चैम्पियनशिप -2018 दिनांक 16.07.2018 से 23.07.2018 तक पाविलहाओ, मकाऊ में आयोजित की गई	एसएसबी जूडो टीम के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 02 पदक जीतेः- i) सीटी/जीडी जोबनदीप सिंह- कांस्य पदक ii) सीटी/जीडी रोहित – रजत पदक
iv)	अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट यासर डोगू दिनांक 27.07.2018 से 29.07.2018 तक इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया।	एसएसबी कुश्ती टीम की सीटी/जीडी रजनी ने रजत पदक जीता। इसके अलावा, उन्हें विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, जो दिनांक 22.10.2018 से 27.10.2018 तक हंगरी में आयोजित की गई।
v)	8वीं दक्षिण एशियाई जूडो चैम्पियनशिप-2008 दिनांक 20.04.2018 से 24.04.2018 तक ललितपुर, नेपाल में आयोजित की गई।	एसएसबी सेंट्रल जूडो टीम के सीटी/जीडी जोबनदीप सिंह ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 90 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता।

प्रधानमंत्री के साथ एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता राष्ट्रीय सेपक टकराव दल के सदस्य, एसएसबी के कार्मिक

(स्रोतः एसएसबी)

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान में उठाये गए कदम

8.84 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सभी क्षेत्र इकाइयों द्वारा दिनांक 15.09.2018 से 02.10.2018 के दौरान "स्वच्छता ही सेवा" (एसएचएस) के तहत स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनसमूह अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता एवं जागरूकता सृजन को सामुदायिक जनजागरण गतिविधि बनाना है। एसएसबी ने इस नेक अभियान को प्रमुखता से अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप एसएसबी की सभी इकाइयों में बड़ी संख्या में विशेष अभियान/कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.12.2018 से 15.12.2018 तक अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सभी टुकड़ियों द्वारा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य स्वच्छता एवं सामुदायिक मोबिलाइजेशन गतिविधियों के प्रति जागरूकता का सृजन करना है। एसएसबी ने स्थानीय जनता एवं एसएसबी कार्मिकों के सहयोग और भागीदारी से सभी एसएसबी इकाइयों में बड़ी संख्या में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके इस पुनीत अभियान को बढ़-चढ़कर अपनाया।

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.85 वर्ष 2011-12 से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती योजना को संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार हैः-

क) सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। उम्मीदवारों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एसएमएस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

ख) आवेदन-प्रपत्रों को ओएमआर (ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॅग्निशन) शीट में केन्द्रीय रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि कम्प्यूटरों के माध्यम से तीव्रता से इनकी संवीक्षा की जा सके। लिखित परीक्षा में केवल ओएमआर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु-विकल्प वाले प्रश्न होते हैं।

ग) तथापि, कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा 2018 के लिए गृह मंत्रालय और एसएससी के बीच हस्ताक्षरित संशोधित एमओयू के अनुसार, समूचे देश भर में उम्मीदवारों से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मंगवाने तथा परीक्षा वर्ष 2018 से केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के संबंध में नोडल बल द्वारा पीएसटी/पीईटी का आयोजन किया जाना है और पीएसटी/पीईटी में सफल उम्मीदवारों के संबंध में परिणाम की घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। तद्नुसार, परीक्षा मानदंडों से परिचित होने के लिए देश के सभी हिस्सों विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों/जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर राज्यों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित व्यापक प्रचार किया गया।

घ) पीईटी (शारीरिक क्षमता जांच) अब मात्र अर्हक प्रकृति की होती है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता। साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

ङ) भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी भर्तियों के लिए एसओपी जारी की गई है।

8.86 सीमावर्ती और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता हैः-

क) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख) सीमा चौकसी बलों (नामतः असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है, जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

ग) सीमा चौकसी बलों (बीजीएफ) में 20% रिक्तियां, समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

घ) सीमा चौकसी बलों से भिन्न बलों में, 40% रिक्तियां समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

ङ) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी काफी अधिक संख्या में पद खाली रह जाते हैं, वहां गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार उस विशिष्ट राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियां चलाने का निदेश देता है।

च) भारत सरकार केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। शुरूआती तौर पर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में महिलाओं द्वारा भरे जाने के लिए कांस्टेबल स्तर पर 33% पद और सीमा रक्षक बलों अर्थात् बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में कांस्टेबल स्तर पर 14-15% पद आरक्षित करने के लिए जनवरी 2016 में अनुदेश जारी किए गए हैं। यह आरक्षण होरिजेंटल होगा।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विमान सहायता

8.87 गृह मंत्रालय के संरक्षण में बीएसएफ का एयरविंग, हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों को पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान करने, कार्रवाई के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने-ले-जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सीएपीएफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग हैं। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और अभी इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। इस समय, इसके बेड़े में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्जीक्यूटिव जेट, 02 एवीआरओ एचएस- 748, 06 एमआई-17 1वी, 08 एमआई-17 वी 5, 06 एएलएच/ध्रुव एवं 01 चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा

8.88 सरकार ने एसआर 48 बी 4 (क) में निहित प्रावधानों के तहत एक वर्ष के बाद समीक्षा की शर्तों पर, सीएपीएफ, एआर और एनएसजी के गैर-हकदार कार्मिकों को आधिकारिक ड्यूटी/स्थानांतरण/यात्रा एवं अवकाश (जम्मू में बेस प्वाइंट पर खत्म/शुरू) पर जम्मू से श्रीनगर तक आने-जाने के लिए हवाई यात्रा करने और आधिकारिक ड्यूटी/स्थानांतरण/यात्रा पर दिल्ली से श्रीनगर आने-जाने के लिए हवाई यात्रा करने की अनुमति दी है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

8.89 आधुनिकीकरण योजना-II की समाप्ति के बाद, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 08.06.2018 को आधुनिकीकरण योजना-III को दो वर्षों के लिए दिनांक 31.03.2020 तक कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी गई है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का केंद्र बिंदु जवान है। सामान्य थीम, जो फिर से तैयार की गई हैं, इस प्रकार हैः

क) सुरक्षात्मक उपकरण समाधान
ख) सर्विलांस सॉल्यूशंस
ग) नाइट फाइटिंग डॉमिनेंस
घ) बेहतर फायर पावर
ड.) गैर-घातक दंगा नियंत्रण उपकरण
च) फूल प्रूफ संचार
छ) रणभूमि प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सहायता

8.90 आधुनिकीकरण योजना-III (के.स.पु.बल-वार) के वित्तीय निहितार्थ का सार निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

बल का नाम	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)
एआर	140.78
बीएसएफ	282.47
सीआईएसएफ	104.35
सीआरपीएफ	302.23
आईटीबीपी	102.02
एनएसजी	49.22
एसएसबी	71.93
कुल	1053.00

आधुनिकीरण योजना-III की मुख्य विशेषताएं

8.91 आधुनिकीकरण योजना-III में, निम्नलिखित हथियारों और उपकरणों को पेश किया गया है:-

क) अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल), मल्टी ग्रेनेड लांचर (एमजीएल), उन्नत पिस्तौल, एडवांस्ड सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल आदि जैसे हथियार।

ख) मानव-रहित हवाई वाहन, उन्नत स्माल आर्म्स सिम्युलेटर, हैवी लिफ्ट रिमोट ऑपरेटेड वाहन, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई)/थर्मल साइट्स/रात्रिकालीन अवलोकन उपकरण (एनवीडी), उन्नत चिकित्सा उपकरण, स्काई मार्शल बैग, के 9 कैमरा सिस्टम, बुलेट रेसिस्टेंट नौकाएं आदि जैसे उपकरण।

ग) लाइट/मीडियम बुलेट प्रूफ वाहन, माइन-सुरक्षित वाहन, हलके हथियार से लैस ट्रूप कैरियर, आतंकवाद-रोधी वाहन, माइन रेसिस्टेंट आर्म्ड आल टेरेन वाहन आदि।

घ) जैमर्स एवं इंटरसेप्टर्स सहित संचार उपकरण।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय

8.92 आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा निष्पादित की जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च जोखिम वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए विगत 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है:

वर्ष 2009-2010 से 2018-19 (दिनांक 31.03.2019 तक) की अवधि के दौरान सीएपीएफ पर वास्तविक व्यय (करोड़ रूपए में)								
वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2009-2010	1599.02	4472.66	1978.88	5262.33	1134.05	231.70	801.31	15479.95
2010-2011	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011-2012	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012-2013	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-2014	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-2015	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42288.04
2015-2016	3804.59	12597.42	5045.52	13475.23	3669.35	581.49	3606.26	42779.86
2016-2017	4917.44	15574.77	7013.85	17328.26	5086.73	835.58	4619.46	55376.09
2017-2018	5318.39	16968.28	7889.67	19517.83	5663.50	1131.68	5275.17	61764.52
2018-2019′	5899.67	19469.77	9220.91	23126.24	6190.72	1115.72	6050.39	71143.42

*व्यय 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

अवसंरचना का विकास

8.93 वर्ष 2018-19 (31.03.2019 तक) के दौरान, सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए 2042.72 करोड़ रु. और भूमि के अधिग्रहण के लिए 610.66 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आवास परियोजना

8.94 सरकार ने दिनांक 10.11.2015 के आदेश के माध्यम से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 3090.98 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से 13,072 मकानों और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसमें से 8194 मकानों का निर्माण कार्य सौंप दिया गया है, 280 मकानों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है और दिनांक 31.03.2019 तक 4598 मकानों का निर्माण हो गया है।

भत्ते

8.95 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक अनेक भत्तों, जैसे कि, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, डिटैचमेंट भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, राशन मनी भत्ता, पोशाक भत्ता, अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता, सीपीएम भत्ता, शैक्षिक रियायत भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता और पीबीओआर के लिए आवास, सीआईएसएफ कर्मियों के लिए अग्निशमन भत्ता आदि के हकदार हैं।

8.96 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्ते, यथा मकान किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि प्राप्त करने के भी पात्र हैं। तथापि, तैनाती के स्थान, पात्रता के मानदंडों और ऐसे भत्तों से संबंधित निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर भत्तों की दरें तथा पात्रता भिन्न-भिन्न होती है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

8.97 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) भी स्थापित किया गया था। डब्ल्यूएआरबी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण देश में 06 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 151 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं।

8.98 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी-कभी, किसी आतंकवाद-रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग-भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई हैं। इन सबके अलावा, दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल्स और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस कर्मियों के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए 83.09 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स को विशेष कल्याण अनुदान (एसडब्ल्यूजी) के रूप में 8.95 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस)

8.99 सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस) शुरू की गई थी। 119 मास्टर कैंटीनें और 1787 सहायक कैंटीनें गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीएफसीएस को जीएसटी से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है।

8.100 इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बगैर लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी के सामानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए 379 से अधिक प्रसिद्ध विनिर्माता/फर्में, केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सीपीसी) के साथ सूचीबद्ध/पंजीकृत की गई हैं। सीपीएफसी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रुझान जारी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसका टर्नओवर, वर्ष 2017-18 में 1530.00 करोड़ रुपए की तुलना में 1364 करोड़ रु. था। केन्द्रीय पुलिस कैंटीन प्रणाली में स्मार्ट कार्ड लागू करने हेतु 02 मास्टर कैंटीनों और उनसे जुड़ी सहायक कैंटीनों में एक पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

8.101 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते। उनके बच्चे पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, सीएपीएफ के सेवारत, सेवानिवृत्त और विकलांग कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पूर्व वर्ष के नवीकरण मामलों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, इंजीनियरी, सूचना, व्यावसायिक प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल 2000 छात्रवृत्तियां (लड़कियों के लिए 1000 और लड़कों के लिए 1000) प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

8.102 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी ड्यूटी कठिन परिस्थितियों के अधीन असुविधाजनक वातावरण में निष्पादित करते हैं और उन्हें सीमाओं पर ऊँचाई वाले स्थानों पर अथवा नक्सलियों एवं आतंकवादियों के विरूद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्वित करने के लिए और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने के लिए, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होता है, सीएपीएफ ने अपने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:-

क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वह अपेक्षित उपकरणों से लैस है।

ख) सम्पूर्ण देश में पचास बिस्तर वाले 32 कम्पोजिट अस्पतालों, सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों और ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में 200 बिस्तर वाले एक रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है।

ग) इन कम्पोजिट अस्पतालों और रेफरल अस्पताल के माध्यम से, कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

घ) 200 बिस्तर वाला रेफरल अस्पताल सीएपीएफ का एक विशिष्ट देखभाल सुविधा वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और इसने दिनांक 15.10.2015 से ग्रेटर नोएडा में कार्य करना शुरू कर दिया है। यह अस्पताल सभी सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों को विशिष्ट स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराता है। सीएपीएफ कार्मिकों की विशिष्ट देखभाल एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए इस अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञों को तैनात करने के सभी प्रयास कए जा रहे हैं।

ङ) किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सीएपीएफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सीएपीएफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

च) नए मंजूर किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) के निर्माण का कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपा गया है। सीएपीएफआईएमएस निर्माणाधीन है। सीएपीएफआईएमएस परियोजना के अवसंरचनात्मक विकास के लिए दिनांक 30.11.2015 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1219.21 करोड़ रुपये का एए एंड ईएस मंजूर किया गया है।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

8.103 महिला सशक्तिकरण समिति (2010-11) ने अपनी छठी रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) और नौवीं रिपोर्ट में 'अर्ध सैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर सिफारिशें दी हैं। समिति की उपर्युक्त रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों एवं टिप्पणियों की जांच की गई है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

8.104 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, सिलेबस का पुनर्विन्यास, अधिकाधिक महिलाओं को अभियान संबंधी ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

क. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित की हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठनों से अध्यक्ष की तैनाती कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ख. सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर-सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। उन्हें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच में शामिल किया जाता है। अर्ध सैनिक बलों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ-साथ, यौन उत्पीड़न से संबंधित में अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग, आवधिक विवरणियों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी से उनका निपटान किया जा सके।

ग. महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने एवं सरकारी सेवाओं में इसके प्रभाव के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

घ. सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। चूंकि वाहनों में परिवर्तन करना संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर शामिल है, इसलिए जरूरत के आधार पर पर्याप्त संख्या में वाहनों में तदनुसार बदलाव किया जा सकता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालयों का भी प्रावधान किया जा सके।

ङ. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और

'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है और क्रेच से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

च. कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए और बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए भी, सरकार ने सीआरपीएफ में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान 2 पुरुष बटालियनों की बजाय 2 महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

छ. दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिशत

क्र.सं.	बल	महिलाओं की नफरी	प्रतिशत
1	सीआरपीएफ	8305	2.77
2	बीएसएफ	5226	2.16
3	सीआईएसएफ	8591	6.04
4	आईटीबीपी	1954	2.36
5	एसएसबी	2032	2.56
6	एआर	800	1.33
	कुल	**26908**	**2.97**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

8.105 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप-चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के साथ-साथ स्थानीय नगरपालिका चुनावों के दौरान कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में भी सहायता प्रदान की है।

8.106 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों में उप चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इकट्ठा कर तैनात किया गया। भारी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस/इंडिया रिजर्व बटालियन/बार्डर विंग होम गार्ड को भी इकट्ठा किया गया और त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम एवं तेलंगाना के विधान सभा चुनावों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा, मार्च, 2019 महीने में सीधी तैनाती के साथ-साथ मौजूदा तैनाती से बड़ी संख्या में सीएपीएफ/आईआर बटालियन/बीडब्ल्यूएचजी को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आम संसदीय चुनाव-2019 के दौरान देश भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात करने का आदेश दिया गया है।

8.107 वर्ष 2018-19 के दौरान (मार्च, 2019 तक), सीएपीएफ ने आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर के राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सहायता देना जारी रखा। निम्न कार्यों के लिए भी अतिरिक्त सीएपीएफ उपलब्ध कराए गए:

(i) जम्मू एवं कश्मीर सरकार को श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों/पंचायत चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए।

(ii) असम सरकार को एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए।

8.108 अनेक राज्यों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्‌भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सीएपीएफ/त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) को तैनात किया गया।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

8.109 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमता सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें) गठित किए जाने की एक योजना शुरू की गई थी।

8.110 अब तक, 185 आईआर बटालियनों की मंजूरी दी जा चुकी है और राज्यों द्वारा 144 बटालियनों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 2016 से 2018 के बीच हाल में मंजूर की गई 40 आईआर बटालियनों का गठन किया जाना अभी बाकी है। 08 स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) को दिनांक 27.08.2018 के गृह मंत्रालय के पत्र द्वारा आई आर बटालियन में परिवर्तित किया गया है।

8.111 आईआर बटालियनों के लिए वर्तमान निधिकरण की पद्धति निम्नानुसार है:

(i) एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रु. है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके 75% राशि (26.19 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25% राशि का वहन स्वयं किया जाएगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आईआर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50% हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

(iii) इस प्रकार, एक आईआर बटालियन के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 51.19 करोड़ रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

8.112 बजट अनुमान 2018-19 में, आईआर बटालियनों के गठन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत 55.00 करोड़ रू. और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत 5.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। आज की तिथि के अनुसार, राज्यों को अनुदान सहायता के तहत 55.00 करोड़ रु. तथा ऋण और अग्रिम के तहत 2.169 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है/उपयोग किया गया है। ऋण एवं अग्रिम के तहत 2.831 करोड़ रु. की शेष राशि की मंजूरी दे दी गई है।

8.113 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के घटक के साथ विशेषज्ञता प्राप्त इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) की एक योजना इस लक्ष्य के साथ अनुमोदित की गई थी कि ये एसआईआरबी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी।

8.114 वर्तमान में 03 एसआईआरबी मौजूद हैं- छत्तीसगढ़ में 02 और मध्य प्रदेश में 01, जिन्हें राज्यों द्वारा इंजीनियरिंग घटक सहित गठित किया गया है।

एसआईआरबी के लिए वित्तीय मानदंड

8.115 भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों तक इसकी पूरी लागत, छठे वर्ष में 75% लागत, सातवें वर्ष में 50% लागत और आठवें वर्ष में 25% लागत का वहन किया जाएगा। नौवें वर्ष से इसकी लागत का वहन संपूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रति एसआईआरबी प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल लागत (अधिकतम) 161.00 करोड़ रु. है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

पहले 8 वर्षों के लिए वेतन एवं भत्ते	117.00 करोड़ रु.
गठन की एक बारगी लागत	19.00 करोड़ रु.
पूंजीगत लागत (भूमि की लागत को छोड़कर)	25.00 करोड़ रु.

8.116 बजट अनुमान 2018-19 में, एसआईआरबी के गठन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान सहायता के तहत 15.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। अब तक, छतीसगढ़ राज्य को 15.00 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई है/उपयोग किया गया है।

प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

8.117 कानून और व्यवस्था, पुलिसिंग और आतंकवाद-रोधी अभियानों से संबंधित नई प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपकरणों के क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए, रूसी संघ की सरकारी कंपनी "रोस्टेक" के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, दंगा-रोधी उपकरण, यूएवी, बुलेट प्रूफ वाहनों, माइन डिटेक्टरों और आधुनिक हथियारों विशेष रूप से छोटे हथियारों के संबंध में विशिष्ट प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई।

संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) और रूसी सरकार के राज्य निगम "रोस्टेक" के प्रतिनिधि के बीच दिनांक 04.12.2018 को नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय में आयोजित बैठक।

(स्रोतः पीएम डिवीजन, गृह मंत्रालय)

*****

अध्याय - 9

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

9.1 देश में पुलिस की जरूरतों और समस्याओं का पता लगाने के लिए दिनांक 28.08.1970 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई थी। यह उभरती हुई चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत विकल्पों का सुझाव देने के लिए समुचित अनुसंधान परियोजनाएं एवं अध्ययन कार्य करता है। बीपीआरएंडडी ने 'सीओपीपीएस' (पुलिस व्यवस्था के मानकों का संवर्धन करने वाले संगठन का संगम) नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो विभिन्न क्षेत्रों के सभी संस्थानों को एकीकृत करता है, ताकि पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों का समावेशन करने के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं की शुरूआत हो सके। 'सी 4सी' (नागरिकों के लिए केंद्र), एक वर्चुअल इंटरफेस भी उपलब्ध है, जो पुलिस सेवाओं में सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के इच्छुक जिम्मेदार नागरिकों को साथ जोड़ता है। मई, 2018 में आयोजित हुये सीओपीपीएस के पहले सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, साइबर-अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डार्क वेब, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस और भविष्यसूचक पुलिस व्यवस्था पर गहन विचार-विमर्श हुआ। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं, जिनके अंतर्गत पुलिस एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालने की आवश्यकता महसूस की गई है। इनमें पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम का प्रभाव आकलन, अपराध पीड़ा का सर्वेक्षण, गवाह संरक्षण योजना, राजमार्ग सुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, छात्र पुलिस कैडेट योजना, पुलिस अधिनियम (सेवा अभिविन्यास और व्यावसायिकता में वृद्धि) का नया ड्राफ्ट इत्यादि शामिल हैं।

ड्यूटियों का चार्टर

9.2 विभिन्न प्रकार के अपराधों और पुलिस को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रकृति की समस्याओं का अध्ययनः

- विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति और कारण।
- अपराध निवारण संबंधी उपाय, उनकी प्रभावकारिता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के साथ संबंध।
- वैज्ञानिक सहायता से जांच-पड़ताल की पद्धतियों में सुधार, उसकी उपयोगिता और परिणाम।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय।
- व्यावसायिक हित वाले क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना।
- अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन आयोजित करना और साथ ही अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा समन्वय करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से पुलिस सुधार लागू करने के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों और मानकों की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना तथा उनका प्रसार करना।
- पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों और सामान्य प्रशासन की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना।
- पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में सूचना एकत्र करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उसका प्रसार करना।

- अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी शिखर सम्मेलन और कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।
- क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों (आरआईसीए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।
- कारागार स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उन्हें प्रायोजित करना।

अनुसंधान अध्ययन

9.3 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को देश में विधि प्रवर्तन की आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करने और साथ ही विभिन्न संस्थानों, मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्यों एवं अन्य एजेंसियों के साथ व्यावसायिक हित के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान करने को प्रोत्साहित करने का कार्य सौंपा गया है। अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने अब तक 274 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए हैं।

9.4 सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं - आयोजित/प्रायोजित

अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन (एआईपीएससी) आयोजित करता है। अब तक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 46 सम्मेलन (कांग्रेस) आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन दिनांक 22-23 मार्च, 2018 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। 47वां एआईपीएससी, वर्ष 2019 में गोवा में किया जाना प्रस्तावित है।

डॉ. ए. पी. माहेश्वरी, आईपीएस, महानिदेशक, बीपीआरएंडडी दिनांक 22.03.2018 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में 46वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए।

(स्रोत : बीपीआरएंडडी)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के युवा पुलिस अधीक्षकों और सीएपीएफ के कमांडेंट्स के लिए दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-पुलिस एक्सपो

9.5 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने दिनांक 26 और 27 जुलाई, 2018 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के युवा पुलिस अधीक्षकों और सीएपीएफ के कमांडेंट्स के लिए 02 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सह-पुलिस एक्सपो आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य युवा अधिकारियों के बीच भविष्यसूचक पुलिसिंग और भारतीय पुलिस बलों के समक्ष समकालीन चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस सम्मेलन का उद्‌घाटन श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया था। पुदुचेरी की उप-राज्यपाल, डॉ. किरन बेदी समापन सत्र के लिए मुख्य अतिथि थीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के युवा पुलिस अधीक्षकों, सीएपीएफ के कमांडेंट्स और बीपीआरएंडडी के पूर्व महानिदेशकों ने सम्मेलन में मुख्य रूप से भाग लिया।

श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के युवा पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और सीएपीएफ के कमांडेंट्स के लिए द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-पुलिस एक्सपो का उद्‌घाटन

(स्रोत: बीपीआरएंडडी)

इंटर्नशिप

9.6 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 54 छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी की है।

राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी और विकास केंद्र (एनपीटीडीसी) की स्थापना

9.7 गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, बीपीआरएंडडी ने बीपीआरएंडडी मुख्यालय में एनपीटीडीसी (राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी और विकास केंद्र) स्थापित करने के लिए एसओपी/दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह केंद्र पुलिस आवास, हथियारों, यातायात, न्यायालयिक विज्ञान, जनशक्ति आकलन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में राज्य पुलिस बलों और सीएपीएफ की सहायता करेगा। यह केंद्र विदेश के साथ-साथ देश के भीतर प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीय संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ संबंध स्थापित करेगा।

एनएसजी की परिचालन स्केलिंग नीति (ओएसपी)

9.8 गृह मंत्रालय ने बीपीआरएंडडी को एनएसजी की परिचालन स्केलिंग नीति (ओएसपी) की जांच करने तथा एनएसजी के साथ परामर्श करके संशोधनों को शामिल करने का कार्य सौंपा है। बीपीआरएंडडी ने नीति का विस्तृत अध्ययन किया और आगे बेहतर तालमेल के संबंध में ओएसपी के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए एनएसजी के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। ओएसपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य बीपीआरएंडडी डाटा विश्लेषण केंद्र

9.9 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) आईआईटी कानपुर के साथ परामर्श

करके एक प्रायोगिक परियोजना, जिसे बाद में अखिल भारत आधार पर शुरू किया जाना है, के रूप में लखनऊ में "राज्य बीपीआरएंडडी डाटा विश्लेषण केंद्र" स्थापित करने में उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता कर रहा है।

स्मार्ट शहरों में पुलिस व्यवस्था के प्रारुप पर अवधारणा पत्र

9.10 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) नागरिकों के साथ-साथ अवसंरचना की सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करने के संबंध में स्मार्ट शहर परियोजनाओं में पुलिस व्यवस्था से संबंधित पहलुओं को शामिल करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की सहायता कर रहा है। बीपीआरएंडडी द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, एकीकृत यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और संचार आदि शामिल हैं और इसे शहरी विकास मंत्रालय/नीति आयोग को भेज दिया गया है।

यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) प्रौद्योगिकी से भरपूर लाभ उठाने के लिए सरकार, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थान हेतु कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों के साथ रोडमैप तैयार करना

9.11 नागर विमानन मंत्रालय ने समितियां गठित की हैं, नामतः (क) यूएवी प्रौद्योगिकी के लिए विनियमन एवं नीति और (ख) हवाई क्षेत्र प्रबंधन (घर वापसी, ट्रैकिंग और परिचालनात्मक मामले आदि सहित), जिनमें बीपीआरएंडडी के महानिदेशक एक सदस्य के रूप में हैं।

इसके अतिरिक्त, बीपीआरएंडडी ने भी इस विषय पर क्रमशः आईजी (प्रोविजन), एनएसजी और आईजी (परिचालन) बीएसएफ की अध्यक्षता में एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और बीपीआरएंडडी के सदस्यों वाले दो विशेषज्ञ समूह गठित किए हैं। दोनों विशेषज्ञ समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को समुचित ढंग से साझा कर दिया गया है।

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई)

9.12 वर्तमान में बीपीआरएंडडी के तत्वावधान में पांच केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) कार्य कर रहे हैं जो चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान राज्य कार्यालयों, केंद्रीय पुलिस संगठन केंद्र और विदेशी राष्ट्रों के अधिकारियों को अपराध जांच में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अनुलग्नक-IX में दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 347 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 6628 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल की स्थापना

9.13 गृह मंत्रालय ने राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप-पुलिस अधीक्षक को कारागार प्रशासन, अभियोजन एवं न्यायालयिक विज्ञान के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल की स्थापना के लिए 281.00 करोड़ रु. के परिव्यय वाली योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। भोपाल में सीएपीटी का निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा किया गया है और इसका उद्‌घाटन भारत के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 31.05.2018 को किया गया। यह अकादमी पेपरलेस/ई-ऑफिस और जीरो वेस्ट व्यवस्था के साथ कार्य कर रही है।

प्रशिक्षण

9.14 केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल ने 47 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कुल 1505 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

सांख्यिकी इकाई

9.15 सांख्यिकी इकाई ने वार्षिक प्रकाशन "पुलिस संगठन संबंधी आंकड़ा (डीओपीओ)" जारी किया है। यह प्रकाशन देश में विधि प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने और नागरिक केंद्रित पुलिस सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने में शामिल पुलिस नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सभी अन्य स्टेक होल्डरों के लिए उपयोगी है। बीपीआरएंडडी राज्य पुलिस अधिकारियों/सीएपीएफ कार्मिकों के लाभ हेतु सेना/सीएपीएफ द्वारा प्रस्तुत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करता है। वर्ष 2018-19 (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) से संबंधित ब्योरे अनुलग्नक-X में दिए गए हैं।

9.16 गृह मंत्रालय की ओर से बीपीआरएंडडी एटीए पाठ्यक्रमों का समन्वय कर रहा हैं जिनमें भारत में कुल 303 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और विदेश में यूएसए, वाशिंगटन डीसी में आयोजित पाठ्यक्रमों में 26 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

होमलैंड सुरक्षा वार्ता/अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम

9.17 "सीमा सुरक्षा और प्रतिबंध (बीएसआई) को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले हथियार" और "आसूचना उपकरण के रूप में इंटरनेट का प्रयोग" (आईएनटीआईएनटी) विषय पर दो पाठ्यक्रम सीएपीटी, भोपाल और सीपीसी, ओटावा, कनाडा में दिनांक 10.09.2018 से 14.09.2018 और 20.08.2018 से 24.08.2018 तक आयोजित किए गए, जिसमें 30 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

विशिष्ट अन्वेषक तैयार करने (डीएसआई) के लिए भारत में आयोजित पाठ्यक्रम

9.18 विशिष्ट अन्वेषक तैयार करने (डीएसआई) के लिए भारत में आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक-XI में दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 684 से अधिक अधिकारियों ने लाभ प्राप्त किया।

विशेषज्ञ तैयार करने की स्कीम के तहत विदेश में प्रशिक्षण

9.19 विशेषज्ञ तैयार करने की योजना के साथ, गृह मंत्रालय विदेशी प्रशिक्षण घटक प्रदान कर रहा है, जिसके अन्तर्गत भारत में आयोजित इन पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विदेशी एक्सपोजर प्रदान किया जाता है। अब तक, दिनांक 02.04.2018 से 27.04.2018 तक 01 बैच को सिंगापुर भेजा गया है, जिसमें 23 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण हस्तक्षेप योजना

9.20 गृह मंत्रालय ने 'प्रशिक्षण हस्तक्षेप' स्कीम के अंतर्गत 13 घटकों को अनुमोदित किया है, जिसमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे केवल एक घटक अर्थात् डीएसआई "विशिष्ट अन्वेषक तैयार करने" की स्कीम को 13.00 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अखिल भारतीय पुलिस सेवा नागरिक सर्वेक्षण

9.21 गृह मंत्रालय ने नौ महीनों के भीतर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से अखिल भारतीय पुलिस सेवा नागरिक सर्वेक्षण नाम से एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को कमीशन किया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य पुलिस के बारे में सार्वजनिक धारणाओं और उनके दृष्टिकोणों को समझना है, उन अपराधों या घटनाओं की संख्या का स्तर नापना है, जिनमें पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी जाती है, अपराध रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग से संबंधित जमीनी स्थिति को जानना तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में नागरिकों की धारणा और अनुभव का आकलन करना है। मार्च, 2019 के मध्य में शुरू किए गए सर्वेक्षण में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण फ्रेमवर्क के आधार पर देश भर के 173 जिलों में फैले 1.2 लाख परिवारों के प्रतिनिधि नमूने को शामिल किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस)

9.22 न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस), जो गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, देश में न्यायालयिक विज्ञान के संवर्धन एवं विकास के लिए नोडल एजेंसी है। यह उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं पेशेवरता बरतते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अन्वेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके प्रशासनिक नियंत्रण में छः केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं।

9.23 गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 29.11.2010 के संकल्प सं.25020/50/2010-पीएम.।। के तहत न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को निम्नलिखित ड्यूटियों का चार्टर सौंपा है:

- केंद्रीय स्तर पर क्षमता एवं दक्षता सृजित करके तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालयिक संस्थानों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग तथा

सहायता प्रदान करके दांडिक न्याय प्रदायगी प्रणाली को उच्च गुणवत्ता वाली एवं समय पर न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं प्रदान करना।

- दांडिक न्याय प्रदायगी प्रणाली की सहायता के लिए न्यायालयिक विज्ञान में नई प्रौद्योगिकी का विकास तथा नई वैज्ञानिक जानकारी विकसित करना।

9.24 भारत सरकार की दिनांक 26.07.2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, अदालतों और स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए मामले/प्रदर्श प्राप्त करने और उनमें सहायता करने का अधिदेश दिया गया है। ये सीएफएसएल कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, पुणे और कामरूप (असम) में स्थित हैं।

गुणवत्ता का प्रमाणीकरण

9.25 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, अपने सभी कार्यक्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चण्डीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित तीन सीएफएसएल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा आईएसओ-आईईसी/17025 और एनएबीएल-113 के अनुरूप गुणवत्ता मानकों अर्थात फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु विशेष दिशानिर्देशों और मूल्यांकनकर्ताओं की जांच सूची के अनुसार विधिवत प्रमाणित किया गया है। सभी छः प्रयोगशालाएं अपने प्रत्येक प्रभाग को विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भेजे गए विभिन्न मामला प्रदर्शों के संबंध में की जाने वाली विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक जांच के लिए अपने गुणवत्ता मैनुअलों और कार्यप्रणाली संबंधी मैनुअलों को नियमित रूप से अपडेट करती हैं।

विषविज्ञान विश्लेषण का प्रदर्शन

(स्रोतः सीएफएसएल, चण्डीगढ़)

मार्च 2018 से छः केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा निपटाए गए आपराधिक मामले

9.26 दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक, डीएफएसएस के अंतर्गत छः सीएफएसएल ने 5,09,456 प्रदर्शों के साथ लगभग 9000 आपराधिक मामलों की जांच की है। इन प्रयोगशालाओं ने उन मामलों की जांच की है, जो तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल हैं और जिनमें विशेषज्ञ की व्यावसायिक राय और अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है।

न्यायालयी साक्ष्य

9.27 उक्त अवधि के दौरान छः सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने विभिन्न न्यायालयों में 650 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

व्याख्यान देना

9.28 वित्त वर्ष 2018-19 में, सीएफएसएल के वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, प्रशिक्षण स्कूलों और राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 320 से अधिक व्याख्यान दिए गए।

अनुसंधान संबंधी दस्तावेजों का प्रकाशन

9.29 वर्ष के दौरान सीएफएसएल के वैज्ञानिकों द्वारा न्यायालयिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 20 से अधिक अनुसंधान संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन और उनमें भाग लेना

9.30 वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, वैज्ञानिकों, पुलिस, न्यायाधीशों आदि के लाभ के लिए डीएफएसएस के अंतर्गत छः सीएफएसएल ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

9.31 सीएफएसएल, हैदराबाद द्वारा कंप्यूटर न्यायालयिक विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

i) बिम्सटेक राष्ट्रों के छः विशेषज्ञों,

ii) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, त्रिपुरा के साइबर-न्यायालयिक विज्ञान विश्लेषकों,

iii) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार।

न्यायिक अकादमी चण्डीगढ़ के न्यायिक अधिकारियों का सीएफएसएल, चण्डीगढ़ का दौरा

(स्रोतः सीएफएसएल चंडीगढ़)

न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के अंतर्गत सीएफएसएल का आधुनिकीकरण

9.32 पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत एक परियोजना के भाग के रूप में, सरकार ने 279.90 करोड़ रु. के परिव्यय से डीएफएसएस के लिए एक योजनागत स्कीम अर्थात् "न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के अधीन नई केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण" को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उच्च तकनीकी वाले और नये उभरते अपराधों से निपटने

के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों को न्यायालयिक विज्ञान संबंधी सक्षम सहायता सुलभ कराने के लिए सीएफएसएल सुदृढ़ बनाना तथा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण करना है। इस परियोजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता में नए सीएफएसएल भवनों का निर्माण, और

(ii) डिजिटल न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक इलेक्ट्रॉनिक्स), स्वापक मादक पदार्थों के परीक्षण, डीएनए विश्लेषण, न्यायालयिक इंजीनियरिंग, न्यायालयिक आसूचना और न्यायालयिक मनोविज्ञान के लिए सभी छः सीएफएसएल में उपयुक्त मशीनरी एवं उपकरण तथा जनशक्ति के साथ छः नए प्रभागों की स्थापना।

9.33 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सीएफएसएल भोपाल और सीएफएसएल गुवाहाटी में दो नए अत्याधुनिक भवनों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। इन नए भवनों का उद्घाटन दिनांक 06.03.2019 को केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। सीएफएसएल पुणे और सीएफएसएल कोलकाता में निर्माण कार्य चल रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 06.03.2019 को सीएफएसएल भोपाल और गुवाहाटी का उद्घाटन

(स्रोतः डीएफएसएस)

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 06.03.2019 को उद्घाटित सीएफएसएल भोपाल का नवनिर्मित भवन

(स्रोतः डीएफएसएस)

9.34 उक्त योजना के भाग के रूप में, सरकार ने 48 नए नियमित पदों को अनुमोदन प्रदान किया है। जबकि ये पद भरे जा रहे हैं, तथापि, सीएफएसएल ने छ: सीएफएसएल में 128 न्यायालयिक विशेषज्ञ और न्यायालयिक व्यावसायिकों को नियुक्त किया है जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान एवं अपराध विज्ञान संस्थान (एलएनजेपी एनआईसीएफएस) द्वारा अखिल भारतीय ऑनलाइन न्यायालयिक विज्ञान अभिवृत्ति एवं बौद्धिक परीक्षा आयोजित करके चयनित किया गया।

सीएफएसएल चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए सुविधा की शुरूआत

9.35 न्यायालयिक परीक्षण यौन हमले के मामलों की जांच में सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में जांच की क्षमता बढ़ाने और जांच को पूरा करने के लिए तथा साथ ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण हेतु डीएनए मामलों की लंबितता को भी देखते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने एक अत्याधुनिक सखी-सुरक्षा अत्याधुनिक डीएनए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सीएफएसएल चंडीगढ़ को निर्भया कोष योजना के अंतर्गत 99.76 करोड़ रु. की मंजूरी प्रदान की है।

राष्ट्रीय साइबर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की स्थापना

9.36 निर्भया कोष के तहत इस परियोजना अर्थात महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर-अपराध सुरक्षा (सीसीपीडब्ल्यूसी) के अंतर्गत, गृह मंत्रालय ने 37.34 करोड़ रु. के परिव्यय से सीएफएसएल हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से विशेषतौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की जांच के मामलों में आवश्यक न्यायालयिक विज्ञान संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रयोगशाला देश की अन्य केंद्रीय और राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। इस प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य चल रहा है।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), नई दिल्ली

प्रस्तावना

9.37 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच-पड़ताल करने में वैज्ञानिक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक सहायता इकाई भी है, जो चेन्नई तथा मुम्बई में सीबीआई के शाखा कार्यालयों में स्थित है।

क्षेत्राधिकार

9.38 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधीन एक वैज्ञानिक संगठन है जिसके प्रशासनिक और वित्तीय मामले गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपटाए जाते हैं। यह सीएफएसएल, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केंद्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सीएफएसएल के विशेषज्ञ जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए प्रदर्शों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। वास्तविक सुराग का पता लगाने के लिए सीबीआई द्वारा पूरे भारत में अपराध के घटना स्थल पर भी इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक/विशेषज्ञ सीबीआई के अधिकारियों तथा राज्य और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह प्रयोगशाला न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

न्यायालय में उपस्थिति एवं अपराध के घटना स्थलों के दौरे

9.39 इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दिल्ली एवं भारत के अन्य हिस्सों में न्यायालयों में 622 मामलों में विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत किए और दिल्ली एवं इसके बाहर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए 254 अपराध घटना स्थलों की जांच की है।

मामलों से संबंधित आंकड़े

9.40 वर्ष 2018 के मामलों से संबंधित आंकड़े

1.	दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	: 1181
2.	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक प्राप्त मामले	: 2227

9.41 वर्ष 2018 के दौरान सूचित मामले

1.	सीबीआई	: 1215
2.	दिल्ली पुलिस	: 400
3.	अन्य	: 569
	कुल	: 2184
	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	: 1224

खरीदे गए महत्वपूर्ण नवीनतम उपकरण

9.42 वर्ष के दौरान सीएफएसएल (सीबीआई) के विभिन्न प्रभागों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण नामत: न्यूकॉन गैस क्रोमोटोग्राफ, अपराइट डीप फ्रीजर-20सी, डीएनए सीक्वेंसर मशीन, फ्यूम हूड के लिए ब्लोवर मोटर, डिजिटल क्लॉक और टेंपरेचर हाइग्रोमीटर, मिलीपोर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए सेंट्रल फ्रंट पैनल डिस्पले, सेंट्रीफ्यूज मशीन के लिए रोटर, माइक्रोपाइपेट मॉडल-एफ2, डीप फ्रीजर, डीएसएलआर कैमरे, वॉल माउंट आई/फेस-वॉश, टिश्यू लाइजर मशीन, डीएनए क्लीन एंड कॉन्सेंट्रेटर-25 किट (डी4034-200 प्रेप), डीएनए एक्सट्रैक्सन कार्ट्रिज किट, डिजिटल कोल्ड स्टोरेज एंड यूवी-विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इत्यादि खरीदे गए हैं।

मौजूदा जांच सुविधाएं

9.43 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली में 11 प्रभाग हैं जो प्रदर्शों के वैज्ञानिक विश्लेषण और अपराध के घटना स्थलों से भौतिक सबूतों के संग्रह/पहचान में विभिन्न जांच एजेंसियों को न्यायालयिक सहायता संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ये बॅलिस्टिक प्रभाग, बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग प्रभाग, केमिस्ट्री प्रभाग, प्रलेख प्रभाग, फिंगरप्रिंट प्रभाग, फॉरेंसिक साइकोलॉजी प्रभाग, फोटो और वैज्ञानिक सहायता प्रभाग, भौतिकी प्रभाग, सेरॉलोजी प्रभाग, कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रभाग और वैज्ञानिक सहायता एकक हैं। इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके न्यायालयिक विज्ञान संबंधी कौशल को उन्नत करने तथा नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधिविज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस)

9.44 इस संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1972 में की गई थी। स्थापना से अब तक, भारत के पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, रक्षा बलों और विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं के 44,864 अधिकारियों और लगभग 18 देशों ने संस्थान के विभिन्न अभिमुखीकरण और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.45 दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में, संस्थान ने पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन और कारागार पदाधिकारियों के लिए 91 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और एक कार्यशाला आयोजित की है। कुल मिलाकर, भारत के विभिन्न भागों से 2507 अधिकारियों और 20 विदेशी अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

9.46 संस्थान वर्ष 2004 से अपराध विज्ञान और विधिविज्ञान में एम.ए./एम.एससी. पाठ्यक्रम भी चला रहा है, जो गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह संस्थान 'ए' श्रेणी का संस्थान है और "एनएएसी" से मान्यता प्राप्त है।

9.47 वर्ष 2015 से प्रलेख परीक्षा में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम पुनः शुरू किया गया। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से सेवारत पुलिस और विधिविज्ञान विशेषज्ञों के लिए तैयार किया गया है। वर्ष 2017-18 में, साइबर सुरक्षा, विधिविज्ञान बॅलिस्टिक, विधिविज्ञान विषविज्ञान, जीवविज्ञान एवं भौतिकी में विशेषज्ञता के साथ एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2018-19 के चालू बैच में, अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले 8 अधिकारियों को इस पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है।

पहलें

9.48 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 80 कमरों वाले नए हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी के लिए आवास और नए पुस्तकालय ब्लॉक के निर्माण को गृह मंत्रालय ने अनुमोदन प्रदान किया है, जिसके लिए मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में संस्थान द्वारा एनबीसीसी को 28.27 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है। ये दोनों प्रस्ताव XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हैं। अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण पूरा होने की सम्भावना है।

एनआईसीएफएस छात्रवृत्तियां

9.49 एनआईसीएफएस ने एम.ए अपराध विज्ञान एवं एम.एससी. विधिविज्ञान के छात्रों के लिए वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति शुरू की थी। वर्ष 2018-2019 के दौरान, कुल 39 छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप प्रदान की गई हैं; जबकि कुल 15 छात्रों को स्कॉलर बुक ग्रांट प्रदान किये गए हैं ।

श्री जावीद अहमद, निदेशक, एनआईसीएफएस छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता प्राप्त छात्रों के साथ

(स्रोत: एलएनजेएन एनआईसीएफएस)

यौन अपराध मामलों में विधिविज्ञान जांच पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रम

9.50 गृह मंत्रालय ने एनआईसीएफएस को दिसंबर 2018 तक 1000 डॉक्टरों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण(टीओटी) के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एनआईसीएफएस श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन के पश्चात 31 अगस्त, 2018 से प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को दो दिनों की अवधि के उपर्युक्त टीओटी पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। दिनांक 31.3.2019 तक, कुल 927 चिकित्सा अधिकारियों (डॉक्टरों) को 22 टीओटी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

यौन अपराध मामलों में विधिविज्ञान जांच पर पहले टीओटी पाठ्यक्रम के प्रतिभागी

(स्रोत: एलएनजेएन एनआईसीएफएस)

विधिविज्ञान अभिक्षमता एवं योग्यता परीक्षा (एफएसीटी 2018)

9.51 विधिविज्ञान स्नातकों और पेशेवरों के स्तरांकन के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय ऑनलाइन परीक्षा अर्थात् एफएसीटी और एफएसीटी प्लस दिनांक 23.09.2018 को आयोजित की गई। 354 उम्मीदवार (एफएसीटी में 333, और एफएसीटी प्लस में 21) योग्य पाए गए।

किशोर न्याय अधिनियम 2015, पीओसीएसओ अधिनियम 2012 और साइबर अपराध

9.52 'किशोर न्याय अधिनियम 2015, पीओसीएसओ अधिनियम 2012 और साइबर अपराध' पर दो दिवसीय सेमिनार श्रृंखला का आयोजन 18-19 मई 2018 को किया गया। सुश्री स्तुति काकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इन अधिनियमों के तहत कवर होने वालों मामलों से निपटने के दौरान आपराधिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिकताओं पर एक तथ्यपूर्ण भाषण दिया।

सुश्री स्तुति काकर "किशोर न्याय अधिनियम 2015, पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 और साइबर अपराध" विषय पर भाषण देते हुए

(स्रोतः एलएनजेएन एनआईसीएफएस)

दिव्यांगों के लिए सुविधाएं

9.53 एनआईसीएफएस ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगों की सहायता के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का सृजन किया है:

i नेत्रहीनों को मार्गदर्शन देने के लिए नव स्थापित स्पर्शनीय फुटपाथ

ii संस्थान के प्रवेश द्वार पर साइनेज के साथ रैंप

iii आरक्षित पार्किंग

iv ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट

v दिव्यांगों के लिए शौचालय

vi 02 व्हील चेयरों की उपलब्धता

प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा पर ऑन-कैम्पस पाठ्यक्रम

9.54 एनआईसीएफएस प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल (राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रोफेशनलों द्वारा इन-हाउस फैकल्टी के लिए 5 से 8 मार्च, 2019 तक प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा पर चार दिवसीय ऑन-कैंपस पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा पर ऑन-कैम्पस पाठ्यक्रम

(स्रोतः एलएनजेएन एनआईसीएफएस)

नए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

9.55 गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 दिसंबर, 2018 के अपने आदेश संख्या 23011/20/2018-डब्ल्यूएस.III के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के 03 नए पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम अर्थात (क) साइबर अपराध की जांच एवं कानून; (ख) सुरक्षा प्रबंधन; और (ग) विक्टिमोलॉजी और विक्टिम असिस्टेंस शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सैद्धांतिक अनुमोदन के बारे में पहले ही अवगत करा दिया है। गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ (जीजीएस आईपी) विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र (2019-20) से अन्य अनुसूचित पाठ्यक्रमों के साथ इन 3 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को अपनी संबद्धता प्रदान करने के अंतिम चरण में है।

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

9.56 देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में, पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू) पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय तथा राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में विभिन्न गतिविधियां निष्पादित करता है। राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के बीच संदेशों के आदान-प्रदान के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, यह निदेशालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे क्रिस्टोग्राफिक दस्तावेजों और डिवाइसों के लिए केंद्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

9.57 यह निदेशालय कानून एवं व्यवस्था, वीवीआईपी/ वीआईपी आवागमन आदि से संबंधित संदेशों के आदान-प्रदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के साथ पुलिस संचार नेटवर्क का अनुरक्षण कर रहा है। साल भर में लगभग 7.5 लाख संदेशों के कुल ट्रैफिक को निपटाया जाता है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों के लिए भी किया जाता है।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क

9.58 डीसीपीडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर एवं सीएपीएफ के स्थानों पर स्थापित आईएसपीडब्ल्यू के बीच सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) का अनुरक्षण कर रहा है।

9.59 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के अंतर्गत सुदूर स्थलों पर अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसैट) और नई दिल्ली स्थित पोलनेट हब शामिल हैं। यह नेटवर्क जीसैट 17 सैटेलाइट के 36 मेगाहार्ट्ज बैंडविड्थ के सी-बैंड ट्रांसपोंडर पर परिचालित होता है। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में यह नेटवर्क आईएसबीएन और डीवीबी-एस प्रौद्योगिकी पर आधारित है और डीसीपीडब्ल्यू, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों और सीएपीएफ द्वारा इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम की बेहतर क्षमता और इष्टतम उपयोग के लिए, डीसीपीडब्ल्यू डीवीबीएस-2 अथवा नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करके सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क का उन्नयन और संवर्धन करने का कार्य कर रहा है। सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के उन्नयन के लिए निविदा जारी कर दी गई थी और फर्म का चयन कर लिया गया है।

हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार का सुदृढ़ीकरण

9.60 डीसीपीडब्ल्यू आपातकाल/आपदा के समय पूरे देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित अपने आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों से संचार के वैकल्पिक माध्यम के रूप में सेवाएं पहुंचाने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपने हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में प्रक्रियारत है। गृह मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल से नेटवर्क मदों अर्थात (i) एचएफ ट्रांसीवर 100 वाट-40 नग, (ii) एचएफ ट्रांसीवर मैन पैक (15वाट-25वाट)-2 नग (iii) रग्ड लैपटॉप सिस्टम- 40 नग की खरीद के लिए और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना के तहत डीसीपीडब्ल्यू के एचएफ संचार नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य विविध कार्यों के लिए 2.85 करोड़ रूपये की मंजूरी प्रदान की है। सभी उपकरणों के लिए संविदा आदेश दिया गया था और दिनांक 31.03.2019 तक कुछ उपकरण प्राप्त किए जा चुके हैं।

समन्वय विंग

9.61 डीसीपीडब्ल्यू, संचार मंत्रालय की फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) का एक सदस्य है। यह निदेशालय राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना के निर्माण/संशोधन में सक्रिय रूप से

शामिल है। निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संचार मंत्रालय के वायरलेस नियोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) विंग के साथ समन्वय कर रहा है।

9.62 पूरे देश में 5 स्पॉट बीम्स के माध्यम से मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेस (एमएसएस) प्रदान करने के लिए जीसैट-06 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। रिमोट सैटकॉम टर्मिनल एस-बैंड में संचालित होंगे, जबकि हब, सी-बैंड में सैटेलाइट के साथ संपर्क करेंगे। गृह मंत्रालय को सीएपीएफ, राज्य पुलिस और गृह मंत्रालय के अन्य संगठनों के उपयोग के लिए जीसैट-06 सैटेलाइट के 25% संसाधन आवंटित किए गए हैं।

9.63 डीसीपीडब्ल्यू प्रथम चरण में कुल 2367 नग सी-सैट-06 सैटेलाइट टर्मिनलों के नेटवर्क के लिए जीसैट-6 हब स्थापित करेगा। टर्मिनलों का ब्यौरा इस प्रकार है- 200 मैनपैक सैटकॉम टर्मिनल (एमएसटी), 1367 हैंडहेल्ड सैटकॉम टर्मिनल (एचएसटी) और 800 सैटकॉम मेसेजिंग टर्मिनल (एसएमटी)।

साइफर विंग

9.64 डीसीपीडब्ल्यू का साइफर विंग वर्गीकृत संदेशों की निकासी करता है और अन्तर-राज्य सुरक्षित संचार को बनाए रखता है। केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी), रक्षा मंत्रालय से साइफर दस्तावेज/उपकरण प्राप्त करना और क्रिप्टोसिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार की सुविधा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। क्रिप्टोग्राफी के सभी पहलुओं के संबंध में सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस रेडियो संगठनों के अधिकारियों/कार्मिकों को भी साइफर विंग, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), डीसीपीडब्ल्यू द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। दिनांक 31.03.2019 तक 18 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल 297 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.65 यह विंग प्रयोग किए जा रहे क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को अद्यतन बनाने हेतु जेसीबी तथा वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एसएजी) के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है। डीसीपीडब्ल्यू क्रिप्टो संचार नेटवर्क में एक पी.सी. आधारित साइफर सिस्टम शामिल किया गया है और इस सिस्टम को 29 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों में शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

9.66 केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान पुलिस (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली को पुलिस संचार के क्षेत्र में देश के पुलिस समुदाय को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन डीसीपीडब्ल्यू का एक प्रमुख संस्थान है। सीपीआरटीआई अधिकारियों को आधुनिक पुलिस संचार प्रणालियों और तकनीकों से परिचित कराने हेतु पुलिस संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करता है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रवीणता स्तर और कौशल विकास के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और सीपीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों/संस्थानों में प्रशिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पुलिस संगठनों के सुरक्षित संचार प्रतिष्ठानों के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने के उद्देश्य से सीपीआरटीआई ने दिनांक 31.03.2019 तक अधिकारियों सहित पुलिस कार्मिकों के लिए तकनीकी और साइफर दोनों विषयों में कुल 62 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 807 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

9.67 वर्तमान और भविष्य की संचार चुनौतियों को पूरा करने के लिए सीपीआरटीआई का स्तरोन्नयन करने की प्रक्रिया जारी है। एमपीएफ की अम्ब्रेला स्कीम के तहत चंडीगढ़ और कोलकाता में दो क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान खोलने का एक और प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान राज्य पुलिस/संघ

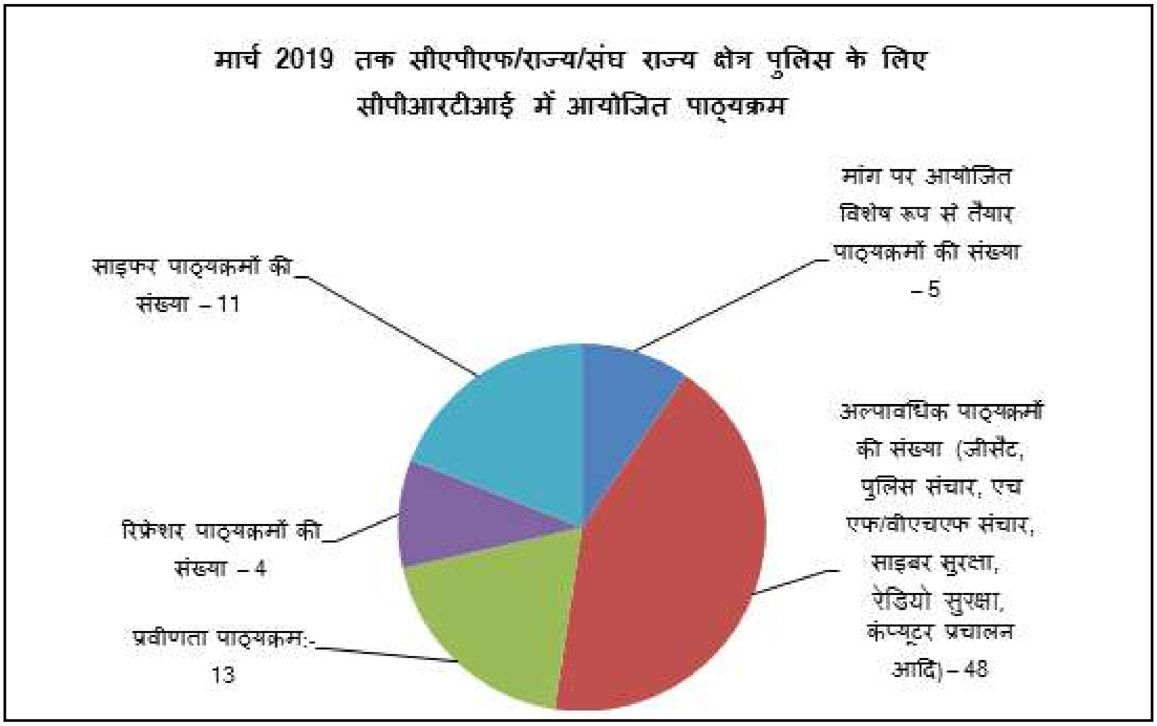

राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने की आसान सुविधा प्रदान करेंगे।

आईएसपीडब्ल्यू के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

9.68 स्थापनाओं की सुरक्षा के संबंध में डीसीपीडब्ल्यू के सम्मुख आने वाली समस्या तथा किराए के भवनों/ राज्य सरकार के आवास में संचार उपकरणों के समुचित रूप से कार्य करने में एंटीना के संबंध में आने वाली बाधाओं पर विचार करते हुए, रायपुर, देहरादून एवं रांची में आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। गृह मंत्रालय ने "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" की अम्ब्रेला योजना के तहत 12 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमोदित की हैं। आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन रायपुर के लिए 77.41 लाख रुपये से कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

9.69 निदेशालय की केन्द्रीय कार्यशाला में, वायरलेस उपकरण तथा सहायक सामग्री संबंधी लगभग 340 परीक्षण और मरम्मत कार्य किए गए।

9.70 कार्यशाला ने सीएपीएफ को तकनीकी प्रस्तावों के संबंध में उपयुक्त परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की हैं। केन्द्रीय कार्यशाला की परीक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में, गुणात्मक अपेक्षाओं को निर्धारित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का आरक्षित भंडार

9.71 आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी परिचालनात्मक आवश्यकताओं के दौरान केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों की सहायता प्रदान करना इस निदेशालय की एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निदेशालय ने लोक सभा, विधान सभा चुनावों, पंचायत चुनावों के दौरान/आपदा से निपटने के उद्देश्य से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 01 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए 16217 आवश्यक रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी किए हैं।

इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो 2018

9.72 निदेशालय ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो

में पहली बार दिनांक 5.10.2018 से 7.10.2018 तक भाग लिया। डीसीपीडब्ल्यू ने पुलिस संगठनों और डीसीपीडब्ल्यू में उपयोग होने वाले संचार उपकरणों जैसे मोर्स की, एचएफ रेडियो, वीएचएफ रेडियो और वीसैट को प्रदर्शित करने के लिए एक पवेलियन लगाया। इसके अलावा, निकट भविष्य में शामिल किये जाने वाले स्वदेशी मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल भी प्रदर्शित किये गये। जानकारी का प्रसार करने के लिए पवेलियन में दो सूचना कियोस्क स्थापित किए गए। सीएपीएफ, राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय एवं अन्य सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पवेलियन का दौरा किया और पवेलियन के प्रदर्शन की प्रशंसा की।

9.73 एक्सपो के दौरान डीसीपीडब्ल्यू ने "आधुनिक पुलिस संचार के क्षेत्र में रुझान" विषय पर एक सम्मलेन का आयोजन किया। सम्मलेन में डीसीपीडब्ल्यू के बारे में प्रस्तुति दी गई। डीईएएल (रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग प्रयोगशाला), डीआरडीओ, देहरादून के प्रसिद्ध विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों को स्वदेशी मोबाइल सैटेलाइट सेवाओं और 3 जी एलटीई पीपीडीआर पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। अंत में, वक्ताओं और दर्शकों के बीच संवाद हुआ। प्रतिभागियों ने सम्मलेन की प्रशंसा की।

पुलिस संचार प्रमुखों का अखिल भारतीय सम्मेलन

9.74 डीसीपीडब्ल्यू ने दिनांक 19.11.2018 से 20.11.2018 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस संचार प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

9.75 सम्मेलन का विषय "पुलिस संचार का आधुनिकीकरण और उनकी चुनौतियां" था। सम्मेलन के दौरान, पुलिस संचार के आधुनिकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और नवीनतम प्रोद्योगिकियों पर विचार-विमर्श किया गया।

दिनांक 19.11.2018 से 20.11.2018 तक अखिल भारतीय पुलिस संचार प्रमुखों का सम्मेलन

(स्रोत: डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय)

9.76 विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने पर विचार करने के लिए डीसीपीडब्ल्यू ने नई दिल्ली में दिनांक 15.03.2019 को देश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

9.77 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एनसीबी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों एवं राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एनसीबी, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों, 1961, 1971, 1988 (जिन पर

भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

9.78 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय, मुम्बई में दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 13 क्षेत्रीय इकाइयां दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरू और पटना में, 12 उप-क्षेत्र कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में तथा संगठन के विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रवर्तन इकाई के अतिरिक्त 5 प्रकोष्ठ एनसीबी मुख्यालय में अर्थात इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल हैं।

9.79 इस अवधि के दौरान (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) एनसीबी ने संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण/निर्माण की पहल की है:

क) गृह मंत्रालय ने अहमदाबाद जोनल यूनिट में कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 18.9961 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं। मंजूर की गई राशि में से 10.33 करोड़ रूपये का भुगतान अहमदाबाद में एनसीबी जोनल यूनिट के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए वेपकोस लिमिटेड को किया गया है। 88% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जून, 2019 तक ओसीआर कॉम्प्लेक्स के पूरा होने की संभावना है।

ख) गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ जोनल यूनिट में कार्यालय सह-आवासीय-परिसर के निर्माण के लिए 19.3425 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मंजूर की गई राशि में से 13.06 करोड़ रुपये का भुगतान चंडीगढ़ में एनसीबी जोनल यूनिट के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए वेपकोस लिमिटेड को किया गया है। 89% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जून, 2019 तक ओसीआर कॉम्प्लेक्स के पूरा होने की संभावना है।

ग) गृह मंत्रालय ने लखनऊ जोनल यूनिट में कार्यालय सह आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 18.3334 करोड़ मंजूर किए हैं।

घ) गुवाहाटी क्षेत्र के लिए भूमि की खरीद के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 0.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। लेआउट योजना को मंजूरी दे दी गई है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) गुवाहाटी से एस्टिमेट प्राप्त किया जा रहा है।

ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली जोनल यूनिट में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए 1.6634 करोड़ रूपये की लागत से सेक्टर 10, द्वारका में 1326.51 वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) दिल्ली से क्रय पत्र (एलओपी)/एस्टिमेट प्राप्त किया जा रहा है।

च) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ओडिशा सरकार से भुवनेश्वर में 0.14 एकड़ भूमि की खरीद के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 1.12 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए 4.0911 करोड़ रूपये का प्रस्ताव विचाराधीन है।

छ) गृह मंत्रालय द्वारा रांची सब-जोन में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए 0.14 एकड़ भूमि की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है।

ज) गृह मंत्रालय द्वारा अमृतसर सब-जोन में कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु 2,000 (0.41) यार्ड भूमि की खरीद के लिए 3.81 करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

प्रवर्तन के प्रयास

9.80 वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) की अवधि के दौरान देश में विभिन्न एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा विभिन्न मादक पदार्थों की सूचित की गई जब्तियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

मादक पदार्थ का नाम	सभी एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ अनंतिम आंकड़े (किग्रा.में)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में)
स्वापक पदार्थ		
हेरोइन	1,150	255.844
अफीम	8,023	375.45
मार्फिन	14	2.660
गांजा	3,64,068	35,106.134
हशीश	3,745	950.015
कोकीन	39	22.471
मेथाक्वालोन	67	2.025
एमफेटामाइन्स	517	60.304
मन:प्रभावी पदार्थ		
मन:प्रभावी पदार्थ	9,21,13,539 टेबलेट 1,31,718 इंजेक्शन	7,59,400 टेबलेट 10,300 इंजेक्शन
उत्तेजक रसायन		
इफेड्रिन/स्यूडो-इफेड्रिन	180	127.89

पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करना

9.81 वर्ष 2018-2019 (दिनांक 31.03.2019 तक) के दौरान, विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अरूणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में 7887 एकड़ भूमि पर फैली अफीम की खड़ी और फलदार अवैध खेती को नष्ट किया गया।

भांग की अवैध खेती को नष्ट करना

9.82 वर्ष 2018-19 (दिनांक 31.03.2019 तक) के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से समन्वित प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप अंततः आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और तेलंगाना राज्यों में 4300 एकड़ भूमि पर भांग की खड़ी एवं फलदार अवैध खेती नष्ट की गई।

दोषसिद्धि

9.83 एनसीबी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान 61 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

मादक पदार्थों का निपटान

9.84 इस अवधि (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान, एनसीबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 206.1135 किग्रा. हेरोइन, 521.851 किग्रा. हशीश, 47.3 किग्रा. अफीम, 8,836.38 किग्रा. गांजा, 843.690 किग्रा. पॉपी स्ट्रा, 2,45,618 बॉटल फेंसिडिल कफ सिरप, 5.823 ग्रा. मेथाम्फेटामाइन, 680 ग्राम खुले टेबलेट्स, 38.13 क्रिग्रा. मेथाक्वालोन 28.424 किग्रा. एम्फेटामाइन्स, 8.028 किग्रा. कोकीन, 1078.428 किग्रा. इफेड्रिन/स्यूडो; 521.851 किग्रा. हशीश, 9.57 किग्रा. केटामाइन, 11,922.175 किग्रा.

एसेटिक एन्हीड्राइड, 860 ग्रा. मॉर्फीन और 6.15 किग्रा. अन्य मनःप्रभावी ड्रग का निपटान किया गया।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.85 केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वापक पदार्थों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए राज्य सरकारों को उनकी प्रवर्तन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु प्रारंभ में दिनांक 24.10.2004 को 10 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से "राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक एक योजना शुरू की गई थी। यह स्कीम 5 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। स्कीम को बाद में, वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक के लिए नियमित आधार पर बढ़ा दिया गया था। केन्द्रीय सहायता स्कीम को जारी रखने की आवश्यकता और इसके उद्देश्य पर विचार करते हुए, राज्यों द्वारा (क) निगरानी उपकरण, (ख) प्रयोगशाला उपकरण, (ग) गश्ती/निगरानी के लिए वाहन, (घ) कंप्यूटर एवं उनकी सहायक सामग्री, (ड.) फैक्स मशीन एवं फोटोकॉपियर, (च) प्रशिक्षण उपकरण एवं अन्य उपकरण और (छ) प्रवर्तन के लिए उपयोगी अन्य उपकरण की खरीद के लिए भारत सरकार ने 21.00 करोड़ रु. के अनुमानित बजट के साथ "स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक इस स्कीम को 03 वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस स्कीम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 8.00 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

प्रशिक्षण

9.86 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस प्रकार के 200 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कुरियर एजेंसियों के लगभग 7701 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय दायित्व/सहयोग :

9.87 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार्टर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, के अंतर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन शामिल है। एनसीबी, मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा नियंत्रित करने के कार्य में समन्वय स्थापित करने और विश्वव्यापी कार्रवाई को सुकर बनाने के दृष्टिकोण से दूसरे देशों के संबंधित प्राधिकरणों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.88 मादक पदार्थ के दुर्व्यापार और दुरूपयोग ने वैश्विक स्वरूप धारण कर लिया है। इस साझा लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यधिक प्रबल उपकरणों में से एक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रकार के समझौते, एमएलएटी और जेडब्ल्यूजी किए हैं। यह विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों यथा क्षेत्रीय जैसेकि साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कोऑपरेशन (सार्क), सार्क ड्रग ओफेंसेज मॉनीटरिंग डेस्क (एसडीओएमडी) और अन्तर-क्षेत्रीय जैसेकि स्वापक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी आयोग (सीएनडी), इंटरनेशनल ड्रग इनफोर्समेंट कॉन्फ्रेंस (आईडीईसी), एशिया पेसिफिक ऑपरेशनल ड्रग इनफोर्समेंट कॉन्फ्रेंस (एडीईसी), एंटी ड्रग लाइजन आफिशियल्स मीटिंग फॉर इंटरनेशनल

कॉन्फ्रेंस (एडीएलओएमआईसी), कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम (सीपीडीएपी), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), ब्राजील रूस भारत-चीन दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), बे ऑफ बंगाल इनिसिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेकनिकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्सटेक) आदि दोनों का एक सक्रिय सहभागी भी है।

9.89 द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)/भारत सरकार ने 26 देशों नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिश्र, फ्रांस, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस पीडीआर, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूएई, यूएसए उज्बेकिस्तान और जाम्बिया के साथ स्वापक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और उत्तेजक रसायनों की मांग को कम करने और उसके दुर्व्यापार को रोकने के लिए पारस्परिक सहयोग से संबंधित द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

9.90 स्वायक नियंत्रण ब्यूरो/भारत सरकार ने 13 देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मालदीव, मोजाम्बिक, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और वियतनाम के साथ स्वापक पदार्थों से संबंधित मामलों के बारे में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

9.91 इन समझौतों के अंतर्गत स्वापक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ संघों की आपराधिक गतिविधियों की पहचान, दमन और रोकथाम संबंधी सूचना के आदान-प्रदान में सहायता की परिकल्पना की गई है।

मांग में कमी

9.92 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। मादक पदार्थ की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय तथा इसकी जोनल इकाइयों ने स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न राज्य मादक पदार्थ-रोधी कार्यबलों, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इसकी मांग में कमी संबंधी लगभग 430 गतिविधियों का आयोजन किया। 26 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अतिरिक्त, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) जनता को जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने देश भर में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 430 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कुल 31,86,545 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया।

एनसीबी, भारत और एमसीएन अफगानिस्तान के बीच दिनांक 19.04.2018 और 20.04.2018 को दूसरी द्विपक्षीय बैठक का आयोजन

(स्रोतः एनसीबी)

भारत और बीएनएन इंडोनेशिया के बीच दिनांक 28.06.2018 से 29.06.2018 तक कार्यकारी समूह की डीजी स्तर की तीसरी द्विपक्षीय बैठक का आयोजन

(स्रोत-एनसीबी)

एनसीबी दिल्ली क्षेत्रीय इकाई द्वारा मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में दिनांक 26.06.2018 को मादक पदार्थ रोधी दिवस का आयोजन

(स्रोत-एनसीबी)

एनसीबी पटना क्षेत्रीय इकाई द्वारा दिनांक 26.06.2018 को मादक पदार्थ रोधी दिवस का आयोजन

(स्रोत-एनसीबी)

एनसीबी अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई द्वारा दिनांक 26.06.2018 को मादक पदार्थ रोधी दिवस का आयोजन

(स्रोत-एनसीबी)

एनसीबी बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई द्वारा बेंगलुरु (कर्नाटक) में दिनांक 26.06.2018 को मादक पदार्थ रोधी दिवस का आयोजन

(स्रोत-एनसीबी)

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण कार्यक्रम/गतिविधियां

9.93 श्री अभय, महानिदेशक के नेतृत्व में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और श्री अब्दुल कयूम समीर, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मामले अफगानिस्तान के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ काउंटर नारकोटिक्स (एमसीएन) के बीच दूसरी द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली, भारत में दिनांक 19.04.2018 से 20.04.2018 तक आयोजित की गई ताकि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं स्वापक पदार्थों के दुरूपयोग से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और इस क्षेत्र में आगे और सहयोग के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जा सके।

9.94 श्री अभय, महानिदेशक के नेतृत्व में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), भारत और श्री संजीवा मेडावट्टे, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो (पीएनबी) के नेतृत्व में पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो (पीएनबी), श्रीलंका के बीच तीसरी द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में दिनांक 04.05.2018 से 05.05.2018 तक आयोजित की गई ताकि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं स्वापक पदार्थों के दुरूपयोग से निपटने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय बैठकें

9.95 दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान एनसीबी अधिकारियों ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया:

(क) अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के संबंध में दोनों देशों के बीच सूचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में आगे और सहयोग के लिए श्री अभय, महानिदेशक के नेतृत्व में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) भारत और डॉ. हेरू विनारको, एसएच, नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड (बीएनएन) के प्रमुख के नेतृत्व में नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड (बीएनएन), इण्डोनिशिया के बीच कार्यकारी समूह की महानिदेशक स्तर की तीसरी द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में दिनांक 28.06.2018 से 29.06.2018 तक आयोजित की गई।

(ख) श्री अभय, महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने उत्तेजक एवं नए मनःप्रभावी पदार्थ (एनपीएस) के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियन्त्रण बोर्ड (आईएनसीबी) के टास्क फोर्स की इस्तांबुल, तुर्की में दिनांक 02.10.2018 से 05.10.2018 तक आयोजित बैठकों में भाग लिया।

*****

अध्याय - 10

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत विश्व में क्षेत्र-वार सातवां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या-वार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए इस देश की भू-सीमा एशिया क्षेत्र के छः देशों से और समुद्री सीमा चार देशों से मिलती है। अलग-अलग कृषिगत जलवायु और जलीय मौसम विज्ञानी जैव मंडल के साथ पर्वतों, समतल भूमि और तराई की विविधता के साथ भारत बड़े पैमाने पर आपदाओं के प्रति प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है। सामान्य रूप से अनुभव की जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बादल फटना, लू चलना, भू-स्खलन, मृदा-स्खलन और हिम-स्खलन, दावानल, समुद्री तट कटाव और जल भराव, सुनामी, बिजली गिरना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व में किसी अन्य देश की तरह भारत भी रासायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और आणविक आपात स्थितियों जैसी नई और उभरती हुई आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। मानवजनित आपदाओं में आतंकवाद और भगदड़ भी नई आपदाएं हैं।

10.2 भारत में आपदा का जोखिम जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती सहित तेजी से शहरीकरण, पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवासन और पशु व्यापार के कारण उत्पन्न महामारी और पेंडेमिक्स के परिणामस्वरूप और अधिक बढ़ जाता है। आपदाएं हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या और सतत विकास के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रभाव डालती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

10.3 आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की दशा में संभारकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। संभारतंत्र संबंधी सहायता में वायुयानों, नावों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सशस्त्र बलों के विशेष दलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवसंरचनागत सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा अपेक्षित इस प्रकार की अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

10.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि आपदा प्रशमन को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

10.5 भारत सरकार ने आपदाओं तथा उससे संबंधित या तत्संबंधी मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम,

2005 (डीएम अधिनियम, 2005) अधिनियमित किया था। इसमें आपदा प्रबंधन की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र निर्धारित किया गया है जिससे आपदाओं के प्रभाव को रोकने और उन्हें कम करने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय किया जाना सुनिश्चित होता है। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोधों/अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अध्ययन के लिए एक कार्य बल का गठन किया था ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक समग्र संशोधन प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन है।

संस्थागत तंत्र

I. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

10.6 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हेतु स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नलिखित तीन सदस्य शामिल हैं - (1) ले. जनरल (सेवानिवृत्त) एन. सी. मारवाह, सदस्य, (2) डॉ. डी.एन. शर्मा, सदस्य और (3) श्री कमल किशोर, सदस्य।

10.7 एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा प्रबंधन पर नीतियां निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी अपनी योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन को समेकित करने के लिए उन्हें दिशानिर्देश जारी करने सहित अनेक कार्य/पहलें करता है। यह उन दिशानिर्देशों को भी निर्धारित करता है जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, योजना तैयारियों, उपशमन उपाय करने और क्षमता वृद्धि हेतु पहल करने के लिए किया जाना है।

10.8 एनडीएमए ने अपने गठन के समय से लेकर अब तक आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर 26 दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों की सूची अनुलग्नक-XII में दी गई है। यह "एनडीएमए दिशानिर्देश" लिंक के तहत एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं

10.9 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 01.06.2016 को जारी की गई थी। एनडीएमपी में आपदा प्रबंधन के सभी चरण शामिल हैः निवारण, प्रशमन, कार्रवाई और सामान्य स्थिति की बहाली। एनडीएमपी आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्दई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) से सम्बद्ध है। यह दस्तावेज "नीति एवं योजना-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना" लिंक के तहत एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना में संशोधन करने के लिए राय/इनपुट/सिफारिशें प्राप्त करने हेतु सभी स्टेकहोल्डरों की दो दिवसीय परामर्शदात्री कार्यशाला दिनांक 12.04.2017 और 13.04.2017 को आयोजित की गई थी। इन इनपुटों के आधार पर योजना में संशोधन किया जा रहा है।

10.10 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) तैयार की हैं और एनडीएमए के साथ साझा की हैं।

10.11 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की तैयारी को सुविधाजनक बनाने हेतु, एनडीएमए ने "भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए आपदा प्रबंधन हेतु सुझाई गई संरचना" तैयार की है जो "नीति एवं योजना-केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना"

लिंक के तहत एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएमपी की तैयारी से संबंधित मामले पर (आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार) उनके साथ नियमित आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

10.12 भारत सरकार के बीस मंत्रालयों/विभागों अर्थात् (i) पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, (ii) रेल मंत्रालय, (iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (iv) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, (v) विद्युत मंत्रालय, (vi) इस्पात मंत्रालय, (vii) खान मंत्रालय, (viii) भारी उद्योग विभाग, (ix) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, (x) नागर विमानन मंत्रालय, (xi) परमाणु ऊर्जा विभाग, (xii) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, (xiii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, (xiv) दूरसंचार विभाग, (xv) अंतरिक्ष विभाग, (xvi) न्याय विभाग, (xvii) कृषि सहयोग और कृषक कल्याण विभाग, (xviii) आयुष मंत्रालय, (xix) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा (xx) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली हैं।

II. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

10.13 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.10.2006 को स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा सहित क्षमता संवर्धन, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति नियोजन की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र से अपग्रेड होकर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) सभी स्तरों पर निवारण और तैयारी की संस्कृति को विकसित और प्रोत्साहित करके आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभरने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। केन्द्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासी निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

10.14 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, एनआईडीएम, नई दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने 60 फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 1888 सहभागियों ने भाग लिया। एनआईडीएम ने 20 राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित कीं/उनमें भाग लिया। प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार, 4 ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे हो गए हैं और 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

एनआईडीएम-जेएनयू आपदा अनुसंधान कार्यक्रम

10.15 शैक्षणिक सहयोग के लिए एनआईडीएम और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बीच तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 06.08.2015 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे दिनांक 31.03.2019 तक आगे बढ़ा दिया गया था।

(i) सहयोग के क्षेत्र:

(क) संयुक्त अनुसंधान संबंधी गतिविधियां, सेमिनार, सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षणिक बैठकें।

(ख) शैक्षणिक सामग्री, डाटा एवं अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक सूचना का आदान-प्रदान।

(ग) संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना, दोनों संस्थानों के संकाय द्वारा सह-पर्यवेक्षण और जहां कहीं संभव हो संयुक्त शिक्षण।

(ii) जेएनयू में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र की स्थापना करना:

जेएनयू में दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को विशेष आपदा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें विशेष आपदा अनुसंधान केंद्र के माध्यम से जेएनयू में एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों को शीघ्र शुरू करने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने पर बल दिया गया।

(iii) परियोजना का वित्तपोषणः

समझौता ज्ञापन की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का वित्तपोषण एनआईडीएम के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा 4.14 करोड़ रु. के कुल आवंटन के साथ वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

10.16 दक्षिणी परिसर-एनआईडीएम

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में, भारत सरकार ने 36.76 करोड़ रु. की संशोधित लागत से राज्य में एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया। माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने मंगलवार (दिनांक 22.05.2018) को गन्नावरम मंडल के कोंडापावुलुरू गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी परिसर की आधार-शिला रखी। दक्षिणी परिसर सभी दक्षिणी राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी प्रशिक्षणों और शोध आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर की आधारशिला रखी

(स्रोतः एनआईडीएम)

III. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

10.17 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में गृह मंत्रालय ने आपदाओं अथवा आपदा जैसी स्थितियों के प्रति विशेष कार्रवाई के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का गठन किया है। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में शुरू में 08 बटालियनों के साथ गठित किया गया था जिन्हें संवेदनशीलता के प्रोफाइल के आधार पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में तैनात किया गया था। वर्ष 2010 में दो और बटालियनें बनाई गईं और वर्ष 2015 में 02 अतिरिक्त बटालियनें बनाई गई हैं। इस समय, एनडीआरएफ में 12 बटालियनें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं। यह बल रासायनिक, जैविक, रेडियो-धर्मी, आणविक (सीबीआरएन) आपदाओं सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम, ओजस्वी, बहु-कौशलयुक्त, उच्च तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र बल के रूप में उभरा है। ये 12 बटालियनें भटिंडा (पंजाब), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), वड़ोदरा (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), अराक्कोनम (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), मुंडाली (ओडिशा), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और दोइमुख (अरुणाचल प्रदेश) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों को आपदाओं के मामले में कार्रवाई के समय को कम करने के लिए 23 भिन्न-भिन्न रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। हाल में, सरकार ने अगस्त, 2018 में चार (04) अतिरिक्त बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

तलाशी एवं बचाव

58 एनडीआरएफ टीमों ने केरल में बाढ़ के दौरान बचाव और राहत अभियान चलाया तथा 25 हजार से अधिक असहाय लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

असम बाढ़ के दौरान असहाय गांव वालों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

कोडूगोड़ी, बेंगलुरु (कर्नाटक) में भवन ढहने के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

सूफिया चौक, लुधियाना, पंजाब में भवन ढहने के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में छावनी रेलवे स्टेशन के नजदीक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढहने के दौरान कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

त्रिपुरा बाढ़ में बाढ़ निकासी अभियान के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

बालिरघाट पुल, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में बस दुर्घटना के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

केरल के कालीकट जिले में थामारासारी के नजदीक कट्टीपारे करिंचलामाला में भू-स्खलन के दौरान कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

ग्राम-मंतुरू, मंडल-देवीपटनम, जिला-पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) में नाव पलटने के दौरान शव निकालते हुए एनडीआरएफ गोताखोर

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

एनडीआरएफ की टीम ने वाराणसी में एक व्यक्ति को जीवित बचाया और चिकित्सा दल पीड़ित को अस्पताल-पूर्व उपचार देते हुए

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

बटाला, गुरदासपुर, पंजाब में अमोनिया गैस के रिसाव को बंद करने की कार्रवाई करती हुई एनडीआरएफ की सीबीआरएन टीम

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

एनडीआरएफ द्वारा अभियान

10.18 इस अवधि (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने 621 अभियान चलाए और 45754 बहुमूल्य जानें (1308 लोगों को बचाया और 44446 लोगों को बचाकर बाहर निकाला), 290 पशुओं को बचाया तथा 532 शव निकाले। उक्त अवधि के दौरान एनडीआरएफ द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख अभियानों का ब्योरा निम्नानुसार हैः-

क. बाढ़

i) असम

जून, 2018 और अगस्त, 2018 माह में दक्षिण-पश्चिमी मानसून पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर भागों में फैल गया जबकि भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने तबाही मचाई। लगातार बारिश ने अचानक बाढ़ लाकर और असम में हजारों लोगों को बेघर करके पूर्वोत्तर के हिस्सों में कहर बरपाया, राज्य के कुछ जिलों यथा असम के करीमगंज, लखीमपुर, हैलाकांडी, सिवसागर और गोलाघाट को प्रभावित किया। उपर्युक्त के मद्देनजर तथा असम राज्य सरकार की मांग पर, एनडीआरएफ की टीमों ने तुरंत कार्रवाई आरंभ कर दी और राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीआरएफ द्वारा तत्काल एवं विशिष्ट कार्रवाई के फलस्वरूप एनडीआरएफ की टीमों ने 01 व्यक्ति को जीवित बचाया, 5197 असहाय लोगों को निकाला, 14 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और 04 शव निकाले। इन टीमों ने 1701 जरूरतमंद ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता प्रदान की और आवश्यक दवाइयां वितरित कीं। इन टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री अर्थात पीने का पानी और खाने का पैकेट बांटने में राज्य प्राधिकारियों की सहायता भी की।

असम बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ कार्मिक बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए

(फोटोग्राफ का स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

ii) आंध्र प्रदेश

दिनांक 18.10.2018 और 20.10.2018 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिले में लगातार बारिश ने कई जलराशियों में पानी का स्तर बढ़ा दिया। जब मंदिर के पास से गुजरने वाली नदी में अचानक बाढ़ आई, तो वर्षा के कारण पश्चिम गोदावरी जिले के बुट्टायागुडेम में गुब्बला मंगम्मा मंदिर में अनेक श्रद्धालु फंस गए। एनडीआरएफ की टीमें पश्चिम गोदावरी और पूर्व गोदावरी में अपने पूर्व-तैनाती के स्थान से तत्काल उस जगह पर पहुंच गईं, बचाव अभियान शुरू किया और बच्चों तथा बुजुर्गों सहित 610 से अधिक श्रद्धालुओं को बचाया और 306 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

iii) गुजरात

जुलाई, 2018 के दूसरे सप्ताह के दौरान, पूरे राज्य में लगातार बारिश ने कई नदियों में सैलाब ला दिया जिससे गुजरात के विभिन्न हिस्सों में पानी भर गया। गुजरात राज्य सरकार की मांग पर, एनडीआरएफ की 21 टीमें अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों यथा सूरत, वलसाड,

गुजरात बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए

(फोटोग्राफ का स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

अमरेली, भावनगर, तापी, गांधीनगर, गिर-सोमनाथ, राजकोट और पंचमहल में तैनात की गईं। एनडीआरएफ

की टीमों ने निरंतर बचाव, निकासी और राहत अभियान चलाया। एनडीआरएफ की टीमों ने 661 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को बचाया/सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, 06 पशुओं को बचाया तथा 02 शव निकाले। इन टीमों ने 3328 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की तथा राहत सामग्री बांटने में राज्य/जिला प्रशासन की सहायता भी की।

iv) केरल

मूसलाधार बरसात से केरल बुरी तरह प्रभावित हुआ और इसके बाद अगस्त, 2018 माह में आई बाढ़ ने अवसंरचना, घरों, सड़कों और बिजली को भारी नुकसान पहुंचाया, विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोग फंस गए और इसके परिणामस्वरूप राज्य के इतिहास में सबसे भीषण आपदा आई। आपदा के प्रभाव का शमन करने के लिए, एनडीआरएफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी 58 टीमें तैनात कीं, जिनमें से 52 टीमों को एनडीआरएफ के विभिन्न स्थानों से एयरलिफ्ट किया गया और इस प्रकार, यह एक ही राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का अब तक का इस बल का सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान बन गया।

केरल बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ अलग हुए स्थानों से असहाय लोगों को बचाकर ले जाते हुए

(फोटोग्राफ का स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

एनडीआरएफ के बहादुर कार्मिकों ने केरल के पथनमथिट्टा, इदुक्की, अलाप्पुजा, वायनाड, कोटायम, एर्नाकुलम, थ्रिसूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और मल्लापुरम जिलों के अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुगम रूप से बचाव, निकासी और राहत अभियान चलाने के लिए अन्य एजेंसियों और स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर काम किया। अभियानों के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने 535 लोगों को बचाया और 24940 प्रभावित व्यक्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

केरल बाढ़ के दौरान मल्लापुरम में एनडीआरएफ कार्मिक पशुओं को बचाते हुए

(फोटोग्राफ का स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

मानव जीवन और संपत्ति के अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों ने 119 असहाय पशुओं को भी बचाया। एनडीआरएफ द्वारा भोजन के पैकेट, वस्त्र आदि जैसी आवश्यक सामग्रियां भी वितरित की गईं।

तेज बुखार से पीड़ित एक बच्चे को आगे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाने के लिए एक पुल पर दौड़ते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

इसके अतिरिक्त, कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए, एनडीआरएफ ने वायनाड और कोझीकोड जिलों के विभिन्न स्थानों पर कई किलोमीटर सड़कों को भी ठीक

किया। इसके अतिरिक्त, बाढ़ वाले क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए और 6821 बीमार, वृद्ध तथा जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

v) महाराष्ट्र

दिनांक 10.07.2018 को, लगातार बरसात ने जल स्तर बढ़ा दिया, बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गये और वड़ोदरा एक्सप्रेस के 1500 यात्री फंस गए क्योंकि नाला सोपारा के आस-पास पटरी पूरी तरह पानी में डूब गई थी। मंत्रालय मुम्बई, महाराष्ट्र की मांग पर, क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र (आरआरसी), मुम्बई में तैनात एनडीआरएफ की एक टीम उस स्थान पर पहुंच गई, अभियान शुरू किया तथा सेंट्रल मुम्बई में सभी 1500 यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम ने ग्राम-मानिकपुर, पालघर, महाराष्ट्र में फंसे हुए 191 व्यक्तियों को भी बचाया।

नाला सोपारा और विरार रेलवे स्टेशन, मुम्बई, महाराष्ट्र के बीच वड़ोदरा एक्सप्रेस में फंसे हुए यात्रियों को निकालने के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

vi) उत्तर प्रदेश

अगस्त, 2018 के प्रथम सप्ताह के दौरान, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी वर्षा हुई, जबकि बड़ी नदियां पूरे उफान पर थीं। तहसील नानपाड़ा, जिला बहराइच के गांव गालामंडी में भी एक तालाब में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और जल भराव होने से अनेक लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने अभियान शुरू किया और 87 व्यक्तियों तथा 135 पशुओं को बचाया। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों ने रायबरेली में उन 04 व्यक्तियों को भी बचाया, जो सई नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण फंस गए थे।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के दौरान अनेक फंसे हुए व्यक्तियों को बचाते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

vii) त्रिपुरा

दिनांक 20.05.2018 को लगातार वर्षा से भू-स्खलन हो गया, हरोरा नदी का जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई लोग फंस गए। अनुरोध किए जाने पर, आपातस्थिति में कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र (आरआरसी) अगरतला, त्रिपुरा में तैनात एनडीआरएफ की एक टीम अगरतला शहर, जिला पश्चिम त्रिपुरा के चन्द्रपुर क्षेत्र में अग्निशमन सेवा तथा रक्षा कार्मिकों के साथ बचाव अभियान में शामिल हो गई और बचाव एवं निकासी कार्य में सहायता प्रदान की। इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के बाद, दिनांक 10.06.2018 से लगातार वर्षा के कारण मनु नदी का जल स्तर बढ़ गया, एक बांध टूट गया और उत्तरी त्रिपुरा के निचले क्षेत्रों में अभूतपूर्व बाढ़ और सैलाब आ गया। 13 जून से हालात बिगड़ गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश, भू-स्खलन और आकस्मिक बाढ़ ने तबाही मचा दी और नए क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में सड़कें तथा फसलें नष्ट हो गईं। मांग किए जाने पर, एनडीआरएफ की 11 टीमों (02-कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 04-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और 05-गुवाहाटी, असम से) को तत्काल अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों अर्थात्

कैलाशहर नगर तथा उनाकोटि में हवाई जहाज से पहुंचाया गया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की तथा निरंतर बचाव अभियान चलाए। एनडीआरएफ की टीमों ने साथ-साथ ही राहत सामग्रियां और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। एनडीआरएफ द्वारा कैलाशहर नगर के विभिन्न गांवों में चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए गए। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने अपनी नौकाओं द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। अभियानों के दौरान, एनडीआरएफ ने 9,858 व्यक्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

त्रिपुरा में बाढ़ के दौरान असहाय ग्रामीणों को बचाते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

viii) उत्तराखंड

मानसून ऋतु के दौरान भारी वर्षा ने राज्य के कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी और भूस्खलन हो गया। एनडीआरएफ ने एहतियाती उपाय के रूप में राज्य के चार महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी टीमों को पहले से तैनात कर दिया और बाढ़ के कारण उत्पन्न अनेक आपदाओं में तुरंत कार्रवाई की तथा बाढ़ पीड़ित राज्य में कई बहुमूल्य जानें बचाईं। जुलाई, 2018 में, पिथौरागढ़ में पहले से तैनात एनडीआरएफ की टीम ने 21 फंसे हुए व्यक्तियों (अर्थात् कैलाश मानसरोवर यात्रियों एवं नागरिकों) को बचाया तथा गांव-लक्ष्मीपुर और नाजांग के बीच उन 18 स्थानीय निवासियों को बाहर निकाला जो पुल और सड़कें बह जाने के कारण फंस गए थे। इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2018 में, गुप्तकाशी, जिला-रुद्रप्रयाग और गोचर, जिला-चमोली में पहले से तैनात एनडीआरएफ की टीमों द्वारा उन 126 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया, जो भारी वर्षा के कारण फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीमों ने उन 03 पशुओं को भी जीवित बचाया, जो कोसी नदी, अल्मोड़ा में गिर गए थे।

कोसी नदी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड से पशुओं को बचाते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

ix) कर्नाटक

दिनांक 16.08.2018 को, भारी वर्षा से कर्नाटक के जिला कोडागु के मेदिकेरी में कई भू-स्खलन हुए और अनेक लोग फंस गए। जिला प्रशासन के दिशानिर्देशों में एनडीआरएफ की 03 टीमों ने गांव जोदुओपाला, तहसील-मेदिकेरी, कोडागु में बचाव अभियान चलाए, 40 व्यक्तियों को बचाया और 465 व्यक्तियों को बाहर निकाला तथा 05 शव निकाले। एनडीआरएफ की टीम ने वहां पर 419 पीड़ितों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की।

मेदिकेरी, कोडागु, कर्नाटक में तलाशी और बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

ख. भू-स्खलन

केरल

दिनांक 14.06.2018 को, एनडीआरएफ की एक टुकड़ी ने केरल के कालीकट जिले में थमारास्सरी के नजदीक कट्टीपारे करिनचलामाला में तलाशी अभियान चलाया, जहां मूसलाधार वर्षा से हुए भू-स्खलन में कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पांच दिन तक चले अनवरत तलाशी अभियान में एनडीआरएफ की टीम ने लगातार पीड़ित का पता लगाने के लिए उच्च कोटि के जोश, कर्तव्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और सभी एजेंसियों द्वारा निकाले कुल 14 शवों में से 10 शव निकाले।

केरल में तलाशी अभियान में सभी लोग हाथ बटाते हुए

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

ग. नाव पलटना

आंध्र प्रदेश

दिनांक 15.05.2018 को, कोंडामोडालू से लगभग 40 लोगों को लेकर राजामहेन्द्रवरम जा रही एक नाव मंतुरू-गांव, देवीपटनम-मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश) के नजदीक तेज हवाओं के कारण गोदावरी नदी में पलट गई। 17 लोग स्वयं नदी के किनारे तक पहुंचने में सफल रहे, तथापि 23 लोग नदी में लापता हो गए। जिला प्राधिकरण की मांग पर, एनडीआरएफ की दो टीमें गांव-मंतुरू, मंडल-देवीपटनम, जिला-पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) भेजी गईं और वे अन्य एजेंसियों के साथ तलाशी एवं बचाव अभियानों में शामिल हो गईं। एनडीआरएफ की टीम ने 19 शव निकाले।

पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में नाव पलटने के समय तलाशी अभियान के दौरान एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

घ. इमारत ढह जाना

i) राजस्थान

दिनांक 16.02.2018 को, कलेक्टर, अजमेर की मांग पर, दो टीमों ने गैस सिलेंडर फटने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवन (भूतल+2) के संबंध में तहसीलः ब्यावर, जिलाः अजमेर, राजस्थान में सीएसएसआर अभियान चलाया। इस टीम ने मलबे से 17 शव निकाले।

ii) कर्नाटक

एक टीम ने भूतल+4 मंजिला निर्माणाधीन भवन ढह जाने के संबंध में दिनांक 15.02.2018 से 18.02.2018 तक सिराजपुरा रोड पर कसावानाहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक में सीएसएसआर अभियान चलाया। अभियान के दौरान 04 पीड़ितों को जिंदा

बचाया गया और मलबे से 01 शव बाहर निकाला गया।

बेंगलुरु, कर्नाटक में सीएसएसआर अभियान चलाते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

iii) महाराष्ट्र

दिनांक 25.07.2018 को, मुम्बई के भिवंडी के रसूलबाग क्षेत्र में एक सार्वजनिक शौचालय पर तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए। आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई के लिए आरआरसी मुम्बई में तैनात एनडीआरएफ की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और रात्रि में पुलिस तथा फायर ब्रिगेड के साथ क्षतिग्रस्त इमारत की तलाशी और बचाव अभियान में शामिल हो गई तथा मलबे के नीचे दबे हुए एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया।

भिवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र में भवन ढह जाने के दौरान कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

iv) गुजरात

दिनांक 26.08.2018 को, अहमदाबाद के ओधव क्षेत्र में एक चार मंजिला आवासीय परिसर के दो ब्लॉक ढह गए जिसमें कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए। एनडीआरएफ की 05 टीमों ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी रात बचाव अभियान चलाया तथा 02 व्यक्तियों को जीवित बचा लिया।

v) उत्तर प्रदेश

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह जानाः दिनांक 15.05.2018 को, वराणसी में छावनी रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया। तत्काल, एनडीआरएफ की 02 टीमें अपने बेस कैंप, वाराणसी से घटना स्थल पर पहुंचीं। घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात, यह देखा गया कि एक मिनी बस, दो बोलेरो जीपें और एक टेम्पो स्लैब के नीचे दब गए हैं, जिनके भीतर जीवित व्यक्ति थे। घटना की गंभीरता का आकलन करने के पश्चात, 05 और टीमें उक्त स्थान पर पहुंचीं और क्रेनों की सहायता से क्षतिग्रस्त ढांचे की तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। अभियानों के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने 03 पीड़ितों को जीवित बचाया तथा 18 शव निकाले।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सीएसएसआर अभियान के दौरान एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में भवन ढह जानाः दिनांक 17.07.2018 को, एक छः मंजिला निर्माणाधीन भवन ढह गया और निकटवर्ती 04 मंजिला भवन पर गिर गया, जिसमें कुछ परिवार मलबे के नीचे दब गए। तत्काल, गाजियाबाद में तैनात एनडीआरएफ की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची और तलाशी तथा बचाव अभियान शुरू कर दिया। चालू अभियानों को सुदृढ़ बनाने के लिए, 03 अतिरिक्त टीमें पहुंचीं और बचाव अभियान में शामिल हो

गईं। एनडीआरएफ की सभी टीमों ने लगातार अभियान जारी रखते हुए अपने अथक प्रयास किए और मलबे से 09 शव निकाले।

भवन ढह जाना, गाजियाबादः दिनांक 22.07.2018 को, एक निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन के ढह जाने, जिसमें कुछ लोग कथित रूप से दबे हुए थे, पर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित एनडीआरएफ की चार टीमें 04 श्वानों के साथ डासना फ्लाईओवर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के नजदीक आकाश नगर पहुंचीं। इन टीमों ने तलाशी और बचाव अभियान चलाया तथा 02 व्यक्तियों को जीवित बचाया और 02 शव निकाले।

vi) पश्चिम बंगाल

दिनांक 04.09.2018 को, मेजरहाट, दक्षिण कोलकाता में मेजरहाट फ्लाईओवर का लगभग 37 मीटर हिस्सा ढह गया, जिसमें कुछ लोग और पुल पर चल रहे वाहन दब गए। तत्काल, क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र (आरआरसी) राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से एनडीआरएफ की टीमें उस स्थान पर पहुंचीं और अभियान शुरू कर दिया। बचाव अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए, एनडीआरएफ की 03 और टीमें 02 श्वानों के साथ घटना स्थल पर पहुंचीं और अभियान में शामिल हो गईं। इन टीमों ने दिनांक 04.09.2018 से 06.09.2018 तक बचाव अभियान चलाया और 02 शव निकाले।

मेजरहाट, दक्षिण कोलकता (प.बं.) में सीएसएसआर अभियान के दौरान एनडीआरएफ टीम

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

vii) कर्नाटक

दिनांक 19.03.2019 को, धारवाड़ जिले में एक निर्माणाधीन भवन ढह गया और उसके नीचे बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल, बेंगलुरु से एक टीम सड़क मार्ग से घटना स्थल पर पहुंची और राज्य अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के साथ बचाव अभियान में शामिल हो गई।

कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए, एनडीआरएफ बेस गाजियाबाद से दो अतिरिक्त टीमों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हेतु 19 और 20 मार्च, 2019 की मध्यरात्रि में हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। सात दिन लम्बे अभियान के दौरान, एनडीआरएफ ने 04 व्यक्तियों को जीवित बचाया और 08 शव निकाले। सभी बचाव एजेंसियों द्वारा कुल 54 व्यक्तियों को बचाया गया और 19 शव निकाले गए।

ङ. चक्रवात "तितली"

अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान "तितली" के मद्देनजर, एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में अपनी 25 स्वतःपूर्ण टीमें तैनात कीं। सभी एनडीआरएफ टीमें आपदा मोचन उपकरण, इनफ्लेटेबल रबराइज्ड नौकाओं और संचार गैजेट्स से पूरी तरह सुसज्जित थीं।

आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'तितली' के दौरान दिन-रात सड़क साफ करते हुए एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

i) आंध्र प्रदेश

श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिलों में पहले ही दिनांक 10.10.2018 को सात टीमें तैनात कर दी गई थीं। तैनाती के दौरान, इन टीमों ने अभियान चलाया और 02 व्यक्तियों को जीवित बचाया, 130 व्यक्तियों को बाहर निकाला और 1043 पेड़, 145 बिजली के खंभे, 03 ट्रांसफार्मर एवं 01 बीएसएनएल टॉवर हटाए तथा 277 किमी. सड़क ठीक की। इन टीमों ने राहत सामग्री और दवाइयां बांटने में भी सहायता की।

ii) ओडिशा

एनडीआरएफ की पंद्रह टीमें पहले ही दिनांक 09.10.2018 से ओडिशा के तटीय क्षेत्रों अर्थात् गंजम, गजपति, पुरी, केंद्रपाड़ा, नयागढ़, भद्रक, जगतसिंहपुर, बालासोर, जाजपुर, भुवनेश्वर और संभलपुर जिलों में तैनात की गई थीं। तैनाती के दौरान टीमों ने अभियान चलाया और 15 व्यक्तियों को बचाया, 571 व्यक्तियों को बाहर निकाला, 197 पेड़ हटाए और 167 किमी. सड़क ठीक की। इन टीमों ने राहत सामग्री और दवाइयां बांटने में भी सहायता की।

ओडिशा में चक्रवात 'तितली' के दौरान सड़क खोलने के लिए गिरे हुए पेड़ को काटते हुए एनडीआरएफ कार्मिक

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

iii) पश्चिम बंगाल

एनडीआरएफ की तीन टीमें पहले ही दिनांक 10.10.2018 से 13.10.2018 तक आपात कार्रवाई के लिए पूर्वी मेदिनीपुर, हुगली और 24 दक्षिण परगना में तैनात की गई थीं।

च. उत्सव

i) सबरीमाला मेला, 2017-18

एनडीआरएफ की दो टीमें पहले ही सबरीमाला, जिला-पथनमथिट्टा, केरल में सबरीमाला मेला-2017 के संबंध में दिनांक 13.11.2017 से 20.01.2018 तक आपात कार्रवाई के लिए तैनात की गई थीं। जनवरी माह के दौरान इस दल ने 84 तीर्थयात्रियों को अस्पताल-पूर्व उपचार (पीएचटी) प्रदान किया और बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

ii) चैती छठ पूजा

चार (04) टीमों को चैती छठ पूजा के संबंध में आपातकालीन कार्रवाई के लिए दिनांक 22.03.2018 से 24.03.2018 तक बिहार के कलेक्ट्रेट घाट, कुर्जीघाट, भद्रघाट, लॉ कॉलेज घाट, संत माइकल घाट, पीपापुल घाट, भैरव घाट और काली घाट गंगा नदी पर तैनात किया गया था। तैनाती के दौरान इन दलों ने छठ श्रद्धालुओं को सहायता पहुंचाने के लिए गाय घाट, दीघा घाट और गांधी घाट पर चिकित्सा शिविर आयोजित किया।

iii) झारखंड

एनडीआरएफ ने एक माह लंबे श्रावणी मेले, जो दिनांक 23.07.2017 से 07.08.2017 तक जिला देवघर, झारखंड में चला, में आपातकालीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी 03 टीमें (01 टीम दुमका में तथा 02 टीमें देवघर में) तैनात कीं। तैनाती के दौरान, एनडीआरएफ की टीम ने 01 वृद्ध महिला को डूबने से बचाया। यह महिला शिवगंगा तालाब, देवघर (झारखंड) में पवित्र स्नान करते समय अचानक फिसल गई और तालाब के गहरे पानी में पहुंच गई तथा डूबने लगी। एनडीआरएफ के एक सतर्क गहरे गोताखोर, जो एनडीआरआफ की नौका ड्यूटी पर था, ने तत्काल प्रतिक्रिया की और पीड़ित को सफलतापूर्वक बचा लिया। इसके

अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों ने 10542 जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को चिकित्सीय सहायता भी प्रदान की।

एनडीआरएफ ने एक तीर्थयात्री नामतः श्रीमती मालती देवी, देवघर, झारखंड को बचाया

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

iv) श्री अमरनाथ जी यात्रा-2018

दिनांक 23.06.2018 से 28.08.2018 तक श्री अमरनाथ यात्रा-2018 के संबंध में आपातकालीन कार्रवाई हेतु एनडीआरएफ की चार टीमों अर्थात एक-एक टीम को पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, बालटाल और पंचतरणी (जम्मू और कश्मीर) में तैनात किया गया था। तैनाती के दौरान, इन टीमों ने 285 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला, तीर्थयात्रियों को चिकित्सीय सहायता पहुंचाई तथा दवाइयां बांटी।

v) कैलाश मानसरोवर यात्रा-2018

गृह मंत्रालय की मांग पर, दिनांक 04.06.2018 से 13.10.2018 और 14.06.2018 से 24.08.2018 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा-2018 के संबंध में आपात कार्रवाई हेतु एनडीआरएफ की दो टीमें अर्थात एक-एक टीम पहले ही क्रमशः मिरथी, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड और पालजोर स्टेडियम, गंगटोक, सिक्किम में तैनात की गई थीं। तैनाती के दौरान, इस टीम ने गांव-पलधर, जिला पिथौरागढ़ में भू-स्खलन के कारण बंद हुए क्षेत्र को पार करने में कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को सहायता प्रदान की।

vi) कुंभ मेला-2018/2019

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की बारह स्वतःपूर्ण टीमें, जिनमें लगभग 490 कार्मिक थे, आपात कार्रवाई के लिए दिनांक 15.01.2019 से 04.03.2019 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में संसार के सबसे बड़े मानव समारोह, कुंभ मेला-2019 के दौरान गंगा नदी के विभिन्न क्षेत्रों/घाटों पर तैनात की गई थीं। एनडीआरएफ के कार्मिकों को किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए 24x7 आधार पर गंगा नदी के किनारों पर तैनात किया गया था। कार्रवाई के अतिरिक्त, एनडीआरएफ ने बीमार और जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई चिकित्सा शिविर स्थापित किए और स्वास्थ्य तथा सफाई बनाए रखने के लिए घाटों के आस-पास कई सफाई अभियान भी आयोजित किए। तैनाती के दौरान, इन दलों ने 19 तीर्थयात्रियों को बचाया और 15252 जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को अस्पताल-पूर्व उपचार (पीएचटी) प्रदान किया।

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला-2019 के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

(स्रोतः एनडीआरएफ फोटो सेल)

vii) कार्तिक छठ पूजा-2018

कार्तिक छठ पूजा उत्सव के संबंध में एनडीआरएफ की नौ (09) टीमें बिहार में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर तैनात की गई थीं। उक्त उद्देश्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें असम, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जलराशियों पर तैनात की गई थीं।

छ. सीबीआरएन

i) अमोनिया गैस का रिसाव

दिनांक 01.02.2018 को, बर्फ की फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव के संबंध में एक टीम कहनुवाँ रोड के नजदीक, तहसील-बाटला, जिला-गुरदासपुर, पंजाब गई। उक्त टीम ने घटना स्थल की पूर्ण जांच की और अमोनिया गैस के रिसाव को बंद किया।

ii) इंडियन सुपर लीग के दौरान तैनाती

इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) मैचों में आपातकालीन कार्रवाई के लिए पूर्व तैनाती के संबंध में एक टीम दिनांक 05.01.2018 से 06.01.2018, 17.01.2018 से 18.01.2018, 21.01.2018 से 22.01.2018 और 10.02.2018 से 11.02.2018 तक जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिला-जमशेदपुर, झारखंड में तैनात की गई।

iii) संसद भवन

संसद सत्रों के दौरान किसी न्यूक्लियर, रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल आपातकाल की दशा में कार्रवाई करने के लिए संसद भवन, दिल्ली के चारों ओर सीबीआरएन उपकरण के साथ एनडीआरएफ की टीम नियमित आधार पर तैनात की गई।

iv) गणतंत्र दिवस परेड

गणतंत्र दिवस-2019 के संबंध में एनडीआरएफ की छह (06) टीमें सीबीआरएन उपकरण के साथ राजपथ, राष्ट्रपति भवन और बीटिंग रिट्रीट में तैनात की गईं।

v) रेडियो एक्टिव पदार्थ का गायब होना

दिनांक 19.01.2019 को, एपीएसडीएमए की मांग पर, रेडियो एक्टिव पदार्थ कैजियम-137 (सीएस-137) के गायब होने के संबंध में एक सीबीआरएन टीम राजामुंदरी, जिला-पूर्व गोदावरी, आंध्र प्रदेश में भेजी गई। दिनांक 23.01.2019 को, गायब कंटेनर जैसा दिखने वाला एक सीलबंद कंटेनर कालीडिंडी, जिला-कृष्णा में पाया गया। एनडीआरएफ की टीम कालीडिंडी पहुंची और उसने स्रोत (सीएस-137) को सुरक्षित रख लिया और उसे ओएनजीसी प्राधिकारियों को सौंप दिया क्योंकि स्रोत के खराब होने/उससे रिसाव होने के कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए।

अभियान संबंधी उपलब्धि का घटना-वार सार

(दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019)

क्र.सं.	घटना का प्रकार	बचाए गए	निकाले गए	बरामद	पशु
1.	बाढ़	1211	43235	18	286
2.	डूबने के मामले	10	0	291	04
3.	भूस्खलन	0	104	21	0
4.	ट्रेन दुर्घटनाएं	1	0	2	0
5.	सीएसएसआर (भवन ढहना)	22	5	88	0
6.	नाव पलटना	2	96	37	0
7.	बोर-वेल की घटनाएं	3	0	1	0
8.	मेला/उत्सव	33	288	0	0
9.	वाहन संबंधी घटनाएं	9	0	59	0
10.	आगजनी की घटना	0	1	1	0
11.	चक्रवात	17	701	0	0
12.	कोई अन्य घटना (अर्थात कोयला खान घटना, हिम स्खलन और कुंभारम लिफ्ट परियोजना बांध के एक भाग का टूटना)	0	16	14	0
	कुल योग	**1308**	**44446**	**532**	**290**

IV. नागरिक सुरक्षा

10.19 नागरिक सुरक्षा में भारत या इसके किसी भू-भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव का प्रशमन करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं है, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

10.20 कुछ वेतन भोगी स्टाफ और संस्थापना, जिसमें आपातकाल में वृद्धि की जाती है, को छोड़कर, नागरिक सुरक्षा का आयोजन बुनियादी तौर पर स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। इस समय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य 14.11 लाख रखा गया है, जिसमें से 5.38 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाए जा चुके हैं।

10.21 देश में नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उनकी नागरिक सुरक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण तथा उसे लैस करने के लिए उनकी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति और असम सहित अन्य राज्यों द्वारा किये गए व्यय के 25% की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों के अनुसार करती है। यह प्रतिपूर्ति अधिकृत वस्तुओं पर सहायता अनुदान के रूप में की जाती है।

10.22 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा के गठन, उसे लैस करने और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के सम्बन्ध में 8.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीसीडी)

10.23 नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीसीडी) की स्थापना राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के कार्यों सहित नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित सभी नीतिगत और योजनागत मामलों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पदनाम बदलकर अब महानिदेशक (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नागपुर का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अकादमी में विलय कर दिया गया है और इस समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के (एनडीआरएफ) के नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

V. होमगार्ड

10.24 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों का होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक बल में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक-आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों के निर्वहन में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करना होमगार्डों की भूमिका है।

10.25 होमगार्ड दो प्रकार के हैं-ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में, सीमा विंग होमगार्ड (बी डब्ल्यू एच जी) बटालियनें गठित की गईं हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार देश में होमगार्डों की कुल अनुमानित संख्या 5.74 लाख है,

जिसकी तुलना में गठित नफरी 4.43 लाख है। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

10.26 केन्द्र सरकार होमगार्ड्स संगठन की भूमिका, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित नीति तैयार करती है। सामान्य तौर पर होमगार्ड्स को गठित करने, प्रशिक्षित करने और सुसज्जित करने के लिए अधिकृत वस्तुओं पर निर्धारित दरों के अनुसार होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में प्रतिपूर्ति आधार पर विभाजित किया जाता है। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, केंद्र और राज्य के बीच भागीदारी का पैटर्न 50:50 के अनुपात में है। तथापि, होमगार्ड के सीमा विंग के संबंध में अधिकृत वस्तुओं पर होने वाले व्यय को पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में और असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 100:0 के अनुपात में वहन किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, होमगार्ड्स के गठन, उन्हें लैस करने तथा उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में राज्यों को 25.00 करोड़ रुपये (दिनांक 31 मार्च, 2019 तक) की प्रतिपूर्ति की गई।

VI. अग्निशमन सेवा

10.27 अग्निशमन सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज (एनएफएससी)

10.28 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कालेज आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन ग्राउंड अभियानों, पराचिकित्सीय और वास्तविक जीवन स्थितियों पर भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। कॉलेज में आग पर नियंत्रण और आग से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन इंजीनियरों/अधिकारियों का अतिथि संकाय पैनल है। वर्ष के दौरान, समस्त भारत के 630 सेवारत अग्निशमन कार्मिकों और इंजीनियरिंग छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण दिया गया। अपनी स्थापना के समय से इस कॉलेज ने 19839 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

10.29 राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के स्तरोन्नयन के लिए 205 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक योजना जून, 2010 में आरंभ की गई थी। इस योजना की संशोधित अनुमानित लागत 235.99 करोड़ रुपये है। इस योजना का समग्र उद्देश्य आपदा की स्थिति में अग्नि रोकथाम, अग्नि-सुरक्षा और अग्निशमन, बचाव, विशेषीकृत आपातकालीन कार्रवाई से संबंधित विशेषीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉलेज की क्षमता को बढ़ाना और इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रलेखन तथा परामर्शी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। यह योजना लगभग पूरी हो गई है।

अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के संबंध में पदक

10.30 अग्निशमन सेवाओं, सिविल डिफेंस और होम गार्ड कार्मिकों के असाधारण योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार वर्ष में दो बार अर्थात् गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर वीरता और सेवा पदक प्रदान करती है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि (गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस) के लिए, अग्निशमन सेवा, होम गार्डों और सिविल डिफेंस कार्मिकों को कुल 379 पदक प्रदान किए गए।

क्र.सं.	पदक का प्रकार	अग्निशमन सेवा पदकों की संख्या		होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या	
		गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस	गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस
i	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक	15	01	00	0
ii	वीरता के लिए पदक	14	03	00	0
iii	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक	19	05	17	05
iv	सराहनीय सेवा के लिए पदक	100	50	100	50
	कुल	148	59	117	55

आपदा प्रबंधन परियोजनाएं/क्रियाकलाप

क. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

10.31 भारत सरकार ने भारत के चक्रवात के खतरे की संभावना वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों की संवेदनशीलता को कम करने और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के अनुरूप लोगों और अवसंरचना को आपदा-रोधी बनाने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का अनुमोदन किया था। इस परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) घटक 'क': अंतिम मील कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणालियां, (ii) घटक 'ख': चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना जैसेकि बहु प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय (बाहर निकलने/पहुंच हेतु सड़क/पुल, सैलाइन एम्बार्कमेंट तथा अंडरग्राउंड केबलिंग), (iii) घटक 'ग': बहु आयामी जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण और (iv) घटक 'घ': परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषण किया जाता है और घटक ख का वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र सरकार के घटक का वित्तपोषण विश्व बैंक सहायता (ऋण) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया गया था।

10.32 एनसीआरएमपी के पहले चरण का अनुमोदन 1496.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए जनवरी, 2011 में किया गया था, जिसे 5 वर्षों में पूरा किया जाना है। वर्ष 2013 में चक्रवात फैलिन से प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप अतिरिक्त अवसंरचना को शामिल करके एनसीआरएमपी चरण-I के लागत अनुमान को संशोधित करके जुलाई, 2015 में 2331.71 करोड़ रुपए कर दिया गया था और इसे पूरा करने की तारीख को संशोधित करके 31.03.2018 कर दिया गया था। परियोजना राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद, परियोजना लागत में मई, 2017 में पुनःसंशोधन करके उसे 2541.60 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जिसके पूरा होने की तारीख 31.12.2018 थी।

10.33 एनसीआरएमपी के दूसरे चरण का अनुमोदन गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रुपए की लागत से जुलाई, 2015 में प्रदान किया गया था और परियोजना को पूरा करने की तारीख 31.03.2020 रखी गई है।

10.34 एनसीआरएमपी के चरण-I के अधीन, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को 1983.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए, राज्यों को 120.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। एनसीआरएमपी के चरण-II के अधीन, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को 886.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए, राज्यों को 181.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

10.35 दोनों चरणों में, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 666 बहु-प्रयोजनीय चक्रवात-रोधी आश्रय स्थल, 1260 कि.मी. लंबी सड़कें, 88.12 कि.मी. लवण तटबंध तथा 32 पुल बनाए गए थे। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए, 158 बहु-प्रयोजनीय चक्रवात-रोधी आश्रय स्थलों, 132.60 कि.मी. लंबी सड़कों और 7 पुलों का निर्माण किया गया।

ख. राष्ट्रीय आपातकालीन संचार योजना (चरण-II)

10.36 ओडिशा में वर्ष 1999 में आए भयंकर चक्रवात तथा गुजरात में वर्ष 2001 में आए भूकंप से बड़े पैमाने पर हुई तबाही से यह पाया गया था कि दूर संचार व्यवस्था खराब हो जाने के परिणामस्वरूप प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संसाधनों को जुटाने में मूल्यवान समय की बरबादी हुई थी। तदनुसार, विभिन्न स्तरों के निर्णयकर्ताओं और आपदा स्थल पर तैनात कार्रवाई दल के बीच विश्वसनीय संचार संपर्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल संचार योजना (एनईसीपी) तैयार की गई थी जिसका कार्यान्वयन दो चरणों में किया जाना था। राष्ट्रीय आपातकालीन कार्रवाई केंद्र (एनईओसी) और एनडीआरएफ बटालियनों के बीच ध्वनि/डाटा/वीडियो संचार की व्यवस्था करने के लिए एनईसीपी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को उपग्रह आधारित अनिवार्य दूर संचार उपस्करों से लैस करने की व्यवस्था है, जिनमें वीएसएटी, ट्रांसपोंडर्स, सैटेलाइट फोन आदि शामिल हैं। एनईसीपी के पहले चरण का अनुमोदन 11.28 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2004 में किया गया था। एनईसीपी के दूसरे चरण का अनुमोदन एनडीआरएफ की 10 बटालियनों के लिए 76.789 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2011 में किया गया था।

10.37 इस दौरान वर्ष 2015 में एनडीआरएफ की दो नई बटालियनों का गठन किया गया। तदनुसार, वर्ष 2017 में एनईसीपी चरण-II का प्रावधान 16.4372 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ इन नवगठित बटालियनों पर भी लागू किया गया था।

ग. अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओडीएमपी)

(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण

10.38 एनडीएमए ने वर्ष 2015-2019 के दौरान 36 एसडीएमए और 256 डीडीएमए के लिए 42.50 करोड़ रु. की लागत से 20 माह के लिए "राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढ़ीकरण" के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, एसडीएमए और डीडीएमए को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह योजना दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हो गई।

(ii) आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

10.39 2010.6 लाख रु. की लागत वाली इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीएमए के लिए एक लाख रु. प्रतिमाह की दर से एक आपदा प्रबंधन (डीएम) व्यावसायिक को रखने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। डीएम व्यावसायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने में राज्य प्रशासन की सहायता/मदद करेगा। इस योजना को वर्ष 2018-19 में शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) 115 पहचान किए गए पिछड़े जिलों में से जोखिम संभावित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण

10.40 28.98 करोड़ रु. की लागत वाली इस योजना में योजना की अवधि के दौरान 28 राज्यों के प्रत्येक जोखिम संभावित जिले में 70,000/- रु. प्रतिमाह की दर से एक आपदा प्रबंधन (डीएम) व्यावसायिक को रखने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। डीएम व्यावसायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने में राज्य प्रशासन की सहायता/मदद करेगा। इस योजना को वर्ष 2018-19 में शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iv) मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)

10.41 एनडीएमए ने सार्वजनिक क्षेत्र में रेडियोलॉजिकल आपातकाल के प्रबंधन के संबंध में पुलिस कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत गश्ती पुलिस वाहनों को गो-नो-गो रेडिएशन उपकरणों, रेडिएशन मापी उपस्करों और सुरक्षा किटों से सुसज्जित करने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। यह परियोजना 6.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिसम्बर, 2014 में मंजूर की गई थी। पुलिस और एनडीआरएफ कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य दो स्तरों में किए जाने की योजना है। प्रथम स्तर में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 8 बैचों में पुलिस और एनडीआरएफ के चयनित सहभागियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो बाद में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। एनडीएमए ने भारत में एनडीआरएफ में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रमों के छः बैच आयोजित किए हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) उपकरणों की खरीद के संबंध में कार्रवाई कर रहा है।

एक टीओटी बैच के अंत में उपकरण के साथ सहभागियों का समूह फोटो

(फोटो का स्रोतः एनडीएमए)

(v) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वर की स्थापना और जिओ डाटाबेस का निर्माण

10.42 इस परियोजना का लक्ष्य उपशमन उपायों के संबंध में निर्णायकों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक मानकीकृत स्थानिक डाटाबेस, डाटा लेयर, मानचित्र और वेब आधारित जीआईएस समाधानों का विकास करना है। इस परियोजना को 3.30 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं:

क) एनडीएमए में जीआईएस प्रयोगशाला की स्थापना।

ख) जीआईएस सर्वर परिचालित हो गया है। एमएपी सर्वर और जीईओ (जिओ) सर्वर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

ग) असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्य सूचना प्रणाली के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया है और उपर्युक्त तीन राज्यों की रिसोर्स मैपिंग का कार्य पूर्ण हो गया है।

घ) घटना की स्थिति संबंधी डैशबोर्ड और घटना की सूचना संबंधी एप्लीकेशन का निर्माण हो गया है।

(vi) भूकंपीय जोन IV और V के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नगरों और एक जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई)

10.43 भूकंपीय जोन IV और V के क्षेत्रों में 50 महत्वपूर्ण नगरों और एक जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई) के संबंध में एनडीएमए

ने पहल की है। यह कार्य 45.87 लाख रुपए की लागत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नालॉजी (आईआईआईटी), हैदराबाद को सौंपा गया है और इस कार्य को पूरा करने की अवधि 18 महीने है। 50 शहरों और एक जिले की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा सूचकांक तैयार करने के लिए पैरामीटरों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना का चरण 1 और 2 पूरा हो चुका है। आईआईआईटी, हैदराबाद को 18.35 लाख रुपए (परियोजना लागत का 40%) की पहली किस्त और 13.76 लाख रुपए की दूसरी किस्त (30%) जारी की जा चुकी है। परियोजना तकनीकी समिति (पीटीसी) ने दिनांक 25.05.2018 को आयोजित बैठक में यह पाया कि 13 शहरों में समान भवन टाइपोलॉजी और टोपोग्राफी वाले मूल्यांकित किये गए जोखिम सूचकांकों के बीच कुछ विसंगतियां हैं। इस मामले पर एनडीएमए में विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 13 शहरों (जो वास्तविक जोखिम को नहीं दर्शा रहे हैं) के ईडीआरआई स्कोर का मूल्यांकन क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए एनडीएमए ने परियोजना को पूरा करने हेतु आईआईआईटी, हैदराबाद को 12,32,000/- रु. (कुल बारह लाख बत्तीस हजार रु.) के अतिरिक्त संसाधनों का अनुमोदन प्रदान किया है। इस रिपोर्ट को अप्रैल, 2019 तक अंतिम रूप प्रदान किए जाने की संभावना है।

(vii) राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

10.44 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ साझेदारी में एनडीएमए द्वारा 48.47 करोड़ रु. के कुल बजटीय परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)", जो भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित निदर्शनात्मक परियोजना है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आपदा संबंधी तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में बच्चों और स्कूल समुदाय को अवगत कराने के लक्ष्य के साथ इस परियोजना में भूकंप जोन IV एवं V में आने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 चयनित जिलों में प्रत्येक जिले के 200 स्कूल (कुल 8600 स्कूल) शामिल हैं। यह परियोजना मार्च, 2019 तक परिचालन में थी। इस परियोजना में शामिल 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 15 राज्यों ने पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं/शेष निधियां एनडीएमए को लौटा दी हैं। परियोजना में शामिल शेष 7 राज्यों (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़) को परियोजना को अंतिम रूप से बंद किए जाने हेतु पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र और परियोजना की पूर्णता से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगातार अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं।

(viii) "भारत में 25 राज्यों के चयनित 30 सर्वाधिक बाढ़ संभावित जिलों में आपदा संबंधी कार्रवाई में सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण (आपदा मित्र)" संबंधी योजना

10.45 एनडीएमए ने मई, 2016 में 1547.04 लाख रु. की कुल लागत से 24 माह की कार्यान्वयन अवधि के साथ एक केन्द्र प्रायोजित योजना को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य भारत में 25 राज्यों के 30 सर्वाधिक बाढ़ संभावित जिलों में आपदा संबंधी कार्रवाई में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (200 स्वयंसेवक प्रति जिला) को प्रशिक्षित करना है। इस परियोजना की कार्यान्वयन अवधि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस स्कीम के अधीन, सभी 25 परियोजना राज्यों (असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी परियोजना राज्यों को निधियों की पहली किस्त फरवरी-मई, 2017 के बीच जारी की जा चुकी है।

10.46 अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। अब तक, 23 परियोजना राज्यों द्वारा कुल 4221 सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए गए हैं (आंध्र प्रदेश-50, अरुणाचल प्रदेश-51 असम-200, बिहार-400, गुजरात-200, हरियाणा-50, हिमाचल

प्रदेश- 200, जम्मू और कश्मीर-128, कर्नाटक-200, केरल-133, मध्य प्रदेश-150, महाराष्ट्र-115, मणिपुर-200, मेघालय-100, मिजोरम-86, नागालैंड-200, ओडिशा-400, सिक्किम-97, तमिलनाडु-200, त्रिपुरा-112, उत्तर प्रदेश- 349, उत्तराखंड-200, पश्चिम बंगाल-400)।

10.47 दूसरी और अंतिम किस्त दिसम्बर, 2017- मार्च, 2019 के दौरान 21 राज्यों (26 जिलों) अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी कर दी गई है। राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, एनडीएमए इस योजना को अखिल भारत में विस्तारित करने की योजना भी बना रहा है। इस उद्देश्य के लिए, अखिल भारत में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके फीडबैक/सुझाव मांगने तथा उन जिलों, जहां राज्य इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं, को दर्शाने वाला प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्र भी लिखे गए हैं। अब तक, 18 राज्यों ने अपने फीडबैक/सुझाव/प्रस्ताव एनडीएमए को प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ix) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवाएं (एनडीएमएस)

10.48 एनडीएमए ने सैटेलाइट आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एनडीएमएस) संचार नेटवर्क के सृजन हेतु पूरे देश में 120 स्थानों (गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ मुख्यालय, 36 राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों तथा आपदाओं के प्रति संवेदनशील 81 जिलों में) पर एक पायलट परियोजना आरंभ की है।

10.49 इस परियोजना का उद्देश्य आपदाओं के दौरान टेरेस्ट्रियल कम्यूनिकेशन नेटवर्क फेल हो जाने की दशा में आपदा प्रभावित जिलों, संबंधित राज्य की राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालयों, गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ के मुख्यालयों और आपदा स्थलों के आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) को सैटेलाइट के माध्यम से वायस/डाटा बेस संचार सुलभ करा कर वहां अचूक संचार व्यवस्था का प्रबंध करना है।

10.50 यह परियोजना फरवरी, 2019 तक कार्यान्वयन हेतु बीएसएनएल को सौंपी गई है, जो अब पूरी हो गई है।

10.51 एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत, एनडीएमए ने 05 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनमें अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गृह मंत्रालय/एनडीएमए/एनडीआरएफ के 128 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। बीएसएनएल ने भी जनवरी, 2019 माह में पूरे देश की 12 बीएसएनएल आरटीटीसी में एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना के संबंध में 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। एनडीएमए द्वारा जनवरी, 2018 माह में एचएएम रेडियो संबंधी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था।

(x) सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

10.52 सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार शुरू किया है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को की जानी होती है।

10.53 रोकथाम, उपशमन, तैयारी, बचाव, कार्रवाई, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/खोज अथवा पूर्व चेतावनी जैसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी भारतीय नागरिक तथा संगठन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के पात्र हैं। वर्ष 2019 की पुरस्कार योजना के बारे में व्यापक प्रचार किया गया और दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 से पुरस्कार के नामांकन मांगे गए थे। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 7 जनवरी, 2019 थी। इस पुरस्कार योजना की प्रतिक्रिया में संस्थानों और व्यक्तियों से 300 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए।

10.54 वर्ष 2019 के लिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 8वीं बटालियन, जो गाजियाबाद में स्थित है, को आपदा प्रबंधन में इसके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में एक प्रमाणपत्र और 51 लाख रु. का नकद इनाम शामिल हैं।

(xi) "भारत में 5 राज्यों के 10 बहु-जोखिम संभावित जिलों में आपदा जोखिम में सतत कमी" से संबंधित परियोजना

10.55 इस परियोजना का उद्देश्य पहचान किए गए 5 राज्यों (असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड) में से प्रत्येक राज्य में 2 जिलों अर्थात् 10 सर्वाधिक बहु-आपदा संवेदनशील जिलों में समुदायों और स्थानीय स्वशासन की तैयारी को सुदृढ़ बनाना और कार्रवाई को बेहतर करना है। पांच परियोजना राज्यों को सितम्बर, 2016 - जनवरी, 2017 की अवधि के दौरान 39,63,200/- रुपये (स्वीकृति राशि का 40%) की पहली किस्त जारी की गई थी। जनवरी, 2018 से जनवरी, 2019 के दौरान सभी पांच राज्यों को 29,72,400/- रु. (स्वीकृत राशि का 30%) की दूसरी किस्त जारी की गई थी। उत्तराखंड को 20,92,744/- रु. और हिमाचल प्रदेश को 16,77,800/- रु. की तीसरी किस्त क्रमशः दिनांक 06 सितम्बर, 2018 और 11 अक्टूबर, 2018 को जारी की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत आपदा प्रबंधन दलों के गठन: सीबीडीएम के बारे में स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन: जिला विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना: डीडीएमपी और एसडीएमपी का अपडेशन: डीडीआरआर के संबंध में स्टेकहोल्डरों का प्रशिक्षण: डीआरआर/रिकवरी की योजना तैयार करना; विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम; सीबीडीएम संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सरकारी कर्मचारियों, एनजीओ, आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण; और मॉक ड्रिल के आयोजन जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं। यह परियोजना अब मार्च, 2020 तक आगे बढ़ा दी गई है।

(xii) भूकंप-रोधी परिवेश के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश/मैनुअल तैयार करना

10.56 एनडीएमए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सहभागिता से बीआईएस कोड और राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी), 2016 पर आधारित सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार कर रहा है, जिसमें आम आदमी और कुल मिलाकर सामान्य लोगों के हित में भूकंप-रोधी निर्माणों की आधारभूत आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, विचारार्थ विषय (टीओआर) के अनुसार एक कार्य दल गठित किया गया है। अब तक, विशेषज्ञों के साथ चार बैठकें आयोजित की गई हैं और सरलीकृत दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है।

(xiii) भूकंप इंजीनियरिंग से संबंधित संसाधन सामग्री का विकास

10.57 एनडीएमए ने सिविल इंजीनियरिंग और वास्तु-शास्त्र के क्षेत्रों में पूर्वस्नातक के लिए पुस्तक के रूप में भूकंप इंजीनियरिंग/वास्तु-शास्त्र से संबंधित 12 अभिज्ञात विषय तैयार करने की पहल की है। एनडीएमए ने विषय से संबंधित विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप गठित किया और भूकंप इंजीनियरिंग के संबंध में संसाधन सामग्री की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 8 सितम्बर, 2018 को आईआईटी, मुम्बई में कोर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की। कोर ग्रुप की बैठक की विवेचना के अनुसार, पांच विषय अभिज्ञात किए गए, जिनमें संक्षिप्त सार के साथ उप-विषय तैयार करने और संबद्ध अध्याय लिखने के लिए अग्रणी विशेषज्ञों और विशेषज्ञों की पहचान की गई। संबद्ध विषयों की रूपरेखा तैयार करने के लिए वास्तु-शास्त्र व्यवसायियों के साथ दिनांक 5 नवम्बर, 2018 को एक बैठक भी आयोजित की गई।

(xiv) कम-लागत वाले भू-स्खलन निगरानी सोल्यूशन का विकास और मूल्यांकन

10.58 माइक्रो-इलेक्ट्रो-मेकैनिकल प्रणाली (एमईएमएस) आधारित सेंसर प्रौद्योगिकी के माध्यम से भू-स्खलन की निगरानी के लिए कम लागत वाले सेंसरों और अन्य उपकरणों का विकास किये जाने हेतु आईआईटी मंडी के सहयोग से एनडीएमए द्वारा 27,85,080 रु. (केवल सत्ताईस लाख पचासी हजार अस्सी रु.) की अनुमानित लागत से "कम-लागत वाले भू-स्खलन निगरानी सोल्यूशन का विकास और मूल्यांकन" संबंधी एक पायलट परियोजना को अनुमोदन तथा स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें से आईआईटी, मंडी को 23,41,169/- रु. (केवल तेईस लाख इकतालीस हजार एक सौ उनहत्तर रु.) जारी किए गए।

10.59 इस परियोजना में निम्नलिखित प्रगति हुई है:-

(क) संविदा के आधार पर जनशक्ति की तैनाती तथा उपकरणों की खरीद से संबंधित कार्य पूरा किया गया।

(ख) प्रोटोटिपिकल कम लागत वाले एमईएमएस आधारित एलएमएस के विकास का कार्य पूर्ण किया गया।

(ग) एलएमएस के आधार पर परफारमिंग लैब स्केल सिम्यूलेशन का कार्य पूर्ण किया गया।

(घ) उपकरण की सतही तैनाती के साथ स्थान के चयन संबंधी कार्य पूरा हो गया था और घल्पा पहाड़ी क्षेत्र में उपकरण की उप-सतही तैनाती का कार्य जारी है।

(xv) भूकंप से सुरक्षा और तैयारी के लिए मानकीकृत आईईसी सामग्री की समीक्षा एवं विकास

10.60 एनडीएमए ने भूकंप से सुरक्षा तथा तैयारी से संबंधित लोक जागरूकता और सूचना के लिए मानकीकृत आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सामग्री तैयार करने की योजना बनाई है। इस संबंध में, राज्यों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से उनके द्वारा तैयार की गई आईईसी सामग्री प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। कुछ राज्यों से दस्तावेज प्राप्त होने पर, एनडीएमए ने भूकंप से सुरक्षा और तैयारी के लिए आईईसी सामग्री संबंधी मानकीकृत मैट्रिक्स तैयार की और इसे विशेषज्ञ समिति के साथ उनकी टिप्पणियों तथा फीडबैक के लिए साझा किया। विशेषज्ञों की टिप्पणियों और फीडबैक के पश्चात, एनडीएमए ने दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया और इसे विस्तृत सार्वजनिक उपयोग के लिए एनडीएमए की वेबसाइट पर अपलोड किया।

(xvi) एलबीएसएनएए, मसूरी में आईएएस और केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के प्रयोजनार्थ आपदा प्रबंधन के संबंध में क्षमता संवर्धन

10.61 एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन केंद्र, एलबीएसएनएए, मसूरी के सहयोग से कुल 189.36 लाख रु. की लागत से जनवरी, 2018 में एक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता संवर्धन के लिए आपदा प्रबंधन केंद्र, एलबीएसएनएए में 2850 (लगभग) आईएएस/केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस आशय से, दिनांक 12 फरवरी, 2018 को आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एनबीएसएनएए) और एनडीएमए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(xvii) "भू-स्खलन उपशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने" के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.62 एनडीएमए ने आईआईटी, सीबीआरआई, सीआरआरआई, आईआईएससी आदि जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से "भू-स्खलन उपशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने" के संबंध में दो और पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया है। एनडीएमए ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में सक्रिय कदम उठाए।

(xviii) राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति

10.63 एनडीएमए ने राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का कार्यबल गठित किया है। भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति की योजना छः स्वतंत्र उप-समूहों के माध्यम से बनाई गई है। समग्र रणनीति उप-समूहों के प्रमुखों के दल द्वारा तैयार की गई थी। उप-समूहों के सभी प्रमुखों ने अपने दल के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। अब रणनीति संबंधी दस्तावेज एनडीएमए द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए जाने और मुद्रण के अधीन है।

(xix) देश में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करना

10.64 एनडीएमए ने देश में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञ दल का पुनर्गठन किया। विशेषज्ञ दल ने एनआरएससी को विशेषज्ञ दल के मार्गदर्शन में जोखिम क्षेत्र मानचित्र और बाढ़ संभावित राज्यों के जिला-वार बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा।

10.65 एनडीएमए में दिनांक 11.05.2018 को आयोजित पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, सभी बाढ़ संभावित राज्यों के प्रतिनिधियों को भी उन

राज्यों के अनुभव को साझा करने के लिए बैठक में आमंत्रित किया गया जिनके लिए मानचित्र तैयार किए गए थे और जहां कथित रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। वैधीकरण तथा वास्तविक सत्यापन के लिए ओडिशा और उत्तर प्रदेश के मानचित्र एनआरएससी द्वारा संबंधित राज्यों को अग्रेषित कर दिए गए थे।

(xx) भवन कोड का सृजन, आवधिक समीक्षा एवं अपडेशन/संशोधन

10.66 बीआईएस के अनुरोध पर, एनडीएमए ने i) भारत के संभाव्य भूकंप जोखिम मानचित्र (पीएसएचएम), ii) पाइपलाइनों की भूकंपीय डिजाइन-कार्य संहिता, iii) कार्य निष्पादन आधारित डिजाइन और भूकंपीय डिजाइन तथा iv) नए भवनों-स्टील भवनों का ब्योरा तैयार करने के लिए 35 लाख रु. की धनराशि देने का निर्णय लिया है। पीएसएचएम से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

घ. सीबीआरएन आपातकालों के संबंध में प्रदान किया गया प्रशिक्षण

10.67 एनडीएमए ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कार्गो सेक्शन, दिल्ली में रेडियोलॉजिकल खतरे की घटनाओं के पश्चात आईएनएमएएस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के सहयोग से 12 निर्धारित विमानपत्तनों में विमानपत्तन कार्मिकों, सीआईएसएफ/सीआरपीएफ, पुलिस, डीडीएमए, कार्गो हैंडलर्स, एयरलाइनर आदि के सदस्यों सहित विमानपत्तन आपातकाल हैंडलर्स (एईएच) के लिए 50.88 लाख रु. की अनुमानित लागत से सीबीआरएन आपातकाल प्रबंधन पर एक बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 50.88 लाख रु. में से, एनडीएमए की देयता अध्ययन सामग्री और प्रशिक्षण किट के लिए 10.08 लाख रु. होगी। 40.80 लाख रु. की शेष राशि एएआई द्वारा वहन की जाएगी।

10.68 यह कार्यक्रम 12 विमानपत्तनों (चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, वाराणसी, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, रायपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और आईजीआई, दिल्ली) में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

ड.. परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) का ऑफ-साइट आपातकाल प्रबंधन

10.69 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) वाले सात जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की दिनांक 11 अगस्त, 2017 को आयोजित एक बैठक में समीक्षा की गई थी। यह समीक्षा एनपीपी के ऑफ-साइट आपातकाल प्रबंधन को शामिल करने वाले भाग तक सीमित थी। यह देखा गया कि डीडीएमपी में एनपीपी के ऑफ-साइट आपातकाल प्रबंधन के समुचित ब्यौरे शामिल नहीं हैं। सभी जिले एनपीसीआईएल द्वारा तैयार किए गए और संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा अनुमोदित संयंत्र ऑफ-साइट आपातकाल दस्तावेजों पर निर्भर हैं।

10.70 समुचित ब्यौरे शामिल करने और एकरूपता लाने के लिए दस्तावेज निर्माण प्रोफाइल (डीपीपी) तैयार किया गया और इसे जिला प्राधिकारियों को भेज दिया गया। सभी सात जिलों नामतः बुलंदशहर, चित्तौड़गढ़, तापी, पालघर, कांचीपुरम, उत्तर कन्नड़ और त्रिवेंद्रम के संदर्भ में डीपीपी के आधार पर डीडीएमपी में संशोधन किया गया है। डीडीएमपी का संशोधन एईआरबी द्वारा किया जा रहा है।

च. मॉक अभ्यास (एमई)

10.71 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा अब तक पूरे देश में 788 मॉक अभ्यास किए गए हैं। राज्य/जिले की आपदा कार्रवाई योजनाओं की उपयुक्तता और प्रभावकारिता का पता लगाने के मुख्य उद्देश्य से सभी स्टेकहोल्डरों के लिए एनडीएमए द्वारा इस वर्ष निम्नलिखित प्रमुख मॉक अभ्यास किए गए:-

(i) त्रिपुरा के 08 जिलों, मिजोरम के 07 जिलों और नागालैंड के 11 जिलों में एक साथ भूकंप संबंधी बहु-राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास किए गए।

(ii) उत्तर प्रदेश के 23 अत्यधिक बाढ़ संभावित जिलों में जून, 2018 माह के दौरान बाढ़ की तैयारी से संबंधित राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास भी किए गए।

(iii) अमरनाथ यात्रा, 2018 के संबंध में जम्मू और कश्मीर में गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगांव में जून, 2018 माह के दौरान राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास भी किए गए।

(iv) पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों में सितम्बर एवं अक्टूबर, 2018 में भूकंप संबंधी बहु-राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास किए गए।

(v) मेघालय और असम राज्य में अक्टूबर 2018 से दिसम्बर, 2018 के दौरान भूकंप संबंधी राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास किए गए।

(vi) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कुंभ मेले की तैयारी के संबंध में दिसम्बर, 2018 में मॉक अभ्यास किया गया।

राज्य/जिला स्तरीय मॉक अभ्यास (एमई) संबंधी योजना

10.72 वर्ष 2016-17 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तरीय मॉक अभ्यासों (एमई) के आयोजन के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक मॉक अभ्यास के लिए एक लाख रु. प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी माँगों के अनुसार मॉक अभ्यास आयोजित करने के लिए वित्त वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 में क्रमशः 4.19 करोड़ रु. तथा 1.17 करोड़ रु. जारी किए गए। चालू वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 2.55 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

छ. नागरिक सुरक्षा (सी.डी.) स्वयंसेवकों का क्षमता संवर्धन

10.73 वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान एनडीएमए में सी.डी. स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत, सी.डी. स्वयंसेवकों को राज्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में 21 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 30 सी.डी. स्वयंसेवकों के प्रत्येक बैच के लिए 5 लाख रु. की धनराशि प्रदान की जाती है। ऐसे पाठ्यक्रमों के 20 बैचों में से, चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में 17 पाठ्यक्रम पूरे हो गए हैं।

ज. दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) संबंधी प्रशिक्षण

10.74 राज्यों और जिलों को अपने संबंधित क्षेत्रों में इस कार्रवाई तंत्र को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए एनडीएमए द्वारा दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इस प्रणाली में, किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान प्रभावित समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सभी नोडल अधिकारियों/आपातकालीन सहायता अधिकारियों (ईएसएफ) को शामिल करके दुर्घटना कार्रवाई दल गठित किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में एनडीएमए द्वारा क्रमशः दिनांक 11.04.2018, 22.06.2018, 17.09.2018, 18.09.2018, 19.12.2018 और 11.01.2019 को छः आईआरएस प्रशिक्षण कैप्सूल आयोजित किए गए हैं।

झ. मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास

10.75 एनडीएमए के प्रतिनिधियों ने सशस्त्र बलों के साथ निम्नलिखित तीन वार्षिक एचएडीआर अभ्यास आयोजित करने में सहायता की और उनमें भाग लिया:

(क) नौसेना द्वारा दिनांक 05.04.2018 को कोच्चि (केरल) में चक्रवात संबंधी एचएडीआर अभ्यास आयोजित किया गया।

(ख) वायुसेना द्वारा दिनांक 25.09.2018 से 26.09.2018 तक इलाहाबाद में भूकंप संबंधी एचएडीआर अभ्यास आयोजित किया गया।

(ग) सेना द्वारा दिनांक 11 और 12 जनवरी, 2019 को जयपुर और कोटा में भूकंप परिदृश्य से संबंधित एचएडीआर अभ्यास आयोजित किया गया।

ञ. हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मानचित्र और भूस्खलन सूची तैयार करना

10.76 एनडीएमए ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी)- उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के सहयोग से "हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी कॉरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मानचित्र और भूस्खलन सूची तैयार करने" के संबंध में प्रायोगिक परियोजना की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) अपनी जानकारियां प्रदान करेंगे। 1:10,000 स्केल के भूस्खलन जोखिम क्षेत्र (एलएचजेड) मानचित्रों और भूस्खलन सूची तैयार करने का कार्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) द्वारा किया जाएगा।

10.77 इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 23,00,000 रु. (केवल तेईस लाख रु.) है। इसमें से 9,00,000 रु. (केवल नौ लाख रु.) दिनांक 21 मई, 2018 को आरएसएसी-यूपी को जारी कर दिए गए। इस परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क) आरएसएसी, यूपी द्वारा परियोजना वैज्ञानिक की भर्ती की गई है।

ख) जीआईएस पर 0.5 किमी. बफर और हित के क्षेत्रों (एओआई) का निर्धारण किया गया है।

ग) उपलब्ध मानचित्रों और चित्र की जिओ-रेफरेंसिंग।

घ) सड़क, बस्तियों, नाली, एक्टिव स्लाइड आदि की थिमैटिक लेयर का निर्माण।

ङ) आरएसएसी-यूपी की टीम उक्त क्षेत्र में है और प्रासांगिक आंकड़े एकत्रित कर रही है।

च) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) तपोवन से व्यासी कॉरिडोर पर 0.5 किमी. बफर के साथ 1:10,000 स्केल और 30 किमी. लम्बी सड़क के 5 मीटर समोच्च अंतराल का आधार मानचित्र तैयार कर रहा है, जो अंतिम चरण में है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आपदाओं के कारण क्षति

10.78 वर्ष 2018-19 (31.03.2019 तक) के दौरान, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भिन्न-भिन्न पैमाने पर चक्रवाती तूफान/आकस्मिक बाढ़/बाढ़/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के कारण क्षति होने की सूचना दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल हैं। वर्ष 2018-19 (31.03.2019 तक) के दौरान देश में क्षति (अनंतिम) का विवरण निम्नानुसार है:

मारे गए लोगों की संख्या	2400
मारे गए मवेशियों की संख्या	123000
क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियां	1557000
प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	17.00 लाख हेक्टेयर

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समन्वय

10.79 केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में बचाव और राहत कार्यों का समन्वय करती है।

10.80 मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष, जो 24x7 आधार पर कार्य करता है, ने भारत सरकार से सहायता का समन्वय करने के अलावा, आवश्यक तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र जारी किए और प्रतिदिन की स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार की, जिसे सभी संबंधितों को भेजा गया और दैनिक आधार पर वेबसाइट 'ndmindia.nic.in' पर भी अपलोड किया गया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और राहत आयुक्तों के निरंतर सम्पर्क में बने रहे। नोडल मंत्रालय होने के कारण, गृह मंत्रालय ने भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), राज्यों तथा जिलों के नियंत्रण कक्षों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ

गहन बातचीत के माध्यम से बाढ़ और चक्रवात की स्थिति की सतत निगरानी की।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों और सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

10.81 आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2018 हेतु तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने और अन्य आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 18.05.2018 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के अलावा आपातकालीन सहायता संबंधी कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

10.82 इस सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर तथा पूर्वानुमान संबंधी एजेंसियों अर्थात् भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूडी), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के बीच गहन समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वित्तीय तंत्र

10.83 राहत व्यय की वित्तपोषण योजना क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक लागू मौजूदा योजना चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों पर आधारित है। चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकम्प, सुनामी, आग लगने, बाढ़, ओला-वृष्टि, भू-स्खलन और कीट-आक्रमण और शीत लहर/पाला को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाएं माना जाए। भारत सरकार ने दिनांक 30.07.2015 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के गठन और प्रशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइटः www.ndmindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.84 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एस डी आर एफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एस डी आर एफ के संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य मोचन निधियों में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निधियां आबंटित करते समय, जिन घटकों पर विचार किया जाता है, उनमें राज्यों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता, राज्यों की आर्थिक स्थिति और पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों पर किया गया व्यय शामिल है। इस समय, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए अनुशंसित किये गये 33,580.93 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि हेतु 61,220 करोड़ रु. (केन्द्रीय अंशदान के रूप में 47,029.50 करोड़ रु. और राज्य के अंशदान के रूप में 14,190.50 करोड़ रु.) के आबंटन की मंजूरी प्रदान की है। एसडीआरएफ योजना में एसडीआरएफ संबंधी केन्द्रीय अंशदान को जून और दिसम्बर के महीने में दो समान किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए एसडीआरएफ में राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-XIII में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ)

10.85 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में आपदा प्रबंधन की किसी भी भयंकर स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थापना का प्रावधान है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की स्थापना के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.86 राज्य आपदा मोचन निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम गठित की जाती है। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति द्वारा की जाती है। उप-समिति की सिफारिशों को विचारार्थ और एनडीआरएफ से निधियों के अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

10.87 वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार है। एसडीआरएफ के कुल वार्षिक आवंटन में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75:25 है और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 है।

10.88 वर्ष 2018-19 के लिए, एसडीआरएफ में 12,825.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं, जिसमें से 9852.15 करोड़ रु. भारत सरकार का केन्द्रीय अंश तथा 2972.85 करोड़ रूपए राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2018-19 के दौरान (दिनांक 31.03.2019 तक) 27 राज्यों को एसडीआरएफ में केन्द्रीय अंशदान के रूप में 5353.32 करोड़ रु. की राशि की पहली किस्त जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के लिए एसडीआरएफ में केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त के रूप में 780.56 करोड़ रु. की राशि 06 राज्यों को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 19 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश की 3524.25 करोड़ रु. की दूसरी किस्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 14 राज्यों को एनडीआरएफ से 10000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से निधियों का राज्य-वार निर्गम दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-XIV में दिया गया है।

10.89 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन प्रभाग की नई पहलें

(i) आपदा संबंधी कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 637 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 4 अतिरिक्त बटालियनों के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इन चार बटालियनों को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तैनात किया जाएगा।

(ii) आपदा संबंधी कार्रवाई के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए, दिनांक 27.09.2018 के आदेश सं.5-8/2010-एनडीआरएफ के तहत, एनडीआरएफ अकादमी में नागपुर स्थित राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एनसीडीसी) का विलय करके इस अकादमी की स्थापना की सूचना दे दी गई है।

(iii) गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद ने दिनांक 02.09.2018 को गृह मंत्रालय में आपातकालीन कार्रवाई के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार एनआरएससी/इसरो गृह मंत्रालय में आईसीआर-ईआर स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(iv) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा की तर्ज पर, भारत सरकार ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संबंधी समूह (सीडीआरआई) बनाने की पहल की है। इस संबंध में जनवरी, 2018 और मार्च, 2019 में दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं, जिनमें 33 देशों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, संयुक्त राष्ट्र, निजी क्षेत्र, अकादमियों के विशेषज्ञों और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

*****

अध्याय - 11

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार ने पारदेशीय एवं वैश्विक रूप ले लिया है जिसका देश की शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है। इन उभरते हुए खतरों का आकार तथा जटिलता भागीदारी को महत्वपूर्ण बना देती है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा अनेक साधनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें आरंभ करने और जारी रखने हेतु सतत् रूप से अनेक देशों को शामिल करने के लिए अनेक एहतियाति कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहलें करने में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) को राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार करने; आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन करने" के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, सार्क के आठ सदस्य देश हैं; नामत: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।

11.3 सार्क में क्षेत्रीय सहयोग मुख्यत: तकनीकी तथा अधिकारिक स्तरों पर जारी रहा। सार्क वीजा छूट स्कीम (एसवीईएस) परियोजना हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) और बोली लगाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की दूसरी बैठक 28 जून, 2018 को सार्क सचिवालय काठमांडू में आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) से अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

11.4 सार्क आतंकवादी अपराध निगरानी डेस्क (एसटीओएमडी) और सार्क मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क (एसडीओएमडी) की छठी बैठक और पुलिस मामलों में सहयोग पर ग्यारहवां सार्क सम्मेलन का आयोजन क्रमश: 10 और 11 अप्रैल, 2018 को काठमांडू में किया गया था। गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लिया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.5 पारदेशीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी/द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधियां (एमएलएटी), सुरक्षा संबंधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार, स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग संबंधी लिखत तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार शामिल हैं, जिन पर भारत और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार आदि का

सामना करने में भारत को समर्थ बनाने हेतु सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां/करार

11.6 आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि/करार, आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक विधिक कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है।

11.7 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार 39 देशों नामत: ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, चीन जनवादी गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हाँगकाँग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है। कंबोडिया तथा मोरक्को के साथ परस्पर विधिक सहायता संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं परंतु उन्हें इन देशों द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया गया है। परस्पर विधिक सहायता संधि के तहत प्रदान की गई सहायता के साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियां संविदा करने वाले अनेक राष्ट्रों के अनुरोध को निष्पादित करती रही हैं। इसी प्रकार, एमएलएटी उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए संविदा करने वाले पक्षों के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

सुरक्षा तथा स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

11.8 भारत ने सुरक्षा, मादक पदार्थों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी संघ गणराज्य, ईरान, इजराइल, इटली, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात(यूएई), युनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और जांबिया के साथ 42 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

11.9 ये करार/समझौता ज्ञापन आतंकवाद, पारदेशीय संगठित अपराध का समाधान करने, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने में देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में संचालन की दृष्टि से काफी उपयोगी रहे हैं। इन द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों में अपराधों की रोक, जांच, अभियोजन तथा अपराधों का शमन करने में प्रभावकारिता बढ़ती है और प्रतिभागी देशों की आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बना रहता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों को अवगत कराने में भी उपयोगी हैं जिनसे रियल टाइम आसूचना को साझा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है और ये प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुकर बनाते हैं।

11.10 कंबोडिया के साथ एमएलएटी को कंबोडिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दिनांक 27 जनवरी, 2018 को अंतिम रूप दिया गया तथा हस्ताक्षरित किया गया।

11.11 परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) को अंतिम रूप देने के लिए भारत और मोरक्को के बीच 10-11 अक्टूबर, 2018 को एक वार्ता बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सुश्री सहेली घोष राय, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय और मोरक्को पक्ष का नेतृत्व, डायेरेक्टोरेट ऑफ पैनल अफेयर्स एण्ड अमेण्ड्स, डिवीजन प्रमुख, न्याय मंत्रालय, मोरक्को राजशाही सरकार से जुड़े न्यायाधीश श्री हाफिद भट्टू ने किया। उसके बाद 12.11.2018 को नई दिल्ली में आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री ने भारत गणराज्य की ओर से हस्ताक्षर किए और श्री मोहम्मद औज्जर, माननीय न्याय मंत्री, मोरक्को राजशाही सरकार ने मोरक्को राजशाही की ओर से हस्ताक्षर किए।

श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और श्री मोहम्मद औज्जर, माननीय न्याय मंत्री, मोरक्को राजशाही सरकार, दिनांक 12.11.2018 को नई दिल्ली में आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर करते हुए।

(फोटो सौजन्यः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

सजा प्राप्त व्यक्तियों के अंतरण पर करार

11.12 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें उनके देश की जेल में अंतरित किए जाने को संभव बनाने के लिए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004 को प्रभावी हुआ। सजा प्राप्त व्यक्तियों के अंतरण के लिए इच्छुक देशों के साथ द्विपक्षीय प्रणाली पर संधि/करार पर हस्ताक्षर किए गए।

11.13 भारत सरकार ने अभी तक 31 देशों, नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, इस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, साउदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंग्डम और वियतनाम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए दो बहुपक्षीय समझौतों नामतः विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर-अमेरिका समझौते और सजा प्राप्त व्यक्तियों के अंतरण पर यूरोप परिषद् समझौते को भी सहमति दी है।

11.14 अभी तक 70 कैदियों के भारत को/से अंतरण के मामलों को अनुमोदित किया गया है।

11.15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा यौन उत्पीड़न संबंधी ऑनलाइन सामग्री के संबंध में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाईटेड चिल्ड्रैन (एनसीएमईसी) से

टिप लाइन रिपोर्टें सुलभ करना संभव करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) तथा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाईटेड चिल्ड्रैन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने को सहमति दी गई है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

11.16 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें पहले स्तर की वार्ता महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गार्डस बांग्लादेश (बीजीबी) के स्तर पर है, दूसरा दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) है और तीसरा गृह सचिव स्तर है। दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की वार्ता भी आयोजित की जाती है।

11.17 भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की छठी वार्ता 14-15 जुलाई, 2018 को ढाका में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री श्री असदुज्जमां खान द्वारा किया गया था तथा सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग और आसूचना के आदान प्रदान सहित विद्रोह पर लगाम लगाने, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न करारों/समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन आदि पर चर्चा की गई। भारत और बांग्लादेश के माननीय गृह मंत्रियों ने दिनांक 15.7.2018 को बांग्लादेश पुलिस अकादमी, सरदाह (राजशाही) में सूचना प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक लैब्स का उद्घाटन किया। क्षमता निर्माण के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और बांग्लादेश पुलिस अकादमी, सरदाह के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत के माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 14 जुलाई, 2018 को ढाका, बांग्लादेश में बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना, से मुलाकात की

(फोटो सौजन्य: विदेश मंत्रालय)

भारत-म्यांमार संबंध

11.18 भारत और म्यांमार सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से दोनों देशों

के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

11.19 भारत और म्यांमार के बीच 23वीं क्षेत्र स्तरीय बैठक दिनांक 8-9 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री सत्येंद्र गर्ग, संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने किया और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री यू टिन मियिंट, स्थाई सचिव, गृह मंत्रालय, म्यांमार सरकार ने किया। बैठक में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विद्रोही समूहों की गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, आसूचना के आदान-प्रदान, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में सहयोग, वन्य संबंधी वस्तुओं की तस्करी, सीमा क्षेत्रों में निर्माण, सीमा स्तंभों का संयुक्त निरीक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त सीमा स्तंभों के निर्माण और दूसरे देश की जेलों में कैदियों सहित दूतावास संबंधी मुद्दों आदि पर चर्चा की गई।

दिनांक 8-9 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित भारत और म्यांमार के बीच 23वीं क्षेत्र स्तरीय बैठक

(फोटो सौजन्यः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

11.20 सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और म्यांमार के बीच 22वीं राष्ट्रीय स्तरीय बैठक दिनांक 25-26 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री राजीव गौबा, केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा और म्यांमार के प्रतिनिधिमण्डल को नेतृत्व मेजर जनरल ऑग थू, उप मंत्री, गृह मंत्रालय, म्यांमार गणराज्य की सरकार ने किया। बैठक में, आंतरिक सुरक्षा पर सहयोग संबंधी मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में सहयोग, वन्यजीवों की तस्करी और पारस्परिक सरोकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारत-भूटान संबंध

11.21 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर भारत-भूटान के बीच सचिव स्तरीय बैठक थिम्फू (भूटान) में दिनांक 14-16 फरवरी, 2019 के बीच आयोजित की गई।

सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.22 सीमा प्रबंधन पर भारत और इजराइल के बीच चौथे संयुक्त कार्यदल की बैठक दिनांक 29.11.2018 को तल आविव, इजराइल में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन-I), गृह मंत्रालय द्वारा किया गया।

11.23 गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) ने दिनांक 01.01.2018 से

31.10.2018 की अवधि के दौरान निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों/कार्यक्रमों में भाग लिया:

(i) भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक दिनांक 7-8 फरवरी, 2018 को ढाका में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय पक्ष ने पेट्रापोल भूमि पत्तन पर भारतीय निर्यात ट्रकों के जमवाड़े को खत्म करने के लिए, दोनों पक्षों द्वारा तीन महीने के लिए वन टाइम पुश देने का सुझाव दिया। बांग्लादेशी पक्ष ने घोजडंगा लैंड सीमाशुल्क स्टेशन में सीमा शुल्क निकासी, आव्रजन और पार्किंग के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने का अनुरोध किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव द्वारा किया गया।

(ii) भारत-नेपाल सीमा पर एकीकृत जांच चौकियों के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और नेपाल के बीच 8वीं परियोजना संचालन समिति (पीएससी) बैठक 22 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव द्वारा किया गया।

(iii) भारत और नेपाल के बीच अंतर-राजकीय उप-समिति (आईजीएससी) और अंतर-राजकीय समिति (आईजीसी) की बैठकें क्रमशः 24-25 अप्रैल, 2018 और 26-27 अप्रैल 2018 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गईं। आईजीएससी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव श्री बी.एस. भल्ला ने किया और आईजीसी में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया ने किया।

(iv) भारत और भूटान के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक 17-18 मई, 2018 को थिम्फू, भूटान में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के विकास के लिए जीरो लाइन के निकट उपयुक्त भूमि की पहचान के लिए बोलन चौपाटी (भारत) और फुएंटशोलिंग (भूटान) में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) साइटों के संयुक्त निरीक्षण के लिए सहमत हुए।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे और बैठकें

11.24 श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 11-13 जनवरी, 2018 के दौरान यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने आप्रवासन और सुरक्षा आदि से संबंधित पारस्परिक हित के मुद्दों पर यूनाइटेड किंगडम सरकार के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व सुश्री कैरोलिन नोक्स, माननीय आप्रवासन राज्य मंत्री द्वारा किया गया है, के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दौरे के दौरान आपराधिक रिकॉर्डों को लौटाने तथा उनके आदान-प्रदान से संबंधित दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

11.25 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 21-24 जून, 2018 के दौरान मंगोलिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के माननीय न्याय और गृह मंत्री तथा माननीय उप प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दौरे के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भारत सरकार की ऋण व्यवस्था के तहत मंगोलिया में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन किया।

भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा मंगोलिया में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन।

(फोटो सौजन्य–भारतीय दूतावास, उलानबटार)

11.26 भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्च-स्तरीय बैठक हेतु श्री झाओ केझी, माननीय सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के नेतृत्व में चीन जनवादी गणराज्य (पीआरसी) के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को मुलाकात की। "भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग पर एक समझौते" पर हस्ताक्षर किए गए।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, चीन के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर।

(फोटो सौजन्य: प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

11.27 माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने 19 अक्टूबर, 2018 को श्री रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की गई।

11.28 भारत-यूनाईटेड किंगडम गृह मामले वार्ता की तीसरी बैठक 30 मई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत सरकार के पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव और यूनाइटेड किंगडम के गृह कार्यालय पक्ष का नेतृत्व उनके दूसरे स्थायी सचिव द्वारा किया गया। प्रत्यर्पण, आपराधिक रिकॉर्डों के आदान-प्रदान, आव्रजन, साइबर सुरक्षा, वीजा और भारत विरोधी गतिविधियों को कवर करने वाले सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

भारत-यूनाइटेड किंगडम गृह मामले वार्ता की तीसरी बैठक, नई दिल्ली (30 मई, 2018)

(फोटो सौजन्य: प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

11.29 भारत सरकार (जीओआई) के गृह मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के होमलैंड सुरक्षा विभाग (जीओयूएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक (एसओएम) 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत सरकार के पक्ष का नेतृत्व सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल, अपर सचिव, गृह मंत्रालय ने किया और जीओयूएस पक्ष का नेतृत्व श्री जेम्स डब्ल्यू मैककामेंट, उप-अवर सचिव, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने किया। दोनों देशों के आपसी हित के मामलों और एचएसडी वार्ता के तहत गठित छः उपसमूहों के कार्यक्षेत्रों में कार्य योजना पर चर्चा की गई।

क्षमता निर्माण

11.30 गृह मंत्रालय सिर्फ अपने ही पुलिस बलों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मॉरीशस, मालदीव, मोजाम्बिक, जाम्बिया और अन्य देशों के 928 विदेशी पुलिस कार्मिकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके साथ-साथ यामेथिन महिला पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, म्यांमार का उन्नयन करने में सहयोग तथा मॉरीशस के कोट डी'ओर में नई पुलिस अकादमी की आयोजना, डिजाइन और निर्माण के लिए भारत की सहायता का कार्यक्रम भी चल रहा है।

11.31 संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की सरकार ने आतंकवाद-रोधी सहायता (एटीए) कार्यक्रम एवं होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के अन्तर्गत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित/संचालित किए हैं। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान 402 अधिकारियों ने आतंकवाद-रोधी सहायता (एटीए) कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

के अंतर्गत संचालित किए गए पाठ्यक्रमों में भाग लिया (भारत में 377 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका/विदेश में 25)।

वैश्विक शांति परिरक्षण

11.32 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति परिरक्षण में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जब कभी भी मांग की जाती है, तब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर इसके लिए गठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू) की भी नियमित तैनाती की जाती है। दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 20 इंडियन असेसमेंट फार मिशन सर्विस (एएमएस) प्रशिक्षित सिविलियन पुलिस (सिवपोल) अधिकारियों को यूएन शांति परिरक्षण मिशनों पर दक्षिण सूडान और साइप्रस में तैनात किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षण मिशनों पर निम्नलिखित गठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू) को भी तैनात किया गया है:-.

क) कांगो में बीएसएफ और आईटीबीपी प्रत्येक से एक एफपीयू (एमओएनयूएससीओ)

ख) हैती में सीआईएसएफ और असम राइफल्स प्रत्येक से एक-एक करके दो एफपीयू (एमआईएनयूएसटीएचए) परंतु दिसम्बर, 2018 में सीआईएसएफ के एक एफपीयू को मिशन क्षेत्र से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी)

11.33 सार्क मंत्रिपरिषद (सीओएम) की पोखरा, नेपाल में हुई 37वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चार क्षेत्रीय संस्थाओं नामतः सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी- नई दिल्ली, भारत); सार्क मौसम विज्ञान केंद्र (एसएमआरसी- ढाका, बांग्लादेश); सार्क वानिकी केंद्र (एसएफसी- थिम्फू, भूटान); तथा सार्क तटीय क्षेत्र प्रबंधन केंद्र (एससीजेडएमसी- माले, मालदीव) को सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी) में मिला दिया जाएगा, जो कि भारत में स्थित होगा।

11.34 सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र की अभिकल्पना सार्क क्षेत्र में आपदा जोखिम के समग्र प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह नीतिगत सलाह, प्रणाली के विकास में तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण सेवाएं और प्रशिक्षण मुहैया कराके सदस्य देशों की सहायता करता है। यह केन्द्र, विशेषकर पारदेशीय आपदाओं की स्थिति में आपदा जोखिम के प्रभावी और दक्ष प्रबंधन के लिए सूचना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। आवश्यकता के अनुसार, एसडीएमसी को सार्क सचिवालय के अधीन कार्य करना होता है जहां सभी अन्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) सदस्य हैं।

11.35 भारत ने विशेषीकृत संस्थानों के बड़े नेटवर्क से प्राप्त विशेषज्ञता के व्यापक क्षेत्र, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल जैसे तंत्रों के माध्यम से अन्य देशों में आपदा राहत कार्य से जुड़े अनुभव और केन्द्र की अवस्थिति, जिसके कारण प्रतिक्रिया में सर्वाधिक कम समय लगेगा, को देखते हुए नए केन्द्र को भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

11.36 इस बीच, अप्रैल, 2016 में सार्क सदस्य देशों के अनुमोदन से एक नए केन्द्र ने एक अंतरिम इकाई के तौर पर काम करना आरंभ कर दिया है। एनआईडीएम और एनडीएमए द्वारा तैयार किए गए सार्क डीएमसी के ब्लूप्रिंट पर सार्क विशेषज्ञ समूह की बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा सदस्य देशों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। अंतरिम इकाई को शुरूआत में एनआईडीएम, नई दिल्ली में स्थान दिया गया था और बाद में इसे जीआईडीएम परिसर, गांधीनगर, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अंतरिम इकाई ने अभी तक 7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिनमें सभी सार्क देशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

11.37 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) के साथ सहयोग से दिनांक 15-16 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई) का आयोजन किया।

11.38 इस कार्यशाला का उदघाटन दिनांक 15.01.2018 को माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था, जिसमें 21 देशों से विशेषज्ञों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, संयुक्त राष्ट्र, निजी क्षेत्र, अकादमिक जगत और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 180 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जोखिम रोधी अवसंरचना की भूमिका पर जोर दिया गया। इस कार्यशाला में रोधी अवंसरचना में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पद्धतियों और मौजूदा पद्धतियों में प्रमुख चुनौतियों और खामियों तथा उनसे निपटने के तरीकों की पहचान की गई। आपदा रोधी अवसंरचना पर हितधारकों के बीच सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की भी पहचान की गई।

केंद्रीय गृह मंत्री दिनांक 15 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान उद्घाटन भाषण देते हुए

(फोटो सौजन्य- प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

11.39 दूसरी आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई) दिनांक 19-20 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कार्यशाला का आयोजन एनडीएमए, भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) के साथ सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अनुकूलन पर विश्व तथा वैश्विक आयोग के साथ साझेदारी में किया गया था। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने उद्घाटन भाषण दिया तथा मुख्य भाषण डॉ. पी.के. मिश्र, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। श्री एन.के. सिंह, अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग ने कार्यशाला के दौरान विशेष भाषण दिया। इस आयोजन में 33 राष्ट्रीय सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र तथा शिक्षा जगत से 200 से ज्यादा प्रतिभागी शमिल हुए। कार्यशाला का आयोजन आपदा रोधी अवसंरचना पर एक वैश्विक गठबंधन बनाने के भारत सरकार के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में किया गया था।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग

11.40 जापान के प्रधानमंत्री की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान, दिनांक 14.09.2018 को गृह मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और मंत्रिमंडल कार्यालय, जापान सरकार के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

11.41 एमओसी के तहत, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीडीआर) पर पहली जापान-भारत कार्यशाला नई दिल्ली में मार्च, 2018 में आयोजित की गई थी।

11.42 श्री पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक की राज्य सरकारों, आईआईटी मुंबई और आईआईटी चेन्नई के प्रतिनिधि शामिल थे, ने 13 से 15 अक्टूबर, 2018 तक टोक्यो, जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दूसरी भारत-जापान कार्यशाला और उसके तुरंत बाद डीआरआर को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीपीडीआरआर) में भाग लिया।

11.43 गृह मंत्रालय ने दिनांक 18.03.2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी भारत-जापान कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में भारत और जापान से लगभग 140 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों, शहरों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ाना था।

शंघाई सहयोग संगठन

11.44 केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किर्गिज गणराज्य में दिनांक 24-25 अगस्त, 2017 को आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम एवं उन्मूलन से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के प्रमुखों की नौवीं बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

11.45 वर्ष 2017 में, भारत एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून, 2017 में अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की वार्षिक बैठक में भाग लिया। एससीओ में भारत की सदस्यता मिलने से एससीओ के फ्रेमवर्क के भीतर आपातकालीन स्थितियों से लोगों और क्षेत्रों को बचाने के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास में नये सिरे से बल प्रदान करने के नये अवसर प्राप्त होंगे और इससे क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में नई गुणात्मक स्थितियां बनेंगी। इस बैठक के दौरान पिछली द्विवर्षीय योजना के कार्यवाही योग्य बिंदुओं और वर्ष 2018-2019 के लिए सहमत गतिविधियों के संबंध में प्रगति पर भी चर्चा की गई।

11.46 इस बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी सामूहिक तैयारी में सुधार के लिए एससीओ सदस्य देशों के संयुक्त शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभियान का आयोजन करने तथा वर्ष 2019 में आपदा निवारण से निपटने वाले एससीओ के विभाग प्रमुखों की अगली बैठक का आयोजन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों प्रस्तावों को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

11.47 उपर्युक्त प्रतिबद्धता के अनुसरण में, भारत ने दिनांक 1 से 2 नवम्बर, 2018 को एससीओ प्रमुख संयुक्त शहरी भूकंप खोज तथा बचाव अभ्यास हेतु तैयारी बैठक तथा दिनांक 6 से 8 फरवरी, 2019 तक नई दिल्ली में एससीओ-संयुक्त ईएक्ससीओएन बैठक का आयोजन किया।

11.48 भारत एससीओ प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद से निपटने के मुद्दों पर विभिन्न तकनीकी/कानूनी

विशेषज्ञ समूह की आयोजित की जा रही बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

भारत सरकार और ताजिकिस्तान की सरकार के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

11.49 श्री राम नाथ कोविन्द, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की दिनांक 07 से 09 अक्तूबर, 2018 तक ताजिकिस्तान की यात्रा के दौरान, दिनांक 08.10.2018 को ताजिकिस्तान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

*****

अध्याय - 12

प्रमुख पहलें तथा स्कीमें

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अंब्रैला स्कीम (एमपीएफ)

12.1 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह ने, वर्ष 2015 में अनुशंसा की थी कि "कानून और व्यवस्था" और "न्याय प्रदायगी प्रणाली" की स्कीमों को कोर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। इस अनुशंसा के अनुसरण में भारत सरकार (नीति आयोग) ने अपने दिनांक 17.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, 66 मौजूदा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बना कर 6 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों, 20 'कोर' स्कीमों तथा 2 'वैकल्पिक' स्कीमों को अंतिम रूप देते हुए "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रैला स्कीम को एक 'कोर' स्कीम के रूप में शामिल किया है।

12.2 इन स्कीमों के अंतर-संबंध तथा पूरकताओं का दोहन करके कार्यक्रम संबंधी परिणामों को हासिल करने के लिए, गृह मंत्रालय ने स्कीमों और परियोजनाओं को एक अंब्रैला स्कीम के अंतर्गत समेकित किया है। इसका उद्देश्य, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहयोग तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने वाली सभी संगत स्कीमों को केंद्रीय बजट में एक जगह लाना है।

12.3 25,061 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रैला स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इस कुल परिव्यय में से अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 18,636 करोड़ रुपये है तथा राज्यों का हिस्सा 6,425 करोड़ रुपये है। इस 'कोर' स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं तथा राज्यों को 10% निधियां उपलब्ध करानी होती हैं। शेष राज्यों के मामले में, केंद्रीय हिस्सा 60% है तथा राज्यों को 40% हिस्से का योगदान करना होता है।

12.4 मोटे तौर पर, इस अंब्रैला स्कीम में दो स्कीमें शामिल हैं, नामत: राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम तथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई) की स्कीम। इन दो मुख्य शीर्षों (वर्टिकलों) के तहत बनी 17 उप स्कीमें निम्नानुसार हैं :

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) I : राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)**

  - केंद्रीय क्षेत्र की तीन उप स्कीमें
    - (i) अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस)।
    - (ii) अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलेस के अंतर्गत परियोजनाएं।
    - (iii) ई-कारागारों का कार्यान्वयन।

  - राज्य क्षेत्र की दो उप-स्कीमें
    - (i) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता।
    - (ii) पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन हेतु

विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता।

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) II: जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई)**
  - केंद्रीय क्षेत्र की सात उप-स्कीमें
    - (i) वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों तथा अन्य को सहायता
    - (ii) सिविक कार्रवाई योजना (सीएपी) (एलडब्ल्यूई)
    - (iii) मीडिया योजना (विज्ञापन तथा प्रचार) (एलडब्ल्यूई)
    - (iv) 35 सबसे ज्यादा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता
    - (v) एसआरई (एलडब्ल्यूई) (केंद्रीय क्षेत्र)
    - (vi) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)- राहत तथा पुनर्वास
    - (vii) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)- सुरक्षा वातावरण
  - राज्य क्षेत्र की पांच उप-स्कीमें
    - (i) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)- पुलिस
    - (ii) एसआरई (पूर्वोत्तर)
    - (iii) एसआरई (एलडब्ल्यूई)
    - (iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 250 किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम
    - (v) केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्य को सहायता" स्कीम (पूर्व में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम)

उद्देश्य

12.5 यद्यपि 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, वित्तीय कमियों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को अपेक्षित स्तर तक आधुनिकीकृत तथा सुसज्जित नहीं कर पाए हैं। गृह मंत्रालय वर्ष 1969-70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग कर रहा है। इस स्कीम को 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता' के नए नाम से जारी रखा गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पुलिस के कार्यकरण के विभिन्न क्षेत्रों में पता लगाई गई कमियों को दूर करना, आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर निर्भरता को कम करना है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को वर्ष 2016-17 के बाद भी जारी रखना

12.6 वर्ष 2012-13 और 2016-17 की अवधि हेतु अनुमोदित स्कीम के अनुसार, निर्माण कार्यकलापों तथा हथियारों एवं विभिन्न उपकरणों आदि की खरीद के लिए निधियां आबंटित और जारी की जानी थीं। निर्माण कार्यकलापों के लिए निधियां वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान जारी की गई थीं। तथापि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों, जिनमें केंद्रीय करों में से राज्यों को हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, के बाद, राज्यों द्वारा निर्माण कार्यकलापों के लिए और अधिक निधियां आबंटित करना अपेक्षित था, इसलिए निर्माण कार्यकलापों के लिए निधियन को बंद कर दिया गया था।

12.7 इस स्कीम को नए नाम "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन और वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। यह "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रैला स्कीम के अंतर्गत एक उप स्कीम है। राज्य

पुलिस द्वारा अपेक्षित मदों जैसे कि हथियारों, उपस्करों आदि को उप स्कीम के तहत निधियित किया जाता है। लक्षित पहलों की सुविधा के लिए विशेष क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'मोबिलिटी' तथा 'आवास सहित पुलिस अवसंरचना के निर्माण' के लिए निधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 'मोबिलिटी' शीर्ष के अंतर्गत मदों का उपयोग केवल फील्ड स्तर के पुलिस कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा, राज्य स्तर के पुलिस कार्यालयों के लिए नहीं। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान तीन वर्ष के लिए इस स्कीम के अंतर्गत समग्र रूप से 7380 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियों का वार्षिक आबंटन वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए वास्तविक बजटीय संसाधनों पर निर्भर होगा।

स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

12.8 निधियन के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया गया है। 'क' श्रेणी के राज्य नामतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% की केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेष 10% राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2013-14 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत श्रेणी 'क' के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-XV में दिया गया है। शेष राज्य 'ख' श्रेणी में हैं और इन राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा राज्य शेष 40% निधियां उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2013-14 से 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक–XVI में दिया गया है।

स्कीम के तहत खरीदे गए उपकरण: क) मॉडल नियंत्रण कक्ष की स्थापना ख) हाई डेंसिटी/सिक्योरिटी आयुध भंडारण यूनिट

(स्रोत : पीएम डिवीजन, गृह मंत्रालय)

अनुमोदन प्रणाली

12.9 इस स्कीम हेतु किए गए आबंटन को पूर्व-निर्धारित अंतर-राज्यीय वितरण अनुपात के आधार पर, केंद्रीय हिस्से के रूप में, आगे सभी 29 राज्यों के बीच वितरित/आबंटित किया जाता है। राज्यों को अपनी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी राज्य कार्रवाई योजनाएं (एसएपी) तैयार करनी होंगी। इन एसएपी का अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा तथा केंद्रीय सरकार स्तर पर स्कीम को देख रही संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा किया जाता है। राज्य कार्रवाई योजनाओं के अनुमोदन चक्र को पूर्व तिथि के लिये निर्धारित (प्रीपोन) किया गया है तथा संशोधित अनुमोदन चक्र के अनुसार एसएपी को

फरवरी तक, अर्थात वित्त वर्ष के शुरू होने से एक माह पहले अनुमोदित किया जाएगा जिससे राज्य 1 अप्रैल से निधियां जारी करने का लाभ उठा सकेंगे। राज्यों को समय से निधियां जारी करने के लिए ऐसा किया गया है।

दिनांक 18.05.2018 को जयपुर में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक

(स्रोतः डीजीपी, जयपुर का कार्यालय)

निधियों के उपयोग की स्थिति

12.10 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक जारी की गई वर्ष-वार कुल निधियां और राज्यों द्वारा यथा सूचित उनके उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधियां	खर्च राशि	खर्च न किया गया शेष
1.	2013-14	1,338.35	1329.09	9.26
2.	2014-15	1,397.24	1365.62	31.62
3.	2015-16	661.79	628.18	33.61
4.	2016-17	594.02	517.65	76.37
5.	2017-18	451.66	उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित नहीं	-
6.	2018-19	768.83	उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित नहीं	-

12.11 वर्ष 2017-18 के दौरान एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत गतिशीलता (मोबिलिटी), हथियारों और विभिन्न उपस्करों के लिए 769.00 करोड़ रुपये (सं.अ.: 452.00 करोड़ रुपये) की राशि आबंटित की गई थी तथा 451.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 769.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2016-17 तक जारी निधियों के उपयोग के आधार पर, दिनांक 31.03.2019 तक राज्यों को 768.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था

12.12 मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) एमपीएफ स्कीम का उप भाग है। अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा बेंगलुरू शहरों के लिए एमसीपी योजनाओं को गृह मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया था। इन योजनाओं में इन शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, कमांड और कंट्रोल सेंटर, डॉयल 100 सुविधाएं स्थापित करना, राजमार्गों की गश्त, मानवरहित वायुयान और अन्य प्रौद्योगिकी घटक शामिल हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मेगा सिटी	आबंटन			वर्ष 2016-17 तक जारी निधियां					वर्ष 2016-17 के बाद जारी निधियां		कुल जारी निधियां
		चरण-I	चरण-II	कुल	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल	2017-18	2018-19	
1	अहमदाबाद	5.02	10.03	**15.05**	5.02	10.03	0.00	-	15.05	-		**15.05**
2	मुंबई	45.74	91.47	**137.21**	0.00	0.00	45.00	-	45.00	-		**45.00**
3	चेन्नई	29.49	58.98	**88.47**	0.00	0.00	29.49	58.91	88.40	-		**88.40**
4	हैदराबाद	16.03	32.07	**48.10**	-	22.34	0.00	-	22.34	-	25.76	**48.10**
5	कोलकाता	31.92	63.85	**95.77**	0.00	0.00	31.92	-	31.92	45.00	17.19	**94.11**
6	बेंगलुरु	16.10	32.20	**48.30**	0.00	40.73	0.00	7.57	48.30	-		**48.30**
	कुल	**144.30**	**288.6**	**432.90**	**5.02**	**73.10**	**106.41**	**66.48**	**251.01**	**45.00**	**42.95**	**338.96**

स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा

12.13 केंद्रीय गृह मंत्री तथा केंद्रीय गृह सचिव द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जोनल परिषदों की बैठकों में राज्यों के विभिन्न मुद्दों तथा सुझावों पर समुचित विचार किया जाता है तथा प्रत्येक राज्य को जारी निधियों के उपयोग की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

"पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता" की उप-स्कीम

12.14 "पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता" एमपीएफ की अंब्रैला स्कीम के अंतर्गत एक उप-स्कीम है, जिसके तहत राज्य सरकारों को फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों और उनमें उपस्करों सहित पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए विशेष परियोजना/कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान तीन वर्षों के लिए उप-स्कीम के अंतर्गत 587 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में, निम्नलिखित परियोजनाओं को 60:40/90:10 निधियन पैटर्न में निधियित किया जा रहा है :

क) गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के स्तरोन्नयन हेतु गुजरात सरकार को सहायता।

ख) जयपुर में "सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसरजेंसी" की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार को सहायता।

ग) अमरावती में एक नए हाई-टेक राज्य एफएसएल की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सहायता।

घ) फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों सहित पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता।

12.15 इस उप-स्कीम के तहत, वर्ष 2017-18 के दौरान, 62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित तथा जारी की गई थी और वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक

31.03.2019 तक 100 करोड़ रुपये का कुल आबंटन जारी किया गया है।

महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)

12.16 गृह मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम तैयार की है तथा यह कार्यान्वयनाधीन है। सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करना।
- साइबर अपराध संबंधी शिकायतों को दर्ज करने तथा साथ ही साथ पीड़ितों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक खुला मंच स्थापित करना।
- वैज्ञानिक जांच, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में सहायता प्रदान करके साइबर अपराध से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) स्थापित करना।
- साइबर सुरक्षा, साइबर विधि विज्ञान, साइबर हाइजीन, अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में महिला अधिकारियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना।
- भारत में शिक्षाविदों तथा प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी के साथ साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां और विधि विज्ञान उपकरण विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संबंधी गतिविधियां आरंभ करना।
- सामान्य रूप से साइबर अपराध और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना।

12.17 सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के मुख्य घटक हैं :

क. ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

ख. फॉरेंसिक प्रयोगशाला

ग. क्षमता निर्माण

घ. अनुसंधान तथा विकास

ङ. जागरूकता सृजन

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का आरंभ

12.18 नागरिकों को चाईल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)/ बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम) से संबंधित ऑनलाइन सामग्री अथवा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) जैसी यौन उन्मुख सामग्री की सूचना देने के लिए एक केंद्रीकृत मंच उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया था।

12.19 शिकायतकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा जुड़े हुए साक्ष्य एकत्रित करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इस पोर्टल पर की गई शिकायतों से निपटा जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार 14 लाख से अधिक व्यक्तियों ने इस पोर्टल को विजिट किया है, दस हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थीं, 33 एफआईआर दर्ज की गई थीं तथा मध्यस्थों द्वारा 71 सामग्रियों को हटाया गया था। आम जनता ने सीपी/सीएसएएम/बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार के अलावा साइबर अपराधों के लिए भी इस पोर्टल का प्रयोग किया है।

12.20 पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए दो विकल्प प्रदान करता है (i) 'एनोनिमस मोड' जहां पर शिकायतकर्ताओं को अपनी पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं हैय तथा (ii) 'रिपोर्ट एंड ट्रैक' विकल्प जहां शिकायतकर्ता शिकायत कर सकते हैं तथा प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।

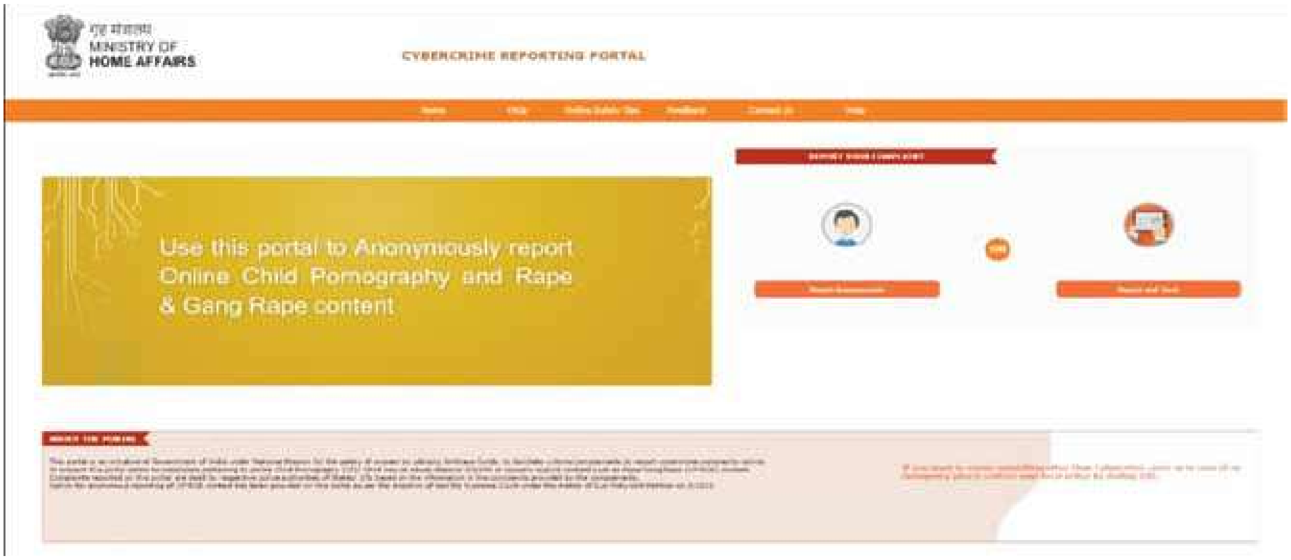

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) का होम पेज

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ

(स्रोतः गृह मंत्रालय)

12.21 साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की विशेषताएं

- उपयोग में आसान रिपोर्टिंग तंत्र - शिकायतकर्ता भारत में कहीं भी इस पोर्टल पर चाईल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले को रिपोर्ट कर सकता है।
- बिना नाम बताए रिपोर्टिंग – शिकायतकर्ता अपनी पहचान बताए बिना चाईल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट कर सकता है।
- शिकायत के साथ साक्ष्य अपलोड करें – शिकायतकर्ता पोर्टल पर वेबसाइट के एड्रेस और सामान्य दस्तावेज, चित्र तथा वीडियो फार्मेट में संलग्नक जैसे सबूत अपलोड कर सकता है।
- ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली- शिकायतकर्ता शिकायत की स्थिति को देखने के लिए "रिपोर्ट एंड ट्रैक" विकल्प का उपयोग कर सकता है।
- गैर-कानूनी पाए जाने पर रिपोर्ट की गई सामग्री को ब्लॉक करने/हटाने की सुविधा।
- शिकायतों को जांच के लिए सीधे राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा देखा जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्ति

12.22 साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के संचालन और रख-रखाव का कार्य राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को सौंपा गया है और चाईल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी) तथा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित चिन्हित सामग्री को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2018 को इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया था।

नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाईटेड चिल्ड्रैन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन

12.23 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनसीएमईसी से ऑनलाइन चाईल्ड पोर्नोग्राफी तथा बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत तथा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाईटेड चिल्ड्रैन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के अंतर्गत क्षमता निर्माण

12.24 साइबर अपराध मामलों में दोषसिद्धि दर में सुधार करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), सरकारी वकीलों तथा न्यायधीशों के लिए 3 दिवसीय तथा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। यह पाठ्यचर्या साइबर अपराध जांच तथा फॉरेंसिक में बेसिक से एडवांस अवधारणाओं को कवर करती है, जिससे प्रतिभागियों को साइबर अपराधों तथा कंप्यूटर फॉरेंसिक की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल को हासिल करने में मदद मिलेगी। सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत क्षमता निर्माण के लिए कुछ कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

I. दिनांक 25 तथा 26 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भुगतान प्रणालियों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं तथा अपराधियों द्वारा क्रेडिट/डेबिट कार्डों के प्रयोग से वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और जांच तकनीकों पर क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

II. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों को साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के कार्यकरण के बारे में अवगत कराने के लिए दिनांक 18 जून,

2018 को नई दिल्ली में विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के कार्यकरण पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की गई शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए सभी प्रतिभागियों को हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसके अलावा, "चाईल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)/बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) अथवा अन्य अश्लील सामग्री संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानून के तहत प्रावधानों" तथा "यौन अपराधों तथा पोर्नोग्राफी पर पुलिस कार्मिकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम" पर भी सत्र आयोजित किए गए थे।

III. समन्वय तंत्र को सुधारने के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में मध्यस्थों जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, वाहट्सएप आदि के साथ विधि प्रवर्तन अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई।

IV. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ सहयोग से महिला हेल्पलाइन अधिकारियों के लिए दिनांक 5 अक्तूबर, 2018 को जम्मू और कश्मीर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर चाईल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)/बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) तथा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए शिकायतकर्ताओं को मदद तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन (181) के पदधारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। दिनांक 15 जनवरी, 2019 को वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ ऐसा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

(स्रोतः हिमाचल प्रदेश सरकार)

12.25 विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साइबर अपराध जांच में प्रशिक्षित किए गए कार्मिकों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	561
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	बिहार	321
4.	छत्तीसगढ़	479
5.	गोवा	119
6.	हरियाणा	215
7.	हिमाचल प्रदेश	77
8.	कर्नाटक	120
9.	केरल	147
10.	मध्य प्रदेश	461
11.	मणिपुर	6
12.	मेघालय	20
13.	मिजोरम	46
14.	पंजाब	29
15.	तमिलनाडु	20
16.	तेलंगाना	1440
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55
18.	चंडीगढ़	432
19.	दमन और दीव	2
20.	दादरा और नगर हवेली	2
21.	लक्षद्वीप	1
	कुल	**4559**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

12.26 विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा न्यायतंत्र को साइबर अपराध जांच हेतु अपेक्षित तकनीकी कौशल में हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 82.80 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा अरूणाचल प्रदेश राज्यों में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को शुरू कर दिया गया है।

सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत जागरूकता अभियान

12.27 सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के अंतर्गत जन-जन तक पहुंचने और साइबर अपराधों से बचाव पर संदेश पर जोर देने के लिए एक सटीक जागरूकता अभियान की योजना बनाई गई है। जागरूकता हेतु स्कीम के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :

I. बच्चों पर प्रभाव डाल सकने वाले विभिन्न साइबर खतरों तथा साइबर अपराधों को रोकने में मदद कर सकने वाले रक्षोपायों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए 13 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों/छात्रों हेतु साइबर सुरक्षा पर हस्तपुस्तिका। इस हस्तपुस्तिका का मकसद युवा छात्रों को लक्षित करना तथा उन्हें साइबर वर्ल्ड को समझने तथा उन्हें अपने आपको भविष्य में जिम्मेदार साइबर सिटीजन के रूप में तैयार करने में सक्षम बनाना है।

II. महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर अपराधों के खिलाफ रक्षोपायों पर जागरूकता से संबंधित संदेशों के प्रसार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साइबरदोस्त ट्विटर हैंडल (@CyberDost) शुरू किया गया है। यह हैंडल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम से शिकायत करने के लिए प्रक्रिया के संबंध में नागरिकों को मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है। इस ट्विटर हैंडल के 52000 से अधिक फालोअर्स हैं।

III. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर अपराधों के संबंध में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है।

IV. जन-जन के बीच साइबर अपराधों की रोकथाम पर संदेश के प्रसार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा

रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (आई4सी)

12.28 गृह मंत्रालय ने 415.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिनांक 31.03.2020 तक कार्यान्वित किए जाने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (आई4सी)' स्कीम को अनुमोदित किया है। स्कीम का उद्देश्य एक समन्वित तथा व्यापक तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है। आई4सी द्वारा निम्नलिखित कार्य करने की अभिकल्पना की गई है:

i. एक समन्वित तथा व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करना।

ii. साइबर अपराधों का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना।

iii. तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ तालमेल रखने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो साइबर कानून में संशोधन का सुझाव देना।

iv. गृह मंत्रालय में संबंधित नोडल प्राधिकारी के साथ परामर्श से अन्य देशों के साथ साइबर अपराधों से संबंधित परस्पर विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) के कार्यान्वयन की सभी गतिविधियों का समन्वयन करना।

v. क्षमता निर्माण तथा जागरूकता।

vi. पेशेवर जांच के लिए साइबर फॉरेंसिक हेतु पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) तैयार करना।

12.29 भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल होंगे :

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण
2. संयुक्त साइबर अपराध जांच टीम हेतु प्लेटफार्म
3. राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र
4. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
5. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
6. साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन
7. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान तथा नवाचार केंद्र।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 18.02.2019 को राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन

(स्रोतः गृह मंत्रालय)

12.30 **साइबर सुरक्षा पहलें**

i. गृह मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दो साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 16 अप्रैल 2018 तथा 17 मई 2018 को आयोजित किए गए थे।

ii. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की कमजोरियों का मूल्यांकन आवधिक रूप से किया जाता है।

iii. राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) को तैयार किया गया है और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को परिचालित कर दिया गया है।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय साइबर अपराध सेल स्थापित किए गए हैं।

v. गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के सीआईएसओ के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

vi. फोन धोखाधड़ी पर अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसीपीएफ) का गठन किया गया है।

vii. फोन धोखाधड़ी की जांच की सुविधा के लिए एफसीओआरडी-एफआईसीएन समन्वय एजेंसी को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

viii. जनता को सावधानी बरतने के लिए सुग्राही बनाने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

12.31 कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के कारागार कार्मिकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान कारागार तथा कारागार के कैदियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान ने पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार अन्य विषयों और मॉड्यूलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी भाग लिया है, जिसमें महिला कैदियों और कारागार कैदियों के स्वास्थ्य के मुद्दों आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

12.32 एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) 26 देशों यथा, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारूशलाम, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग(चीन), भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनीआ, फिलीपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वानुआतु और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से भारत इस संगठन के शासी बोर्ड का चयनित सदस्य है।

12.33 प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी को साझा करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा

की गई थी। 38वें एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) की मेजबानी मलेशिया द्वारा 2-7 सितम्बर, 2018 के दौरान की गई, जिसमें गृह मंत्रालय, बीपीआरएंडडी तथा दिल्ली सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.34 प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन कारागार प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं:

i) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

ii) उत्कृष्ट सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

iii) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

iv) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

12.35 ये पदक सुधारात्मक सेवा, विशेष कठिनाई में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता से अनुकरणीय सेवा प्रदान करने आदि के संबंध में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किए जाते हैं। शौर्य के लिए पदक कैदियों को पकड़ने के लिए दिखाए गए असाधारण शौर्य अथवा कैदियों को भागने से रोकने के लिए प्रदान किया जाता है।

12.36 सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 5.4.1999 को जारी की गई थी। पहली बार इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2000 के गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मेडल और स्क्रोल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार का अलंकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

12.37 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और उत्कृष्ट सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या वर्ष में क्रमशः 25 और 75 हो सकती है। शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

राष्ट्रपति की परिलब्धियां

12.38 दिनांक 01.01.2016 से भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों को 1.50 लाख रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 5.0 लाख रूपये प्रति माह कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2018 के प्रभाव से पूर्व राष्ट्रपतियों के कार्यालय व्यय के खर्च की सीमा भी 60 हजार रूपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रूपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

उप राष्ट्रपति की पेंशन

12.39 दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से भारत के उप राष्ट्रपति की परिलब्धियों के 1.25 लाख रुपये से बढ़कर 4.00 लाख रुपये प्रति माह होने के फलस्वरूप, उप राष्ट्रपति की पेंशन को भी 55,000 रुपये से बढ़ाकर परिलब्धियों के 50% की दर से 2 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पूर्व उप राष्ट्रपतियों के कार्यालय व्यय के खर्च को भी दिनांक 01.04.2018 के प्रभाव से 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

राज्यपालों की परिलब्धियां

12.40 दिनांक 01.01.2016 से राज्यपालों की परिलब्धियों को 1.10 लाख रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 3.5 लाख रूपये प्रति माह कर दिया गया है।

गांव/नगर/रेलवे स्टेशन आदि के नाम में परिवर्तन

12.41 गृह मंत्रालय गांवों/नगरों/रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'अनापत्ति' प्रदान करता है। वर्ष 2018-2019 के दौरान 24 प्रस्तावों हेतु 'अनापत्ति' जारी की गई है।

पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन

12.42 विभिन्न समितियों द्वारा यथासंस्तुत पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए, पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु इस वर्ष राज्यों को सहायता की स्कीम के कुल वार्षिक आबंटन (76.90 करोड़ रुपये) के 10% तक को उन राज्यों के लिए अलग रखा गया है जिन्होंने इसके लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है:-

क) पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया।

ख) व्यावसायिक कौशलों के स्तरोन्नयन तथा जनता के प्रति सही रवैया मन में बैठाने के लिए सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण।

ग) फॉरेंसिक विज्ञान अवसंरचना का सुधार।

घ) ऑर्डर्ली प्रणाली को एक कांस्टेबल/हैल्पर के अटैचमेंट की प्रणाली से बदलना।

ड.) कांस्टेबलों हेतु पदोन्नति संभावनाएं।

च) पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण।

उद्देश्यपरक तथा पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात, वर्ष 2018-19 के लिए 10 राज्यों नामत: (1) आंध्र प्रदेश (2) गुजरात (3) मध्य प्रदेश (4) ओडिशा (5) पंजाब (6) राजस्थान (7) तमिलनाडु (8) तेलंगाना (9) उत्तर प्रदेश (10) उत्तराखंड प्रत्येक को 7.69 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

12.43 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस-संवेदनशील और सख्त; एम-आधुनिक और सचल; ए-सतर्क और जवाबदेह; आर-विश्वसनीय और प्रतिक्रियात्मक और टी-प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी-सक्षम। इस संबंध में अप्रैल-मई, 2015 में बैंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी एवं चंडीगढ़ में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था के दस गुणों के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन कर लिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा भुज, गुजरात में दिनांक 19.12.2015 से 20.12.2015 तक आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों का एक संकलन जारी किया गया था।

12.44 इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या इससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय के सकारात्मक वृत्तांतों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और इसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना और वेबसाइटों से संकलित सूचना के अनुसार, पूरे देश में 776 पुलिस जिलों में से कुल 424 जिलों की अपनी अलग वेबसाइटें हैं। कुछ राज्यों ने जिला-वार सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए हैं और कुछ ने इसे राज्य पुलिस की वेबसाइटों पर अपलोड किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक वेबसाइटों पर 13,307 सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए गए हैं।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम

12.45 राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिनांक 21.07.2018 को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर और हरियाणा के माननीय

मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 6000 कैडेटों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के छात्रों में स्कूलों में कक्षाओं के माध्यम से तथा स्कूलों के बाहर उनके मन में मूल्यों और नैतिकता की भावना पैदा करके उनके माध्यम से पुलिस और वृहत समुदाय के बीच एक संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम कक्षा 8 और 9 के छात्रों पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे छात्रों के कार्य पर बोझ न बढ़े। कार्यक्रम को मोटे तौर पर दो प्रकार के विषयों को कवर करना है: (i) अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण और (ii) मूल्य और नैतिकता। पहले भाग के अंतर्गत आने वाले विषय हैं– सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग के अंतर्गत आने वाले विषय हैं – मूल्य और नैतिकता, बड़ों के प्रति सम्मान, परानुभूति और सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, प्रवृत्ति, टीम भावना और अनुशासन।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का दिनांक 21.07.2018 को शुभारंभ समारोह

(स्रोतः बीपीआरएंडडी गृह मंत्रालय)

राज्य विधायन

12.46 भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने अथवा भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक, संविधान के अनुच्छेद

304 (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-I के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

12.47 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकें करके समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

12.48 पहले से लंबित राज्य विधायन संबंधी प्रस्तावों के अलावा, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार के अनुमोदन/भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए 100 नए राज्य विधायन संबंधी प्रस्ताव (87 राज्य विधेयक, 10 अध्यादेश और अनुच्छेद 304 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति की 02 पूर्व मंजूरी तथा संविधान की पांचवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 01 विनियम) प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I-	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	57
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	01
	(iii) राष्ट्रपति द्वारा सहमति रोक लेना	02
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	20
	(v) संबंधित राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	-
II-	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	-
	(i) बंद किए गए अध्यादेश (राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए)	02
	(ii) अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	04
III-	संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	00
IV-	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	00
	कुल	**86**

12.49 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें देश के बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में स्थापित आयोगों/समितियों की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं।

12.50 इस मंत्रालय ने विधि आयोग से इसकी जांच करने और दंड विधि के सभी पहलुओं को शामिल

करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है ताकि बदल रहे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप सीआरपीसी/आईपीसी में व्यापक संशोधन किए जा सकें। विधि आयोग ने विचार किए जाने हेतु फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी/आईपीसी की ऐसी कतिपय धाराओं को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनके संबंध में भारतीय विधि आयोग ने पहले ही अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

12.51 महिलाओं, विशेष रूप से युवा बालिकाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए दिनांक 21.04.2018 को आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया था। आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 22) द्वारा बदला गया था जिसे दिनांक 11.09.2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

दया याचिकाएं

12.52 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुति की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है। मंत्रालय शीघ्र निपटान हेतु इन दया याचिकाओं पर कार्रवाई करता है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान एक दया याचिका का निपटान किया गया है।

निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005

12.53 निजी सुरक्षा उद्योग देश के सबसे तेजी से बढ़ते सेवा उद्योगों में से एक है। निजी सुरक्षा उद्योग आधुनिक शासन में सुरक्षा और सकुशलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक गतिविधियों, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के साथ निजी सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है और इन एजेंसियों ने बाजार की मांगों के अनुरूप प्रसार किया है। इन निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने की दृष्टि से, गृह मंत्रालय निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 (पीएसएआर अधिनियम) को शासित करता है, जो कि एक लाइसेंस व्यवस्था प्रदान करता है। लाइसेंसिंग और अन्य संबंधित शक्तियां राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त नियंत्रक अधिकारियों के पास हैं। गृह मंत्रालय पीएसएआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए बातचीत और प्रभावी हस्तक्षेप करने के लिए पहल करता है।

निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों हेतु निजी सुरक्षा) नियम, 2018

12.54 हाल के वर्षों में, कैश वैनों और कैश वाल्टों पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। निजी स्वामित्व वाली कैश वैनें और करेंसी वाल्ट अपराधियों के लिए आसान निशाना बन गए हैं और विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा कई घटनाओं की सूचना दी गई है तथा बड़ी मात्रा में नकदी के अवांछनीय तत्वों के हाथों में आने का खतरा बढ़ रहा है। दिन-प्रतिदिन के बैंकिंग परिचालन में कैश के सुरक्षित परिवहन के महत्व तथा आने वाले वर्षों में बैंकिंग और एटीएम संचालन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कैश के सुरक्षित परिवहन की गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना आवश्यक समझा गया है। तद्नुसार, गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 [दिनांक 08.08.2018 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 755(ड.)], की धारा 24 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मॉडल नियम – "निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों हेतु निजी सुरक्षा) नियम, 2018" को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत, कैश वैनों और निजी कैश वाल्टों का व्यापक स्पेसीफिकेशन; अपेक्षित कर्मचारियों और उनके पूर्ववर्ती सत्यापन, प्रशिक्षण और प्रमाणन का प्रावधान; नकदी ले जाने की सीमा; जोखिम शमन के लिए उपाय, आदि का

निर्धारण प्रस्तावित हैं। इन नियमों के प्रभाव में आने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन्हे अपनाए और अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है।

लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों के बारे में आम जनता की सुविधा के लिए पोर्टल

12.55 इसे सभी हितधारकों, यथा, नियामकों, निजी सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) और आम जनता के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से, केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 08.08.2018 को पीएसएआरए की पुनःनिर्मित वेबसाइट, अर्थात, www.psara.gov.in शुरू की। वर्तमान में पोर्टल में हितधारकों के लिए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

क. निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 और इससे जुड़े मॉडल नियम।

ख. निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए नियम।

ग. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निजी सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रक प्राधिकारियों का विवरण।

घ. लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची।

ड. मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची।

च. गृह मंत्रालय आदि द्वारा जारी किए गए परिपत्र, परामर्शी पत्र।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शी पत्र

12.56 लाइसेंसों हेतु आवेदनों पर कार्रवाई में विलंब से बचने के लिए गृह मंत्रालय ने चरित्र तथा पूर्ववर्ती सत्यापन के संबंध में परामर्शी पत्र जारी किए हैं। एक सीसीटीएनएस के माध्यम से सत्यापन कराने तथा दूसरा सत्यापन की पुनरावृत्ति से बचने के संबंध में है।

पीएसएआरए की पुन:निर्मित वेबसाइट अर्थात www.psara.gov.in का दिनांक 08.08.2018 को शुभारंभ

(स्रोत: पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग

12.57 वर्ष 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में अपने भाषाण के दौरान पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन तथा साथ ही साथ नागरिकों के फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित करने का निदेश दिया था। तद्नुसार, देश में दस सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशनों और किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन की पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन स्कीम का वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया गया था। पूरे देश में 15,666 पुलिस स्टेशनों में से, निम्नलिखित तरीके से सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर छोटी सूची (शॉर्ट लिस्ट) तैयार की गई थी

क) 750+ पुलिस स्टेशनों वाले राज्यों से 3

ख) अन्य सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2

ग) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 1

पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों तथा संपत्ति संबंधी अपराधों के आधार पर किया गया था। शॉट लिस्ट किए गए 87 पुलिस स्टेशनों का स्थल पर सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2018 से 10.12.2018 के दौरान किया गया था। देश में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन को चुनने का मानदंड मुख्यत: अपराध को रोकने, जांच तथा मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने इत्यादि में उनके प्रदर्शन के आधार पर था। नागरिकों से फीडबैक भी प्राप्त की गई थी।

वर्ष 2018 के लिए दस सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन इस प्रकार हैं :

रैंक	राज्य	जिला	पुलिस स्टेशन
1	राजस्थान	बीकानेर	कालू
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार	कैम्पबेल बे
3	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	फरक्का
4	पुदुचेरी	पुदुचेरी	नेट्टापक्कम
5	कर्नाटक	धारवाड़	गुडाघेरी
6	हिमाचल प्रदेश	शिमला	चौपाल
7	राजस्थान	बुंदी	लखेरी
8	तमिलनाडु	थेनी	पेरियाकुलम
9	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	मुनस्यारी
10	गोवा	दक्षिण गोवा	कुर्चोरेम

कालू पुलिस स्टेशन, बीकानेर, राजस्थान

अप्रचलित हथियारों के निपटान हेतु मानक प्रचालन पद्धतियों (एसओपी) को तैयार करना

12.58 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस संगठनों के पास भारी मात्रा में पुराने, अप्रचलित और ठीक न किए जा सकने योग्य हथियार हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु उन्होंने बड़ी जगह घेरी हुई है, जिससे अन्य स्टोरों के रख-रखाव में समस्या तथा सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न हो रही है। समस्या से निपटने के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से पुराने, अप्रचलित और ठीक न किए जा सकने योग्य हथियारों, गोला-बारूद तथा पुर्जों के निपटान के लिए मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) तैयार की गई हैं। यह जब्त किए गए हथियारों तथा गोला-बारूद और चलाए गए खाली कारतूसों के निपटान का कार्य भी देखता है। एसओपी को दिनांक 04.12.2018 को जारी किया गया था।

संसद में प्रस्तुत तथा पारित किए गए विधायी प्रस्ताव

12.59 आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 30.07.2018 को लोकसभा में और दिनांक 06.08.2018 को राज्यसभा में पारित किया गया था। विधेयक को दिनांक 11.08.2018 को मंजूरी दी गई।

*****

अध्याय - 13

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक तथा नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश, यहां ठहरने और प्रस्थान करने का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित किया जाता है। जहां विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों तथा साथ ही आप्रवासन ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का ठहरना तथा देश से उनका प्रस्थान, विशेष रूप से आप्रवासन ब्यूरो और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

13.3 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि (कुल 15 माह) के दौरान 1,37,30,282 विदेशी राष्ट्रिकों (57,283 पाकिस्तानी नागरिकों सहित) ने भारत की यात्रा की। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान भारत की यात्रा करने वाले सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रिक बांग्लादेश (28,76,064) से थे, जिसके बाद अमेरिका (18,63,278), यूनाइटेड किंगडम (13,69,548), कनाडा (4,79,228), श्रीलंका (4,51,736), ऑस्ट्रेलिया (4,44,033), मलेशिया (4,11,050), रूस संघ (3,77,083), चीन (3,75,449) और जर्मनी (3,60,843) का स्थान था। विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन का 65.61% हिस्सा इन 10 देशों से था, जबकि देश में आने वाले कुल विदेशी राष्ट्रिकों में, शेष 34.39% अन्य देशों से थे।

विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

13.4 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक (कुल 15 माह) के दौरान विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) द्वारा कुल 1982 विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन किया गया। निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की सर्वाधिक संख्या नाइजीरिया से (847) थी, जिसके बाद बांग्लादेश (491) और सोमालिया (124) का स्थान था।

भारत में वीजा व्यवस्था का उदारीकरण, सरलीकरण और यौक्तिकरण

13.5 गृह मंत्रालय ने भारत के वीजा तंत्र को उदार, सरलीकृत और तर्कसंगत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वीजा जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और उन विदेशी राष्ट्रिकों को सुविधा प्रदान की जा सके, जो पहले से ही वैध वीजा पर भारत में रह रहे हैं। इससे वैध विदेशी यात्रियों को सुविधा होगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन, मेडिकल महत्व की यात्रा और व्यवसाय के लिए यात्रा करने जैसी सेवाओं के निर्यात से आय में वृद्धि हो सकेगी और 'स्किल इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और सरकार की ऐसी अन्य प्रमुख पहलें

सफल हो सकेंगी। इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के आदेश के द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं शुरू की हैं- (क) 160 से अधिक देशों के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए बहु प्रवेश पर्यटक तथा व्यापार वीजा, (ख) आपातकाल के मामलों में आवेदन के 48 घंटे के भीतर मेडिकल तथा व्यापार वीजा प्रदान करना, (ग) इंटर्नशिप के लिए आने वालों हेतु इटर्न वीजा प्रदान करने की सुविधा, (घ) किसी फीचर फिल्म/रिएल्टी टी.वी. शो तथा/अथवा कामर्शियल टी.वी. सीरियलों की शूटिंग के लिए भारत आने वालों, आदि हेतु फिल्म वीजा प्रदान करने की सुविधा।

(ii) सितम्बर, 2017 में गृह मंत्रालय ने 160 से अधिक देशों के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में तीन बार प्रवेश के साथ 6 महीने की वैधता वाले मेडिकल वीजा की सुविधा शुरू की है।

(iii) गृह मंत्रालय ने दिनांक 29 जून, 2018 और 17 सितंबर, 2018 के अपने आदेशों के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 30 बसे हुए द्वीपों को पर्यटन, निवेश और द्वीपों के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ शर्तों के अधीन विदेशी नागरिकों के लिए लागू प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) व्यवस्था से दिनांक 31.12.2022 तक बाहर कर दिया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पर जाने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा पंजीकरण किये जाने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

(iv) गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 30 जुलाई, 2018 के आदेश के द्वारा इंटर्न वीजा व्यवस्था को उदार बनाया है। इंटर्न वीजा अब अध्ययन के दौरान किसी भी समय उपलब्ध है। इसके अलावा, किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की आवश्यकता को 7.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से घटाकर 3.60 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया था और इंटर्न वीजा देने के लिए संख्यात्मक सीमा को हटा दिया गया था।

(v) गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2018 के आदेश के द्वारा मंत्रालय की वीजा संबंधी विभिन्न शक्तियाँ विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ) को प्रत्यायोजित कर दी हैं ताकि वीजा सेवाएं तेजी से प्रदान की जा सकें। इनमें भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भारत के भीतर रोजगार और व्यापार वीजा पूर्व में 5 साल के बजाय 10 वर्ष तक के लिए देने, लंबी अवधि के वीजा पर भारत में पहले से ही रह रहे विदेशियों को एफआरआरओ की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लेने की अनुमति देने तथा भारत में लगातार 15 वर्षों से रह रहे विदेशी लोगों को एक बार में 5 वर्षों तक का वीजा देने इत्यादि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

(vi) अक्टूबर, 2018 में पूरे देश में एक ऑनलाइन ई-एफआरआरओ मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिससे देश के भीतर विदेशियों को दी जा रही 27 वीजा संबंधी सेवाएं जैसे पंजीकरण, वीजा विस्तार, वीजा का परिवर्तन, निकास अनुमति आदि ऑनलाइन हो गई हैं। विदेशी राष्ट्रिक अब विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय सेवा पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ)/विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण अधिकारियों (एफआरओ) के कार्यालयों में जाए बिना इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(vii) किसी विदेशी राष्ट्रिक को, जो भारत में वैध वीजा पर पहले से ही रह रहा हो, विशेष रूप से, आपातकाल के मामलों में बिना किसी परेशानी के इनडोर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 20 नवंबर, 2018 के आदेश के द्वारा एक संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तदनुसार, कोई विदेशी राष्ट्रिक, जो पहले से ही किसी भी प्रकार के वीजा पर भारत में रह रहा है, को अब प्राथमिक वीजा को मेडिकल वीजा में

परिवर्तित कराए बिना 180 दिनों की अवधि तक अस्पताल/उपचार केंद्रों आदि में इनडोर उपचार पाने की अनुमति है। इसके अलावा, एक मेडिकल परमिट की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

ई-वीजा

13.6 पांच उप-श्रेणियों अर्थात ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के साथ ई-वीजा सुविधा 167 देशों के राष्ट्रिकों को भारत में 28 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करने के लिए प्रदान की गई है। इन 167 देशों के राष्ट्रिक भारत आने की प्रत्याशित तारीख से 120 दिन पहले विश्व में कहीं से भी 3 ई-वीजा उप-श्रेणियों यथा-ई-कांफ्रेंस वीजा, ई-मेडिकल वीजा तथा ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। ई-टूरिस्ट और ई-बिजनेस वीजा के मामलों में, आवेदक ऐसे किसी बंधन के बिना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई-वीजा प्रदान कए जाने की अवधि-

(i) ई-टूरिस्ट वीजा और ई-बिजनेस वीजा पर बहु प्रवेश के साथ एक वर्ष।

(ii) ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर तीन बार प्रवेश के साथ 60 दिनों तक।

(iii) ई-कॉन्फ्रेंस वीजा पर एक बार प्रवेश के साथ 30 दिनों तक है।

इसके अलावा, एफआरआरओ तथा गृह मंत्रालय द्वारा ई-वीजा की अवधि बढ़ायी जा सकती है। ई-टूरिस्ट वीजा तथा ई-बिजनेस वीजा के अलावा ई-वीजा एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार दिया जा सकता है।

आगमन पर वीजा योजना

13.7 ई-वीजा सुविधा के अलावा, भारत सरकार ने जापानी और दक्षिण कोरियाई नागरिकों के लिए 'आगमन पर वीजा' की योजना क्रमशः दिनांक 01.03.2016 और 01.10.2018 से लागू की है, जिसमें व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत में 6 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के जरिये अधिकतम 60 दिनों के लिए दो बार प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, अटारी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को पैदल चल कर पार करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कुछ शर्तों के साथ और एक बार प्रवेश के साथ 45 दिनों तक ठहरने के लिए 'आगमन पर वीजा' दिया जाता है।

ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने विदेशी राष्ट्रों में शरण ले ली थी तथा शरणार्थी बन गए थे, वीजा सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

13.8 ऐसे व्यक्तियों के लिए नियमित वीजा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 30.11.2016 को आदेश जारी किये हैं, जिन्होंने गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना अपने विदेशी पासपोर्ट के आधार पर विदेशी राष्ट्र में शरण ले ली थी तथा शरणार्थी बन गए थे (जिनके खिलाफ कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं हुई हो)। इसके अलावा, शरणार्थियों की वे सभी श्रेणियां, जो दीर्घ अवधि वीजा के जारी करने हेतु पात्र हैं, ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगी जिनके पास दो वर्ष की अवधि के लिए सामान्य वीजा रहा हो और उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया हो। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय काली सूची (ब्लैक लिस्ट) की धारणा को समाप्त कर दिया गया है।

आप्रवासन

आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आई.वी.एफ.आर.टी) के संबंध में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)

13.9 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आई.वी.एफ.आर.टी)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदायगी ढांचा विकसित और कार्यान्वित करना है जो सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए वैध यात्रियों

को सुविधाएं प्रदान करे। प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सहायता वाले स्थानों की अवसंरचना/कनेक्टिविटी की तैयारी के अनुरूप स्कीम का कार्यान्वयन योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

13.10 मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) में वैश्विक पहुँच निहित है क्योंकि परियोजना के दायरे में विदेश में 184 भारतीय मिशन, 106 आईसीपी (आप्रवासन चेक पोस्ट), 12 एफआरआरओ (विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) और देश भर में तथा सभी राज्य सरकारों में जिला मुख्यालयों में 674 एफआरओ (विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालय) शामिल हैं। परियोजना के तहत सत्रह विभिन्न मॉड्यूल लागू किए गए हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार विदेशों में 171 भारतीय मिशनों, 12 एफआरआरओ, 674 एफआरओ, 93 आप्रवासन चेक पोस्ट (आईसीपी) और देश भर में 21 राज्य/गृह विभागों में एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू की गई है। वीजा आवेदकों के बायोमैट्रिक लक्षणों को कैप्चर करने के लिए विदेशों में 159 भारतीय मिशनों में बायोमैट्रिक नामांकन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को ई-वीजा और दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) के साथ जोड़ा गया है और वीजा आवेदन फॉर्म को भी मानकीकृत किया गया है।

13.11 रोजमर्रा के प्रश्नों के समाधान हेतु विदेशी राष्ट्रिकों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और संपूर्ण देश में एफआरआरओ/एफआरओ की सहायता के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय आईवीएफआरटी कार्यालय शुरू किया गया है। बेंगलुरू में डाटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) भी स्थापित किया गया है।

13.12 आप्रवासन संबंधी कार्य को सुगम बनाने के लिए दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक के लिए निम्नलिखित चौकियों/स्थानों को प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकियों/बंदरगाहों के रूप में घोषित किया गया हैः-

(i) धुबरी (असम) में रिवर पोर्ट

(ii) सिलघाट (असम) में रिवर पोर्ट

(iii) करीमगंज (असम) में रिवर पोर्ट

(iv) पांडु (असम) में रिवर पोर्ट

(v) कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में सी पोर्ट

(vi) कट्टुपल्ली (तमिलनाडु) में सी पोर्ट

(vii) कन्नूर (केरल) में हवाई अड्डा

(viii) सूरत (गुजरात) में हवाई अड्डा

(ix) मोरेह (मणिपुर) में लैंड पोर्ट

(x) जोखव्तार (मिजोरम) में लैंड पोर्ट

(xi) पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार) में हवाई अड्डा

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी)

13.13 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 (15 माह) के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संबंध में कुल 16,121 दीर्घ अवधि वीजा मामलों का निपटान किया गया।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना

13.14 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना दिनांक 02.12.2005 से शुरू की गई थी। इससे उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि/बागान संबंधी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर जीवन-पर्यन्त वीजा, एफआरआरओ के साथ पंजीकरण से छूट तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के समान सुविधा प्राप्त होती है। राजनीतिक तथा लोक रोजगार अधिकारों के क्षेत्र में उन्हें किसी समानता की अनुमति नहीं है।

13.15 कुल 32,53,912 विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया है और पीआईओ कार्ड के बदले 4,14,906 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं (दिनांक 31.03.2019 के अनुसार)। प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों को भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत स्थापित नए एम्सों में शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति

के लिए पात्र बनाया गया है। प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) आवेदकों की सुविधा के लिए, दिनांक 01.10.2018 से एफआरआरओ, अहमदाबाद को गुजरात राज्य में रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से ओसीआई आवेदन स्वीकार के लिए सक्षम बनाया गया है। पहले इस तरह के आवेदन केवल एफआरआरओ मुम्बई द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे। सेवारत अथवा सेवानिवृत्त विदेशी सेना/पुलिस कार्मिकों के बच्चों तथा जीवनसाथी को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकरण के लिए विचार हेतु पात्र बनाया गया है। इसी तरह की छूट निजी सुरक्षा एजेंसियों, गृह कार्यालयों, कारागारों, राष्ट्रीय प्रोबेशन सेवा और गृह कार्यालय अथवा सैन्य संस्थानों से जुड़ी कंपनियों अथवा संगठनों में काम करने वाले विदेशी नागरिकों अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सीधे तौर पर सेना अथवा पुलिस में कार्यरत नहीं होते हैं, को भी ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए छूट प्रदान की गई है। एफआरआरओ तथा भारतीय मिशनों/पोस्टों को विवाह के बिना पैदा हुए नाबालिग बच्चों के मामलों, आईवीएफ/सरोगेसी के मामलों तथा गोद लेने के मामलों में ओसीआई आवेदन पर निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन मामलों को पहले गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा था। पात्र नाबालिग बच्चों को ओसीआई कार्ड की सुविधा देने के लिए, एक अधिसूचना जारी की गई है कि नाबालिग के ओसीआई आवेदन पत्र पर माता-पिता में से कोई अथवा वह व्यक्ति जिसे नाबालिग की कानूनी अभिरक्षा प्रदान की गई है अथवा ऐसे नाबालिग के कानूनी अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क(2) के तहत पीआईओ कार्ड के कवर्जन को इस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से सरल/सुगम बनाया गया है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो अन्यथा धारा 7क(1)(क), (ख) और (ग) के तहत ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं और जिन्होने अपने देश में दो साल से अधिक की अनिवार्य सैन्य/पुलिस सेवा नहीं की है, को ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र बनाया गया है।

पाकिस्तानी कैदियों का प्रत्यावर्तन

13.16 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक, अपनी सजा पूरी कर चुके 25 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 28 पाकिस्तानी मछुआरों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया।

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों और भारतीय मछुआरों को वापस लाना

13.17 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक, 07 भारतीय सिविल कैदियों और 174 भारतीय मछुआरों को भारत वापस लाया गया है।

नागरिकता

13.18 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों यथा हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने को संभव बनाने के उद्देश्य से, अवैध प्रवासियों की परिभाषा में संशोधन करने, निवास की अवधि को 11 वर्ष से कम करके 6 वर्ष करने और सरकार को ऐसे व्यक्तियों, जो अपराध किए हुए पाए जाते हैं, के ओसीआई कार्ड को रद्द करने की शक्तियां प्रदान करने के लिए, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर लोक सभा में चर्चा की गई थी तथा इसे पास किया गया था। इससे पहले कि राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा की जाती, लोक सभा के भंग होने के कारण यह व्यपगत हो गया।

13.19 दिनांक 23.10.2016 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों नामतः हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए 16 जिलों के जिला कलेक्टरों और 7 राज्यों के सचिवों (गृह) को दो साल के लिए प्रत्यायोजित की गई शक्तियों को दिनांक 23.10.2018 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा अगले आदेशों तक और बढ़ा दिया गया है।

13.20 दिनांक 14.11.2017 से नागरिकता के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के

माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा, दिनांक 1.10.2018 से, नागरिकता आवेदनों की पूरी प्रक्रिया को जिला, राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर दिया गया है। दिनांक 01.01.2018 से कुल 815 नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं (दिनांक 31.03.2019 के अनुसार)।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010)

13.21 एफसीआरए, 2010 राष्ट्रीय हित और उससे जुड़े मामलों के लिए हानिकारक गतिविधियों हेतु ऐसे अंशदानों के किसी भी उपयोग को रोकने के उद्देश्य से व्यक्तियों/संगठनों को मिलने वाले विदेशी अभिदाय के प्रवाह को विनियमित करता है।

13.22 किसी निश्चित सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय की मांग करने वाले संगठन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर तथा अपने क्रियाकलापों एवं लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण प्रस्तुत करके विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। केवल उन संगठनों का पंजीकरण किया जाता है, जिनका विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य के चयनित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है और पंजीकरण के पश्चात ऐसे संगठन अपने वर्णित उद्देश्यों के लिए किसी "विदेशी स्रोत" से "विदेशी अभिदाय" प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। संगठन तथा उसके पदधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की संपूर्ण सुरक्षा संबंधी जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है अथवा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

13.23 दिनांक 11.04.2019 के अनुसार 24572 सक्रिय संगठन एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा 20787 संगठनों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान (दिनांक 31.03.2019 के अनुसार), लगभग 16,881 करोड़ से अधिक का विदेशी अभिदाय प्राप्त हुआ था।

13.24 एक ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल शुरू किया गया था। दिनांक 14.12.2015 से सभी सेवाओं अर्थात पंजीकरण, पूर्व अनुमति, नवीनीकरण, पहचान के ब्यौरे/विवरणों का परिवर्तन, आतिथ्य (विधायकों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर) को ऑनलाइन बनाया गया था। पोर्टल को उपयोगकर्ता के लिए और ज्यादा अनुकूल और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

13.25 संगठनों की बेहतर निगरानी हेतु, एफसीआरए, 2010 के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग के डीएआरपीएएन वेब-पोर्टल से एक युनीक आईडी अनिवार्य की गई है। तथापि, आधार निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अब इसे वैकल्पिक बना दिया गया है।

13.26 गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय को प्रभावी ढंग से मॉनीटर करने के लिए, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों के विदेशी अभिदाय खातों को सार्वजनिक वित्तीय निगरानी प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है। अभी तक 59 वाणिज्यिक बैंकों को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करके लगभग 99% निर्दिष्ट एफसी खातों को कवर किया गया है।

13.27 एफसीआरए अधिनियम, 2010 के तहत किए गए कुछ अपराधों के वैधीकरण के लिए, दिनांक 05.06.2018 की अधिसूचना के मार्फत एक नई कंपाउंडिंग योजना को अधिसूचित किया गया है। नई योजना ने एफसीआरए, 2010 के तहत कंपाउंडिंग किए जाने वाले अपराधों की सूची को व्यापक कर दिया है। इससे गैर सरकारी संगठनों/संगठनों को उन अपराधों, जो प्रक्रियात्मक/तकनीकी प्रकृति के हैं, की कंपाउंडिंग होने के बाद अपने कार्यों को जारी रखने में सुविधा होगी। इसके अलावा, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों के लिए एक हतोत्साहन के रूप में जुर्माने को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम का बेहतर अनुपालन हुआ है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.28 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने

सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा, जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

13.29 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1972 में, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक नियमित योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारीकृत करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। वित्त वर्ष 2017-18 से, इस योजना के नाम को बदलकर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" कर दिया गया है। "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना", की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

13.30 पात्रताः इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:-

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण छह माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में उसके द्वारा भाग लेने की वजह से जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था और बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फायरिंग अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दस या इससे अधिक बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

13.31 आश्रित: इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति(विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता या पिता इसी क्रम में पात्र हैं। किसी एक समय पर, उल्लिखित आश्रितों की श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी परिवार पेंशन के लिए पात्र है।

13.32 महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत: पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

13.33 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:-

(i) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवा/विधुर के लिए एक साथी के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ए.सी.);

(ii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा(सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के

नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

(iii) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में विकलांग कार्मिकों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए 'मिश्रित श्रेणी' के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान।

(v) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छ: माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।

(vi) स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास (निवास एवं भोजन) उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्णरूपेण सुसज्जित और वृद्धावस्था के अनुकूल स्वतंत्रता सेनानी गृह है;

(vii) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी पत्नियों/पतियों को एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।

पेंशन की राशि

13.34 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की जाती है। वर्ष 1972 में निर्धारित पेंशन की आरंभिक राशि 200 रु. प्रति माह थी। तदनंतर, मूल पेंशन और महंगाई राहत को समय-समय पर संशोधित किया गया है। दिनांक 15.08.2016 से औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक पर आधारित महंगाई राहत प्रणाली, जिसे अभी तक वार्षिक आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों पर लागू किया जाता था, समाप्त कर दी गई है और उसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार लागू महंगाई भत्ता प्रणाली से बदल दिया गया है। इसे "महंगाई राहत" का नाम दिया गया है, जो पेंशनरों के मामले में उपयुक्त शब्द है। दिनांक 01.01.2019 से 10% अतिरिक्त महंगाई राहत के साथ मासिक पेंशन की दर निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	दिनांक 15.08.2016 से मूल पेंशन (रु. प्रति माह)	दिनांक 01.01.2019 से 10% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (रु. प्रति माह)
1.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी/विवाहिती	30,000/- रु	₹3000/- रु	33,000/- रु
2.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी/विवाहिती	28,000/- रु	₹2800/- रु	30,800/- रु
3.	आई एन ए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/विवाहिती	26,000/- रु	₹2600/- रु	28,600/- रु
4-	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् ₹13,000/- रु से ₹15,000/- रु तक	₹1300/- रु से ₹1500/- रु	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् ₹14,300/- रु से ₹16,500/- रु तक

13.35 इसके अतिरिक्त, सभी प्राधिकृत बैकों को यथा संभव शीघ्र स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के बैंक खातों को आधार से जोड़ना सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए थे। वर्तमान में, केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के लगभग 86.57% बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.36 पेंशन के भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2018-19 हेतु गृह मंत्रालय के संस्वीकृत बजट में बजट अनुमान 2018-19 में 760 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे संशोधित अनुमान 2018-19 में संशोधित करके 843 करोड़ रुपये कर दिया गया था, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों को जारी निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान हेतु बजट अनुमान 2018-19 में 15 करोड़ रुपये तथा पुनर्विनियोजन के द्वारा अतिरिक्त 17 करोड़ रुपये का प्रावधान था तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्वतंत्रता सेनानी गृह की मरम्मत हेतु प्रतिपूर्ति के लिए बजट अनुमान 2018-19 में 15 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए थे जिसे संशोधित अनुमोन 2018-19 में संशोधित करके 31 लाख रुपये कर दिया गया था।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

13.37 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2019 तक 1,71,631 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को स्वीकृत की गई सम्मान पेंशन का राज्य वार ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15285
2	तेलंगाना	
3	असम	4442
4	बिहार	24902
5	झारखंड	
6	गोवा	1508
7	गुजरात	3599
8	हरियाणा	1689
9	हिमाचल प्रदेश	633
10	जम्मू और कश्मीर	1807
11	कर्नाटक	10100
12	केरल	3418
13	मध्य प्रदेश	3488
14	छत्तीसगढ़	
15	महाराष्ट्र	17964
16	मणिपुर	63
17	मेघालय	86
18	मिजोरम	4
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	4196
21	पंजाब	7041
22	राजस्थान	814
23	तमिलनाडु	4132
24	त्रिपुरा	888
25	उत्तर प्रदेश	18000
26	उत्तराखंड	
27	पश्चिम बंगाल	22523
28	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
29	चंडीगढ़	91
30	दादरा और नगर हवेली	83
31	दमन और दीव	33
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2048
33	पुदुचेरी	320
34	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22468
	कुल	171631

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.38 परम्परा के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने दिनांक 09.08.2018 को राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह–'ऐट होम' आयोजित किया और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और छोटे उपहार से सम्मानित किया गया। देश के विभिन्न भागों से आए 89 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।

दिनांक 09.08.2018 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'ऐट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति

(स्रोतः राष्ट्रपति सचिवालय)

13.39 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसे 40 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हैं जिन्हें केंद्रीय सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है। उपरोक्त 40 आंदोलनों में से दो नवीनतम आंदोलनों यथा हैदराबाद मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन का विवरण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.40 वर्ष 1947-48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों में ढील देकर पात्र बनाया गया था। श्राफ समिति (वर्ष 1985 से 1996 तक) ने 98 सीमा शिविरों की सूची बनाई और लगभग 7,000 मामलों की सिफारिश की। श्राफ समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.41 तदनंतर, दिसम्बर, 1996 में, श्री एन. गिरि प्रसाद की अध्यक्षता में एक अन्य अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी और श्री गिरि प्रसाद की मृत्यु होने के बाद जून, 1997 में सीएच. राजेश्वर राव को अनुवीक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सीएच. राजेश्वर राव समिति (वर्ष 1997 से 1998 तक) ने लगभग 13,500 मामलों की सिफारिश की। जुलाई 2004 में, गृह मंत्रालय ने 18 अतिरिक्त सीमा शिविरों को मान्यता प्रदान की। जनवरी, 2005 में, सरकार ने इस शर्त पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 (वर्ष 1985 में अनुमानित) में वृद्धि करके लगभग 15,000 करने का अनुमोदन प्रदान किया कि, केवल वे ही आवेदक, जिन्होंने दिनांक 15.09.1948 तक अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, पेंशन प्रदान किए जाने के पात्र होंगे। यह शर्त हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन के सभी लंबित मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अपनाई गई है।

13.42 फर्जी दावेदारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों और बाद में महानिदेशक (सतर्कता और प्रवर्तन) द्वारा की गई जांच के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि सीएच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामले पुनर्सत्यापन के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। यह निर्धारित किया गया था कि पहले से स्वीकृत मामलों सहित प्रत्येक मामले की गहराई से पुनः जांच की जाएगी और तत्पश्चात् पुनः जांच के परिणामों की संवीक्षा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी फर्जी दावेदार पेंशन प्राप्त न करे और किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी की अनदेखी न हो। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक मामले में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे दावों की जांच करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें:

क) आवेदक की आयु मार्च, 1947 में (अर्थात् हैदराबाद मुक्ति आंदालेन प्रारंभ होने के समय) 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

ख) आयु का प्रमाण जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय के प्रमाणपत्र अथवा मतदाता पहचान-पत्र, 1995 की अथवा उससे पहले की मतदाता सूची आदि जैसे सरकारी रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए; और

ग) दावे की पुन: जांच/संपुष्टि सीमा शिविर के उस शिविर प्रभारी से जिसने आवेदक के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया था अथवा यदि सीमा शिविर प्रभारी जीवित न हो तो आवेदक के जिले के दो केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों से कराई जाए।

13.43 गृह मंत्रालय ने वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 10.9.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

13.44 राज्य सरकार को दिनांक 13.06.2014 के पत्र सं. 112/71/2012-एफएफ(एचसी) के माध्यम से भी

हिदायतें जारी की गई हैं, जिसमें उन्हें अधिकारियों की समिति, जिसमें राज्य सरकार के सचिव से नीचे के रैंक के अधिकारी नहीं होंगे, के माध्यम से आवेदनों की पुन: जांच एवं संवीक्षा करने का निदेश दिया गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पूर्ववर्ती हैदराबाद विशेष संवीक्षा समिति द्वारा संस्तुत लंबित मामलों की पुन: जांच एवं संवीक्षा दिनांक 10 सितम्बर, 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ाई से की जानी चाहिए, जिसमें मामला-दर-मामला आधार पर स्पष्ट रूप से से उन कारणों को दर्शाया जाना चाहिए कि उनकी पात्रता पर क्यों विचार किया जाए।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.45 गोवा की मुक्ति के आंदोलन के दौरान, जो कि कई वर्षों तक चला, बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पुर्तगाली अधिकारियों के हाथों कड़ी सजा मिली थी। गोवा मुक्ति आंदोलन निम्नानुसार तीन चरणों में फैला था:

चरण-I 1946 से 1953 तक

चरण-II 1954 से 1955 तक

चरण-III 1955 से 1961 तक

13.46 गोवा मुक्ति आंदोलन को पहले से ही एसएसएस योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त थी और आंदोलन के वे प्रतिभागी जो विभिन्न चरणों के दौरान योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते थे और जिनके मामलों में पीड़ा संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध थे, उन्हे भारत सरकार द्वारा पेंशन प्रदान कर दी गई थी। तथापि, चरण-II (1954-55) के दौरान प्रतिभागियों के संबंध में, तत्कालीन पुर्तगाली अधिकारियों की नीति के अनुसार, जत्था नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तथा सत्याग्रहियों (आंदोलन के प्रतिभागियों) को पीटा गया था और गोआ की सीमाओं से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए, उनकी गिरफ्तारी या कारावास का सवाल ही नहीं उठता था। इस प्रकार उनके पास पीड़ा का कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए इस तरह के प्रतिभागियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने गोवा मुक्ति आंदोलन के चरण-II के उन स्वतंत्रता सेनानियों को एसएसएस योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी थी, जिन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.08.2002 से पहले अथवा इस तारीख तक राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई थी।

13.47 गोवा मुक्ति आंदोलन के तीन चरणों में से प्रत्येक में भाग लेने के लिए एसएसएस पेंशन स्वीकृत किए गए स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या निम्नानुसार है -

चरण-I 336

चरण-II 2191

चरण-III 244

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

13.48 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.07.2018 को आयोजित बैठक में "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की सर्वसमावेशी स्कीम के तहत 3182.91 करोड़ रू (सन्निकटित करके 3183 करोड़ रू) के आवंटन के साथ गृह मंत्रालय की मौजूदा आठ योजनाओं को मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी थी।

13.49 निम्नलिखित तीन योजनाओं को एफएफआर प्रभाग द्वारा अभिशासित किया जाता है:

i. भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के बाद वापस आने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा बांग्लादेशी एन्क्लेवों और कूच बिहार जिले का अवसंरचनात्मक उन्नयन।

ii. तमिलनाडु और ओडिशा में शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।

iii. तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को पांच साल के लिए अनुदान।

13.50 निम्नलिखित शेष पाँच योजनाएँ इस मंत्रालय के संबंधित प्रभागों द्वारा अभिशासित हैं:

i. जम्मू एवं कश्मीर में बसे हुए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब के क्षेत्रों के 36,384 विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता (इस मंत्रालय का जम्मू और कश्मीर प्रभाग)

ii. त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रूस के गुजारे के लिए त्रिपुरा सरकार को सहायता-अनुदान-(इस मंत्रालय का एनई प्रभाग)

iii. ब्रू/रियांग परिवारों के त्रिपुरा से मिजोरम में पुनर्वास के लिए मिजोरम सरकार को सहायता-अनुदान-(इस मंत्रालय का एनई प्रभाग)

iv. 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के लिए, प्रति मृतक 5.00 लाख रूपये की बढ़ी हुई राहत-(इस मंत्रालय का यूटी प्रभाग)

v. आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी हिंसा तथा सीमा पार से गोलीबारी और भारतीय जमीन पर माईन/आईईडी विस्फोट के नागरिक पीड़ितों/पीड़ितों के परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता योजना-(इस मंत्रालय का आईएस-II प्रभाग)

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.51 श्रीलंका में जातीय हिंसा और अशांत माहौल के कारण जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए।

13.52 शरणार्थियों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:-

(i) राज्य विहीन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जिन्हें अभी तक श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है; तथा

(ii) श्रीलंकाई नागरिक।

13.53 भारत सरकार का दृष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना है परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी आते हैं, तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा निर्वासन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.54 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि, मार्च, 1995 के पश्चात् कोई संगठित निर्वासन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा खुद ही दूसरे देशों को चले गए हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 60,674 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 107 शरणार्थी शिविरों में और ओडिशा में एक शिविर में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 35,155 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात् शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

13.55 शरणार्थियों के आगमन पर उनका संगरोधन किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के पूर्ण सत्यापन के पश्चात् उन्हें शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। निर्वासन होने तक इन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा-देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1021 करोड़ रूपये (लगभग) की राशि व्यय की गई है।

13.56 भारत सरकार ने वर्ष 1964, 1974 और 1986 के भारत-श्रीलंका समझौतों के अंतर्गत भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को, उनकी प्राकृतिक

वृद्धि सहित, भारतीय नागरिकता प्रदान करने तथा उनका निर्वासन स्वीकार करने की सहमति प्रदान की थी। इन 5.06 लाख व्यक्तियों में से, 1,16,152 परिवारों के 3.35 लाख व्यक्तियों को 1.26 लाख की उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित अक्तूबर, 1964 से दिसम्बर, 2006 तक प्रत्यावर्तित किया गया था। प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रीलंका में अशांत माहौल के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित निर्वासन नहीं हुआ है। तथापि, स्वयं भारत आने वाले कुछ प्रत्यावासियों को तमिलनाडु में विभिन्न स्कीमों के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ) (रेपको), चेन्नई

13.57 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) [अब बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 39)] के तहत वर्ष 1969 में रेपको बैंक की स्थापना एक समिति के रूप में की गई थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी 500.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें से दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी की राशि 155.22 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी में 76.32 करोड़ रु. की राशि का योगदान किया है। चार दक्षिण ी राज्यों, तमिलनाडु (7.13 करोड़ रू.), आन्ध्र प्रदेश (1.04 करोड़ रु.), तेलंगाना (75.45 लाख रु.), कर्नाटक (17.47 लाख रु.) और केरल (61.16 लाख रु.) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। प्रत्यावासियों ने 68.016 करोड़ रु. का योगदान किया है। इसके उप-नियमों के अनुसार, इस समय रेपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2017-18 में 20% की दर से लाभांश के रूप में 15.26 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया है।

जम्मू और कश्मीर में बसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों के एकबारगी पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता का पुनर्वास पैकेज

13.58 भारत सरकार ने वर्ष 2015 में जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री के विकास पैकेज के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में बसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) तथा छम्ब के 36,384 विस्थापित परिवारों के एकबारगी पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है। योजना के अनुसार, इन विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए की धनराशि संवितरित की जा रही है। प्रति परिवार 5,49,692/- रुपए की केंद्रीय सहायता की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे संवितरित की जा रही है और राज्य सरकार प्रति परिवार 308/- रुपए के राज्य के अंशदान को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित करेगी। योजना को जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग द्वारा अभिशासित किया जा रहा है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

13.59 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आर पी एल) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुन: बसाने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि, बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आर पी एल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

तिब्बती शरणार्थी

13.60 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ-साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.61 आप्रवासन ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 1,08,005 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व-रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में है। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर दिनांक 31.03.2019 तक 34.81 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक शेष आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इस योजना के लिए अनुमोदित कुल 28.07 लाख रु. की अनुदान सहायता में से, 19 लाख रु. की धनराशि राज्य सरकार को वर्ष 2014-15 के दौरान जारी की गई थी।

13.62 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

13.63 भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015-16 से शुरू करके वर्ष 2019-20 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए धर्मगुरू दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रू. की अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास और भारत में भूतपूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों एवं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन तथा उन्नयन

13.64 भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय सोलहवीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014-15) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। तदनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले लगभग 1000 व्यक्तियों के अस्थायी एवं स्थायी पुनर्वास की परिवर्तनशील लागत और पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों के साथ-साथ कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए नियत लागत भी शामिल है। भारत सरकार ने 1005.99 करोड़ रू. की लागत से बांग्लादेश में भूतपूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की योजना अनुमोदित की है। इसमें से, दिनांक 31.03.2019 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 604.48 करोड़ रू. की राशि जारी कर दी गई है।

पाक-अधिकृत कश्मीर, 1947 के विस्थापित व्यक्तियों और छम्ब-नियाबात क्षेत्र, 1971 के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों को अनुग्रह भुगतान आदि

13.65 वर्ष 1947 में जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के आलोक में कश्मीर के पाक अधिकृत

क्षेत्र (पी ओ के) से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से पलायन करने वाले वर्ष 1962 तक पंजीकृत 31,619 परिवार जम्मू एवं कश्मीर में बस गए थे। भारत सरकार ने छम्ब-नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों और पाक-अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमशः अप्रैल और अगस्त, 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक दावों का सत्यापन करने के लिए जम्मू के प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं:-

(i) छम्ब-नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान;

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान;

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति कनाल 25,000 रु. की दर से भूमि की कमी के बदले प्रति परिवार अधिकतम 1.5 लाख रूपये नकद मुआवजे का भुगतान;

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले ही बस गए विस्थापित लोगों और जिन्हें विगत में प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं, ऐसे लोगों को प्लाट के आबंटन के लिए दी जाने वाली 2 करोड़ रु. की राशि का भुगतान;

(v) विस्थापित व्यक्तियों की 46 नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रु. का भुगतान।

13.66 अनुग्रह/पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए वास्तविक दावेदारों की जांच करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य शुरु कर दिया है। जांच किए गए और पात्र परिवारों को संवितरित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 6.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के लिए मुआवजे के भुगतान हेतु दिनांक 24.12.2008 को 49 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जारी की थी। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1947 के पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जारी की गई कुल 55.17 करोड़ रु. की सहायता में से 31.44 करोड़ रुपए की राशि 2577 पात्र परिवारों/लाभार्थियों को संवितरित की गई है।

13.67 जहां तक छम्ब-नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, समिति ने प्रति पात्र परिवार को 25,000 रु. की दर से अनुग्रह भुगतान के लिए कुल 1,965 मामलों में से 1,502 मामलों की जांच कर ली है। राज्य सरकार ने 1,230 पात्र लाभार्थियों को प्रति परिवार 25,000 रूपए के अनुग्रह भुगतान का संवितरण किया है।

शत्रु संपत्ति

13.68 वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के मद्देनजर, चीन के नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्ति को अधिकार में लेने के उद्देश्य से भारत में चीनी परिसम्पत्तियों का प्रभार लेने के लिए अभिरक्षक को कहा गया था। इसके बाद वर्ष 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ने के साथ, वर्ष 1977 तक उन नागरिकों/निवासियों की चल और अचल संपत्तियों को अधिकार में लेना जारी रहा। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के अधिकार में रखी गई उन शत्रु संपत्तियों को आगे भी अधिकार में रखने का प्रावधान बनाने के उद्देश्य से 20.08.1968 को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1962 और उसके तहत जुड़े हुए संबंधित मामलों के अंतर्गत शत्रु

संपत्ति अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में वर्ष 2017 में और संशोधन किया गया था। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय (सीईपीआई) शत्रु संपत्ति (संशोधन तथा प्रमाणन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के तहत कार्य करता है।

13.69 भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के कार्यालय के साथ शत्रु संपत्ति विषय को दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना संख्या 1/22/4/2007-कैब के मार्फत वाणिज्य मंत्रालय से गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, जिसका मुख्यालय अब दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में स्थित तीन (3) शाखा कार्यालयों के साथ काम कर रहा है।

13.70 पिछले वर्षों के दौरान भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने बड़ी संख्या में शत्रु नागरिकों/फर्मों से संबंधित संपत्तियों को अपने अधिकार में लिया है। इन संपत्तियों को चल शत्रु संपत्ति यथा शेयरों, सोने/आभूषणों तथा उनसे होने वाली आय तथा अचल शत्रु संपत्ति यथा जमीन, घर, तालाबों, दुकानों और इमारतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दिनांक 30.09.2018 के अनुसार, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 123 जिलों में फैली 1,00,000 करोड़ रू से अधिक मूल्य की 9406 शत्रु संपत्तियां भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के अधिकार में हैं। अभिरक्षक के अधिकार में रखी गई चल संपत्तियों/परिसंपत्तियों का मूल्य तथा उनसे होने वाली आय निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष (शत्रु संपत्ति का मूल्य) [2018-2019]	टिप्पणी
1	शेयर	लगभग 3000 करोड़ रु. [कुल शेयरों में से 176 कंपनियों के शेयर निपटान के लिये डीआईपीएएम को हस्तांतरित किए गए हैं]	दिनांक 5.09.2018 के अनुसार मूल्य
2	निवेश	146.55 करोड़ रु.	सीएफआई को हस्तांतरित
3	सोने तथा चांदी के आभूषण	0.38 करोड़ रु.	दिनांक 31.12.2009 के अनुसार मूल्य

13.71 बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक में पड़ी सभी सावधी जमा/प्रतिभूति के परिसमापन और उसे भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, प्रक्रिया आरंभ की गई है और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 146.55 करोड़ रुपये की राशि सीएफआई में जमा कराई गई है।

13.72 सीईपीआई के शेयरों के निपटान के लिए, केंद्र सरकार ने समय-समय पर यथासंशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8क की उपधारा 7 के प्रावधान के तहत शेयरों के परिसमापन के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को अधिकृत किया है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 08.11.2018 को इन शेयरों के परिसमापन के लिए डीआईपीएएम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शत्रु शेयरों के निपटान के लिए दिनांक 18.02.2019 को 'शत्रु शेयरों को बेचने के लिए प्रक्रिया और तंत्र आदेश, 2019' अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, 176 कंपनियों के शत्रु शेयरों को निपटान के लिए हस्तांतरित किया गया है।

13.73 संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति का हस्तांतरण (अभिरक्षक के पास शत्रु संपत्ति के रूप में रखी गई) आदेश, 2018 सहित शत्रु संपत्ति (संशोधन) नियम, 2018 और शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए दिशानिर्देश आदेश, 2018 को दिनांक 21.03.2018 को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 21.03.2018 के आदेश को और संशोधित किया गया है।

13.74 पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय में शत्रु संपत्ति संबंधी कार्य देख रहे अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

13.75 अचल शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नवीनतम सर्वेक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है। प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए उपर्युक्त मामले पर समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। मंत्रालय नोडल अधिकारी और संबंधित डीएम/डीसी के माध्यम से राज्यों के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है।

13.76 अधिकार में रखी गई शत्रु संपत्तियों की कड़ी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की वेबसाइट लगभग तैयार है तथा इसे शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। प्रभावी प्रबंधन के लिए, शत्रु संपत्ति सूचना प्रणाली भी विकसित की जा रही है।

*****

अध्याय - 14

महिला सुरक्षा

14.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 48% महिला जनसंख्या है। यद्यपि सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं, फिर भी, पिछले वर्ष की प्रारंभिक अवधि में देश के विभिन्न भागों में बलात्कार और यौन हमलों की कुछ जघन्य घटनाओं से नाबालिक लड़कियों के प्रति निर्दयता और हिंसा में वृद्धि देखी गई है। इन घटनाओं ने देश की अंतर-आत्मा को झकझोर दिया। सरकार ने विधिक ढांचे की समीक्षा करके इस पर तेजी से प्रतिक्रिया की और प्रभावशाली विधिक निवारण की आवश्यकता को महसूस करते हुए, सरकार ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया है। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड; दो महिनों में जांच को पूरा करने की अनिवार्यता और इसी समयावधि के दौरान सुनवाई पूरी किए जाने सहित अधिक कठोर दांडिक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

14.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून में नये संशोधन जमीनी स्तर पर प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित हो और देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ बनाने और पूर्ण रूप से न्याय के शीघ्र और प्रभावशाली प्रशासन तथा साथ ही, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के माध्यम से उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए गृह मंत्रालय में एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है। यह नया प्रभाग नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों के साथ-साथ दांडिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग, अपराध और आपराधिक रिकॉर्डों की अत्यधिक ऑनलाइन पहुंच, जो जांच और अपराध निवारण के संबंध में विश्लेषण को सुगम बनायेगी और न्यायालयिक विज्ञान के लिए एक सहायक ईको-प्रणाली तैयार करेगी, इत्यादि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता हेतु परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, यह प्रभाग कारागार सुधार और इससे संबंधित विषयों के लिए भी उत्तरदायी है।

14.3 यह प्रभाग निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेवार है:

(i) देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय में अपनाई जा रही योजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन (आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली, सुरक्षित शहर परियोजना आदि);

(ii) आपराधिक न्याय की प्रदायगी में क्षमता संवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली-सीसीटीएनएस, अंतर-प्रचालित आपराधिक न्याय प्रणाली- आईसीजेएस, यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली-आईटीएसएसओ, यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस-एनडीएसओ आदि);

(iii) न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इसकी मान्यता प्राप्त केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र और विधि विज्ञान संस्थान से संबंधित सभी मामलों तथा सीबीआई की राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित प्रशासनिक और वित्तीय मामलें;

(iv) अपराध सांख्यिकी;

(v) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित सभी मामले;

(vi) महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, वृद्ध व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों के प्रति अपराध परन्तु अल्पसंख्यकों

के प्रति अपराध को छोड़कर;

(vii) व्यक्तियों के दुर्व्यापार और प्रवासियों की तस्करी से संबंधित सभी मामलों; और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर निपटाए जाने वाले वैधानिक, पुनर्वास, कल्याण और अन्य प्रोत्साहन पहलुओं को छोड़कर राष्ट्रपारीय संगठित अपराध के प्रति संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी) के दो नयाचार नामतः 'व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों में दुर्व्यापार के निवारण, दमन और दंड संबंधी नयाचार' तथा 'भूमि, समुद्री और हवाई मार्गों से प्रवासियों की तस्करी के प्रति नयाचार;

(viii) कारागार सुधार से संबंधित सभी मामलों, सुधारात्मक प्रशासन, कारागार/कैदियों से संबंधित विधान, दोषसिद्ध और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान संबंधी विधान, कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003, सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी समझौते और उससे संबंधित मामले;

(ix) कारागार अधिनियम, 1919

वित वर्ष 2018-19 में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) दिनांक 20.09.2018 को यौन अपराधियों के संबंध में ऑनलाइन राष्ट्रीय डाटाबेस शुरू करना। यह डाटाबेस विशेष रूप से देश की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयोग हेतु उपलब्ध है।

(ii) दिनांक 20.09.2018 को महिलाओं और बच्चों के प्रति अश्लील सामग्री के संबंध में साइबर-अपराध सूचना पोर्टल शुरू करना।

(iii) बलात्कार से संबंधित मामलों में जांचों की समयोपरि निगरानी हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिनांक 19.02.2019 को यौन अपराधियों के संबंध में जांच ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करना, जैसा कि दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत शासनादेश है।

(iv) निर्भया कोष योजना के एक भाग के रूप में आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली के तहत सिंगल पैन-इंडिया 112 आपातकालीन नं. शुरू करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना। यह प्रणाली वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित की गई है।

(v) निर्भया कोष योजना के एक भाग के रूप में आठ महानगरों/बड़े शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाओं का अनुमोदन करना। इस परियोजना को शुरू करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए सभी 8 परियोजनाओं में निधियों के केंद्रीय अंश की कुल 733.92 करोड़ रु. की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

(vi) सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए दिनांक 19.02.2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सुरक्षित शहर कार्यान्वयन पोर्टल (एससीआईएम) शुरू करना।

(vii) यौन हमले के मामलों में न्यायालयिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और हस्तांतरण के लिए मानक प्रक्रियाएं दिनांक 25.07.2018 को अधिसूचित की गई और पुलिस तथा चिकित्सा कर्मियों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की शुरूआत करना।

(viii) निर्भया कोष स्कीम के भाग के रूप में 131.09 करोड़ रु. की कुल लागत से 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फॉरेंसिक और संबद्ध न्यायालयिक विज्ञान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करना। निधियों की कुल 64.46 करोड़ रु. की पहली किस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दी गई है।

देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जो महिला सुरक्षा प्रभाग द्वारा शासनादेश के तहत चलाई जा रही हैं, के ब्योरे नीचे दिए गए हैं।

अंतर-परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) तथा अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)

14.4 अपराधों और अपराधियों से संबंधित सूचना की उपलब्धता अपराधिक जांच में समयबद्धता और क्षमता के लिए न केवल एक योगदान देने वाला कारक है अपितु, यह अपराध निवारण के संबंध में अपराध विश्लेषण, अनुसंधान और नीति-निर्माण के उद्देश्य से इस डाटाबेस के उपयोग में भी सहायक है। राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों और अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र करने और इसके आदान-प्रदान हेतु एक साझा प्लेटफार्म के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस की सहायता करने के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2004 में शुरू की गई कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सीआईपीए) परियोजना के विस्तार के रूप में वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया। जहां सीआईपीए पुलिस स्टेशनों में एकल आधार पर डाटा के कंप्यूटरराइजेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वहीं, सीसीटीएनएस एक कदम आगे बढ़ गई और साझा प्लेटफार्म पर अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के संग्रहण और आदान-प्रदान के लिए सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस के उच्चतर कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए इसकी मांग की गई। इस परियोजना को 2000 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हार्डवेयर, सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

14.5 सीसीटीएनएस परियोजना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- अपराध और अपराधिक डाटा का एकल संग्रह तैयार करना।
- जांचकर्ता को सशक्त बनाने के लिए उसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक एवं पैरामिट्रीकृत अनुसंधान के विकल्प प्रदान करना तथा अपराध का पता लगाने और समाधान करने में सुधार करना।
- नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस शिकायतें दर्ज करने और पूर्ववृत्त के सत्यापन संबंधी अनुरोध आदि जैसी पुलिस सेवाओं की सुगम डिजिटल पहुंच प्रदान करना।
- नीति के बारे में सूचित करना और समय पर अपराध प्रवृत्तियों और अपराधिक रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर निगरानी करना।

14.6 सीसीटीएनएस के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) और अनुवर्ती जिला समन्वय केंद्र (डीसीसी) स्थापित किए गए हैं। उल्लिखित उद्देश्यों के बड़े भाग की प्राप्ति के पश्चात, वर्तमान में यह परियोजना परिचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में है, जो दिनांक 31.03.2022 तक वैध है। सीसीटीएनएस का कार्यान्वयन एनसीआरबी द्वारा किया जा रहा है।

14.7 इसी बीच, वर्ष 2015 से सीसीटीएनएस परियोजना का दायरा अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने से बढ़कर न्याय प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कारागारों, न्यायालयों, अभियोजन, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस और अंगुलीछाप से आंकड़े समेकित करके एक अंतर-परिचालनात्मक दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना करने तक विस्तारित हो गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने आईसीजेएस प्रणाली के लिए एक डेसबोर्ड तैयार किया है जिसमें विषय-वस्तु की स्वतंत्र छानबीन करने की सुविधा तथा पुलिस, कारागार अभियोजन, फॉरेंसिक और न्यायालय डाटाबेस में किसी आरोपी की खोज करने की क्षमता मौजूद है। वर्तमान में आईसीजेएस सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है। यह न्याय प्रदायगी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा स्मार्ट पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए न्याय के सभी स्तभों के एकीकरण को सुगम बनाती है।

14.8 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नागरिक केंद्रीत पुलिस सेवाएं प्रदान करके अपने राज्य नागरिक पोर्टल भी शुरू किए हैं जो सीसीटीएनएस और आईसीजेएस

से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में राज्य नागरिक पोर्टल में नौ शासनादेशित महत्वपूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इसमें शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतों की स्थिति के बारे में जानना, एफआईआर, गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों के ब्योरे, शिकायतों की प्रतियां प्राप्त करना, सम्पत्ति की चोरी की सूचना देना, लापता व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों को जानना एवं उनकी सूचना देना और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्रों के जारी/नवीनीकरण संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है। इन शासनादेशित सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण पीड़ितों अथवा दर्शको में से सहायता करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा समान रूप से आनलाईन शिकायत किये जाने की व्यवस्था है। रोजगार पूर्व सत्यापन के लिए अनुरोध करने के लिए नागरिक भी राज्य नागरिक पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते है।

दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त नागरिक सेवाएं जिन्हें एनसीआरबी द्वारा अक्टूबर, 2018 में जारी 'सीसीटीएनएस के अच्छे कार्यों का सार-संग्रह' में अच्छे कार्य के रूप में पहचान मिली

वित्त वर्ष 2018-19 में उपलब्धियां

14.9 सीसीटीएनएस ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों में अपनी पहुंच, कनेक्टिविटी और प्रयोग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। राज्यों को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। परियोजना के प्रयोग में प्रगति[1] को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि/अभियानों का क्षेत्र	स्थिति (दिनांक 31.03.2018 के अनुसार)	उपलब्धियां (दिनांक 31.03.2019 के अनुसार)
1.	कुल पुलिस स्टेशन	15609	15824
2.	पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस शुरू करना	14630	14841
3.	पुलिस स्टेशनों में क्नेक्टिविटी	14408	15045

[1]एनसीआरबी द्वारा नियमित निगरानी करने के लिए संकलित आंकड़े।

4.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जहां एनडीसी के साथ एसडीसी जुड़ी हुई है	33	34
5.	सीएएस स्टेट एप्लीकेशन में एफआईआर 100% दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या	13547	14788
6.	सीसीटीएनएस में पंजीकृत एफआईआर की संख्या	1.90 करोड़	2.69 करोड़
7.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जहां सभी 9 नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं	22	33
8.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जिन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल शुरू किया है	34	35
9.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टल से प्राप्त अनुरोधों की संख्या	64.69 लाख	3.05 करोड़

14.10 विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में, शीघ्र पहचान और कठोर सजा की निश्चितता को एक व्यवहार्य निवारण के रूप में कार्य करते हुए देखा गया है। सीसीटीएनएस परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों से न केवल पीड़ित व्यक्तियों को अपने घरों से ऑनलाइन शिकायतें (न कि, एफआईआर) पंजीकृत करने में सहायता मिलती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप सक्षम जांच अधिकारी सूचना तथा मानक पुलिस प्रक्रियाओं के द्वारा मामलों में शीघ्र पहचान और समयोपरि अभियोजन कर पाते है जिस कारण, यह महिलाओं की सुरक्षा और बचाव को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

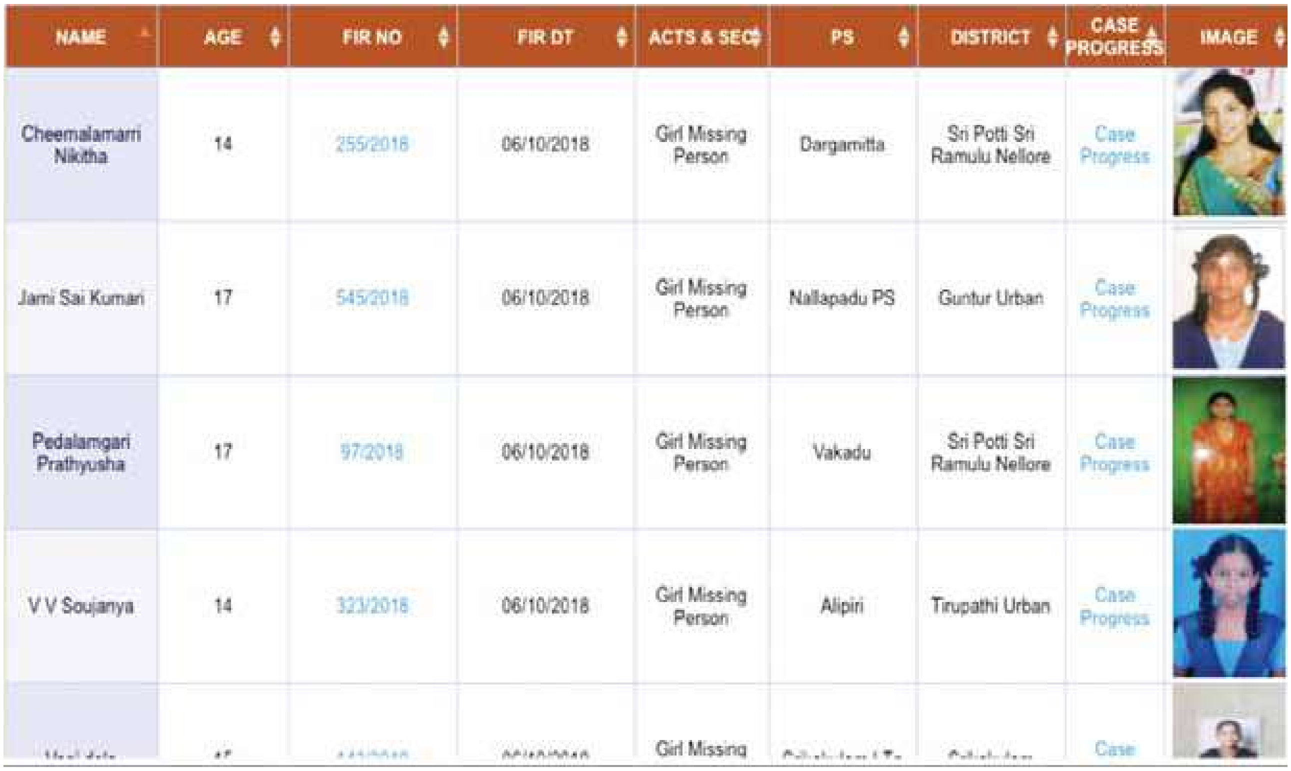

NAME	AGE	FIR NO	FIR DT	ACTS & SEC	PS	DISTRICT	CASE PROGRESS	IMAGE
Cheemalamarri Nikitha	14	255/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Dargamitta	Sri Potti Sri Ramulu Nellore	Case Progress	
Jami Sai Kumari	17	545/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Nallapadu PS	Guntur Urban	Case Progress	
Pedalamgari Prathyusha	17	97/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Vakadu	Sri Potti Sri Ramulu Nellore	Case Progress	
V V Soujanya	14	323/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Alipiri	Tirupathi Urban	Case Progress	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Girl Missing	[illegible]	[illegible]	Case	

आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा यथा प्रयुक्त लापता व्यक्तियों (लड़कियों) संबंधी सीसीटीएनएस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार के साधन तेलंगाना में भी प्रयोग की जा रहे हैं।

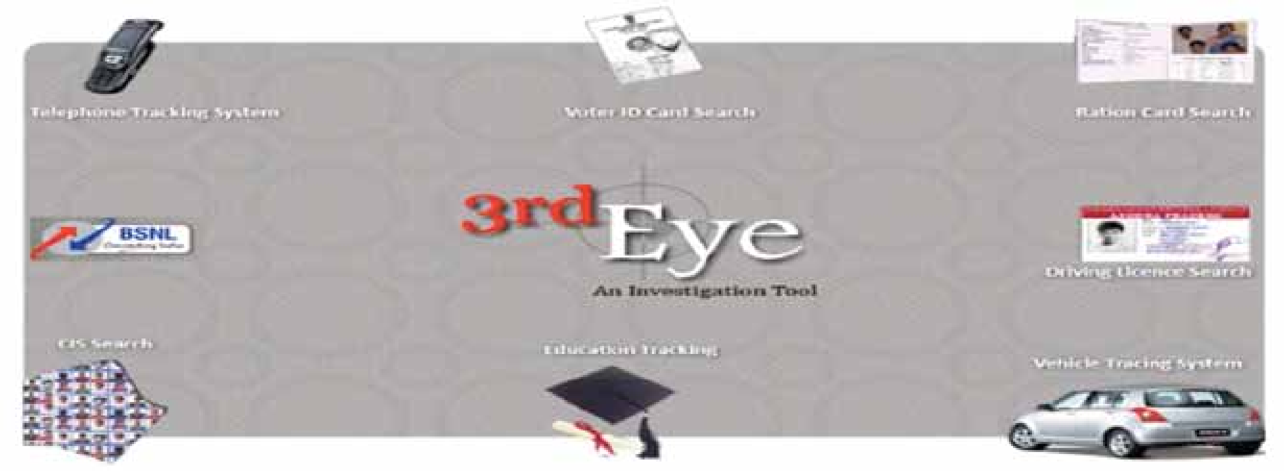

सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना पुलिस द्वारा विकसित विशेष जांच उपकरण

सीसीटीएनएस के अच्छे कार्य

मदुरै जिले में, एक महिला के शव का एक लापता व्यक्ति के साथ मिलान किया गया, जिसकी रिपोर्ट सीसीटीएनएस का प्रयोग करके तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में दर्ज की गई थी। पहचान के बाद, अवैध संबंध के बारे में पता चला, जिसके परिणामस्वरूप मामला सुलझ गया। यह घटना दिनांक 12.07.2018 (जब लापता व्यक्ति की सूचना दी गई) और 17.07.2018 (जब पहचान की गई) के बीच घटित हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा पहचान किए गए ऐसे 90 से अधिक अच्छे कार्य हैं और इन्हें दिनांक 29.10.2018 और 30.10.2018 को आयोजित कार्यशाला में एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार सीसीटीएनएस अपराधों का निपटान करने में पुलिस के तरीके में बदलाव कर रहा है।

Particulars	Missing Person	Unidentified Dead Body
Date of Match : 17.07.2018		
District	Tirunelveli District	Madurai District
Police Station	Koodankulam PS	Kottampatti PS
Cr.No.& Sec	208/2018 u/s Women missing	295/2018 u/s 302, 379 IPC
Date: Missing from, Body Found	09.07.2018	10.07.2018
Matching particulars (Dress, Hair, I.D. Marks, etc)	Face cut , physical features and date	

तिरुनेलवेली जिले में लापता व्यक्ति का मामला, जिसे एनसीआरबी द्वारा अक्टूबर, 2018 में 'सीसीटीएनएस के अच्छे कार्यों के सार-संग्रह' में अच्छे कार्य के रूप में प्रकाशित किया गया

14.11 देश भर के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईसीजेएस के माध्यम से एक बहु-आयामी एवं पैरामीटर आधारित आधुनिक जांच सुविधा और एमआईएस रिपोर्ट सुविधा परिचालित की गई है।

यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस

14.12 आईसीजेएस प्लेटफार्म को अधिक सक्षम बनाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिनांक 20.09.2018 को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ज्ञात और अभ्यस्त यौन अपराधियों की पहचान के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा रोकने पर सकारात्मक प्रभाव डालना और उनमें कमी लाना है। एनडीएसओ

सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध है और यह यौन अपराधों के मामले में व्यक्तियों के पूर्ववर्ती सत्यापन तथा शीघ्र पहचान को सक्षम बनाता है।

यौन अपराधियों संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)

14.13 दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच को दो माह के भीतर पूरा करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में जांच पूरा करने का पता लगाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 19 फरवरी, 2019 को आईसीजेएस के अंतर्गत यौन अपराधियों संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पोर्टल शुरू किया गया है। आईटीएसएसओ एक क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक पोर्टल है जो राष्ट्रीय स्तर से एफआईआर स्तर तक ड्रिल-डाउन सुविधा के साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। इसका प्रयोग पुराने मामलों के संबंध में रिपोर्टें तथा डेसबोर्ड तैयार करने के लिए किया जा सकता है और इसमें न्याय निर्णय को गति प्रदान करने के लिए जिला तथा पुलिस स्टेशन स्तर पर विलम्ब को निर्धारित करने की क्षमता विद्यमान है।

14.14 इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने आईसीजेएस में प्रौद्योगिकीय क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नई पहलें अभिज्ञात की हैं जैसेकि, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) और स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली (एएफआरएस) की स्थापना; अपराध और अपराधिक डाटाबेस का परिवहन विभाग, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट आदि के अन्य बड़े डाटाबेस प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण तथा जांचकर्ता और पुलिस के निर्णय संबंधी पदक्रम को सशक्त बनाने के लिए भविष्यसूचक डाटा विश्लेषण हेतु कृत्रिम आसूचना का प्रयोग इत्यादि।

आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना

14.15 विशेषतौर पर सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेषतौर पर आपात कार्रवाई सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के संबंध में प्रौद्योगिकी के सक्रिय प्रयोग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत 321.69 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय से आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) नामक एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय) ने देश में 112 को आपातकालीन नं. के रूप में अधिसूचित किया है। ईआरएसएस का अधिदेश ऐसा परिचालानात्मक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को 112 आपातकालीन नं. से जोड़ने में सहायता करेगा। इस परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- डायल 100, 108 आदि जैसे सभी मौजूदा नम्बरों को एकीकृत करके एक सुगम तथा मानक 'एकल आपात कार्रवाई नम्बर-112' प्रदान करना।
- वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, मोबाइल फोन में पैनिक बटन, लोक परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों आदि सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे की क्षमता प्रदान करना।
- घटना के स्थान पर निम्नलिखित ढंग से क्षेत्रीय संसाधनों (पुलिस, एम्बुलेंस आदि) को पहुंचाने के लिए चौबीस घंटे वाली प्रणाली प्रदान करना:

o संकटग्रस्त व्यक्ति के स्थान की पहचान।

o संकट की तीव्रता को कम करने अथवा इसे रोकने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रीय संसाधनों (एक अथवा अधिक जीपीएस आधारित आपात कार्रवाई

वाहन) को कम्प्यूटर की सहायता से समय पर पहुंचाना।

- पैन-इंडिया फुटप्रिंट के साथ मोबाइल एप आदि जैसी मानकीकृत, आसान प्रौद्योगिकी वाली सामग्री प्रदान करना।
- अन्य आपात प्रणालियों के साथ एकीकरण।

14.16 ईआरएसएस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 112 परिचालित करने अथवा 112 के साथ मौजूदा प्रणालियों को एकीकृत करने, आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा जीपीएस आधारित मोबाइल डिवाइस टर्मिनल (एमडीटी) से सुसज्जित समर्थ आपात कार्रवाई (ईआर) वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 112 पर आधारित आपातकालीन ऑपरेशन शुरू किये जा सके।

14.17 कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने कम्प्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन (सीटीआई), ऑटोमैटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन (एसीडी), कम्प्यूटर एडिट डिस्पेच (सीएडी) और केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट (सीआरएम) से युक्त एक कॉन्टेक्ट सेंटर सॉल्यूशन स्टेक विकसित तथा लागू करने के लिए सी-डैक को एक समग्र सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, सी-डैक ने एक '112 एसओएस मोबाइल ऐप' तैयार किया है, जिसमें स्थान संबंधी सूचना के साथ संकट के संकेत लगातार भेजने (गतिशील डिवाइज का पता लगाने के लिए), स्वयंसेवकों के लिए पुकार की सुविधा और अपेक्षित बैक-एंड सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाऐं निहित है।

वित्त वर्ष 2018-19 में उपलब्धियां

14.18 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईआरएसएस शुरू की गई। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईआरएसएस चलाई जा रही है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल जिले
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर (यू), गुंटूर (आर), कर्नूल
2.	छत्तीसगढ	रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनंदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चंपा, सरगुजा, बस्तर
3.	गुजरात	अरावली, बोटाद, छोटा उदेपुर, देवभूमि-द्वारका, गिर सोमनाथ, महिसागर, मोरबी
4.	हिमाचल प्रदेश	सभी जिले
5.	जम्मू और कश्मीर	सभी जिले
6.	केरल	तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोच्चि, त्रिस्सुर, कोझिकोड
7.	महाराष्ट्र	मुंबई शहर
8.	मध्य प्रदेश	सभी जिले
9.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग
10.	पंजाब	सभी जिले
11.	राजस्थान	सभी जिले
12.	तमिलनाडु	सभी जिले
13.	तेलंगाना	सभी जिले
14.	उत्तर प्रदेश	सभी जिले
15.	उत्तराखंड	सभी जिले
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
17.	दमन और दीव	सभी जिले
18.	दादरा नगर हवेली	सभी जिले
19.	लक्षद्वीप	सभी जिले
20.	पुदुचेरी	सभी जिले

केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री जय राम ठाकुर, मंडी, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 28.11.2018 को ईआरएसएस 112 की शुरूआत करते हुए

(स्रोतः हिमाचल प्रदेश पुलिस)

112 इंडिया मोबाइल एप का स्क्रीनशॉट, जिसमें होम स्क्रीन और आपात सिग्नल डिस्पैच स्क्रीन दिखाया गया है।

सुरक्षित शहर परियोजना

14.19 सरकार महिला-उन्मुखी विकास पर जोर दे रही है। इसे सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों और आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर आजीविका के वृहत अवसर प्रदान करने वाले बड़े महानगरों में, महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए उनमें सुरक्षा एवं विश्वास की भावना सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 8 बड़े शहरों यथा अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुम्बई में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की है। अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण करने सहित शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संपदा के विकास को दृष्टिगत रखते हुए और महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संवेदनशील स्थानों की पहचान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है। इन परियोजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को निर्भया फंड स्कीम के अंतर्गत कुल 2,919.55 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

14.20 सुरक्षित शहर परियोजनाएं तैयार करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), संबंधित शहरों के नगरपालिका एवं पुलिस आयुक्तों तथा इस उद्देश्य से जुड़े नागरिक सामाजिक संगठनों से परामर्श किया है। इन परियोजनाओं में शहर एवं इसके समुदायों के लिए प्रासंगिक मिश्रित समाधान शामिल हैं। सुरक्षित शहर परियोजना की पहल के अंतर्गत विकसित/समर्थित की जा रही कुछ संपदाओं में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- शहर के बुनियादी ढांचे में चल और अचल परिसम्पत्तियों सहित एकीकृत दृष्टिकोण जैसे कि अपराध वाले संवेदनशील स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईसी) से जुड़ी मैपिंग करना, स्थानों में अंधेरा हटाने के लिए स्मार्ट एलईडी से सड़क प्रकाश व्यवस्था करना, ऑटोमेटिड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ऐएनपीआर) कैमरों की क्षमता से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर उन्हें कमांड/कंट्रोल सेंटर से जोड़ना, शौचालय बनाने सहित अपराध के संवेदनशील स्थलों में सुरक्षित जोन कलेक्टर का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों में पैनिक बटन लगाने, अन्य के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रांजिट शयनागार इत्यादि। विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों का समाधान करने और योजनाओं को समेकित करने के लिए भी कुछ संपदाओं को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में शामिल किया गया है।

- महत्वपूर्ण मानव संसाधन की संपदा, जैसे कि एसएचई टीम के समान सर्व महिला गश्ती दल का विकास एवं उनकी तैनाती, अहमदाबाद में अभायाम वैन के समान फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल के लिए टीम, सर्व महिला पुलिस स्टेशनों का विकास और उन्हें संसाधन युक्त बनाना, सुलभता एवं सहानुभूति के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला काउंसलर की तैनाती। हैदराबाद के सफल भरोसा मॉडल के आधार पर अन्य शहरों में ऐसे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना को समर्थन दिया जा रहा है। कुछ शहरों में जांच के बेहतर संसाधनों यथा फॉरेंसिक एवं साइबर क्राइम सेल को भी शामिल किया गया है।

- क्रिटिकल सॉफ्ट संपदाये जैसे कि यौन संवेदीकरण जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता अभियान और क्षमता निर्माण तथा कुछ शहरों में समुदाय और नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग में अन्य सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 में उपलब्धियां

14.21 गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष में 733.92 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं में उप-परियोजना घटकों के क्रियान्वयन को रिकॉर्ड करने एवं इसकी समीक्षा करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल का भी विकास कर उसको शुरू किया है। यह ऑनलाइन मॉडल, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

14.22 डीएनए विश्लेषण अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली समय परीक्षित वैज्ञानिक फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों में से एक है तथा यह यौन अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में अत्यधिक प्रासंगिक है। जांच कार्यों में अधिकाधिक कार्यकुशलता को सुविधाजनक बनाने और यौन अपराधों के मामलों में अधिकाधिक दोष सिद्धि हासिल करने की रणनीति के भाग के रूप में सरकार ने न केवल अपनी केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया है, बल्कि मिशन मोड़ के रूप में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं के

क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रही है।

14.23 गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि स्कीम के भाग के रूप में परियोजना के चरण-1 में 131.09 करोड़ रुपए की कुल लागत से 13 राज्यों में डीएनए विश्लेषण वाली साइबर फॉरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। मामलों के लंबित रहने की अवधि के आधार पर राज्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। निम्नलिखित स्थानों में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है।

क. तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरै

ख. उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ

ग. महाराष्ट्र में मुंबई

घ. कोलकाता, पश्चिम बंगाल

ङ. सागर, मध्य प्रदेश

च. शिमला और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

छ. मोहाली, पंजाब

ज. श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

झ. अगरतला, त्रिपुरा

ञ. पांगी, मणिपुर

ट. आइजोल, मिजोरम

ठ. जयपुर, राजस्थान

ड. दिल्ली

14.24 इस सहायता से राज्य नवीनतम विकसित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे तथा अपनी अवसंरचना का विकास कर सकेंगे। अनुमोदित परियोजना के तहत जिन मदों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में जोड़ा जाना है, वह राज्यों द्वारा स्वयं अंतर-विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात की गई हैं और इसमें एकत्र नमूनों से डीएनए को अलग करने के लिए ऑटोक्लेव एवं ऑटोमेटिड डीएनए एक्सट्रैकर सिस्टम, डीएनए सीक्वेंसर, सेंट्रफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर, जांच के दौरान पहचान को सुविधाजनक बनाने और नमूनों का एकत्र साक्ष्य के साथ मिलान करने के लिए जेनेटिक विश्लेषक उपकरण इत्यादि शामिल हैं। यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अपराध के विश्लेषण हेतु परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

ई-कारावास परियोजना

14.25 गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ई-कारावास सूट शुरू किए हैं। ई-कारावास परियोजना का उद्देश्य देश की सभी जेलों के कार्यकरण को कंप्यूटरीकृत बनाना है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म में कैदी के डाटा (दोष सिद्धि, विचाराधीन कैदी, बंदी आदि) का डिजिटिलाईजेशन और उनकी उपलब्धता शामिल है, जो कि केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी नामित प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य जेल के कार्यों के संचालन के लिए एंड-टू-एंड आईटी समाधान विकसित करना है। ई-कारावास सूट कैदियों का उनकी पहचान, गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के साथ कम्प्यूटरीकृत उच्च स्तरीय सूचना डेटाबेस तैयार करने में उपयोगी है। यह एक कलाउड आधारित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, जो कैदियों के लिए सूचना और सेवा प्रदान करने हेतु परस्पर प्रभाव वाला एक पोर्टल है। यह पोर्टल तुरंत सूचना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। यह पोर्टल कैदियों के अपराध और अपराधिक इतिहास के बारे में एकीकृत आंकड़े की उपलब्धता भी प्रदान करता है।

14.26 केंद्र सरकार परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई.टी. हार्डवेयर,

सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकास, कस्टमाईजेशन, कनेक्टिविटी बनाने और तकनीकी सहायता के लिए सहायता प्रदान कर रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तीन वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ई-कारावास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 100.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। दिनांक 31.03.2019 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 66.00 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

14.27 केंद्रीय ई-कारावास परियोजना के कार्यान्वयन के साथ ही ई-कारावास सूट आज की तारीख में 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के 1038 कारावासों से आंकड़ा प्राप्त कर रहा है। कारावास, ई-कारावास सूट में कैदियों की परिसंपत्तियों के आंकड़ों की भी प्रविष्ट कर रहे हैं, जिससे यौन-अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस मजबूत हो रहा है, जो कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहज रूप से उपलब्ध है और इससे देश में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यौन अपराधों के मामलों का प्रभावी तरीके से पता लगाने और उनकी जांच करने में सहायता मिलेगी। आज तक, ई-कारावास सूट में 78 लाख कैदियों का रिकॉर्ड प्रविष्ट किया जा चुका है। लगभग दो करोड़ लोगों ने कैदी साथियों से मिलने के लिए कारावास दौरा बुक करने के लिए ई-कारावास सूट की सेवाओं का उपयोग किया है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और गति आई है।

*****

अध्याय - 15

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एवं सीसीआई)

15.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह कार्यालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(i) मकानों तथा जनसंख्या की गणना: भारत के जनगणना आयुक्त एक ऐसे सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ओआरजी एण्ड सीसीआई पर फील्ड संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय, पर्यवेक्षण; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार का उत्तरदायित्व है।

(ii) सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस): जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, जिसमें जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है, के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है। इस भूमिका में, वह देश के 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करता है।

(iii) सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस): अर्द्धवार्षिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का वृहद सैम्पल सर्वे अर्थात सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी ओआरजी एण्ड सीसीआई का है। एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म-दर, मृत्यु-दर, शिशु मृत्यु-दर तथा मातृ मृत्यु-दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(iv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर): भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना) नियमावली, 2003 के अंतर्गत महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण (आरजीसीआर) के सांविधिक कार्य का भी निर्वहन करते हैं। भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करने की दिशा में उपर्युक्त संविधि के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पहला कदम है।

(v) मातृभाषा सर्वेक्षण: जनगणना 2001 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं के सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

जनसंख्या की जनगणना

15.2 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। पिछली जनगणना 2011 में करवाई गई थी। अगली दशकीय जनगणना 2021 में करवाई जानी है जो कि 1872 से सतत क्रम में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 8वीं जनगणना है।

15.3 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है जोकि जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाती है। जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों, अर्थात (i) मकानसूचीकरण और मकानों की

गणना तथा (ii) जनसंख्या की गणना, में किये जाते हैं। जनसंख्या की गणना से 6 से 10 माह पूर्व होने वाले मकानसूचीकरण और मकानों की गणना से गणना के लिए स्पष्ट ढांचा प्राप्त होने के अलावा आवासों की स्थिति, परिवारों के पास सुविधाओं और परिसंपत्तियों की उपलब्धता के संबंध में अत्यंत उपयोगी आंकड़े प्राप्त होते हैं। जनसंख्या की गणना के दूसरे चरण में वैयक्तिक स्तर की जानकारी एकत्र की जाती है ताकि देश की जनसांखयिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रवास और प्रजननता तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों संबंधी अनेक प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

15.4 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर प्रसंस्करण करना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों का शीघ्रता से प्रसंस्करण और संकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों-प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया। हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों का एकत्रण शत-प्रतिशत था लेकिन 1991 तक कुछ मानकों के संबंध में इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5% से 45% तक परिवर्तनशील रहा। आप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/आप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/ इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के आविष्कार के पश्चात, 2001 की जनगणना के समय पहली बार इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए तथा पूर्ववर्ती जनगणनाओं, जिनमें रिपोर्टें जारी करने में 8-11 वर्ष तक का समय लग जाता था, की तुलना में 4-5 वर्षों की अवधि के भीतर रिपोर्टें जारी कर दी गईं। जनगणना 2011 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने अपने लिए अत्यधिक उच्चस्तरीय मानदंड निर्धारित किया था। इसका उद्देश्य जनगणना परिणामों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक जारी किए जाने के अतिरिक्त, जनगणना अनुसूची में दर्ज की गई 100% सूचना को आईसीआर प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित करना था।

15.5 जनगणना 2011 पर आधारित अनतिम जनसंख्या योग मार्च, 2011 में तीन सप्ताह की रिकार्ड अवधि में जारी कर दिए गए, इनके पश्चात जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी वितरण जारी किया गया। तदनन्तर, बड़ी संख्या में डाटासेट जारी किए गए हैं जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-XVII में दिया गया है। धर्म-वार आंकड़ों, शैक्षिक स्तर आंकड़ों, दिव्यांगता संबंधी आंकड़ों, एनआईसी/एनसीओ (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण/राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण), भाषा के आधार पर कर्मियों का वर्गीकरण और पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवास संबंधी अनन्तिम आंकड़ों सहित जनगणना 2011 के लगभग सभी डाटासेट जारी कर दिए गए हैं। जनगणना 2011 के प्रवास से संबंधित अंतिम आंकड़े केवल वह डाटाबेस है जो रिलीज किए जाने हैं और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

15.6 पिछली जनगणनाओं की भांति, जनगणना 2021 दो चरणों में करवाई जाएगी, अर्थात (i) 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना और (ii) फरवरी-मार्च, 2021 में जनसंख्या की गणना। आगामी जनगणना के लिए आरम्भिक कार्य शुरू हो चुका है। जनगणना 2021 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंधित विभागों के परामर्श के साथ जनगणना 2011 के बाद हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को संकलित किया जा रहा है। 2011 के जनगणना प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के साथ चर्चा की गई है। 2021 की जनगणना करवाने संबंधी मुद्दों पर सलाह देने हेतु भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी परामर्श समिति (टीएसी) का गठन किया गया है। जनगणना 2021 में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यपद्धति और जनगणना प्रश्नावली पर टीएसी की पहली बैठक 30.01.2019 को आयोजित कर ली गई है। 'जनगणना प्रश्नावली का विकास' और 'जनगणना 2021 में प्रौद्योगिकी का उपयोग'

पर गठित टीएसी की उप-समितियों की बैठक भी क्रमश: 27.03.2019 और 28.03.2019 को आयोजित की जा चुकी हैं। मंत्रालयों और टीएसी/टीएसी उप-समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर मसौदा जनगणना अनुसूचियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है। देश में जनगणना 2021 करवाने के सरकार के उद्देश्य की घोषणा संबंधी अधिसूचना एस.ओ. सं. 1455 (ई) दिनांकित 26.03.2019 भारत के राजपत्र में दिनांक 28.03.2019 को प्रकाशित की गई है। अधिसूचना इस प्रकार है:

"जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37), की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी। जम्मू तथा कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के हिमबाधित गैर तुल्यकालिक क्षेत्रों को छोड़कर जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, मार्च, 2021 के प्रथम दिवस के 00.00 बजे होगी।

बशर्ते कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के हिमबाधित गैर तुल्यकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर, 2020 के प्रथम दिवस के 00.00 बजे होगी।"

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का प्रयोग करते हुए नगर मानचित्रण

15.7 जनगणना आयोजित करने के लिए दो प्रकार के मानचित्रण क्रियाकलाप नामत: क) जनगणना से पहले के मानचित्रण क्रियाकलाप और ख) जनगणना के पश्चात के मानचित्रण क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में गांवों, नगरों और नगरों में वार्डों को दर्शाते हुए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जिलों, उप-जिलों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है ताकि देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके। जनगणना के पश्चात किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में विभिन्न प्रकाशनों और आंकड़ा प्रसार के लिए जनगणना आंकड़ों पर आधारित प्रशासनिक और विषयगत मानचित्र तैयार किया जाना शामिल है।

15.8 ओआरजी एवं सीसीआई का मानचित्र विभाग और निदेशालयों के मानचित्र अनुभाग थीमैटिक मानचित्रों/चार्टों/चित्रों इत्यादि के रूप में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता रहा है। जनगणना 2011 के लिए डिजिटल मानचित्र तैयार कर लिए गए हैं और यह भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) के कार्यालयों में उपलब्ध हैं। विभिन्न मानदण्डों संबंधी जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित विभिन्न प्रकाशन/एटलस भी ओआरजीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मानचित्र संसाधनों में सभी स्तरों पर प्रशासनिक मानचित्र शामिल हैं जो कि शासकीय गतिविधियों हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आगामी जनगणना 2021 में भू-संदर्भित मानचित्रों का उपयोग किया जाएगा। तदनुसार, देश भर के ग्राम स्तर तक के विद्यमान प्रशासनिक सीमाओं के डिजिटल आंकड़ों को भू-संदर्भित डाटाबेस में परिवर्तित करने के विशाल कार्य को लिया गया है। भू-संदर्भ के लिए भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्रों को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। इस भू-संदर्भित प्रशासनिक डाटाबेस का उपयोग भविष्य में सभी अन्य मानचित्र संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय/जनगणना कार्य निदेशालयों में निम्नलिखित मानचित्रण परियोजनाएं/गतिविधियां चल रही हैं:

i. कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के गांवों को दर्शाते हुए उप-जिला स्तर तक के जनगणना 2011 के प्रशासनिक डाटाबेस का भू-संदर्भ कार्य पूरा कर लिया गया है। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के जनगणना कार्य निदेशालयों में डिजिटल डाटाबेस की जांच का कार्य चल रहा है।

ii. जनगणना 2021 के लिए, अंतिम भू-स्थानिक डाटाबेस की गुणवत्ता जांच/संवीक्षा के पश्चात राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गांव की सीमाओं को दर्शाने वाले उप-जिला स्तरीय मानचित्रों को तैयार किया जा रहा है।

iii. सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना 2011 के पश्चात हुए क्षेत्राधिकार संबंधी परिवर्तनों को भू-संदर्भित डाटाबेस में सतत अद्यतन किया जा रहा है ताकि जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक ढांचे का अद्यतन कवरेज सुनिश्चित हो।

iv. जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण: जनगणना 2021 के लिए त्रिपुरा राज्य के तेलियामुरा नगर के लिए डिजिटल डाटाबेस सृजित करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना पूरी कर ली गई है।

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनगणना एटलस 2011 खण्ड की जांच पूरी कर ली गई है और सुधार कार्य प्रगति पर है।

vi. जनगणना 2011 के आधार पर संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एटलस तैयार करना: राष्ट्रीय एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ई-बुक खण्ड तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

15.9 जनगणना 2021 के दौरान जनगणना संबंधित मानचित्रण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, त्वरित पुनर्प्राप्ति, विभिन्न स्थानिक मानदण्डों की समीक्षा और निरूपण तथा किसी प्रकार के दोहराव अथवा छूटने से बचने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकी का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

15.10 विशिष्ट प्लान परियोजना, भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) को इलेक्ट्रानिक भाषाई सर्वेक्षण करने तथा लगभग 600 वर्गीकृत और अवर्गीकृत मातृभाषाओं को अभिलेखागार में भेजने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) में प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना को नियमित आधार पर जारी रखा गया है। सर्वेक्षण पश्चात प्रक्रिया में प्रशिक्षित भाषाविदों और भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तथा भाषायी संस्थाओं के प्रोफेसरों द्वारा वीडियो बनाए गए भाषा संबंधी श्रव्य–दृश्य रिपोर्टों का प्रतिलेखन, विश्लेषण और समेकन किया जाता है। अभी तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की 576 मातृभाषाओं से संबंधित 2707 सैम्पलों की वीडियोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। 576 मातृभाषाओं में से 2496 परिवर्तनों का प्रतिलेखन, 2495 परिवर्तनों का विश्लेषण और 476 मातृभाषाओं के समेकन का कार्य हर प्रकार से पूरा कर लिया गया है। इसके आगे, 180 प्रतिलेखन, 181 विश्लेषण और 83 समेकित रिपोर्टों पर कार्य किया जा रहा है।

अनुमोदित प्लान परियोजना में निम्न कार्य शामिल हैं:

i. जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) के सांख्यिकीय संवर्ग अधिकारियों की सहायता से तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कार्य में लगाते हुए वीडियोग्राफी के माध्यम से श्रव्य-दृश्य भाषाई आंकड़ों का संग्रहण किया जाना।

ii. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजीआई), भाषा प्रभाग, कोलकाता के आंतरिक भाषाविदों द्वारा सर्वेक्षण के दौरान मातृभाषाओं की एनएफडीसी प्रचालित वीडियोग्राफी की मानीटरिंग और जांच किया जाना।

iii. संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संस्तुत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित आंतरिक भाषाविदों अथवा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के आउटसोर्स्ड भाषाई विशेषज्ञ व्यक्तियों (एलआरपी) द्वारा वीडियोग्राफ्ड सैम्पल-वार भाषाई आंकड़ों का प्रतिलेखन और विश्लेषण किया जाना।

iv. आंतरिक भाषाविदों, वरिष्ठ बाह्य भाषाविदों अथवा ऐसे भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं जहां भाषा विज्ञान स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर पढ़ाया जाता हो, के प्रोफेसरों द्वारा पर्यवेक्षण और साथ ही साथ सैम्पल-वार विश्लेषण का एकल मातृभाषा रिपोर्ट के रूप में समेकन किया जाना।

आंकड़ों का प्रलेखन और परिरक्षण

15.11 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (एनएफडीसी) इस विभाग के सर्वेक्षित मातृ भाषायी आंकड़ों के दस्तावेजीकरण और उन्हें दृश्य-श्रव्य माध्यम में संरक्षित करने में सराहनीय

योगदान प्रदान कर रही हैं। संग्रहीत करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के मुख्य सर्वर पर मातृभाषाओं के वीडियोग्राफ्ड स्पीच आंकड़े अपलोड कर दिए गए हैं।

आंकड़ा प्रसार

15.12 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, विश्वविद्यालयों और संस्थानों, अध्येताओं, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय इसी प्रयोजन से जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कर्मियों और गैर-कर्मियों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी डाटा सहित विभिन्न डाटासेटों की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

15.13 निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए ये डाटासेट भारत की जनगणना वेबसाइट http://www.censusindia.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) और कुछ मामलों में मुद्रित खण्डों में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

15.14 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक और प्रमुख नवाचारी कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो-आंकड़े लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के प्रयोजन से जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के सैम्पल माइक्रो-आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाने की अनुमति देने की है और इसलिए पूरे देश में 17 भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कुल 17 वर्कस्टेशन स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थी सुविधा भवन, मद्रास विश्वविद्यालय, चौन्नई में स्थापित जनगणना वर्कस्टेशन का उद्घाटन 27.02.2019 को किया गया। इन वर्कस्टेशनों में जनगणना 1991 से लेकर जनगणना 2011 तक की सभी प्रकाशित सारणियां तथा जनगणना 2001 और 2011 के मकानसूचीकरण विषयक तथा जनगणना 2011 की जनसंख्या की गणना (सीमित मानदण्ड) संबंधी सैम्पल माइक्रो-आंकड़े (राष्ट्रीय स्तर पर 1% और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिला स्तर पर 5%) भी सॉफ्टकापी फार्मेट में उपलब्ध करवाए गए हैं।

15.15 ये वर्कस्टेशन जनगणना से प्राप्त सैम्पल माइक्रो आंकड़ों संबंधी अनुसंधान विषयक सभी सुविधाओं से लैस हैं। ये पूर्णतया वातानुकूलित हैं तथा आंकड़ों तक पहुंच के लिए इनमें कम्प्यूटर टर्मिनलों का नेटवर्क है। विश्वविद्यालय/संस्थान का एक पदाधिकारी संबंधित वर्कस्टेशन पर तैनात किया जाता है जोकि अनुसंधानकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए संचालन समूह से उसके अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें वर्कस्टेशन में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाता है। अनुसंधानकर्ता को सारणीकरण के लिए उपलब्ध समाज विज्ञान संबंधी सांखयिकी पैकेज (एसपीएसएस) और सांखयिकीय आंकड़ा विश्लेषण (एसटीएटीए) साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। अनुमोदित जानकारियों के मुद्रण के लिए वर्कस्टेशनों के पास हाई स्पीड डूप्लेक्स कलर लेजर प्रिंटर हैं।

15.16 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल की है। इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजिटाइज किया गया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

15.17 ओआरजीआई और जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित चार राज्य स्तरीय पुस्तक मेलों, नामत: 17वां पुणे बुक फेयर, कोच्ची इंटरनेशनल बुक फेयर, एन.बी.टी. सिलवासा बुक फेयर और नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में भाग लिया है। प्रवासी शिक्षा केन्द्र, गुजरात केन्द्रीय विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित " प्रवास, प्रवासी एवं विकास एक भारतीय परिप्रेक्ष्य" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डीसीओ (गुजरात) नोलेज पार्टनर/प्रायोजक में से एक था।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.18 भारत में दशकीय जनगणना कार्य वर्ष 1872 से नियमित रूप से किए जाते हैं। इतने विशाल और वैविध्ययुक्त देश में सफलतापूर्वक जनगणना करवाने में प्राप्त विशेषज्ञता से हमें अपने अनुभवों को अन्य देशों तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र सांखयिकी प्रभाग (यूएनएसडी) और अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों इत्यादि के साथ साझा करने में सहायता मिली है। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा अन्य देशों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चित्रित करते हैं:

(i) जनसंख्या और मकानों की गणना पर 2020 विश्व कार्यक्रम के संबंध में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय कार्यशाला: संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग (यूएनएसडी) द्वारा कोलंबो, श्रीलंका में 08.05.2018 से 11.05.2018 तक अंतर्राष्ट्रीय मानक और समकालीन प्रौद्योगिकियां आयोजित की गईं। उपर्युक्त कार्यशाला में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रतिनिधित्व श्री जर्नादन यादव, अपर महारजिस्ट्रार और डॉ. अभिषेक जैन, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय (पंजाब एवं चण्डीगढ़) द्वारा किया गया। सहभागिता के लिए व्यय का वहन यूएनएसडी द्वारा किया गया।

(ii) अमेरिका, एशिया और पेसिफिक के राष्ट्रीय जनगणना एवं सांख्यिकीय निदेशकों की संस्था (एएनसीएसडीएएपी) और जनरल स्टेटिस्टिक्स आफिस (जीएसओ) द्वारा '2020 में होने वाली जनगणना में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण' विषय पर 11.07.2018 से 13.07.2018 तक डा नांग, वियतनाम में 29वां जनगणना सम्मेलन आयोजिता किया गया। उपर्युक्त सम्मेलन में इस कार्यालय का प्रतिनिधित्व श्री शैलेश, सचिव, भारत सरकार तथा भारत के महारजिस्ट्रार (एएनसीएसडीएएपी के तत्कालीन अध्यक्ष) और श्री संजय, उप महानिदेशक ने किया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों की सहभागिता हेतु व्यय का वहन भारत सरकार ने किया।

(iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बैंकाक, थाइलैंड में 17.09.2018 से 19.09.2018 तक गैर-संचारी रोग (एनसीडी) जांच एवं निगरानी पर क्षेत्रीय परामर्श और साझा मंच आयोजित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित श्री सी.जी. रजनीकांतन, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, तमिलनाडु ने उपर्युक्त बैठक में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। सहभागिता हेतु व्यय का वहन डब्ल्यूएचओ द्वारा किया गया।

(iv) सिविल रजिस्ट्रीकरण एवं जीवनांक के लिए ईएससीएपी द्वारा 13.11.2018 से 15.11.2018 तक बैंकॉक, थाइलैण्ड स्थित यूनाइटेड नेंशन्स कॉन्फ्रेंस सेंटर में क्षेत्रीय संचालन समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई। श्री मनोज कुमार, उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस) ने भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। सहभागिता के व्यय का वहन यूएनईएससीएपी द्वारा किया गया।

(v) एशिया प्रशांत क्षेत्र में जनगणनाओं और एसडीजी को सशक्त करने के लिए कोरिया में 12.11.2018 से 16.11.2018 तक पांच दिवस की कार्यशाला हुई। श्रीमती प्रेरणा पुरी, निदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा ने भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। सहभागिता के व्यय का वहन यूएनएफपीए/एपीपीआई द्वारा किया गया।

आंतरिक प्रशिक्षण

15.19 अप्रैल, 2018 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की प्रशिक्षण नीति (ओटीपी)प्रकाशित की गई। तदनुसार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में तैनात कर्मियों को इनडक्शन/प्रौन्नति/सेवाकालीन/विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है।

15.20 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विद्यमान अधिकारियों की क्षमता को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सुदृढ़ करना है। इस मंशा को ध्यान में रखते हुए इलेक्टॉनिक माध्यम से एक गहन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करवाया गया था। टीएनए द्वारा सौंपे गए कार्य और कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना और सांख्यिकीय/जनसांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान की गई थी।

15.21 2018-19 में निम्नलिखित प्रशिक्षण करवाए गए जहां कुल 346 अधिकारियों/कर्मियों को बुनियादी और सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण करवाया गया। इन बैचों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सहभागियों का स्तर	अवधि		सहभागियों की संख्या
			से	तक	
1.	इन्डक्शन प्रशिक्षण (17 सप्ताह)	सहायक निदेशक	01.01.2018	27.04.2018	36
2.	प्रशासन एवं स्थापना (4 सप्ताह)	समूह ख और ग	29-01-2018	23-02-2018	150 (प्रत्येक बैच में 30 प्रतिभागी)
			12.02.2018	09.03.2018	
			05.03.2018	28.03.2018	
			04.09.2018	28.09.2018	
			01.10.2018	26.10.2018	
			22.10.2018	16.11.2018	
			12.11.2018	07.12.2018	
			11.02.2019	08.03.2019	
3.	अनिवार्य पदोन्नति प्रशिक्षण (3 सप्ताह)	सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड I (समूह ख राजपत्रित)	27.08.2018	14.09.2018	35
4.	सेवाकालीन प्रशिक्षण (2 सप्ताह)	सहायक निदेशक तथा उप निदेशक	01.10.2018	12.10.2018	38

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

15.22 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों

को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार राज्यों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के अनुसरण में सामान्य निर्देश/दिशानिर्देश भी जारी करता है।

15.23 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश के संबंध में जन्म का पंजीकरण स्तर 2007 के 74.5% से बढ़कर 2016 में 86.0% हो गया है। दूसरी ओर मृत्यु के पंजीकरण का स्तर 2007 के 69.3% से बढ़कर 2016 में 78.1% हो गया है।

15.24 गोवा, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम राज्यों तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल मृत्यु पंजीकरण स्तर जन्म के पंजीकरण की तुलना में कम है। मृत्यु के पंजीकरण के कम स्तर का कारण आंशिक रूप से निवास-स्थान पर हुई मृत्यु और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु की रिपोर्ट न करना हो सकता है।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण

15.25 पंजीकरण करने की अवधि के अनुसार पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रयोजनार्थ ली गई चार समयावधि निम्नानुसार हैं: i)निर्धारित समय-सीमा के भीतर (21 दिन तक), ii) 21 दिन के बाद पर 30 दिन के भीतर, iii) 30 दिन के बाद पर 1 वर्ष के भीतर, iv) 1 वर्ष से अधिक जन्म/मृत्यु के 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए गए पंजीकरण संबंधी आंकड़े 24 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए हैं। 7 राज्य अर्थात बिहार, गुजरात, झारखण्ड और हरियाणा (केवल मृत्यु), पंजाब (केवल 1 वर्ष से अधिक के संदर्भ में आंकड़े दिए गए हैं), मणिपुर एवं मेघालय जन्म एवं मृत्यु के समयान्तर पर आंकड़े प्रदान नहीं कर सके हैं। इन राज्यों ने आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने का कारण कम्प्यूटरीकरण का अभाव और शासकीय मुद्दों को बताया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ने केवल आंशिक आंकड़े दिए हैं अत: आंकड़ों को समेकित करते समय उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

15.26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुल पंजीकरण में से प्राप्त पंजीकरण का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

विवरणः निर्धारित समय-सीमा (21 दिन) के भीतर किया गया पंजीकरण

स्तर (प्रतिशत में)	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	
	जन्म	मृत्यु
90 प्रतिशत से अधिक	पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, चण्डीगढ़, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, मध्य प्रदेश (8)	दिल्ली, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुच्चेरी, दादरा और नगर हवेली, मिजोरम (7)
80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम	ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मिजोरम (6)	ओडिशा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ (7)
50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम	राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ (6)	तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, असम, केरल, महाराष्ट्र (6)
50 प्रतिशत से कम	जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड (4)	उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश (4)

15.27 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकृत कुल जन्म का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, 21 दिन की समय-सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा करने के संबंध में 6 राज्य 80 से 90 प्रतिशत की श्रेणी में हैं, 6 राज्य 50 से 80 प्रतिशत की श्रेणी में हैं और शेष 4 राज्य 50 प्रतिशत से कम की श्रेणी में हैं।

15.28 मृत्यु के पंजीकरण के मामले में उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 7 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकृत कुल मृत्यु का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। वहीं दूसरी ओर 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा में मृत्यु पंजीकरण करने के संबंध में 7 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 80 से 90 प्रतिशत की श्रेणी में हैं, 6 राज्य 50 से 80 प्रतिशत की श्रेणी में हैं और शेष 4 राज्य 50 प्रतिशत से कम की श्रेणी के अंतर्गत हैं।

15.29 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में वृद्धि लाते हुए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सार्वत्रिक प्राप्ति के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 2018 से मासिक आधार पर पंजीकरण दरों की निगरानी करने और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, जिला और राज्य स्तर पर सी.आर.एस. आंकड़ों के माध्यम से जन्म-मृत्यु दरों का परिकलन करने का भी निर्णय लिया है। सी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त जन्म-मृत्यु दर सटीक हैं और वास्तविक आंकड़े पंजीकरण प्राधिकारी से सत्यापित हैं अत: कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। संबंधित राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार माह-वार आंकड़ों का परिकलन करें और उसकी एक प्रति जनगणना कार्य निदेशालय (डीसीओ) को भी भेज दें। जनगणना कार्य निदेशालय तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु का कार्यालय पंजीकृत जन्म और मृत्यु की मासिक रिपोर्ट भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय को प्रेषित करते हैं।

15.30 जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों को जिला-वार और राज्य-वार रूप से सृजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों के समेकन के लिए एकीकृत आईटी एप्लीकेशन/पोर्टल की आवश्यकता है और तदनुसार सी.आर.एस. का सुधार किया जा रहा है ताकि वास्तविक रिपोर्टिंग, निगरानी और समेकन हो सके।

भारत में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) का सुधार

15.31 सी.आर.एस. को समयबद्धता, दक्षता और एकरूपता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में जन्म और मृत्यु की विलम्बित और कम कवरेज हो रही है। आम जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने में प्रणाली के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने वास्तविक समय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण हेतु न्यूनतम मानवीय भागीदारी सहित एक आईटी सक्षम तंत्र के माध्यम से देश की सिविल पंजीकरण प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। ये परिवर्तन प्रक्रिया को स्वचालित करने के रूप में होंगे ताकि समयबद्ध, एक समान और भेदभाव रहित सेवा उपलब्ध हो सके। ये परिवर्तन स्थाई, मापन योग्य तथा स्थान की सीमाओं से परे होंगे। यह परियोजना स्वरूपत: मॉड्युलर होगी जिसमें परिवर्तन के रोडमैप की संकल्पना, कार्यान्वयन सहित आईटी अनुप्रयोग का विकास, क्षमता निर्माण और रखरखाव शामिल होगा।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

15.32 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) में मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाती है जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी-10) पर आधारित मृत्यु

के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं। एमसीसीडी 2016 रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है और एमसीसीडी 2017 रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

15.33 वर्ष 2016 के लिए "मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत कुल 63,12,828 मृत्यु में से कुल 11,98,503 मृत्यु (7,47,390 पुरुष और 4,51,113 महिला) के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होने की सूचना दी गई है।

15.34 इस समय एमसीसीडी का दायरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनिन्दा अस्पतालों/सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है। राज्यों द्वारा एमसीसीडी का विस्तार सभी चिकित्सीय संस्थानों तक किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

15.35 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनांकिकी सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है जिसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत गणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना शामिल है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुन: सत्यापित किया जाता है। सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण और परिणाम जारी किए जाने के बीच समय-सीमा को घटाकर एक वर्ष से कम कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964-65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969-70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। जन्म और मृत्यु दरों में परिवर्तनों का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। तात्कालिक एसआरएस सैंपल में 8,861 सैम्पल इकाइयां (4,964 ग्रामीण और 3,897 शहरी) थीं, जिनके दायरे में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल थे जो 2011 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2014 से प्रभावी हैं।

15.36 वर्ष 2016 के संबंध में जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाले एसआरएस बुलेटिन 2017 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से जारी कर दिए गए हैं जोकि अनुलग्नक-XVIII पर दिए गए हैं। वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

(i) अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित जन्म दर (सीबीआर) 20.4 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22.1 और शहरी क्षेत्रों के लिए 17.0 है। बड़े राज्यों में, सीबीआर सबसे कम (14.3) केरल में और सबसे अधिक (26.8) बिहार में है।

(ii) अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 6.4 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.9 और शहरी क्षेत्रों के लिए 5.4 है। बड़े राज्यों में दिल्ली में सबसे कम (4.0) दर्ज किया गया और ओडिशा में सबसे अधिक (7.8) दर्ज हुआ।

(iii) नवजात (< एक वर्ष) मृत्यु दर (आईएमआर) अखिल भारत के लिए प्रति 1000 जीवित जन्म के लिए 34, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 38 और शहरी क्षेत्रों के लिए 23 है। बड़े राज्यों में केरल में सबसे कम (10) दर्ज हुआ और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (47) आईएमआर संख्या है।

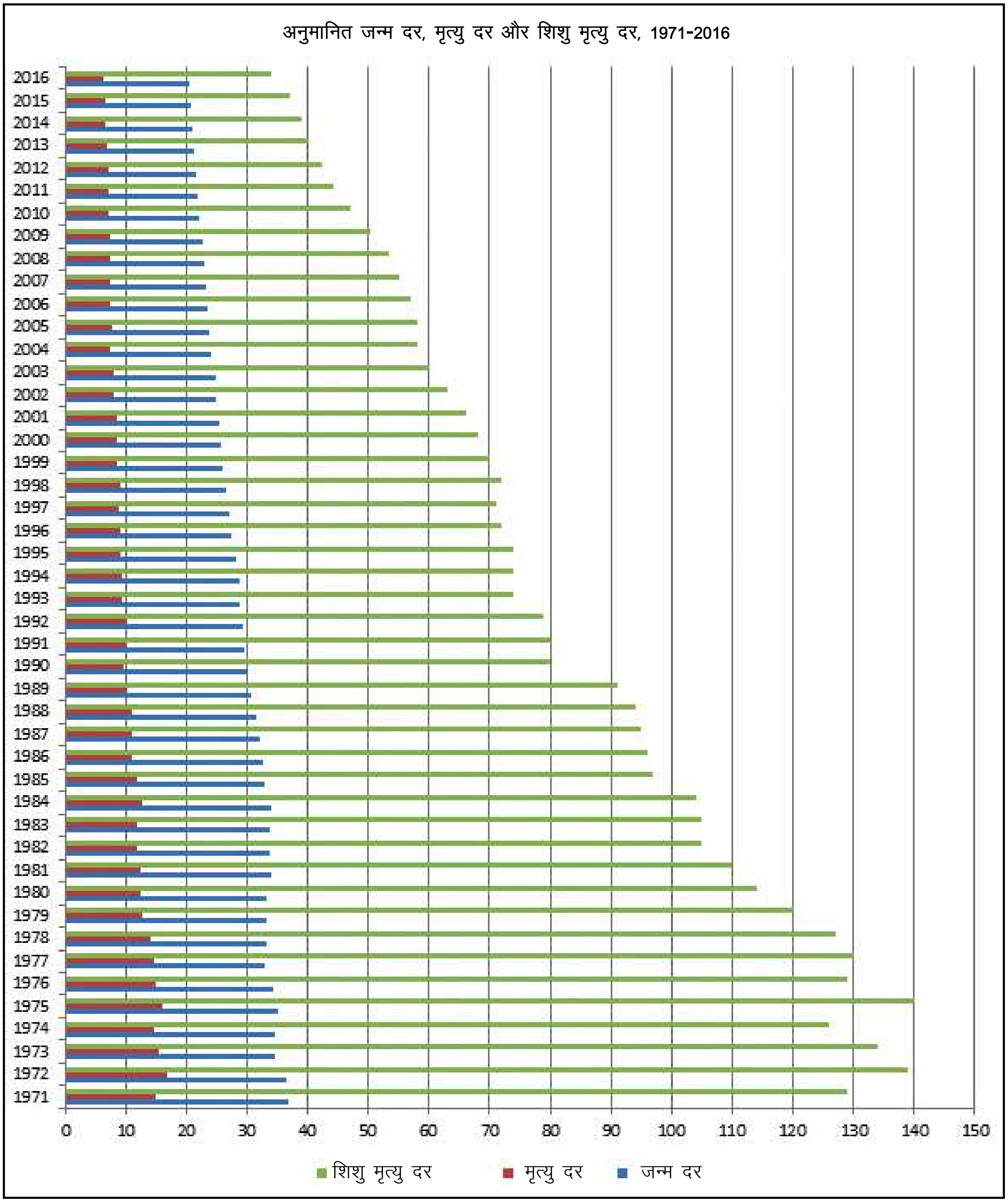

15.37 उपर्युक्त के अलावा, एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2016 जारी कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्ष की आयु से कम मृत्यु दर (यू5एमआर), जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर दी गई है। वर्ष 2016 के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

- 2016 में देश में यू5एमआर के संबंध में 2015 की तुलना में 4 अंक (2015 में 43 की तुलना में 2016 में 39) की कमी आयी है।

- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2013-2015 में 900 से 2 अंक घटकर 2014-2016 में 898 हो गया है। छत्तीसगढ़ में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे अधिक (963) दर्ज हुआ जबकि हरियाणा में सबसे कम (832) दर्ज हुआ।

15.38 देश में कुल प्रजननता दर (टीएफआर) 2015 के बराबर 2016 में 2.3 पर स्थिर रहा। 2016 में बिहार में सबसे अधिक टीएफआर (3.3) दर्ज किया गया जबकि दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सबसे कम टीएफआर (1.6) दर्ज किया। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर, अर्थात 2.1 इन 13 राज्यों ने प्राप्त किया है – दिल्ली (1.6), तमिलनाडु (1.6), पश्चिम बंगाल (1.6), आन्ध्र प्रदेश (1.7), हिमाचल प्रदेश (1.7), जम्मू और कश्मीर (1.7), पंजाब (1.7), तेलंगाना (1.7), कर्नाटक (1.8) केरल (1.8), महाराष्ट्र (1.8), उत्तराखण्ड (1.9) और ओडिशा (2.0)। औसतन, राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला (जिसका टीएफआर 2.5 है) शहरी महिला (जिसका टीएफआर 1.8 है) की तुलना में एक अधिक बच्चे को जन्म देती है। 2011-2016 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर 0.1 अंक घटी है। ग्रामीण और शहरी टीएफआर में क्रमश: 0.2 और 0.1 अंक तक की संगत गिरावट आई है।

15.39 2012-16 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां जारी कर दी गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के संबंध में लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अनुलग्नक-XIX पर दी गई है। पिछले चार दशकों के दौरान 19.0 वर्ष की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.7 वर्ष है। जन्म के समय पुरूषों के लिए प्रत्याशा 67.4 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 70.2 वर्ष है। बड़े राज्यों में जीवन प्रत्याशा केरल में सबसे अधिक (75.1 वर्ष) और उत्तर प्रदेश में सबसे कम (64.8 वर्ष) है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.4 है, पुरूषों के लिए 66 वर्ष और महिलाओं के लिए 68.9 वर्ष। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 72.2 वर्ष है, पुरूषों के लिए 70.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 73.5 वर्ष।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

15.40 सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट जानकारी एकत्र कर देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) सृजित करने की योजना को भारत सरकार ने अनुमोदित किया है। भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) सृजित करने में एनपीआर आरम्भिक कदम है। 2010 में एकत्र किए गए एनपीआर संबंधी जनसांख्यिकीय आंकड़ों को 2015 में अद्यतन किया गया है। योजना के अंतर्गत 33.43 करोड़ व्यक्तियों का बायोमेट्रिक नामांकन कर लिया गया है।

असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अद्यतनीकरण

15.41 नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003, यथासंशोधित के नियम 4ए(4) के अंतर्गत बनाई गई अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार असम में एनआरसी का अद्यतनीकरण किया जा रहा है।

15.42 इस स्कीम का उद्देश्य असम राज्य में एनआरसी 1951 अद्यतन करना है जिसमे ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम 24 मार्च, 1971 तक की किसी भी मतदाता सूची अथवा नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 में हों और उनके वंशज।

15.43 एनआरसी परियोजना को वित्तपोषित कर रही भारत सरकार ने असम राज्य में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), 1951 अद्यतन करने संबंधी स्कीम को अनुमोदित किया। असम में एनआरसी अद्यतनीकरण की अनुमोदित लागत

1220.93 करोड़ रूपए है और इस प्रयोजनार्थ संपूर्ण राशि जारी कर दी गई है।

15.44 असम में एनआरसी, 1951 के अद्यतनीकरण के चरण हैं – पूर्व के आंकड़े प्रकाशित करना अर्थात 1971 तक की निर्वाचन सूची तथा एनआरसी 1951, सभी निवासियों से आवेदन की प्राप्ति, जांच टीमों द्वारा फील्ड जांच तथा निवासियों द्वारा उनके आवेदन फार्मों के साथ संलग्न दस्तावेजों की कार्यालयी जांच, सभी रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण और असम में एक नागरिक रजिस्टर तैयार करना, एनआरसी के अद्यतन प्रारूप का प्रकाशन, दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना और उनका विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा निस्तारण करना और अंतिम एनआरसी का प्रकाशन करना।

15.45 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार एनआरसी का संपूर्ण मसौदा 30.07.2018 को प्रकाशित किया जा चुका है। 3,29,91,384 व्यक्तियों में से 2,89,83,677 व्यक्ति 30.07.2018 को प्रकाशित मसौदा एनआरसी में शामिल किए जाने के पात्र पाए गए हैं।

15.46 मसौदा एनआरसी के प्रकाशन के पश्चात नागरिकता नियमावली, 2003 में निर्धारित है कि दावों और आपत्तियों को आमंत्रित किया जाए और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मसौदा एनआरसी में शामिल नहीं किया गया है, वह अपने नाम को शामिल करने हेतु दावा कर सकता है। इसी प्रकार, त्रुटिवश यदि कोई नाम शामिल है, तो कोई व्यक्ति नाम शामिल किए जाने के विरूद्ध भी आपत्ति उठा सकता है।

15.47 दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के संचलन के लिए केन्द्र सरकार ने असम सरकार, आरजीआई और राज्य समन्वयक एनआरसी, असम के परामर्श से एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। भारत सरकार द्वारा दायर एसओपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 01.11.2018 के आदेश के तहत अनुमोदित कर दिया है।

15.48 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार मसौदा एनआरसी पर दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया 25.09.2018 को शुरू हुई और 31.12.2018 तक पूरी हुई। सत्यापन प्रक्रिया 15.02.2019 से आरम्भ हो गई है।

15.49 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार दावों और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात एनआरसी का अंतिम रूप 31.07.2019 को प्रकाशित किया जाएगा।

*****

अध्याय - 16

विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

16.1 वर्ष 1954 में शुरू किया गया भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। इस पुरस्कार से अब तक 45 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2019 की पूर्व संध्या पर स्व. श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत), स्व. श्री भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) और श्री प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने का अनुमोदन किया है।

पद्म पुरस्कार

16.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों वाले क्षेत्रों अर्थात् कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

16.3 पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

16.4 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से प्रति वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन मांगने की प्रथा रही है। उनके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं अपनी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

16.5 गणतंत्र दिवस, 2019 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों के अलंकरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 11.03.2019 और 16.03.2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित दो समारोहों में प्रदान किए गए थे। दोनों समारोहों में कुल 112 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

वीरता पुरस्कार

16.6 रक्षा मंत्रालय की देखरेख में अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किए जाते हैं। इस संबंध में सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

16.7 स्वतंत्रता दिवस, 2018 और गणतंत्र दिवस 2019 को घोषित किये गये पुरस्कारों के अलंकरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14.03.2019 और 19.03.2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित

दो समारोहों में प्रदान किए गए थे। इन दो समारोहों में कुल मिलाकर 9 सिविलियन नागरिकों को भी पुरस्कार प्रदान किये गये थे, जिनमें 2 सिविलियन नागरिकों के लिये कीर्ति चक्र और 7 सिविलियन नागरिकों के लिये शौर्य चक्र शामिल हैं।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

16.8 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

16.9 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामत: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जान बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है; उत्तम जीवन रक्षा पदक, जान बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है और जीवन रक्षा पदक, किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली का झटका लगने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से जान बचाने के मानवीय कार्य या कार्यों में जान बचाने वाले व्यक्ति के गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है।

16.10 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

16.11 इन पुरस्कारों के लिए समारोह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में आयोजित किया जाता है, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 2,00,000/-रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,50,000/- रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/- रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

16.12 वर्ष 2018 के लिए, राष्ट्रपति ने 08 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 15 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 25 जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है। पदक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सतर्कता तंत्र

16.13 गृह मंत्रालय के सतर्कता तंत्र के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करते हैं। एक उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारियों तथा सहायक कर्मचारियों वाले एक सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता की जाती है।

16.14 इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक संगठन में अलग से सतर्कता प्रभाग है। संगठनों के संबंधित प्रमुखों को सहायता प्रदान करने के लिए इन सतर्कता प्रभागों के प्रमुख विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय एवं इसके अंतर्गत संगठनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

16.15 गृह मंत्रालय में अनुशासनात्मक/सर्तकता गतिविधियों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ, मुख्य रूप से जिम्मेदार है जिसमें मंत्रालय में पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि के रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं। यह सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है जिसमें मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के सत्यनिष्ठा संबंधी मामले शामिल हैं ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुशासन,

कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा बनाए रखी जा सके। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने व्यापक रूप से निम्नलिखित उपाय किए हैंः-

क) प्रभाग प्रमुखों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जाता है, ताकि इन प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की गतिविधियों पर गहन निगरानी सुनिश्चित किया जा सके।

ख) 'संवेदनशील' पदों पर पदस्थापित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेट किया जाता है। 'संवेदनशील' पदों की पहचान करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर लिया गया है। मंत्रालय के अंतर्गत संगठनों द्वारा ऐसे ही प्रयास किए गए हैं।

ग) संवेदनशील काम करने वाले अधिकारियों और सदस्यों के संबंध में, आसूचना एजेंसियों के माध्यम से 'पोजिटीव वेटिंग' की जा रही है।

घ) 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूचियां और 'सहमति सूची' रखी जाती है। संबंधित संगठनों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ विचार-विमर्श कर समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है।

ङ) मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से सत्यनिष्ठा से संबंधित विषयों पर निगरानी रखी जाती है। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है।

च) व्यवस्थागत सुधार और निवारणात्मक उपाय के एक भाग के रूप में, जहां कहीं आवश्यक हो, डिजिटल लेन-देन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

छ) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे संगठनों ने भ्रष्टाचार रिपोर्ट किए जाने की गति बढ़ाने के लिए वाट्सअप संख्या (9868505018), निःशुल्क हेल्प-लाइन संख्या (1903) शुरू की है। एसएसबी में जागरूकता लाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी शुरू किया गया है।

ज) मंत्रालय में शिकायतों, रिपोर्टों, आंतरिक जांच इत्यादि के तहत सृजित होने वाले सर्तकता/ अनुशासनात्मक मामलों को उपयुक्त प्राथमिकता प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले उनके संवर्ग प्राधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, जिन मामलों में मंत्रालय कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम है, उनमें सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

16.16 दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया। केंद्रीय सर्तकता आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, दिनांक 29.10.2018 को गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को एक "शपथ" दिलाई गई। ''भ्रष्टाचार उन्मूलनः एक नया भारत बनाओ'' विषय पर दिनांक 01.11.2018 को एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। गृह मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

16.17 वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में सर्तकता और अनुशासन संबंधी निपटाए गए मामले तालिकाबद्ध रूप में संलग्न हैं (अनुलग्नक-XX)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

16.18 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, आरटीआई से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आवेदनों का संग्रहण करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने से संबंधित आवेदन को विषय से संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना

अधिकारी/लोक प्राधिकारियों को भेजता है और केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है। वर्ष 2014, में विशेष रूप से ऑनलाइन आवेदनों और अपीलों का निपटान करने के लिए एक अलग अनुभाग स्थापित किया गया था।

- मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ-साथ इसके कार्यों आदि के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाले गए हैं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपेक्षित है।

- अधिनियम की धारा 5(1) के तहत उप सचिव/निदेशक स्तर के सभी अधिकारियों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

- अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार संयुक्त सचिवों और इससे उपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीन सीपीआईओ के रूप में कार्य करने वाले उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय के सभी चार भवनों नामत: नॉर्थ ब्लॉक, एनडीसीसी-।। भवन, एमडीसी नेशनल स्टेडियम और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

- वर्ष 2018 के दौरान अर्थात् दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक, इस मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से 5611 आवेदन और 361 प्रथम अपीलें तथा ऑनलाइन 9336 आवेदन तथा 839 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। इन्हें आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए तत्काल संबंधित लोक प्राधिकारियों/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया था।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011-आईआर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों को नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

16.19 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) नोडल एजेंसी है। इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 54 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

16.20 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश-नियंत्रण का कार्य सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा स्वागत संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वागत संगठन में 149 कार्मिक तैनात हैं, जो 39 सरकारी भवनों में स्थित 58 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, जहां से आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकार्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि, आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

16.21 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना और

उनका कार्यान्वयन करना है। इस समय, सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ-साथ सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाता है। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। सीआईएसएफ में विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु "सरकारी भवनों की सुरक्षा" (जीबीएस) यूनिट नामक एक पृथक फार्मेशन बनायी गई है। सीआईएसएफ की जीबीएस यूनिट 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं:-

(क) प्रवेश नियंत्रण-यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल इस मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र धारक प्रामाणिक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पास धारक आगन्तुकों को उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच/तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) आतंकवाद-रोधी उपाय- भवनों में आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए मुख्य रूप से बल उत्तरदायी हैं।

(ग) बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण- इन भवनों में किसी भी बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ प्रथम कार्रवाई करने वालों के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) अनधिकार प्रवेश- भवन में किसी भी प्रकार के अनधिकार प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ड.) निकास नियंत्रण- भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

16.22 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1254 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाला असैनिक नि:शस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एसएसएफ इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देख-रेख कर रहा है।

राजभाषा

16.23 सीआईसी प्रभाग का राजभाषा यूनिट राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथा संशोधित) के प्रावधानों और समय-समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों को कार्यान्वित करने तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

16.24 संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और उप सचिव रैंक के सभी अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सभी प्रभागों के अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

16.25 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र

सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों तथा आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

16.26 हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के सहायक निदेशकों के निरीक्षण दलों ने गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली स्थित 14 कार्यालयों और दिल्ली से बाहर स्थित 32 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के सहायक निदेशकों ने मंत्रालय के 32 अनुभागों का भी निरीक्षण किया। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति ने भी वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय के अधीन 14 अधीनस्थ कार्यालयों (नवम्बर, 2018 तक) का निरीक्षण किया।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

16.27 मंत्रालय में दिनांक 01.09.2018 से 15.09.2018 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, 11 हिन्दी प्रतियोगिताएं और 01 हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई, जिनमें मंत्रालय के हिन्दी भाषी और गैर-हिन्दी भाषी अनेक अधिकारियों/कार्मिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में, कुल 83 प्रतिभागियों ने 2,23,000/- रु. (दो लाख तेईस हजार रुपए मात्र) के नकद पुरस्कार जीते।

हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

16.28 गृह मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 37 स्वीकृत पदों में से 35 पदों पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक पदस्थ हैं और उनमें से अब तक 12 को हिंदी टंकण में प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार, कुल 196 आशुलिपिकों में से 37 को हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया है।

16.29 मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने और मूल रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 06.09.2018 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में समग्र रूप से 40 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) वितरित की गई।

हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण

(स्रोतः एमएचए आईटी सेल)

हिंदी टिप्पण और प्रारूप-लेखन योजना

16.30 गृह मंत्रालय में सरकारी कार्य मूल रूप से हिंदी में किए जाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु इस अवधि के दौरान हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन स्कीम का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें 10 कर्मचारियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। मूल्यांकन के बाद, दो कर्मचारियों को 5000-5000/- रु. के प्रथम पुरस्कार, 02 कर्मचारियों को 3000-3000/- रु. के द्वितीय पुरस्कार और 05 कर्मचारियों को 2000-2000/- रु. के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लोक शिकायतों का निवारण

16.31 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी लोक शिकायतों पर कार्रवाई करता है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, 35,966 लोक शिकायतें आनलाइन प्राप्त हुईं और 5603 लोक शिकायतें सीधे ही प्राप्त हुईं। इन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

16.32 संयुक्त सचिव (सीआईसी) को मंत्रालय में लोक शिकायतों के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी, लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या इत्यादि स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

16.33 प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

विभागीय लेखा संगठन

लेखा-परीक्षा संबंधी आपत्तियां/पैरा

16.34 गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन (डीएओ) गृह मंत्रालय के आन्तरिक वित्त स्कंध के एक भाग के रूप में कार्य करता है और यह मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों के भुगतान, लेखांकन एवं आन्तरिक लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभागीय लेखा संगठन मंत्रालय से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करता है और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करता है जो समग्र रूप से भारत सरकार के आंकड़ों को समेकित करता है। विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) होता है, जो मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आन्तरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की कुशल प्रणाली को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। विभागीय लेखा संगठन अपने भुगतान एवं लेखा कार्यों को संचालित करने के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) नामक एक वेब-आधारित सरकारी व्यापक प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करता है। पीएफएमएस के आँकड़ों को "ई-लेखा" नामक वेब-आधारित एप्लीकेशन पर डाला जाता है, जिसमें सही समय की रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है, जो मंत्रालय के लिए व्यय सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन बजट को तैयार करने, बजट को निष्पादित करने तथा बजट की रिपोर्टिंग करने में भी आन्तरिक वित्त प्रभाग की सहायता करता है

16.35 लेखा महानियंत्रक के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा-परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) ने गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा की है। संशोधित आन्तरिक लेखा-परीक्षा नियमावली, 2009 में भी मंत्रालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जोखिम-आधारित एवं निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा कार्य को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया गया है, जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में जोखिम-प्रबंधन एवं नियंत्रण की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी और वित्तीय सलाहकार (एफए) इस समिति के उपाध्यक्ष हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक, इसके सदस्य सचिव हैं। इस समय बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) में 175

की स्वीकृत संख्या की तुलना में 114 कार्मिक तैनात हैं। यह स्वीकृत संख्या वर्ष 1976 में निर्धारित की गई थी, जबकि, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और उनके डीडीओ की संख्या में कई गुणा वृद्धि हो चुकी है। सीजीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए 627 कर्मचारियों की आवश्यकता है।

16.36 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, गृह मंत्रालय में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली आरंभ करने से नई चुनौतियां आएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य अति सावधानी और दक्षता से किया जाए, इसके लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों को जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा के तकनीकी निर्माण, मानकों के अनुप्रयोग और व्यावहारिक लेखा-परीक्षा कौशल में भी व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ को अपनी जानकारी और कौशल को लगातार अद्यतन करने तथा व्यावसायिक निकायों से आंतरिक लेखापरीक्षा, आईटी लेखापरीक्षा, घोटाला जांच आदि से संबंधित व्यावसायिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

16.37 गृह मंत्रालय की विभिन्न यूनिटों की अनुपालन लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की समवर्ती लेखापरीक्षा और सुरक्षा संबंधी व्यय की अर्द्धवार्षिक लेखापरीक्षा करता है।

16.38 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित लेखा-परीक्षाएं की गईं:

1. नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटीगेशन प्रोजेक्ट से संबंधित लेखा-परीक्षा।
2. बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित लेखा-परीक्षा।
3. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) से संबंधित लेखा-परीक्षा।
4. जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल-उड़ान से संबंधित लेखा-परीक्षा।
5. जेएंडके कॉर्पस निधि के संबंध में लेखा-परीक्षा।
6. एसआरई के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष लेखा-परीक्षा।
7. आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीडित नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय स्कीम के संबंध में लेखा-परीक्षा।
8. सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई)- सुरक्षा संबंधी खर्च की लेखा-परीक्षा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाती है। 18 राज्य इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं और सभी राज्यों के संबंध में दिनांक 30.09.2018 तक लेखा-परीक्षा पूरी कर ली गई है।
9. पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ)- पुलिस बल के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत सभी 29 राज्यों की लेखा-परीक्षा दिनांक 31.03.2018 तक वार्षिक आधार पर कर ली गई है।

16.39 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बगैर), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। 10 अनुदान मांगों में इन सभी एजेंसियों की व्यय संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। आन्तरिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के कार्यों एवं वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखापरीक्षा भी की जाती है, जो भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) के कार्यालय द्वारा की जाती है।

16.40 प्रारंभ में व्यय की लेखा-परीक्षा करने के पश्चात, लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो समय पर इन टिप्पणियों का निपटान करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैराग्राफ तैयार करते हैं, जिन पर मंत्रालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणियां तैयार करनी होती हैं। लेखापरीक्षा पैराग्राफों का समय पर निपटान करने हेतु,

लेखापरीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैराग्राफों की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 7 लेखापरीक्षा पैराग्राफ लंबित थे। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 24 नए पैराग्राफ प्राप्त हुए, जिससे इनकी कुल संख्या 31 हो गई। इनमें से, इस अवधि के दौरान 25 पैराग्राफों का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ऐसे 6 पैराग्राफ शेष हैं।

16.41 दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 6692 थी। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, प्राप्त तथा निपटान किए गए निरीक्षण पैरा की कुल संख्या क्रमशरू 2430 तथा 1874 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 7248 थी। इन पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी के लिए, मंत्रालय में तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक संगठन की स्थिति अनुलग्नक-XXI में दी गई है।

16.42 गृह मंत्रालय की पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में ''की गई कार्रवाई नोट'' (एटीएन) की स्थिति को अनुलग्नक-XXII में दर्शाया गया है। गृह मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा आपत्तियों, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई है, का सार और इन लेखा आपत्तियों पर एटीएन की स्थिति अनुलग्नक-XXIII में दी गई है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

16.43 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करने के लिए दिनांक 15.03.2019 को शिकायत निवारण समिति का पुर्नगठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और पांच महिला सदस्य हैं तथा स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक सदस्य और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं। शिकायत निवारण समिति को अभी तक एक मामले की सूचना प्राप्त हुई है।

16.44 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, निदेशक स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ

16.45 केन्द्र सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में 4% आरक्षण निर्धारित किया है।

16.46 गृह मंत्रालय (मुख्य) में 09 नेत्रहीन, 05 बधिर और 14 शारीरिक रूप से दिव्यांग और 01 प्रमस्तिष्कीय घात युक्त व्यक्ति कार्यरत हैं।

लिंग-सापेक्ष बजट प्रावधान

16.47 गृह मंत्रालय में महिलाओं के लाभ के लिए की गई पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

16.48 सीआईएसएफ ने योजनागत स्कीमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग करते हुए महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है।

16.49 सीआईएसएफ की दूसरी रिजर्व बटालियन, रांची में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हैंडिंग/टेकिंग ओवर पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने आरटीसी अरक्कोनम में महिला एसओ हॉस्टल के निर्माण के लिए 9.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है और इसका 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त,

सीआईएसएफ यूनिट, जीबीएस महिपालपुर में एक महिला बैरक का कार्य पूरा हो गया है और इसका हैंडिंग/टेकिंग ओवर प्रगति पर है।

16.50 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
46	1189	7353	8588

16.51 सीआईएसएफ के संबंध में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान केवल महिलाओं के लाभ वाली योजनाएं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
क्रेच सुविधाएं, अन्य चार्ज	00.30	00.30	00.31

आज की तारीख के अनुसार सीआईएसएफ में 17 क्रेच चल रहे हैं

16.52 सीआईएसएफ ने भी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए बल के मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

16.53 भारत सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन को अनुमोदित किया था। आज की तिथि के अनुसार, ऐसी छह बटालियनों (88 बटालियन, 135 बटालियन, 213 बटालियन, 232 बटालियन, 233 बटालियन और 240 बटालियन) को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इस समय 240 बटालियन बेंगलुरू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आपरेशनल महिला बटालियनें दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात), अलवर(अब नागपुर में कार्यरत), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को ग्रुप सेंटरों, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और 241 बटालियन बस्त्रिया बटालियन में तैनात किया जाता है और वे अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रभावी रूप से सहायता प्रदान कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

16.54 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सीआरपीएफ में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
351	926	7028	8305

(महिला कर्मचारियों की अनुमानित वार्षिक वेतन लागत लगभग 275.00 करोड रु. है।)

16.55 महिला कार्यबल द्वारा सहज रूप से अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए, सीआरपीएफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सचल प्रसाधन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान भी, महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिट वाहनों में पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

16.56 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित अंतराल पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। नियमित विचार-विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने भी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर और बल के मुख्यालय स्तर पर एक समिति गठित की है।

16.57 125 महिला फार्म्ड पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली भारतीय महिला फार्म्ड पुलिस यूनिट (एफएफपीयू) दिनांक 30.01.2007 को लाइबेरिया पहुंची और इसने दिनांक 08.02.2007 से यूनिटी कान्फ्रेंस सेंटर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया और टुकड़ी का पिछला बैच (एमएफपीयू- 7वां बैच) फरवरी, 2017 के दौरान वापस भारत लौट आया।

16.58 महिला कर्मचारियों के अलावा, सीआरपीएफ बल कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है। महिला कर्मचारियों और बल कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

i) महिला छात्रावास।
ii) विशेष रूप से महिलाओं हेतु शारीरिक गतिविधियां।
iii) महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम और टी वी आदि का प्रावधान।
iv) व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं आदि।
v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।
vi) अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

16.59 सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए क्रेच सुविधाएं चलाने हेतु 0.52 करोड़ रू. प्रदान किए हैं और चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 0.55 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसका ब्योरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
क्रेच-सुविधाएं	00.52	00.52	00.55

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

16.60 एसएसबी में, कार्मिकों की प्राधिकृत स्वीकृत नफरी 99,221 है, जिसमें से 2137 महिला कार्मिक एसएसबी की नफरी में हैं। एसएसबी को दिनांक 07.08.2014 के मंजूरी आदेश के तहत 21 महिला कंपनियां अर्थात् महिला बटालियन गठित करने के लिए 2,772 कार्मिकों की मंजूरी प्रदान की गई है।

16.61 सशस्त्र सीमा बल में विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं चल रही हैं:-

i) सीमा चौकियों में तैनात महिलाओं के लिए प्रसाधन, बाथरुम, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।
ii) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं।
iii) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।
iv) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं अर्थात म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एवं डीवीडी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।
v) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर एक पर एक समिति है।

16.62 महिलाओं के लिए उदार स्थानांतरण नीति:- जहां तक संभव हो, सभी महिला कार्मिकों को उनके मूल स्थान के नजदीक स्थित यूनिटों/फ्रंटियर में तैनात किया जायेगा तथा यदि पति और पत्नी दोनों एसएसबी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा।

16.63 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
35	77	1917	2029

16.64 सशस्त्र सीमा बल के संबंध में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली योजनाएं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
क्रेच-सुविधाएं	0.25	0.25	0.25

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

16.65 आईटीबीपी की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

(i) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 14 प्रशिक्षण केन्द्रों और लॉजिस्टिक एंड कम्यूनिकेशन, सेक्टर हेड क्वार्टर (एलएण्ड सीएसएचक्यू) की 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल युक्त पृथक महिला बैरक में रखा जाता है।

(ii) पुस्तकालय और कॉमन स्टाफ रूम में महिला केन्द्रित पत्रिकाएं और जर्नल अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iii) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iv) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया मुहैया कराने सहित डे केयर सेंटर/क्रेच। सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कुल 09 क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:

बल का नाम	स्थान
1.	आईटीबीपी सेक्टर मुख्यालय (डीडीएन), डाकघर - सीमाद्वार जिला - देहरादून (उत्तराखंड)
2.	आईटीबीपी अकादमी, डाकघर-मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखंड)
3.	एमएंडएस आई औली, डाकघर-जोशीमठ, जिला चमोली (उत्तराखंड)
4.	टीपीटी बटालियन, डाकघर-विमानपत्तन, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
5.	11वीं बटालियन, पेगोंग (सिक्किम), 56 एपीओ
6.	12वीं बटालियन, डाकघर मातली, जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
7.	50वीं बटालियन, रामगढ़, जिला-पंचकुला (हरियाणा)
8.	सेक्टर मुख्यालय (बरेली), डाकघर-बुखारा कैम्प, जिला-बरेली (उ.प्र.)
9.	35वीं बटालियन, डाकघर-महीनडंडा, जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

(vi) अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से कढ़ाई और सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराना।

16.66 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और सचल प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं को उनके महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। साक्षात्कार, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त फील्ड अधिकारी अपने कमान के अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजदीकी नजर रखते हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन-उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

16.67 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
100	274	1580	शून्य	1954

16.68 इस समय, आईटीबीपी से 09 महिला कार्मिक कांगो/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

16.69 संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 के दौरान आईटीबीपी के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के नाम और प्रत्येक के लिए बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
कोड शीर्ष-50 अन्य चार्ज के अंतर्गत क्रेच-सुविधाएं	00.11	0.10	0.06

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

16.70 दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं बीएसएफ द्वारा पूरी/स्वीकृत की गई हैं :

25 बटालियन बीएसएफ, चावला कैंप, नई दिल्ली (पूरा कर लिया गया)

(क) महिला बैरक :- 20 महिला के लिए संख्या 01

(ख) महिला बैरक :- 200 महिला के लिए संख्या 01

(ग) महिला बैरक में परिवर्तित किया गया पुराना बैरक :- 40 महिला के लिए संख्या 01

(घ) महिला शौचालय ब्लॉक :- 200 महिला के लिए संख्या 01

16.71 इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित एफटीआर के अंतर्गत बीओपी में 08 बेड वाले महिला बैरकों को स्वीकृति प्रदान की गई है:

क) एफटीआर मुख्यालय जम्मू : 06 संख्या

ख) एफटीआर मुख्यालय पंजाब : 02 संख्या

ग) एफटीआर मुख्यालय गुजरात : 11 संख्या

घ) एफटीआर मुख्यालय राजस्थान : 11 संख्या

ड.) एफटीआर मुख्यालय दक्षिण बंगाल : 11 संख्या

च) एफटीआर मुख्यालय उत्तरी बंगाल : 08 संख्या

छ) एफटीआर मुख्यालय गुवाहाटी : 08 संख्या

ज) एफटीआर मुख्यालय शिलांग : 08 संख्या

झ) एफटीआर मुख्यालय एमएंडसी : 08 संख्या

(ञ) एफटीआर मुख्यालय त्रिपुरा : 10 संख्या

16.72 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
125	424	4671	5230

16.73 वर्ष 2018-19 के दौरान बीएसएफ से संबंधित विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना और उसके लिए किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
क्रेच- सुविधाएं, अन्य चार्ज	0.35	0.35	0.60

16.74 बीएसएफ ने भी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर और बल के मुख्यालय स्तर पर एक समिति गठित की है।

*****

अनुलग्नक

अनुलग्नक –I

[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय

वर्ष 2018-19 के दौरान (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री राजनाथ सिंह	गृह मंत्री
श्री हंसराज गंगाराम अहीर श्री किरेन रिजिजू	गृह राज्य मंत्री
श्री राजीव गौबा	गृह सचिव
श्री बी.आर. शर्मा	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री ए.पी. माहेश्वरी (07.02.2019 से) श्रीमती रीना मित्रा (31.01.2019 तक)	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री भूपेन्द्र सिंह (12.03.2019 से) श्री रवीन्द्र पंवार (11.03.2019 तक)	विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार
श्री सतपाल चौहान	विशेष सचिव (केंद्र-राज्य)
सुश्री रजनी शेखरी सिबल (08.03.2019 तक) श्री ज्ञानेश कुमार (17.09.2018 से) श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव श्री गोविंद मोहन (17.09.2018 से)	अपर सचिव
श्री सत्येन्द्र गर्ग श्री प्रवीण वशिष्ठ श्रीमती सहेली घोष रॉय श्री श्री प्रकाश श्री संजीव कुमार जिंदल श्री अनिल मलिक श्री विवेक भारद्वाज श्री ए.वी. धर्मा रेड्डी श्री अनुज शर्मा श्री एस.सी.एल. दास (26.03.2018 से) श्री कृष्ण बहादुर सिंह (03.04.2018 से) श्री एस.के. साही (20.04.2018 से) सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव (23.05.2018 से) सुश्री निधि खरे (16.10.2018 से) श्री पीयूष गोयल (19.11.2018 से) श्री अमिताभ खर्कवाल (10.12.2018 से) श्री प्रदीप गुप्ता (09.04.2018 तक) श्री कुमार आलोक (25.04.2018 तक) श्री दिलीप कुमार (16.05.2018 तक) श्री सुधीर कुमार सक्सेना (21.06.2018 तक) श्री मुकेश मित्तल (31.07.2018 तक) श्री विनय भूषण दुबे श्री डेनियल ई. रिचर्ड्स	संयुक्त सचिव
डॉ. एन.के. सिन्हा	आर्थिक सलाहकार
श्री दीपक दास	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
श्री राजेश कुमार	मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक –II
[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

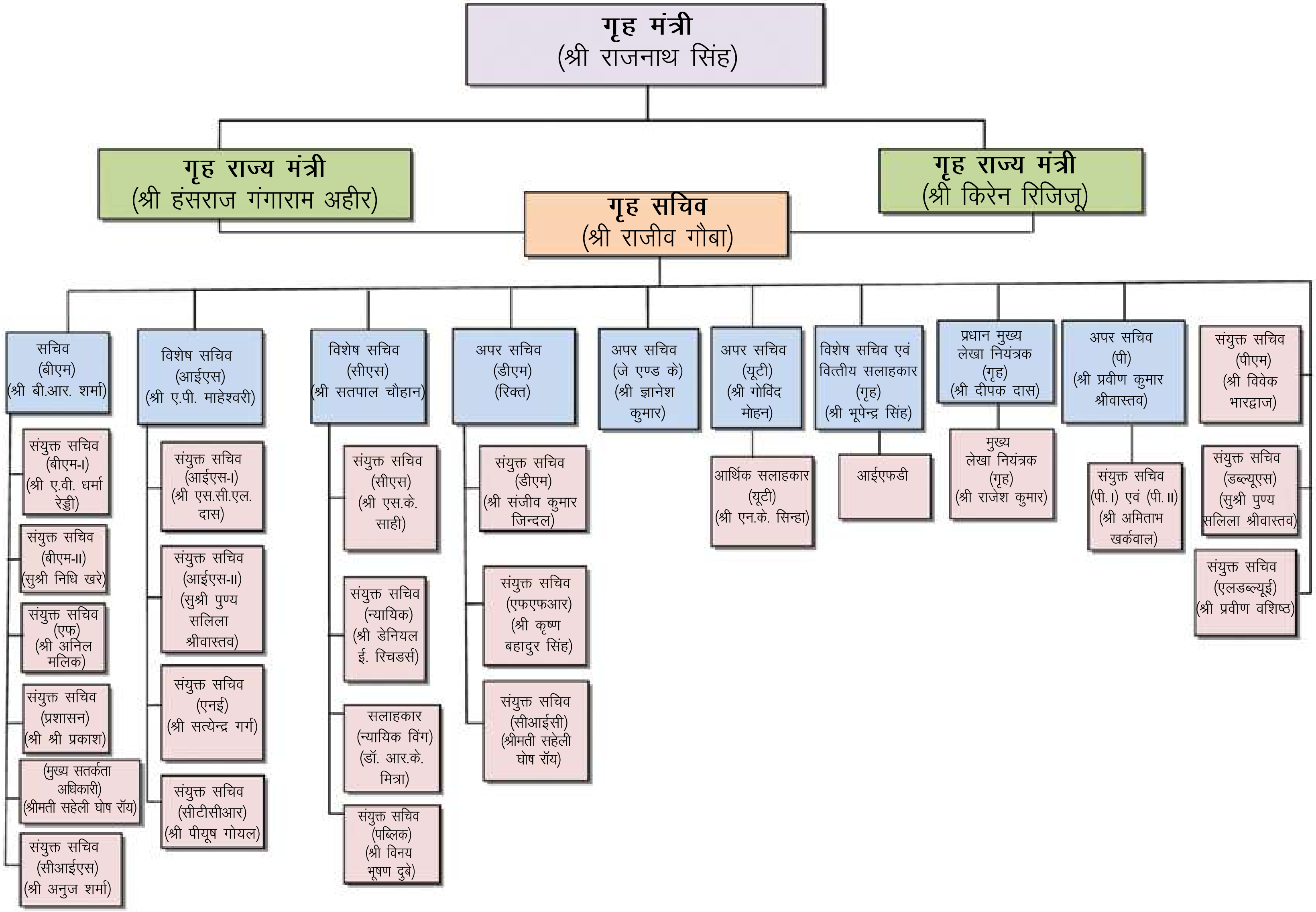

अनुलग्नक-III

[संदर्भ पैरा 2.74]

वर्ष 2012-2019 (31.03.2019 तक) के दौरान राज्य-वार सुरक्षा की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	54	66	14	17	-	05	17
2013	21	49	07	02	01	02	09
2014	33	86	09	07	-	02	49
2015	36	55	05	03	03	01	33
2016	50	59	07	04	02	-	25
2017	61	44	09	03	-	03	27
2018	37	69	12	02	02	01	17
2019 (31.03.2019 तक)	08	21	-	-	-	01	02

असम							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	169	412	59	757	05	27	79
2013	211	348	52	92	05	35	125
2014	246	319	102	102	04	168	94
2015	81	645	49	30	-	09	27
2016	75	366	51	15	04	29	14
2017	33	204	16	13	03	06	05
2018	28	133	05	13	01	07	06
2019(31.03.2019 तक)	04	21	-	07	-	-	03

मणिपुर							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	518	1286	65	350	08	21	57
2013	225	918	25	513	05	28	22

2014	278	1052	23	80	08	16	29
2015	229	805	41	04	24	15	26
2016	233	518	09	-	11	11	25
2017	167	558	22	74	08	23	40
2018	127	404	10	-	07	08	30
2019 (31.03.2019 तक)	33	112	02	-	-	03	06

मेघालय							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	127	92	16	20	01	36	64
2013	123	75	21	10	07	30	33
2014	179	173	35	733	06	24	110
2015	123	121	25	78	07	12	87
2016	68	59	15	205	-	08	52
2017	28	13	06	37	-	02	18
2018	15	17	03	19	01	04	01
2019 (31.03.2019 तक)	01	01	-	01	-	-	-

मिजोरम							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	-	02	-	-	-	-	06
2013	01	03	-	-	-	-	06
2014	03	-	-	03	-	-	14
2015	02	04	-	-	03	-	13
2016	-	02	-	-	-	-	01
2017	-	05	-	-	-	-	-
2018	03	-	-	114	-	-	-
2019 (31.03.2019 तक)	-	-	-	-	-	-	-

नागालैंड							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	151	275	66	04	-	08	93
2013	145	309	33	01	-	11	100
2014	77	296	12	-	-	01	65
2015	102	268	29	13	09	09	78
2016	58	198	05	16	-	-	51
2017	19	171	04	02	01	03	12
2018	42	181	04	-	03	03	63
2019 (31.03.2019 तक)	15	33	-	03	-	-	21

त्रिपुरा							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	अपहृत व्यक्ति
2012	06	12	02	13	-	-	13
2013	06	10	-	22	-	01	12
2014	08	08	-	40	02	01	08
2015	01	02	-	15	-	-	03
2016	-	-	-	27	-	-	-
2017	-	-	-	01	-	-	-
2018	-	-	-	13	-	-	-
2019 (31.03.2019 तक)	-	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक – IV

[संदर्भ पैरा 2.89]

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगठनों" तथा/अथवा "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी/विद्रोही संगठनों की सूची

असम		
		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)	तदैव
(iii)	कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन

मणिपुर		
		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)	-तदैव-
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके)	-तदैव-
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)	-तदैव-
(v)	कांगलेई याओल कान्बा लूप (केवाईकेएल)	-तदैव-
(vi)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)	विधिविरुद्ध संगठन
(vii)	कोऑर्डिनेशन कमिटि [कोर-कॉम]	-तदैव-
(viii)	अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेईपाक (एएसयूके)	-तदैव-
(ix)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)	आतंकवादी संगठन

मेघालय		
		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)	विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन

त्रिपुरा		
		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)	-तदैव-

नागालैंड		
		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
(i)	द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन

अनुलग्नक-V

[संदर्भ पैरा 2.96]

वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को उपलब्ध करायी गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2012-13	112.86	69.36	20.62	11.32	-	50.74	264.90
2013-14	159.18	42.50	25.01	42.18	16.60	4.53	290.00
2014-15	106.69	57.88	37.76	27.23	12.61	18.83	261.00
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	280.00
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	300.00
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	405.00
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	250.00

अनुलग्नक-VI

[संदर्भ पैरा 2.97]

वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किये गये सीएपीएफ/सेना को जारी निधि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

संगठन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बीएसएफ	230.00	262.50	50.00	150.00	150.00	150.00	300.00
सीआरपीएफ	150.00	-	27.00	150.00	150.00	150.00	250.00
आईटीबीपी	100.00	68.00	75.00	100.00	80.00	100.00	80.00
एसएसबी	150.00	17.76	69.00	70.00	70.00	70.00	140.00
असम राइफल्स	200.00	350.00	200.00	350.00	350.00	550.00	330.00
आर्मी	120.00	150.00	179.00	180.00	180.00	180.00	68.00
कुल	950.00	848.26	600.00	1000.00	980.00	1200.00	1168.00

अनुलग्नक- VII

(संदर्भ पैरा 7.2)

संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली	491	3,43,709
4.	दमन और दीव	112	2,43,247
5.	लक्षद्वीप	32	64,429
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
7.	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	10,960	2,00,83,714

अनुलग्नक- VIII

(संदर्भ पैरा 7.2)

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और वास्तविक का तुलनात्मक विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4144.02	4553.74	4555.99	4263.28	4819.93	4791.05	4593.86	4659.60	4655	4887.58
2.	चंडीगढ़	3937.79	4268.75	4169.10	4312.40	4692.75	4628.24	4511.91	4536.57	4430	4753.12
3.	दादरा और नगर हवेली	1071.74	1105.19	1102.90	1075.62	1018.38	1016.54	1121.34	1087.04	1084	1184.89
4.	दमन और दीव	1665.32	1536.19	1435.77	1585.06	1585.06	1579.34	1675.49	1637.80	1643	1918.48
5.	लक्षद्वीप	1254.84	1037.67	1014.84	1248.91	1223.41	1210.75	1397.31	1286.62	1287	1303.49
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	758.00	818.00	817.99	758.00	757.99	752.98	790.00	867.49	868	1112.00
7.	पुदुचेरी	1390.00	1425.14	1425.13	1483.01	1483.00	1500.69	1476.00	1476.00	1526	1545.00

अनुलग्नक-IX

[संदर्भ पैरा 9.12]

सीडीटीआई द्वारा आयोजित किये गये पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	सीडीटीआई का नाम	आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	चंडीगढ़	48	1170
2.	हैदराबाद	60	1309
3.	कोलकाता	68	1205
4.	गाजियाबाद	82	1441
5.	जयपुर	89	1503
	कुल	**347**	**6628**

अनुलग्नक-X

[संदर्भ पैरा 9.15]

राज्य पुलिस अधिकारियों/सीएपीएफ कार्मिकों के लाभ हेतु सेना/सीएपी द्वारा प्रदान किये गए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	पाठ्यक्रमों की संख्या	उपयोग की गई सीटों की संख्या
1	सेना	148	973
2	असम राइफल्स	12	425
3	बीएसएफ	27	605
4	सीआईएसएफ	04	79
5	सीआरपीएफ	25	905
6	आईटीबीपी	07	89
7	एसएसबी	24	181
	कुल	**247**	**3257**

अनुलग्नक-XI

[संदर्भ पैरा 9.18]

विशेषज्ञ अन्वेषकों का विकास (डीएसआई) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की संख्या

क्र.सं.	संस्थान का नाम	अब तक आयोजित किये गये पाठ्यक्रमों की संख्या	चल रहे पाठ्यक्रमों की संख्या	आयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संख्या
1.	सीडीटीआई चंडीगढ़	06	06	06
2.	सीडीटीआई हैदराबाद	04	04	04
3.	सीडीटीआई कोलकाता	08	08	08
4.	सीडीटीआई गाजियाबाद	05	05	05
5.	सीडीटीआई जयपुर	10	10	10
6.	निदेशक, आसूचना प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर	03	03	03

कार्यक्रम के अंतर्गत 684 से अधिक अधिकारी लाभान्वित हुए

अनुलग्नक-XII

[संदर्भ पैरा 10.8]

एनडीएमए द्वारा जारी राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का ब्यौरा

क्रम सं.	निम्नलिखित पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश	जारी करने का मास और वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी प्रबंधन और व्यापक हताहत प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैविक आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भू-स्खलनों और हिमस्खलनों का प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदाओं का प्रबंधन	जून, 2009
11.	मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामियों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदा के परिणामस्वरूप मरने वालों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	स्केलिंग, अग्निशमन सेवाओं के लिए उपस्कर का प्रकार और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	त्रुटिपूर्ण भवनों और अवसंरचनाओं की भूकंपीय रेट्रोफिटिंग	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल की सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा के लिए न्यूनतम मानक	फरवरी, 2016
23.	"कार्य योजना की तैयारी-लू का निवारण और प्रशमन" के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश	मार्च, 2017
24.	संग्रहालयों के बारे में दिशा-निर्देश	मई, 2017
25.	सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसरों के बारे में दिशा-निर्देश	सितंबर, 2017
26.	नाव सुरक्षा के बारे में दिशा-निर्देश	सितंबर, 2017

अनुलग्नक -XIII

[संदर्भ पैरा 10.84]

वर्ष 2015-2020 के दौरान राज्य आपदा राहत निधि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल 2015-20
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	440	462	485	509	534	2430
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	55	57	60	63	287
3.	असम	460	483	507	532	559	2541
4.	बिहार	469	492	517	543	570	2591
5.	छत्तीसगढ़	241	253	265	278	292	1329
6.	गोवा	4	4	4	4	4	20
7.	गुजरात	705	740	777	816	856	3894
8.	हरियाणा	308	323	339	356	374	1700
9.	हिमाचल प्रदेश	236	248	260	273	287	1304
10.	जम्मू एवं कश्मीर	255	268	281	295	310	1409
11.	झारखंड	364	382	401	421	442	2010
12.	कर्नाटक	276	290	305	320	336	1527
13.	केरल	185	194	204	214	225	1022
14.	मध्य प्रदेश	877	921	967	1016	1066	4847
15.	महाराष्ट्र	1483	1557	1635	1717	1803	8195
16.	मणिपुर	19	20	21	22	23	105
17.	मेघालय	24	25	27	28	29	133
18.	मिजोरम	17	18	19	20	20	94
19.	नागालैंड	10	10	11	11	12	54
20.	ओडिशा	747	785	824	865	909	4130
21.	पंजाब	390	409	430	451	474	2154
22.	राजस्थान	1103	1158	1216	1277	1340	6094

23.	सिक्किम	31	33	34	36	38	172
24.	तमिलनाडु	679	713	748	786	825	3751
25.	तेलंगाना	274	288	302	317	333	1514
26.	त्रिपुरा	31	33	34	36	38	172
27.	उत्तर प्रदेश	675	709	744	781	820	3729
28.	उत्तराखंड	210	220	231	243	255	1159
29.	पश्चिम बंगाल	516	542	569	598	628	2853
	कुल	**11081**	**11635**	**12214**	**12825**	**13465**	**61220**

अनुलग्नक -XIV

[संदर्भ पैरा 10.88]

वर्ष 2018-2019 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु. में)

सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आबंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	458.10	50.90	509.00	229.05	229.05	1004.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.00	6.00	60.00	27.00	27.00	132.49
3.	असम	478.80	53.20	532.00	239.40	239.40	--
4.	बिहार	407.25	135.75	543.00	101.815	--	--
5.	छत्तीसगढ़	250.20	27.80	278.00	224.475	125.10	--
6.	गोवा	3.00	1.00	4.00	1.80	--	--
7.	गुजरात	612.00	204.00	816.00	449.95	160.20	--
8.	हरियाणा	320.40	35.60	356.00	160.20	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	245.70	27.30	273.00	122.85	122.85	227.29
10.	जम्मू एवं कश्मीर	265.50	29.50	295.00	252.90	--	--
11.	झारखंड	315.75	105.25	421.00	189.45	126.30	--
12.	कर्नाटक	288.00	32.00	320.00	144.00	144.00	959.84
13.	केरल	192.60	21.40	214.00	96.30	96.30	2904.85
14.	मध्य प्रदेश	914.40	101.60	1016.00	457.20	457.20	334.00
15.	महाराष्ट्र	1287.75	429.25	1717.00	772.65	515.10	2088.59
16.	मणिपुर	19.80	2.20	22.00	9.90	--	--
17.	मेघालय	25.20	2.80	28.00	12.60	--	--
18.	मिजोरम	18.00	2.00	20.00	9.00	9.00	--
19.	नागालैंड	9.90	1.10	11.00	4.95	4.95	195.99
20.	ओडिशा	778.50	86.50	865.00	389.245	389.25	341.72
21.	पंजाब	338.25	112.75	451.00	321.99	--	--

22.	राजस्थान	957.75	319.25	1277.00	574.655	383.10	526.14
23.	सिक्किम	32.40	3.60	36.00	16.20	16.20	54.93
24.	तमिलनाडु	707.40	78.60	786.00	353.700	353.70	900.31
25.	तेलंगाना	237.75	79.25	317.00	226.50	--	--
26.	त्रिपुरा	32.40	3.60	36.00	16.20	16.20	171.74
27.	उत्तर प्रदेश	585.75	195.25	781.00	351.45	--	157.23
28.	उत्तराखंड	218.70	24.30	243.00	109.35	109.35	--
29.	पश्चिम बंगाल	448.50	149.50	598.00	269.10	--	--
	कुल	**10503.75**	**2321.25**	**12825.00**	**6133.88**	**3524.25**	**10000.0**

अनुलग्नक-XV

[संदर्भ पैरा 12.8]

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता') के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.03.2019 के अनुसार)
अरुणाचल प्रदेश	10.77	9.69	2.85	2.69	3.42	1.04
असम	59.93	43.29	1.98	4.68	5.48	5.67
मणिपुर	20.64	28.45	7.31	8.37	1.98	5.99
मेघालय	8.12	6.98	0.28	0.67	2.60	3.66
मिजोरम	17.92	19.03	4.34	8.12	6.13	8.34
नागालैंड	33.88	31.39	11.41	18.05	13.88	18.88
सिक्किम	5.09	3.57	0.13	1.96	2.39	0.36
त्रिपुरा	20.19	22.69	5.16	1.40	1.63	7.08
जम्मू और कश्मीर	18.88	44.36	35.88	34.54	48.00	32.67
हिमाचल प्रदेश	0.59	0.41	0.44	5.58	4.09	3.35
उत्तराखंड	4.55	3.68	3.74	8.53	4.35	13.60
कुल	**200.56**	**213.54**	**73.52**	**94.59**	**93.95**	**100.64**

अनुलग्नक-XVI

[संदर्भ पैरा 12.8]

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता') के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.03.2019 के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	85.92	54.17	32.56	41.10	31.62	50.81
तेलंगाना	0.00	68.13	16.32	29.40	22.60	64.17
बिहार	55.99	49.08	26.57	19.15	5.73	13.18
छत्तीसगढ़	30.88	37.36	14.24	1.73	2.02	18.56
गोवा	2.76	1.86	0.13	0.18	0.21	0.21
गुजरात	78.43	72.65	23.75	43.22	33.06	52.62
हरियाणा	21.61	28.25	14.74	19.29	14.04	12.95
झारखंड	29.86	34.52	22.44	1.64	1.91	9.91
कर्नाटक	77.50	103.65	39.45	72.09	17.13	11.39
केरल	48.26	42.00	2.01	11.09	16.12	17.78
मध्य प्रदेश	61.37	58.18	26.80	21.86	30.47	37.97
महाराष्ट्र	92.93	76.65	50.88	12.80	9.78	9.58
ओडिशा	53.71	42.92	19.46	26.22	19.87	35.10
पंजाब	30.50	38.13	20.67	27.60	20.07	36.52
राजस्थान	62.83	102.50	34.18	34.54	40.38	62.59
तमिलनाडु	69.95	85.74	63.90	89.24	15.54	68.87
उत्तर प्रदेश	176.08	169.23	69.99	35.80	28.20	118.67
पश्चिम बंगाल	62.24	47.40	35.52	12.31	48.94	46.93
कुल	**1040.82**	**1112.42**	**513.61**	**499.26**	**357.69**	**667.81**

अनुलग्नक-XVII

[संदर्भ पैरा 15.5]

जनगणना 2011 के आधार पर जारी किए गए डाटासेटों का ब्यौरा

मकानसूचीकरण और मकानों की गणना

1. सभी परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी सारणियां।
2. अनुसूचित जातियों (अजा) के परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी सारणियां।
3. अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी सारणियां।
4. महिला मुखिया वाले परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी सारणियां।
5. मलिन बस्ती वाले परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी सारणियां।

जनसंख्या की गणना

6. ए-5 लिंग और आवास के आधार पर कुल जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या (0-6 वर्ष), साक्षरों, कर्मियों को दर्शाने वाला प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए): ग्राम/वार्ड स्तर तक।
7. सी- 13 आयु संबंधी सारणियां-कुल जनसंख्या के संबंध में एकल वर्ष।
8. सी- 13 अजा आयु संबंधी सारणियां-अनुसूचित जातियों के संबंध में एकल वर्ष।
9. सी- 13 अजजा आयु संबंधी सारणियां-अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एकल वर्ष।
10. सी- 14 आयु संबंधी सारणियां-कुल जनसंख्या के संबंध में 5 वर्ष आयु समूह।
11. सी-14 अजा आयु संबंधी सारणियां-अनुसूचित जातियों के संबंध में 5 वर्ष आयु समूह।
12. सी- 14 अजजा आयु संबंधी सारणियां-अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 5 वर्ष आयु समूह।
13. मलिन बसतियों का पीसीए।
14. ए- 8 अनुसूचित जातियों का पीसीए।
15. ए- 9 अनुसूचित जनजातियों का पीसीए।
16. ए- 6 बेघर जनसंख्या का पीसीए।
17. सी- 20 प्रकारों के आधार पर निःशक्तता संबंधी आंकड़े-कुल।
18. सी- 20 अजा प्रकारों के आधार पर निःशक्तता संबंधी आंकड़े-अनुसूचित जातियां।
19. सी 20 अजजा प्रकारों के आधार पर निःशक्तता संबंधी आंकड़े-अनुसूचित जनजातियां।

20. ए- 7 संस्थागत परिवार और जनसंख्या।

21. ए- 3 जनसंख्या के आकार के आधार पर गांवों का वितरण।

22. निवास के आधार पर "अन्य" लिंग की जनसंख्या।

23. सी- 13 परिशिष्ट कुल जनसंख्या के संबंध में निवास, लिंग और साक्षरता की स्थिति के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां।

24. सी- 13 अजा परिशिष्ट अनुसूचित जातियों के संबंध में निवास, लिंग और साक्षरता के स्तर के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां।

25. सी- 13 अजजा परिशिष्ट अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निवास, लिंग और साक्षरता के स्तर के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां।

26. सी- 23 नि:शक्तता, आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों, अल्प कर्मियों और गैर-कर्मियों के बीच नि:शक्त जनसंख्या।

27. ए- 10 अलग-अलग अनुसूचित जातियों संबंधी पीसीए।

28. ए- 10 परिशिष्ट प्रत्येक जाति के लिए जिला-वार जनसंख्या।

29. ए- 11 अलग-अलग अनुसूचित जनजातियों संबंधी पीसीए।

30. ए-11 परिशिष्ट प्रत्येक जनजाति के लिए जिला-वार जनसंख्या।

31. ए- 2 वर्ष 1901 से जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन संबंधी सारणी।

32. बी- 1 कुल जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैंध्के लिए उपलब्ध हैं।

33. बी- 1 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/के लिए उपलब्ध हैं।

34. बी- 1 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/के लिए उपलब्ध हैं।

35. एचएच- 1 कुल जनसंख्या के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर सामान्य परिवार।

36. एचएच- 1 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर सामान्य परिवार।

37. एचएच- 1 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर सामान्य परिवार।

38. बी- 11 कुल जनसंख्या के संबंध में मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर अल्प-कर्मी।

39. बी- 11 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर अल्प- कर्मी।

40. बी- 11 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर अल्प- कर्मी।

41. बी- 13कुल जनसंख्या के संबंध में मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर गैर-कर्मी।

42. बी- 13 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर गैर-कर्मी।

43. बी- 13 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर गैर-कर्मी।

44. एचएच-02 परिवार के आकार के आधार पर बेघर परिवार।

45. एचएच-14 परिवारों की प्रतिशतता के रूप में परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसम्पततियां (गांव/जिला स्तर पर)।

46. सी-24 नि:शक्तता और लिंग के प्रकार के आधार पर निरूशक्त गैर-कर्मी।

47. एचएच- 13 नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या और परिवार के आकार के आधार पर परिवार (सामान्य और बेघर)।

48. एचएच- 11 कुल जनसंख्या के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर कर्मियों की संख्या सहित परिवार (सामान्य और बेघर)।

49. एचएच- 11 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर कर्मियों की संख्या सहित परिवार (सामान्य और बेघर)।

50. एचएच- 11 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर कर्मियों की संख्या सहित परिवार (सामान्य और बेघर)।

51. एचएच- 12आकार और कार्य चाहने वालेध्के लिए उपलब्ध सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार।

52. एचएच- 12 परिशिष्ट आकार और कार्य चाहने वाले/के लिए उपलब्ध महिला सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार।

53. एचएच- 5 लिंग और परिवार के आकार के आधार पर 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या सहित परिवार।

54. गणना उपरांत सर्वेक्षण(पीईएस) संबंधी रिपोर्ट।

55. किशोरों और युवा संबंधी विशिष्ट सारणी।

56. नि:शक्तता, साक्षरता, लिंग और निवास के आधार पर नि:शक्त जनसंख्या।

57. नि:शक्तता, साक्षरता, लिंग और निवास के आधार पर नि:शक्त जनसंख्या (अजा)।

58. नि:शक्तता, साक्षरता, लिंग और निवास के आधार पर नि:शक्त जनसंख्या (अजजा)।

59. एचएच-08 परिवार के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों के बीच साक्षरों की संख्या के आधार पर परिवार।

60. एचएच-08 अजा परिवार के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों के बीच साक्षरों की संख्या के आधार पर परिवार।

61. एचएच-08 अजजा परिवार के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों के बीच साक्षरों की संख्या के आधार पर परिवार।

62. निःशक्तता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर 0-6 वर्ष आयु समूह में निरूशक्तों का वितरण (भारत और राज्यध्संघ राज्यक्षेत्र)।

63. अनुसूचित जातियों के संबंध में निःशक्तता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर 0-6 वर्ष आयु समूह में निरूशक्तों का वितरण (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

64. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निःशक्तता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर 0-6 वर्ष आयु समूह में निरूशक्तों का वितरण (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

65. सी- 13 परिशिष्ट-ख निवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

66. सी- 13 अजा परिशिष्ट-ख अनुसूचित जातियों के संबंध में निवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

67. सी- 13 अजजा परिशिष्ट-ख अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

68. लिंग, आर्थिक स्थिति और निवास के आधार पर निरूशक्त कर्मियों का वितरण-2011 (भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

69. अनुसूचित जातियों के संबंध में लिंग, आर्थिक स्थिति और निवास के आधार पर निरूशक्त कर्मियों का वितरण-2011 (भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

70. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग, आर्थिक स्थिति और निवास के आधार पर निरूशक्त कर्मियों का वितरण-2011 (भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।

71. सी- 2 आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

72. एफ- 1मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

73. एफ- 5 मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और लिंग के आधार पर कुल जीवित बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

74. एफ- 9 मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

75. सी- 2 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

76. सी- 2 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

77. एफ- 1 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

78. एफ- 1 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

79. एफ- 5 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और लिंग के आधार पर कुल जीवित बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

80. एफ- 5 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और लिंग के आधार पर कुल जीवित बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

81. सी- 4 विवाह के समय आयु और विवाह की अवधि के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या।

82. सी- 4 अजा अनुसूचित जाति के संबंध में विवाह के समय आयु और विवाह की अवधि के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या।

83. सी- 4 अजजा अनुसूचित जनजाति के संबंध में विवाह के समय आयु और विवाह की अवधि के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या।

84. एफ- 9 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

85. एफ- 9 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

86. सी- 2 परिशिष्ट एकल वर्ष आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

87. सी- 2 अजा परिशिष्ट अनसूचित जाति के संबंध में एकल वर्ष आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

88. सी- 2 अजजा परिशिष्ट अनसूचित जनजाति के संबंध में एकल वर्ष आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

89. एचएच- 6 परिवार के मुखिया की वैवाहिक स्थिति, लिंग और आयु के आधार पर परिवार।

90. सी- 21 नि:शक्तता के प्रकार, वैवाहिक स्थिति, आयु और लिंग के आधार पर नि:शक्त जनसंख्या।

91. कुल जनसंख्या के महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी पीसीए (विशेष सारणी)।

92. अनसूचित जातियों के महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी पीसीए (विशेष सारणी)।

93. अनसूचित जनजातियों के महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी पीसीए (विशेष सारणी)।

94. अजा-07 आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

95. अजा-11 मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

96. अजा-12 मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और कुल जीवित बच्चे तथा लिंग के आधार पर महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

97. अजा-13 मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

98. सी-30 नि:शक्तता के प्रकार, परिवारों के प्रकार और लिंग के आधार पर नि:शक्त जनसंख्या।

99. अजजा-7 आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग-अलग)।

100. अजजा-11 मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (केवल चुनिंदा जनजातियों के लिए)।

101. अजजा-12 मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और कुल जीवित बच्चे तथा लिंग के आधार पर महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (केवल चुनिंदा जनजातियों के लिए)।

102. अजजा-13 मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या (केवल चुनिंदा जनजातियों के लिए)।

103. सी-8 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणि ाक स्तर।

104. सी-8 परिशिष्ट 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणि ाक स्तर स्नातक और उससे अधिक।

105. सी-8 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर।

106. सी-8 अजा परिशिष्ट अनुसूचित जातियों के संबंध में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर स्नातक और उससे अधिक।

107. सी-8 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर।

108. सी-8 अजजा परिशिष्ट अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर स्नातक और उससे अधिक।

109. सी- 1 धार्मिक समुदाय के नाम पर जनसंख्या।

110. सी- 10 आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्था के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या।

111. सी- 10 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्था के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या।

112. सी- 10 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्था के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या।

113. एचएच- 10 परिवार के आकार के आधार पर शैक्षणिक स्तर मैट्रिकुलेशन और उससे अधिक के साथ अथवा बिना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों सहित परिवार जारी कर दिए गए हैं।

114. सी-11 पूर्ण शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या।

115. बी-3 शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैंध्कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।

116. बी-3 अजा अनुसूचित जातियों के संबंध में शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।
117. बी-3 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।
118. बी-9 शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मी।
119. बी-28 निवास से कार्य के स्थान तक दूरी और कार्य के स्थान तक यात्रा की रीति के आधार पर अन्य कर्मी।
120. एफ-13 लिंग के आधार पर कभी भी जन्में बच्चों की संख्या, कभी भी जन्में पुरूष और महिला बच्चों की संख्या और जीवित बच्चों की संख्या के संबंध में कभी भी विवाहित महिलाएं।
121. एफ-14 लिंग के आधार पर कभी भी जन्में बच्चों की संख्या, कभी भी जन्में पुरूष और महिला बच्चों की संख्या और जीवित बच्चों की संख्या के संबंध में मौजूदा विवाहित महिलाएं।
122. बी-15 मुख्य क्रियाकलाप, शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर गैर-कर्मी।
123. बी-16 शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी और गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।
124. अनुसूचित जातियों के संबंध में मकानसूचीकरण प्राथमिक जनगणना सार 2011।
125. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मकानसूचीकरण प्राथमिक जनगणना सार 2011।
126. धर्म के आधार पर प्राथमिक जनगणना सार 2011।
127. सी-15 आयु और लिंग के आधार पर धार्मिक समुदाय, 2011।
128. अजजा-8 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर (प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग)।
129. अजजा-8 परिशिष्ट 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर (प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग)।
130. अजजा-9 आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्थान के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग-अलग)।
131. अजजा-10 आर्थिक क्रियाकलाप सथिति और लिंग के आधार पर विद्यालय/महाविद्यालय में जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग-अलग)।
132. अजा-8 आयु और लिंग के आधार पर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर (प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग)।
133. अजा-8 परिशिष्ट लिंग के आधार पर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर (प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग)।
134. अजा-9 आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्थान के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या (प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग)।

135. अजा-10 आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर विद्यालय/महाविद्यालय में जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या (प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग)।

136. एफ-2 लिंग के आधार पर मौजूदा आयु, समानता, धार्मिक समुदाय और कभी भी जन्में कुल बच्चों के संबंध में महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

137. एफ-6 लिंग के आधार पर मौजूदा आयु, समानता, धार्मिक समुदाय, जीवित बच्चों और कुल जीवित बच्चों के संबंध में महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

138. एफ-10 लिंग और जन्म क्रम के आधार पर मौजूदा आयु, धार्मिक समुदाय और पिछले वर्ष जन्मों की संख्या के संबंध में महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

139. एचएच-7 धर्म, परिवार के मुखिया के लिंग और परिवार के आकार के आधार पर परिवार।

140. अजा-5 शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत अल्प कर्मी और गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं (प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग)।

141. अजजा-5 शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत अल्प कर्मी और गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग-अलग)।

142. अजा-14 धार्मिक समुदाय के आधार पर अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रत्येक जाति के लिए अलग-अलग)।

143. अजजा-14 धार्मिक समुदाय के आधार पर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग-अलग)।

144. एफ-3 लिंग के आधार पर मौजूदा आयु, समानता, शैक्षणिक स्तर और कभी भी जन्मे कुल बच्चों के संबंध में महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

145. एफ-7 लिंग के आधार पर मौजूदा आयु, समानता, शैक्षणिक स्तर, जीवित बच्चों और कुल बच्चों की संख्या के संबंध में महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

146. एफ-11 लिंग और जन्म क्रम के आधार पर मौजूदा आयु, पिछले वर्ष जन्मों की संख्या के संबंध में महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

147. अजजा-14 परिशिष्ट मुख्य सारणी में 'अन्य धर्मों और सम्प्रदायों' के अधीन दर्शाए गए धर्मों का ब्यौरा अजजा-14।

148. सी-5 शादी की आयु, शादी की अवधि और धार्मिक समुदाय के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या।

149. सी-6 शादी की आयु, शादी की अवधि और शैक्षणिक स्तर के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या।

150. सी-7 शादी की आयु, शादी की अवधि और आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या।

151. बी-2 आयु, लिंग और धार्मिक समुदाय के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर-कर्मी और अल्प कर्मी, गैर-कर्मी जो कार्य चाहते हैं/कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।

152. बी-12 मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु, लिंग और धार्मिक समुदाय के आधार पर अल्प कर्मी।

153. बी-14 मुख्य गैर-आर्थिक क्रियाकलाप, आयु, लिंग और धार्मिक समुदाय के आधार पर गैर-कर्मी।

154. सी-29 निःशक्तता के प्रकार, शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर निःशक्त जनसंख्या।

155. सी-1 (परिशिष्ट) मुख्य सारणी सी-1 में 'अन्य धर्मों और सम्प्रदायों' के अधीन दर्शाए गए धार्मिक समुदायों का ब्यौरा।

156. सी-1 अनुलग्नक विशिष्ट धार्मिक समुदायों के अधीन जोड़े गए वर्गों/विश्वासों/धर्मों का ब्यौरा।

157. सी-03 धार्मिक समुदाय और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

158. सी-03 (परिशिष्ट) धार्मिक समुदाय, आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति।

159. सी-9 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के संबंध में धार्मिक समुदाय और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर।

160. सी-12 आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने/न जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या।

161. सी-12 अजा अनुसूचित जाति के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में जाने/न जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या।

162. सी-12 अजजा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में जाने/न जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या।

163. सी-12 ए आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में न जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की कुल जनसंख्या।

164. सी-12 अजा ए अनुसूचित जाति के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में न जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या।

165. सी-12 अजजा ए अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप स्थिति और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में न जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की जनसंख्या।

166. ए-1 गांवों, नगरों, परिवारों की संख्या एवं जनसंख्या और क्षेत्र।

167. सी-22 निःशक्तता के प्रकार और लिंग के आधार पर विद्यालय/महाविद्यालय में जाने वाली 5-19 वर्ष की आयु की निःशक्त जनसंख्या।

168. एफ-4 लिंग के आधार पर मौजूदा आयु, समानता, आर्थिक क्रियाकलाप और कभी भी जन्में हुए कुल बच्चों के संबंध में महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

169. एफ-8 लिंग के आधार पर मौजूदा आयु, आर्थिक क्रियाकलाप और जीवित बच्चों और कुल जीवित बच्चों की संख्या के संबंध में महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या।

170. एफ-12 लिंग और जन्म क्रम के आधार पर मौजूदा आयु, आर्थिक क्रियाकलाप, पिछले वर्ष जन्मों की संख्या के संबंध में महिलाओं/इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या।

171. अनंतिम डी-5 विगत निवास स्थल, आयु, लिंग के आधार पर प्रवासी, प्रवसन के कारण और निवास की अवधि।

172. एचएच-7 अजा: धर्म, परिवार के मुखिया का लिंग और परिवार के आकार के आधार पर अनुसूचित जाति परिवार।

173. एचएच-7 अजजा: धर्म, परिवार के मुखिया का लिंग और परिवार के आधार पर अनुसूचित जनजाति परिवार।

174. एचएच-9: साक्षरों की संख्या, परिवार के मुखिया का धर्म और परिवार के आकार के आधार पर परिवार।

175. एचएच-9: अजा: साक्षरों की संख्या, परिवार के मुखिया का धर्म और परिवार के आधार पर अनुसूचित जाति परिवार।

176. एचएच-9 अजजा: साक्षरों की संख्या, परिवार के मुखिया का धर्म और परिवार के आकार के आधार पर अनुसूचित जनजाति परिवार।

177. ए-3 परिशिष्ट संख्या और 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव और 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगर।

178. ए-4: 1901-2011 में हुए परिवर्तनों सहित नगरीय और शहरी समूह जिन्हें 2011 में जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, को जारी कर दिया गया है।

179. ए-4 परिशिष्ट-I: वर्ष 2011 में जोड़े गए नए नगर और 2001 के नगर जिन्हें 2011 में अवर्गीकृत कर दिया गया था।

180. ए-4 परिशिष्ट-II: 2001-2011 के बीच नगरों के क्षेत्र में परिवर्तन और इसके कारण।

181. एचएच-4: संरचना और आकार के आधार पर परिवार।

182. एचएच-4 अजा: संरचना और आकार के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवार।

183. एचएच-4 अजजा: संरचना और आकार के आधार पर अनुसूचित जनजाति के परिवार।

184. बी-4 आयु, औद्योगिक श्रेणी, लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011

185. बी-4 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए आयु, औद्योगिक श्रेणी, और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011

186. बी-4 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु, औद्योगिक श्रेणी, और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011

187. बी-6 आयु, औद्योगिक श्रेणी और लिंग के आधार पर सीमांत कर्मियों का वर्गीकरण- 2011

188. बी-6 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए आयु, औद्योगिक श्रेणी, और लिंग के आधार पर सीमांत कर्मियों का वर्गीकरण- 2011

189. बी-6 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु, औद्योगिक श्रेणी और लिंग के आधार पर सीमांत कर्मियों का वर्गीकरण- 2011

190. बी-18 कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का लिंग तथा वर्ग-समूह और श्रेणी के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण-2011

191. बी-18 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का लिंग तथा वर्ग-समूह और श्रेणी के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण-2011

192. बी-18 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का लिंग तथा वर्ग-समूह और श्रेणी के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण- 2011
193. बी-5 : औद्योगिक श्रेणी, लिंग और धार्मिक समुदाय के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
194. बी-7 : औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
195. बी-7 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण - 2011
196. बी-7 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
197. बी-8 : औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर सीमांत कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
198. बी-8 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर सीमांत कर्मियों का वर्गीकरण - 2011
199 बी-8 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
200. बी-10 : कार्य अनुसार औद्योगिक श्रेणी और उनके मुख्य गैर-आर्थिक गतिविधि के आधार पर सीमांत कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
201. बी-17 : औद्योगिक श्रेणी और वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिला कर्मियों का वर्गीकरण- 2011
202. बी-19 : घरेलू उद्योग और गैर-घरेलू उद्योग में विनिर्माण, प्रसंस्करण, सेवा और मरम्मत आधार पर मुख्य कर्मियों का औद्योगिक वर्गीकरण- 2011
203. बी 23ए : कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों का औद्योगिक श्रेणी अनुसार व्यावसायिक वर्गीकरण -2011
204. बी 23बी : कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा सीमांत कर्मियों का औद्योगिक श्रेणी और लिंग अनुसार व्यावसायिक वर्गीकरण- 2011
205. बी 24 : कर्मी के वर्ग और लिंग के आधार गैर-घरेलू उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या सेवा के आधार पर मुख्य कर्मियों का व्यावसायिक वर्गीकरण -2011
206. बी 25ए : कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों का व्यावसायिक वर्गीकरण-2011
207. बी 25ए अजा: अनुसूचित जातियों के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों का लिंग के आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण-2011
208. बी 25ए अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों का लिंग के आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण-2011
209. बी 25बी : कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा सीमांत कर्मियों का लिंग के आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण- 2011

210. बी 25बी अजा: अनुसूचित जातियों के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा सीमांत कर्मियों का लिंग के आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण-2011

211. बी 25 बी अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा सीमांत कर्मियों का लिंग के आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण-2011

212. बी 26 : आयु और लिंग के आधार पर कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का व्यावसायिक वर्गीकरण -2011

213. बी 27 : आयु और शैक्षिक स्तर के आधार पर कृषक और खेतिहर मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का व्यावसायिक वर्गीकरण-2011

214. बी 20 : घरेलू उद्योग में कर्मिकों के वर्ग अनुसार लिंग और विनिर्माण, प्रसंस्करण, सर्विसिंग और मरम्मत के मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का औद्योगिक वर्गीकरण-2011

215. बी 20 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए घरेलू उद्योग में कर्मिकों के वर्ग अनुसार लिंग और विनिर्माण, प्रसंस्करण, सर्विसिंग और मरम्मत के मुख्य कर्मिकों और सीमांत कर्मियों का औद्योगिक वर्गीकरण-2011

216. बी 20 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए घरेलू उद्योग में कर्मियों के वर्ग अनुसार लिंग और विनिर्माण, प्रसंस्करण, सर्विसिंग और मरम्मत के मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का औद्योगिक वर्गीकरण-2011

217. बी 21: गैर-घरेलू उद्योग मुख्य कर्मियों और अन्य मुख्य कर्मियों का वर्ग, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण

218. बी 22: गैर-घरेलू उद्योगों में मुख्य और सीमांत कर्मियों और अन्य मुख्य तथा सीमांत कर्मियों का वर्ग और लिंग के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण-2011

219. बी 22 अजा: अनुसूचित जातियों के लिए गैर-घरेलू उद्योगों में मुख्य और सीमांत कर्मियों और अन्य मुख्य तथा सीमांत कर्मियों का कर्मी वर्ग और लिंग-2011 के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण - 2011

220. बी 22 अजजा: अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-घरेलू उद्योगों में मुख्य और सीमांत कर्मियों और अन्य मुख्य तथा सीमांत कर्मियों का कर्मी वर्ग और लिंग के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण- 2011

221. सी-16 मातृभाषा के आधार पर जनसंख्या (भारत और राज्यों/संघराज्य क्षेत्र–उपजिला स्तर)

222. सी-16 मातृभाषा के आधार पर जनसंख्या (भारत और राज्यों/संघराज्य क्षेत्र उपजिला स्तर) शहरी स्तर

223. अजा-1: मुख्य कर्मियों का जाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

224. अजा-2: मुख्य कर्मियों का जाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

225. अजा-3: सीमांत कर्मियों का जाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

226. अजा-4: सीमांत कर्मियों का जाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

227. अजजा-1: मुख्य कर्मियों का प्रत्येक जनजाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

228. अजजा-2: मुख्य कर्मियों का प्रत्येक जनजाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

229. अजजा-3: सीमांत कर्मियों का प्रत्येक जनजाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

230. अजजा-4: सीमांत कर्मियों का प्रत्येक जनजाति-वार पृथक रूप से औद्योगिक श्रेणी, शैक्षिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकरण (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)

231. सी-17 द्विभाषावाद और त्रिभाषावाद अनुसार जनसंख्या

232. सी-18 (द्विभाषावाद, त्रिभाषावाद, आयु और लिंग अनुसार जनसंख्या)

233. सी-19 (द्विभाषावाद, त्रिभाषावाद, शैक्षिक स्तर और लिंग अनुसार जनसंख्या)

234. अनुसूचित जाति-06 खेतिहरों और कृषक मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का आयु और लिंग आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रत्येक जाति के लिए पृथक रूप से) – 2011

235. अनुसूचित जनजाति-06 खेतिहरों और कृषक मजदूरों के अलावा मुख्य कर्मियों और सीमांत कर्मियों का आयु और लिंग आधार पर व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रत्येक जनजाति के लिए पृथक रूप से) – 2011

अनुलग्नक XVIII

[संदर्भ पैरा 15.36]

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर, 2016

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	20.4	22.1	17.0	6.4	6.9	5.4	14.0	15.2	11.7	34	38	23
बड़े राज्य												
1.आन्ध्र प्रदेश	16.4	16.7	15.8	6.8	7.7	4.9	9.6	9.0	10.9	34	38	24
2. असम	21.7	22.8	15.0	6.7	7.1	4.9	14.9	15.8	10.1	44	46	22
3. बिहार	26.8	27.7	21.1	6.0	6.1	5.5	20.8	21.6	15.6	38	39	29
4. छत्तीसगढ़	22.8	24.3	18.1	7.4	7.8	6.2	15.4	16.5	11.9	39	41	31
5. दिल्ली	15.5	17.0	15.5	4.0	4.5	4.0	11.5	12.5	11.5	18	24	17
6. गुजरात	20.1	22.0	17.7	6.1	6.5	5.5	14.0	15.5	12.2	30	38	19
7. हरियाणा	20.7	22.0	18.3	5.9	6.3	5.1	14.8	15.7	13.3	33	35	27
8. जम्मू और कश्मीर	15.7	17.4	11.9	5.0	5.2	4.4	10.8	12.2	7.5	24	25	23
9. झारखण्ड	22.9	24.5	18.4	5.5	5.8	4.7	17.4	18.7	13.6	29	31	21
10. कर्नाटक	17.6	18.5	16.2	6.7	7.9	4.9	10.9	10.6	11.3	24	27	19
11. केरल	14.3	14.3	14.4	7.6	7.3	7.8	6.8	7.0	6.5	10	10	10
12. मध्य प्रदेश	25.1	27.1	19.5	7.1	7.6	5.7	17.9	19.5	13.8	47	50	33
13. महाराष्ट्र	15.9	16.3	15.5	5.9	6.9	4.6	10.1	9.4	10.9	19	24	13
14. ओडिशा	18.6	19.6	13.7	7.8	8.1	6.1	10.8	11.4	7.6	44	46	34
15. पंजाब	14.9	15.6	14.1	6.0	6.6	5.1	9.0	9.0	9.0	21	23	18
16. राजस्थान	24.3	25.2	21.6	6.1	6.4	5.2	18.2	18.8	16.3	41	45	30
17. तमिलनाडु	15.0	15.1	15.0	6.4	7.1	5.7	8.7	7.9	9.3	17	20	14
18. तेलंगाना	17.5	17.8	17.0	6.1	7.1	4.6	11.4	10.7	12.5	31	35	24

19. उत्तर प्रदेश	26.2	27.3	22.8	6.9	7.3	5.5	19.3	20.0	17.3	43	46	34
20. उत्तराख.ड	16.6	16.8	16.0	6.7	7.0	5.9	9.9	9.8	10.1	38	41	29
21. पशचिम बंगाल	15.4	16.9	11.8	5.8	5.7	6.1	9.6	11.3	5.7	25	25	22
छोटे राज्य												
1. अरूणाचल प्रदेश	18.9	19.5	16.1	6.2	6.5	4.5	12.7	13.0	11.6	36	38	23
2. गोवा	12.9	12.1	13.5	6.7	7.6	6.1	6.1	4.5	7.4	8	10	7
3. हिमाचल प्रदेश	16.0	16.5	10.5	6.8	7.0	4.3	9.2	9.4	6.2	25	25	19
4. मणिपुर	12.9	13.2	12.4	4.5	4.4	4.8	8.4	8.8	7.6	11	12	10
5. मेघालय	23.7	25.9	14.0	6.6	7.0	5.0	17.1	18.9	9.0	39	40	26
6. मिजोरम	15.5	18.2	12.6	4.2	4.4	4.1	11.3	13.8	8.5	27	35	14
7. नागालैण्ड	14.0	14.4	13.3	4.5	5.6	2.8	9.5	8.8	10.5	12	11	14
8. सिक्किम	16.6	15.5	18.5	4.7	5.5	3.4	11.9	10.0	15.1	16	18	13
9. त्रिपुरा	13.7	14.6	11.3	5.5	5.2	6.1	8.2	9.4	5.2	24	21	32
संघ राज्यक्षेत्र												
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11.7	12.5	10.6	5.2	5.7	4.6	6.5	6.8	6.1	16	12	22
2. चण्डीगढ़	13.9	19.2	13.8	4.5	1.6	4.6	9.4	17.7	9.2	14	6	14
3. दादरा और नगर हवेली	24.5	20.4	27.7	4.0	5.0	3.2	20.5	15.5	24.6	17	24	12
4. दमन और दीव	24.0	16.7	25.8	4.6	6.1	4.2	19.5	10.6	21.6	19	18	19
5. लक्षद्वीप	18.9	24.0	17.6	6.0	7.9	5.5	12.9	16.1	12.1	19	16	20
6. पुदुच्चेरी	13.9	13.6	14.0	7.2	7.8	6.9	6.7	5.8	7.1	10	16	8

टिप्पणी: छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में शिशु मृत्यु दरें तीन वर्षों की अवधि 2014-16 पर आधारित हैं।

अनुलग्नक-XIX

[संदर्भ पैरा 15.39]

लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय प्रत्याशित आयु, भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2012-16

भारत और बड़े राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत ’	**68.7**	**67.4**	**70.2**	**67.4**	**66.0**	**68.9**	**72.2**	**70.9**	**73.5**
आन्ध्र प्रदेश	**69.6**	**68.0**	**71.4**	**68.3**	**66.4**	**70.4**	**72.9**	**71.9**	**73.9**
असम	65.5	64.4	66.8	64.4	63.3	65.8	72.5	71.7	73.4
बिहार	68.7	68.9	68.5	68.4	68.6	68.2	71.5	71.8	71.4
छत्तीसगढ़	65.2	63.6	66.8	64.4	62.9	65.9	68.7	66.8	70.7
दिल्ली	74.2	72.7	75.9	71.9	70.2	0.0	74.4	73.0	76.0
गुजरात	69.5	67.4	71.8	68.0	65.2	71.2	71.7	70.6	72.9
हरियाणा	69.4	67.2	72.0	68.4	66.1	71.3	71.3	69.3	73.5
हिमाचल प्रदेश	72.3	69.4	75.5	72.0	69.0	75.3	76.6	75.0	78.6
जम्मू और कश्मीर	73.5	71.6	76.2	72.6	70.8	75.1	76.3	73.8	79.1
झारखण्ड	67.9	67.8	68.0	67.0	67.1	66.8	72.1	71.4	72.9
कर्नाटक	69.1	67.6	70.7	67.4	65.7	69.2	72.3	71.1	73.7
केरल	75.1	72.2	77.9	75.2	72.1	78.3	74.9	72.3	77.3
मध्य प्रदेश	65.4	63.7	67.2	64.1	62.4	66.1	69.7	68.2	71.5
महाराष्ट्र	72.2	70.8	73.7	70.8	69.5	72.2	74.2	72.6	76.0
ओडिशा	67कृ6	66.2	69.1	66.9	65.6	68.6	71.2	70.4	72.1
पंजाब	72.5	71.0	74.2	71.3	69.9	72.9	74.3	72.6	76.6
राजस्थान	68.3	66.1	70.7	67.3	64.8	70.2	71.5	70.6	72.5
तमिल नाडु	71.4	69.5	73.4	69.9	68.0	71.9	73.2	71.3	75.2
उत्तर प्रदेश	64.8	63.9	65.6	63.8	62.8	64.7	68.4	67.9	68.8
उत्तराखण्ड	71.5	68.5	74.8	71.0	67.7	74.6	72.9	70.9	75.2
पश्चिम बंगाल	70.8	69.8	71.9	69.8	68.7	71.1	73.1	72.4	73.8

: भारत में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं ।

टिप्पणी: 1. आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल किया गया है ।

2. छोटे सैम्पल आकार के कारण छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए डाटा प्रकाशित नहीं किया गया है ।

*****

अनुलग्नक XX

[संदर्भ पैरा 16.17]

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	167	184	1027	994
2.	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक सतर्कता/अनुशासनिक मामले	60	63	7769	7758
3.	दिनांक 31.03.2019 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	51	57	7544	7581
4.	दिनांक 31.03.2019 को सतर्कता/ अनुशासनिक मामले (1+2+3)	176	190	1252	1171
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के ब्योरे के संदर्भ में):-				
	(क) बर्खास्तगी	01	01	235	231
	(ख) निष्कासन	02	02	423	424
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	02	02	102	100
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	13	13	654	653
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	0	0	902	923
	(च) पदोन्नति रोकना	02	02	06	06
	(छ) वेतन से वूसली के आदेश	0	0	2039	2038
	(ज) निंदा	05	05	1872	1874

	(झ) चेतावनी	03	03	353	353
	(ञ) असंतोष	04	04	05	05
	(ट) दोषमुक्ति	12	12	384	385
	(ठ) मामलों का स्थानांतरण	0	0	25	25
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	05	05	81	86
	(ढ) पेंशन में कटौती	01	01	01	01
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	01	01	28	28
	(त) यूनिट में कैद	0	0	30	33
	(थ) क्वार्टर गार्ड में कैद	0	0	294	299
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	0	0	47	47
	(ध) प्रास्थगन	0	0	35	33
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	0	0	37	37
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	0	0	0	0
	(फ) अतिरिक्त निगरानी/ड्यूटी/जांच के बाद बंद किए गए मामले/अज्ञात/छद्म नाम वाले मामले/मृत्यु के कारण निपटाए गए मामले	0	06	25	0
	कुल (क से फ)	**51**	**57**	**7544**	**7581**

अनुलग्नक XXI

[संदर्भ पैरा 16.41]

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2139	776	842	2073
2	असम राइफल्स	139	65	16	188
3	बीपीआरएंडडी	11	14	1	24
4	बीएसएफ	391	245	246	390
5	सीआईएसएफ	364	201	138	427
6	सीआरपीएफ	113	187	51	249
7	चंडीगढ़	1418	585	368	1635
8	दादरा और नगर हवेली	193	0	0	193
9	राजभाषा विभाग	38	20	14	44
10	दमन और दीव	809	26	0	835
11	आसूचना ब्यूरो	113	35	32	116
12	आईटीबीपी	137	106	72	171
13	लक्षद्वीप	466	11	0	477
14	गृह मंत्रालय (मुख्य)	31	0	1	30
15	एनसीआरबी	4	8	0	12
16	एनआईसीएफएस	13	8	7	14
17	एनपीए	16	0	0	16
18	एनएसजी	46	61	23	84
19	आरजीआई	251	82	63	270
कुल		6692	2430	1874	7248

अनुलग्नक XXII

[संदर्भ पैरा 16.42]

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों की सं. जिनके संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद की गई कार्रवाई से संबधित नोट (एटीएन) पीएसी को प्रस्तुत किया गया	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया किन्तु जिन्हें टिप्पणियों सहित लौटाया गया और लेखापरीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएन की संख्या जिनका लेखा - परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है किंतु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	2016-17	1 [वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं. 24, पैरा सं. 2.2]	0	0	1 (वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं. 24, पैरा सं. 4.1)
2.	2017-18	18 [वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं. 8, पैरा सं. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं. 12, पैरा सं. 12.2]	0	0	0

अनुलग्नक-XXIII

[संदर्भ पैरा 16.42]

दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के संबंध मे लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों और इन टिप्पणियों पर 'की गई कार्रवाई नोट' (एटीएन) की स्थिति का सार

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
वर्ष 2018 की रिपोर्ट संख्या 3 - केंद्र सरकार (सिविल) – बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र – लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन			
1	2.1	**अंडमान और निकोबार प्रशासन पुलिस विभाग, पोर्ट ब्लेयर** **तटीय सुरक्षा योजना तथा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना का कार्यान्वयन** तटीय सुरक्षा योजना चरण II के सभी योजना घटक, जो तटीय निगरानी और सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए थे, मूल योजना के लक्ष्य से पीछे चल रहे थे। योजना के शुरू होने के सात साल बीत जाने के बावजूद, दस नियोजित मरीन ऑपरेशनल सेंटरों में से केवल एक स्थापित किया गया था। इसके अलावा, दस नियोजित जेटी के लिए साइटों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था और 20 तटीय पुलिस स्टेशनों के उन्नयन का काम शुरू होना बाकी था। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस), जिसके अंतर्गत एकल नेटवर्क में प्रक्रियाओं को नए सिरे से इंजीनियर किए जाने और पुलिस विभाग के विभिन्न स्तरों को अन्य हितधारकों के साथ एकीकृत किए जाने की परिकल्पना की गई थी, अभिकल्पित की गई उपलब्धियों मे से अधिकतर को प्राप्त करने मे विफल रहा।	एटीएन के मसौदे पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के मद्देनजर, यूटी डिवीजन एटीएन को संशोधित कर रहा है।
2	2.2	**अंडमान लोक निर्माण विभाग** **अलाभकारी खर्चे** अंडमान लोक निर्माण विभाग ने अनिवार्य वन मंजूरी प्राप्त किए बिना ही 1.42 करोड़ की लागत से एरियल बे में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के कार्य का ठेका दे दिया था, जिस कारण इस कार्य को पहले ही बंद करना पड़ा था। कार्य को पहले ही बंद करने के कारण इस कार्य हेतु खरीदी गई सामग्री पर 92.94 लाख रुपए का खर्च हुआ।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 11.10.2018 को भेजा गया।

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
3	2.3	**जहाजरानी सेवा निदेशालय** **सीमा शुल्क का अनावश्यक भुगतान** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी कस्टम अधिसूचना के संदर्भ में सीमा शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ उठाने के लिए शिपिंग सेवा, अंडमान और निकोबार प्रशासन निदेशालय की विफलता से समुद्र में जाने वाले जहाज की नियमित मरम्मत और रखरखाव के लिए आयात किए गए पुर्जों की खरीद पर सीमा शुल्क के रूप मे 57.99 लाख रुपए का अनावश्यक भुगतान हुआ।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 14.01.2019 को भेजा गया।
4	2.6	**चंडीगढ़ प्रशासन** **कार्य की अनुचित आयोजना के कारण सब-स्टेशन की निष्क्रियता** संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के बिजली विभाग ने 9.87 करोड़ की अनुमानित लागत से सारंगपुर, चंडीगढ़ में एक ग्रिड सब-स्टेशन उत्थापन के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सब-स्टेशन का उत्थापन नवंबर 2011 तक पूरा हो जाना चाहिए था। इसके लिए अतिक्रमण वाली भूमि का आवंटन किए जाने के कारण यह कार्य चार साल से अधिक की देरी से पूरा हुआ। नव-उत्थापित सब-स्टेशन को कमीशन नहीं किया जा सका है क्योंकि इसके किए 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनें उपलब्ध नही है, जिस कारण 10.19 करोड़ रुपये के व्यय से निर्मित संपत्तिया बेकार पड़ी हुई है।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 26.10.2018 को भेजा गया।
5	2.7	**चंडीगढ़ प्रशासन** **व्यवहार्यता स्थापित किए बिना बाजार का निर्माण** चंडीगढ़ प्रशासन ने 1.53 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक वातानुकूलित मछली और मांस बाजार का निर्माण किया है, भले ही बाजार की व्यवहार्यता संदेहास्पद थी। विक्रेताओं से दुकान बूथों के लिए प्रतिक्रिया की कमी के कारण पूरा एकीकृत बाजार पिछले आठ वर्षों से खाली पड़ा है।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 20.08.2018 को भेजा गया।

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
6	2.8	**दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली प्रशासन** **ओमनिबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ओआईडीसी) ऑफ दमन और दीव (डीएंडडी) तथा दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) लिमिटेड को सौंपे गए डिपॉजिट कार्य** वर्ष 2011-17 के दौरान, दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली संघ शासित प्रदेशों के सत्रह विभागों/स्वायत्त निकायों ने 44 डिपॉजिट कार्य सौंपे और ओआईडीसी के पास 528.87 करोड़ रूपये जमा किए। ये विभाग डिपॉजिट कार्यों के रूप में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ओआईडीसी को धन जारी करने वाले कोडल प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकता से अधिक धनराशि जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 56.57 करोड़ रूपये की बर्बादी हुई, जिसका इस्तेमाल निगम द्वारा परिकल्पित अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के निर्माण संबंधी अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त किए बिना केवल इसे बनाए रखने के लिए प्रतीत होता है। 57.70 करोड़ रूपये की धनराशि पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त किए बिना जारी की गई, जिससे बजटीय नियंत्रण और अनुशासन को कमजोर किया गया। परियोजनाओं में लंबे समय तक देरी हुई क्योंकि कार्य सौंपने से पहले बाधा मुक्त स्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोडल आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था। अंततः एमओयू पर हस्ताक्षर किए बिना 454.74 करोड़ रुपए मूल्य के 31 डिपॉजिट कार्यों को इसे सौंपा गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्षेत्र, भुगतान अनुसूची और पूरा करने के लक्ष्य अनिश्चित रह गए थे।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 22.03.2019 को भेजा गया।
7	2.9	**दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली प्रशासन** **पर्यटन के लिए जिला पंचायत को अनियमित अनुदान** दमन और दीव के यूटी प्रशासन ने जिला पंचायत दमन को पर्यटन के लिए 1.35 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता राशि अनियमित रूप से स्वीकृत की, जबकि पर्यटन विषय पंचायतों को नहीं सौंपा गया था। जिस परियोजना के लिए धनराशि जारी की गई थी, उसे अंतिम रूप भी नहीं दिया गया था, इसलिए अनुदान अप्रयुक्त रह गया। सरकार को तुरंत धनराशि वापस करने के बजाय, इसे चार वर्षों से अधिक समय तक सरकार के खातों से बाहर रखा गया, जिससे सरकार को इस धन का उपयोग अन्य विकास गतिविधियों के लिए करने के अवसर से वंचित होना पड़ा।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 24.10.2018 को भेजा गया।

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
8	2.10	**दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली प्रशासन** **एक ठेकेदार को अमान्य और अनुचित भुगतान** ठेकेदार के साथ तैनात नियमित श्रमिकों की लागत वसूल करने में दमन नगर निगम की विफलता से ठेकेदार को 33.22 लाख रुपये का अनुचित भुगतान हुआ है। इसने कार्य की उन मदों के भी अतिरिक्त भुगतान की अनुमति दी, जो पहले से ही मूल समझौते में प्रतिबद्ध थे, जिसके कारण ठेकेदार को 47.88 लाख रुपये का अनुचित भुगतान हुआ है।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 24.10.2018 को भेजा गया।
9	2.11	**दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली प्रशासन** **डिवाइडर के विध्वंस और पुनर्निर्माण के कारण व्यर्थ व्यय** तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य निष्पादन के दौरान सड़क के डिवाइडर की तकनीकी विशिष्टताओं में परिवर्तन करने और फिर इसे तोड़े जाने तथा बाद में मूल डिजाइन के अनुसार इसका पुनर्निर्माण किये जाने के कारण 58.72 लाख रुपये का अनावश्यक व्यय हुआ।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 24.10.2018 को भेजा गया।
10	2.12	**लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (यूएलटीए)** **लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण** केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप (यूटीएल) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उत्तम केरोसीन तेल (एसकेओ), चीनी और चावल का आवंटन, परिवहन, भंडारण और वितरण शामिल है। पीडीएस के ऑडिट में पता चला है कि आबंटित की गई, उठाई गई और वितरित की गई केरोसीन तेल और चीनी की मात्रा यूटी की जनसंख्या के आधार पर मूल्यांकित आवश्यकता के मुताबिक नहीं थी। इस अतिरिक्त व्यय का अनुमानित मूल्य 3.47 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, 75.24 लाख रूपये मूल्य के क्षतिग्रस्त चावल बड़ी मात्रा में गोदामों में रखा हुआ था, जबकि इसके नुकसान के कारणों के बारे में कोई जांच नहीं की गई और न ही इसके निपटान के लिए कोई कार्रवाई की गई। आंतरिक नियंत्रण और सार्थक निगरानी की भी कमी थी, क्योंकि वर्ष 2014-15 से पीडीएस मदों के लिए खाते तैयार नहीं किए गए थे और वर्ष 2013-14 तक के खातों में "द्वीप सहकारी आपूर्ति और विपणन समितियों" की ओर से बकाया बिक्री आय का उत्कृष्ट प्रेषण प्रदर्शित हुआ था। सरकारी खातों में समितियों द्वारा बिक्री आय की तुलना में कम और विलंबित प्रेषण भी किये गए तथा सतर्कता समितियों और निरीक्षण तंत्र या तो कार्य नहीं कर रहे थे या अस्तित्व में नहीं थे।	एटीएन के मसौदे पर ऑडिट द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, इसे यूटी डिवीजन द्वारा संशोधित किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
11	2.13	**लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (यूएलटीए)** **समर्पित बर्थिंग सुविधाओं के निर्माण में देरी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ निधियों की पार्किंग** केंद्र शसित प्रदेश लक्षद्वीप (यूटीएल) के प्रशासन ने एक समर्पित बर्थ के निर्माण के लिए 40.34 करोड़ रूपये की राशि जारी की, जिसके लिए सक्षम अधिकारी से परियोजना का पूर्व अनुमोदन और अन्य अपेक्षित मंजूरियां नहीं ली गई। इससे यह धनराशि लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास पडी रही और अपेक्षित उद्देश्य के लिए इसके तत्काल उपयोग की कोई संभावना नहीं थी। यह न केवल प्राप्तियों और भुगतान नियमों और जीएफआर का उल्लंघन था, बल्कि लक्षदीप संघ क्षेत्र प्रशासन के लिए भी इन निधियों का अन्य विकासात्मक गतिविधियों हेतु उपयोग करने के अवसर नहीं बचे। इसके अलावा, परियोजना हेतु मंजूरियों और अनुमोदनों के अभाव में यह इसकी कल्पना के छः साल बाद शुरू हो सकेगी।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 23.04.2019 को भेजा गया।
12	2.14	**लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (यूएलटीए)** **डि-कमीशन किए गए पोत के निपटान में देरी के कारण अनावश्यक व्यय** डी-कमीशन किये गए जहाजों के निपटान के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के उपलब्ध न होने और साथ ही पुराने जहाज का उपयुक्त आरक्षित मूल्य निर्धारित करने में समय पर कार्रवाई करने में बिलम्ब होने के फलस्वरूप 7.67 करोड़ रूपये का अनावश्यक व्यय हुआ।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 06.05. 2019 को भेजा गया।
13	2.15	**लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (यूएलटीए)** **आयकर की कम कटौती** लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (यूटीएल) ने आयकर देयता का निर्धारण करने के लिए द्वीप विशेष कार्य भत्ता (आईएसडीए) को शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के पीएओ के तहत 118 डीडीओ में से 19 डीडीओ के मामले में 51.92 लाख रूपये आयकर की कम कटौती हुई।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 29.03. 2019 को भेजा गया।
14	3.1	**दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र** **विकास करारों में स्टाम्प शुल्क की कम वसूली** विकास समझौतों के संबंध में विचार राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क वसूलने के प्रति उप-रजिस्ट्रार सिलवासा की विफलता के कारण स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया। बाद में लेखापरीक्षा के अनुरोध पर12 मामलों में 29 लाख रुपये की राशि वसूली गई।	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित अंतिम एटीएन निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 24.10.2018 को भेजा गया।

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
15	4.1	**दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र** **डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** **डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली की खरीद और बिक्री** बिजली की जरूरतों का अपर्याप्त मूल्यांकन करने के कारण कम्पनी ने केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से बिजली का पर्याप्त आवंटन होने के बावजूद बिजली की खरीद की है। इसके अलावा, विधुत खरीद करारों (पीपीए) के खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप कुल 371.30 करोड़ रूपये का अनावश्यक व्यय हुआ और साथ ही 8.63 करोड़ रूपये के जुर्माना की वसूली भी नहीं हुई। सुरक्षा जमा, बिजली घटक और क्षेत्रीय निरीक्षण की आवृत्ति के लिए सीमा निर्धारित करने इत्यादि के संबंध में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों की गैर-अनुपालना किए जाने को नोट किया गया थां	ड्राफ्ट एटीएन को पुनरीक्षण हेतु लेखा परीक्षा को भेजा गया था। लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
2018 की रिपोर्ट संख्या 4 - केंद्र सरकार (सिविल) - अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ			
16	10.1	नई दिल्ली और मध्य जिले के लिए फरवरी 2013 में सौंपी गई एक सीसीटीवी निगरानी परियोजना के अंतर्गत उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए तकनीकी आवश्यकता का आकलन और निर्धारण करने में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की विफलता होने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2017 तक परियोजना अधूरी रह गई, जबकि 42.94 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस इन क्षेत्रों के लिए किराए पर लिए गए सीसीटीवी कैमरों पर 21.02 लाख रूपये का मासिक खर्च कर रही है।	पैरा ड्रॉप हो गया है, क्योंकि पैरा को 124वीं पीएसी रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल किया गया है।
17	10.2	दिल्ली पुलिस के कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए उच्च हवाई किराए के साथ छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का दावा किया है। इन्हें बिना जांच के पास कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 435 कर्मचारियों को 2.56 करोड़ रूपये की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई है।	पैरा ड्रॉप हो गया है, क्योंकि पैरा को 124वीं पीएसी रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल किया गया है।
18	10.3	पट्टे पर प्राप्त की गई इंटरनेट लाइनों के साथ सर्वर और सॉफ्टवेयर को सिंक्रोनाइज करने में दिल्ली पुलिस की विफलता के परिणामस्वरूप ये सर्वर और सॉफ्टवेयर तीन वर्ष और छः महीने के लिए सेवा में अप्रयुक्त रह गए और इस प्रकार किराए के सर्वर पर 1.11 करोड़ रुपये का अनावश्यक व्यय हुआ है।	पैरा ड्रॉप हो गया है, क्योंकि पैरा को 124वीं पीएसी रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल किया गया है।

*****

टिप्पणियाँ :

टिप्पणियाँ :

टिप्पणियाँ :

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

https://mha.gov.in/ पर भी उपलब्ध

Jaina Offset Printers: 9873149889, 9811269844